

जैल में

कुलदीप नाथर

अनुवाद
देवेशचन्द्र



दाधाकृष्णा

Originally published by
VIKAS PUBLISHING HOUSE PVT LTD
5, Ansari Road, New Delhi-110002
in the English language under the title
IN JAIL

अंग्रेजी भूल का
©
कुलदीप नथर, नई दिल्ली
1978

हिन्दी अनुवाद
©
राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली
1978

प्रथम हिंदी संस्करण : जून 1978

मूल्य
सजिल्ड संस्करण : 20 रुपये

प्रकाशक
राधाकृष्ण प्रकाशन,
2 अंसारी रोड, दरियागंज
नई दिल्ली-110002

मूद्रक
भारती प्रिंटर्स
दिल्ली-110032

मेरे श्वसुर
श्री भीमसेन सच्चर
की स्मृति को—
जिनके साथ मुझे जेन में एक दिन
विताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ ।

भूमिका

मैंने खामोशी को चुपचाप धंटों सुना है। मैंने दिन को उत्तरांश और वीतता हुआ अनुभव किया है। मैंने खुलते और बन्द होते समय दरखाजे की आवाज हर बार सुनी है। मुझे हर चीज की अनुभवित हो गयी है और यह कई दिनों, हफ्तों और महीनों तक बनी रहेगी। जेल भी एक ऐसी जगह है, जहाँ समय ठहर जाता है।

मैंने जितना समय जेल में बिताया, वह इपादातर पढ़ने या सिर्फ़ सोचने में बिताया। मैंने क्या किया, इसका असल में कोई मतलब नहीं है। हर दिन एक जैसा था। कभी-कभी कुछ काम न होने से सिर्फ़ खाली धूं ही बैठे रहने से बहुत पहाड़-जैसा दीखने लगता था। और मैं अपने साथ के कैदियों को कोठरियों में आते-जाते देखता रहता था; मैं कॉटेदार दरवाजे से बाहर की तरफ़ घास की कुछ पत्तियों को हरी होते देखता था। जैसे-जैसे दिन बीतते गये, एक धूंधली-सी अटूट अशा रह गयी थी कि मैं—और मेरे साथ और लोग भी एक दिन आजाद होगे। यह देफियों टटेंगी और फिर आजादी होगी।

और मेरी रिहाई, जब मह आयी, तब मेरे लिए यह बहुत बड़ा निजी अनुभव था। मैंने आजादी की कीमत समझी, जो पहले नहीं समझी थी। यह एक स्वाद था जिसे समूचे राष्ट्र को बाद में अनुभव करना था, जब चुनाव के नतीजे आये, विधांकि तब तक सारा भारत एक जेल थाना था।

यह इमरजेंसी पर लिखी किताब नहीं है, हालांकि तैयारी उन्हीं दिनों हुई थी, क्योंकि उस समय मैं 'मीसा' के तहत नजरबन्द था। और यह उस डायरी के आधार पर है, जिसमें अपने दो महीने की नजरबन्दी में 24 जुलाई 1975 से जो कुछ सोचता था, जो कुछ देखा था या मुना था, लिखता गया; क्योंकि मैं जानता था कि मैं यह किताब लिखूँगा। जनसिस्ट होने के नाते मैं यह जानना चाहता था कि जेल की जिन्दगी कैसी होती है। अमल में मैंने अपने साले, राजिन्दर सच्चर के द्वारा लिखी गई एक बड़ी किताब की ओर से यह जानकारी लिया थी। इसके बाद मैं इसकी विशेषताएँ देख सकते हैं।

चूंकि यह मेरी नज़रबन्दी की कहानी है, इस किताब में जगह-जगह में अपने वारे में ही यथादा कहता गया हूँ। मेरी सिर्फ़ यही उम्मीद है कि जो कुछ मैंने यहाँ लिखा है, उसमें जेल के भीतर को हालत को सुधारने की कोशिश को कुछ रोशनी मिलेगी और कम-से-कम वहाँ गुलामों का नेन-देन बन्द हो जायेगा—वहाँ पुलिस

कुछ भी आरोप लगा लड़कों को पकड़ लाती थी और स्टाफ के इन 'हेल्परों' को कोई भी मजदूरी नहीं दी जाती थी।

यह सच है कि जेल सजा की जगह है। बोलने, आने-जाने, दौस्ती में मिसने पर रोक, उत्से और परिवार के लोगों से जबरदस्ती अवगत किया जाना—इतनी सजा

जिम्मेदारी की जितना दूभर बनाया जा सकता है, यान्याय जाये। जब नष्टी दिल्ली की तिहाड़ जेल में, जहाँ मैं नशरखन्द था, कैदियों की संख्या 4000 से ऊपर पहुँच गयी, मैंने जेल के अधिकारियों से पूछा कि वह इतनों भीड़मयों भर रहे हैं? उन्होंने कहा कि यह जानबूझ कर एसा किया जा रहा है; जो जेल 1200 आदमियों के लिए थी, अगर वहाँ चौगुने पथादा आदमी भर दिये जायें तो यह नरक ही हो जायेगी।

मैं एक बार फिर स्टेट्सर्मेन के अपने पुराने साथियों—प्रकाश राव, वी० ए० मेनन और टी० एन० घन्ना को उनकी मदद के लिए धन्यवाद देता हूँ।

कुलदोप नाथर

ऋग्म

गिरफुतारी	11
जेल में	29
...और बाद में	82
उपसंहार	104

परिशिष्ट

I	109
II	120
III	134
अनुऋग्मणिका	141

गिरफ्तारी

भारती ने जगाया तो मुझे लगा कि अभी आधी रात भी नहीं बीती है। उसने कहा, “पुलिस के दो आदमी आये हैं।” वह कुछ घबरायी हुई थी, लेकिन उसने यह खबर इतने कामकाजी ढंग से बतलायी कि उसका मतलब समझने में मुझे कुछ समय लगा। कांग्रेस के एक नेता की लड़की होने के कारण, जो विदेशी राज्य के दिनों में कई बार जैल गये थे, पुनिस बालों का समय-असमय आधमकना मेरी पत्नी के लिए कोई नयी बात नहीं थी। लेकिन मेरे निए यह अनुभव अपूर्व था। मैं झट से विस्तर छोड़कर उठ बैठा, हालाँकि जो कुछ हो रहा था उस पर मुझे कोई ज्यादा आश्चर्य नहीं था। एक ही दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस के, जहाँ पर मैं काम करता हूँ, प्रोप्राइटर रामनाथ गोयनका ने मझे यह चेतावनी दी थी कि अगर सरकार किसी पत्रकार के खिलाफ एक राय से कोई कार्रवाई करने पर आमादा है तो वह कार्रवाई सबसे पहले मेरे खिलाफ ही होगी। जैसा कि उन्होंने कहा, “देवीजी” बहुत नाराज़ है, और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष देवकान्त बरुआ ने खुल्लम-खुल्ला कहा है कि हम ‘तुमको सबक’ सिखाएँगे।

फिर भी मन कहता था कि यह संभव नहीं कि वे मुझे गिरफ्तार करने आये हैं। शायद मेरे घर की ताताशी-भर लेना चाहते हों—क्योंकि भले ही मेरी कोई अहमियत न हो, लेकिन यह पता लगाना अहमियत रखता था कि मुझ तक यहाँ पहुँचाने वाले स्त्रीत कौन और कहाँ हैं। कोई दो दिन पहले मेनस्ट्रीम के सम्पादक निधिल चक्रवर्ती ने मुझे घर से सारे कागज़-पत्रों को ‘हटा देने की’ कहा था। हमलोग संघ लोक सेवा आयोग में एक सेनेकशन बोर्ड के सदस्य के रूप में मिले थे और वहाँ उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने सुना था कि मेरे घर पुलिस का छापा पड़ेगा। लेकिन मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि मैं डरता। मैं गुप्त कागजों को घर में न रखने के बारे में सावधान था। और मेरे छोटे लड़के राजू ने पहले ही अपने एक दोस्त के घर उन सारी फाइलों को दो बोरों में भरकर रख दिया था, जिनको मैंने बड़े यत्न से दस साल प्रेस-अधिकारी के रूप में पहले गोविन्दवल्लभ पन्त और उसके बाद नालवहादुर शास्त्री के साथ, जब ये लोग गृहमंत्री थे, रखा करता था।

मैंने दीवाल पर लगी घड़ी की तरफ देखा। मुश्किल से सबेरे के पांच बजे होंगे। मैंने एपरकंडीशनर बन्द कर दिया, भारती से चिन्ता न करने को कहा और बठक में चला आया जहाँ पुलिस के आदमी बैठे थे। ज्यों ही मैं आया, वे उठ कर

बढ़े हो गये। दोनों वर्दी में थे और कन्धों पर सगे बैन से मझे लगा कि इनमें से एक पुलिस-इंस्पेक्टर है। “मुझे अकस्रोत है, हम आपको गिरफ्तार करने आये हैं,” सीनियर आदमी ने कहा। उसने अपने को चाणवयपुरी पुलिस-न्टेक्षण का स्टेशन-हाउस-ऑफिसर बताया। इंस्पेक्टर के मुंह से ‘गिरफ्तार’ शब्द बड़ी मुश्किल से निकला—और उसके बाद पामोशी छा गयी।

लंबी खामोशी के बाद मैंने कहा, “क्या मैं वारंट देय सकता हूँ?”

उसने साइक्लोस्टाइल किया हूँवा एक कागज दियाया जिस पर प्लासी लाइन पर मेरा नाम और वल्डियत के आगे मेरे पिता का नाम टाइप किया हूँवा था। मैंने ‘आन्तरिक सुरक्षा कानून’ और ‘सार्वजनिक हित में’ शब्दों को देया। सन्देह की कोई गुजाइश नहीं थी; मैं गिरफ्तार था। उस दिन तारीख 24 जुलाई 1975 थी।

मैं अपने को निस्सहाय महसूस कर रहा था। मुझ डर भी महसूस हो रहा था —अज्ञात का डर और जो कुछ पता था उसका भी डर। मेरे दिमाग में पुलिस के अत्याचार की खबरें तुरन्त छा गयीं, जो हम लोगों को मिलती थी, लेकिन मेरे मन में गवं का भाव भी हम सेसरिप के कारण छाप नहीं सकते थे। लेकिन मेरे मन में गवं का भाव भी था, जो हजारी आदमियों के मन में तब रहा होगा जब वे आजादी की लड़ाई के दौरान गिरफ्तार हुए होगे और जो भारती के पिता भी मसेन सच्चरने भी महसूस किया होगा। एक तरह से मैं अपने बहुत-से उन सहयोगी पत्रकारों के पाप का किफर से गुलाम होने पर चुप रहना श्रेयस्कर मान लिया था।

मैंने पुलिस-अधिकारी से पूछा, “क्या मुझे कुछ समय मिलेगा?” एस० एच० बो० ने कहा, “दो-एक घंटे। आप नहा-घो सकते हैं, अपने साथ कपड़े बर्गरह रख सकते हैं और अगर इच्छा हो तो कुछ खा भी सकते हैं।” मुझे एकदम से आमों का मिलेगे।

“क्या मैं अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को टेलीफोन कर सकता हूँ?” पुलिस वालों ने सिर हिला कर सहमति दे दी।

मैंने अपनी वहन, राज को बुलाया। मेरे माँ-बाप और भारती के माँ-बाप उसके यहाँ ठहरे हुए थे। टेलीफोन मेरे पिता ने उठाया। सिफे ‘गिरफ्तार’ शब्द को सुनते ही वह सिसकने लगे। मैं टेलीफोन पर पास में खड़ी माँ की आवाज को सुन रहा था, वह ‘वाह गुरु’ का जाप कर रही थी। मेरी वहन ने लड़बड़ती आवाज में कहा कि वे सब जल्दी ही आ रहे हैं।

मेरी आंखों में आँसू छलक आये। मैं यह नहीं जानता था कि मैं कितने दिन जेल में रहेंगा और क्या जब मैं लौटूंगा से विलकुल ही जर्जर थी। एकाएक मैं अपने बहुत ही बुढ़े थे और मेरी माँ तो रोग से बिलकुल ही जर्जर थी। एक छोटे बच्चे की तरह महसूस करने लगा, जो डर कर माँ-बाप की गोद में छिप जाना चाहता है।

मैंने अपने प्रतिभाशाली कार्डनिस्ट दोस्त, राजिन्दर पुरी को फोन मिलाया। जिन्होंने मुझे खुफिया-विभाग के एक सर्वोच्च अधिकारी की यह टिप्पणी बतायी थी कि “अगर हम लोग कुलदीप नेयर जैसे पत्रकारों को तीन-चार साल के लिए गिरफ्तार कर लें तो सारा काम ल्यादा बासान हो जाये।” पुरी ने मुझे तीन हफ्ते

मुझे विश्वास है कि इस तरह की कुछ टिप्पणियाँ आपको ज़रूर दिखायी गयी होंगी।

इसी तरह प्रेस-कोसिल के खिनाफ़ यह आरोप भी गलत है कि उसने गाती-गलौज भरे लेखों का विरोध नहीं किया है। कोसिल के सदस्य होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि आर्मनाइजर (के समादर) की आपके और आपके परिवार के बारे में गैर-जिम्मेदाराना लेख लिखने पर निदा की गयी है। दुर्भाग्य से इस निषेध की घोषणा लम्बी और पेचदार प्रक्रियाओं के कारण देर से हुई।

आप शायद स्वीकार करेंगी कि प्रमुख पत्रों ने फ़िरकापरस्ती के खिनाफ़ सरकार के अभियान का वेनाम समर्थन किया है। पत्रों की शिकायत है कि साम्प्रदायिक तत्वों के बारे में प्रशासन का रवैया कड़ा नहीं है। प्रेस-कोसिल ने भी वहुत-से समाचारपत्रों को 'साम्प्रदायिक' और 'संकीर्णतावादी' लेख लियने के निए चेतावनी भी दी है।

;
।
।
।
।

लिए, प्रशासन के बारे में आपने पत्र लिये हैं, लेकिन उनको प्रकाशन के लिए कभी जारी नहीं किया गया। आपके पत्रों के बारे में जो कुछ छपा है वह इधर-उधर से सुना-सुनाया हुआ है।

महोदया, पत्रकार के लिए यह छौटना हमेशा मुश्किल रहता है कि वह क्या छापे, क्या न छापे! उसे हमेशा किसी-न-किसी के नाराज होने का खतरा रहता है। व्यक्ति की अपेक्षा सरकार में यह प्रवृत्ति यादा रहती है कि सत्य को छुपाया जाये—और सत्य प्रगट हो जाये तो सरकार के कान खड़े हो जाते हैं। प्रशासन में जो लोग ऊचे पदों पर होते हैं वह इस विश्वास के साथ काम करते हैं कि वे—केवल वे ही—जनते हैं कि कौन-सी चीज़ राष्ट्र को कब और कैसे बतायी जाये। और ऐसी बात जो उन्हें पसन्द नहीं है समाचारपत्रों में प्रकाशित हो जाये तो वे नाराज हो जाते हैं।

लेकिन यह कोई नहीं समझ पाता कि इन तरीकों से सरकारी खबरों पर से लोगों का विश्वास उठ जाता है। और, लोग सरकार की सही खबर पर भी भरोसा करना छोड़ देते हैं। लोकतंत्र में, जहाँ जनता का विश्वास ही सब-कुछ होता है, सरकार के लिए हितकर नहीं कि उसकी कथनी या करनी में जनता को जरा भी सन्देह हो।

स्वतंत्र समाज में—इमरजेंसी के बाद आपने बार-बार यह कहा है कि आप स्वतंत्र समाज की धारणा में विश्वास रखती है—जनता को सचित करना समाचारपत्रों का कर्तव्य है। कभी-कभी यह काम अप्रिय हो जाता है, लेकिन यह करना पढ़ता है क्योंकि स्वतंत्र समाज की तुनियाद वेरोक सचिना पर खड़ी होती है। अगर समाचारपत्रों का काम सरकारी घोषणाओं या वक्तव्यों को छापना ही रह जाये, जैसा कि अजकल हो रहा है, तब भूलो, कमियों और गलतियों को कौन बतायेगा?

मैं अवसर नेहरूजी के उन वचनों को पढ़ता हूँ जो उन्होंने तीन दिसम्बर 1950 को अखिल-भारतीय समाचारपत्र सम्मेलन में

कहे थे : “समाचारपत्रों की आजादी के बारे में सरकार नाहे जितना नाक-भौह सिकोड़े और उसे खतरनाक समझे, लेकिन मुझे उसमें कोई शक नहीं है कि उनकी आजादी में दखलन्दाजी करना गलत है। पावन्दी लगाकर आप किसी चीज़ को नहीं बदल सकते। आप कुछ चीजों को बाहर आने से रोक-भर सकते हैं और ऐसा करने से जो बात या विचार इन चीजों के पीछे छिपे हुए हैं उनको और इयादा बढ़ावा मिलता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे समाचारपत्रों पर कोई भी पावन्दी न रहे, उनको दबाया न जाये या उन पर कोई भी नियंत्रण नहीं लगाया जाये, चाहे आजादी का गलत तरीके से इस्तेमाल किये जाने का खतरा भले ही हो।”

जिस तरह की सेंसरशिप आज लगायी गयी है उससे पहल करने की प्रवृत्ति, देरोक जाँच और अन्ततः आजाद होकर सोचने की प्रवृत्ति मर जायेगी। मुझे यकीन है कि आप ऐसा नहीं होने देना चाहती हैं।

आपका
कुलदीप नेपर

उनका जवाब जो उनके डाइरेक्टर ऑफ पब्लिसिटी के मार्फत मिला, इस प्रकार था :

प्रिय श्री नेपर,

प्रधानमंत्री को आपका 16 जुलाई का पत्र मिला। पिछले साढे नौ साल में प्रधानमंत्री ने अपने बारे में झूठी और भ्रष्ट खबरें छपने पर भी कभी कोई प्रतिक्रिया घ्यक्त नहीं की। इससे आलोचना के बारे में उनकी विलक्षण सहनशीलता का पता चलता है। पिछले हफ्तों में जो सेंसरशिप शुरू की गयी है वह किसी व्यक्ति या सरकार के प्रति संवेदनशील होने के कारण नहीं शुरू की गयी है, वल्कि इसलिए की गयी है कि कुछ समाचारपत्र विपक्षीय मोर्चे के अभिन्न अंग बन गये हैं। जब इन दलों को राष्ट्रीय जीवन को तहस-नहस करने के अपने कार्यक्रम को चलाने से रोकना है तो यह स्वाभाविक है कि उनके प्रचार के प्रमुख साधनों पर भी रोक लगायी जाये जिससे वे उत्पात न करा सकें। समाचारपत्रों पर रोक लगाने से निश्चय ही पिछले कुछ दिनों में स्थिति पर काबू पाया जा सका है। समाचारपत्रों की आजादी व्यक्तिगत आजादी का हिस्सा है, जो हर मुक्त में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में अस्थायी तौर पर कम कर दी जाती है।

इसके अलावा, कुल मिला कर हमारे समाचारपत्र अपनी आजादी के दुरुपयोग को रोकने में बहुत कारगर साबित नहीं हुए हैं और वे न गाली-गलोज भरे लेख रोक सके हैं, न झूठी खबरे फैलाना। आपने प्रेस-कॉसिल के और कुछ समाचारपत्रों के इक्के-दुक्के काम गिनाये हैं। लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि उनका असर कारगर हुआ?

जहाँ तक इसका संबंध है कि समाचारपत्र वालों को क्या छापना चाहिए जिसके बारे में आपने कहा कि वह निर्णय करना कठिन है, प्रधानमंत्रीजी यही कहना चाहेगी कि हर पत्रकार जिम्मेदारी से या तथ्यों को दृष्टि में रखकर इस बारे में फँसला नहीं करता।

आपका
एच० वाई० शारदा प्रसाद

शायद मेरे पत्र से आग भड़क उठी थी जो पहले से ही सुसंग रही थी। मैं इमरजेंसी

जाने पर अपना दुखङ्गा रो चुके थे। हाल में मंत्रालय बदले जाने पर उन्होंने टेलीफोन पर मुझसे शिकायत के तौर पर कहा था कि मैं उनके भूचना और प्रसारण-मंत्री बनने पर उनको विधाई देने नहीं गया था।

श्री शुक्ल को मुझसे एक और शिकायत भी थी। मैं 29 जून को सभी स्थानीय समाचारपत्रों और न्यूज़-एजेसियों के दफ्तरों में गया था और मैंने प्रेस सेंसरशिप लगाये जाने का विरोध करने के लिए पत्रकारों से दूसरे दिन प्रेस-न्यूज़ में इकट्ठे होने के लिए कहा था। वहाँ एक सौ से ज्यादा पत्रकार इकट्ठे हुए थे, जिन्होंने मेरे रखे प्रस्ताव का समर्थन किया था। प्रस्ताव इस प्रकार था :

हम यहाँ एकत्र सभी पत्रकार सेंसरशिप लगाये जाने पर अपना सेद प्रकट करते हैं और सरकार से इसके तुरंत हटाये जाने की माँग करते हैं। हम यह चाहते हैं कि जो भी पत्रकार नज़रबद्ध किये जा चुके हैं उनको तुरंत रिहा कर दिया जाये।

मैंने इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भूचना और प्रसारण-मंत्री के पास भेज दिया था।

बाद में जब मैं श्री शुक्ल से मिला तो उन्होंने सबसे पहला सवाल यह किया “वह प्रेम-न्यूज़ कहाँ है, जिस पर कुछ पत्रकारों ने दस्तख़त किये हैं?” मैंने मज़ाक में

गाँधी के हरकन्मीला
उनकी बदतमीड़ी से मु
में शिष्टता होती थी।
पर रोक लगा दी थी,
मंवंघ मधुर बने रहे।

श्री शुक्ल ने मुझमें कहा कि मैं विदेशी पत्रकारों के साथ मेल-जोल रखता हूँ और उन्होंने लन्दन से निकालने वाले पत्र टाइम्स के पीटर हेजलहस्टैंड¹ का खास तौर से नाम लिया। मैं आठ साल से टाइम्स का संवाददाता होने के नाते हेजलहस्टैंड को नज़दीक से जानता था। वह भारत के सबसे अच्छे दोस्तों में हैं। उन्होंने 1971 में यांगला देश की तड़ाई में भारत का पक्ष लिया था। 26 जून को नयी दिल्ली पर्देंचले ही वह मेरे घर आये और हम दोनों ने स्वतंत्र भारतीय पत्रकारिता की मीत पर दोनों ओम्पू बहाये। शुक्लजी ने मुझसे कहा कि मेरे लिए वह अच्छा नहीं होगा कि मैं पीटर से दोस्ती रखूँ। मैंने उनसे कहा था कि उनकी बात मानना मेरे लिए मुमिन नहीं होगा।

1. बाद में पीटर को भारत से बाहर निकाल दिया गया, उसका पायांट रह कर दिया और हराई रहने पर उक्त पायांट की तसाखी ली गयी, जहाँ उक्त टोकियो के लिए हराई रहाये रहने के लिए योजना घटे इत्यतार करना पड़ा।

श्री शुक्ल ने तेज बोलते हुए कहा, “हम इन विदेशी पत्रकारों को ठिकाने लगाने जा रहे हैं; इन्हें बहुत लाड़न्यार मिल चुका है।” मुझे अनुमान था कि यू० एस० ए०, ब्रिटेन और यूरोप में इमरजेंसी के बारे में ख़राब प्रतिक्रिया होने से सरकार चिढ़ गयी है। विदेशी समाचारपत्रों ने ठीक ही भाँप लिया था कि भारत तानाशाही की ओर बढ़ रहा है और श्रीमती गांधी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को आदेशों और संवैधानिक संशोधनों के कूड़े की टोकरी में फेंक रही है।

श्री शुक्ल की मेज पर विदेशी पत्र-पत्रिकाओं की बहुत-सी कतरने पड़ी थीं। इनमें एक का शीर्षक, जो मैं पढ़ सकता था, इस प्रकार था : द एम्प्रेस टर्न्स इम्पीरियस (महारानी मदान्ध हो गयी)। उसके नीचे पहली दो लाइनें इस प्रकार थीं :

श्रीमती गांधी को हटाने के लिए अब एक और बहुत अच्छी बजह पैदा हो गयी है : इस बजह में वह सभी उपाय शामिल हैं जो वह अपनी शक्ति को बनाये रखने के लिए अपना रही है। बृहस्पतिवार को उच्च कोटि के संकड़ों राजनीतिज्ञों और अपनी ही पार्टी के कुछ विरोधी सदस्यों को जेल में बन्द कर और समाचारपत्रों पर पावन्दी लगाकर उन्होंने उन् सभी कायदों को तोड़ डाला जिन पर भारत पिछले अट्टाइस साल से चल रहा था।

जिस दिन मैं श्री शुक्ल से मिला था, उसी दिन इंडियन एक्सप्रेस में मेरा साप्ताहिक लेख (तीन जुलाई को) प्रकाशित हुआ। इसका शीर्षक था : नाट एनक्र मि० भट्टौ। (महाशय भट्टौ, अभी बाकी है)। यह भट्टौ और पाकिस्तान के बारे में था, जिसमें उनके शासन की तुलना फ़ील्ड मार्शल अर्थूब ख़ाँ के शासन से की गयी थी। मैंने लिखा था : “सबसे खराब बात यह है कि जनता का दमन बढ़ गया है। समाचारपत्रों की जबानों पर ताले लगाये जा रहे हैं और विपक्ष के बवतव्यों को दबाया जा रहा है। यहाँ तक कि थोड़ी-सी भी आलोचना वर्दिश्ट नहीं की जाती।”

श्री शुक्ल का कहना था कि सरकार में वेवकूफ़ लोग नहीं हैं, कोई भी यह समझ सकता है कि यह लेख श्रीमती गांधी और इमरजेंसी के खिलाफ़ लिखा गया है। निश्चय ही मेरा आशय भी यही था और सेंसरशिप से बचने का इससे अच्छा कोई दूसरा रास्ता मैं सोच भी नहीं सकता था।

मैंने अगले हप्तो में दो और लेख लिखे। मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका के द्विशत-वर्षीय समारोह के अवसर पर अमेरिका के इतिहास का सिंहावलोकन किया था और लिखा था : “जो लोकतंत्र का उपदेश देते थे उनके हाथ खून से सने हुए हैं। राष्ट्रपति निक्सन का निष्कासन मुक्त समाचारपत्रों और जन-भावना के प्रचार के कारण हुआ, हालाँकि उन्हें अमेरिका के पिछले राष्ट्रपतियों की अपेक्षा अधिक संख्या में बहुमत मिला हुआ था।”

सत्रह जुलाई को छपे एक लेख का शीर्षक था : ‘विद्याविद्यों के सामने चूनोतियाँ।’ मैंने बाल्टेयर के इस कथन को उद्भूत करते हुए फिर अन्योक्ति की शैली अपनायी थी : “अभी कुछ ही दिन हुए कुछ प्रतिष्ठित लोगों में एक बहुत ही पिसे-पिटे और हल्के विषय पर बहस हो रही थी कि केसर, सिकन्दर, तैमूरलंग

1. प्रेस के साधनों के दुष्पर्योग पर वैयार एक श्वेत-भव के अनुसार सरकार के प्रमुख मूचना अधिकारी को इस बात की जांच करने के लिए कहा गया था कि “व्या दूस प्रकार की दिप्पतियाँ छिपे रहे से देश में मौजूदा हालात पर सरकार की आलोचना नहीं है?”

और कामवेल में सबसे बड़ा आदमी कौन था ? किसी ने जवाब दिया कि निश्चय ही आइजक न्यटन सबसे बड़ा आदमी था। और उसका यह कहना ठीक ही था कि हम लोग उनकी ही आदर देते हैं जो तक से हमारे दिमाग को जीत लेते हैं, न कि उनको जो बल के आधार पर हमको गुलाम बना डालते हैं।” मैंने विद्यार्थियों को सलाह दी थी वह डॉक्टर बनें, इंजीनियर या प्रोफेसर बनें, लेकिन वह पत्रकार कभी भी न बनें।

मुझे इस स्तम्भ के लिए लिखना बन्द करना पड़ा था, योकि इंदियन एक्सप्रेस के मालिकों को बता दिया गया था कि “कुलदीप नंयर का कोई भी लेख जिसे वह अपने नाम से या किसी छछ नाम से लिख आपके समाचारपत्र में सेंसर को जाँच के लिए भेजे विना प्रकाशित नहीं होना चाहिए।”

मैंने प्रेस-कौसिल में एक सदस्य के नाते जो भाषण दिया था, उससे भी सरकार नाराज हो गयी थी। मैं प्रेस सेंसरशिप लगाये जाने के खिलाफ कौसिल से एक प्रस्ताव पास करवाना चाहता था। इस बैठक में सभी स्थानीय सदस्य शामिल हुए थे। वे यह नहीं चाहते थे कि सेंसरशिप की आलोचना की जाये, हालांकि कुछ लोग सेंसरशिप से असतुष्ट थे। मैं अपनी बात पर बड़ा हुआ था और मैंने कहा या कि एक दिन ऐसा आयेगा जब हमारी भावी पीढ़ी प्रेस-कौसिल की स्पष्ट बात न कहने के लिए निन्दा करेगी, योकि उसकी स्थापना इसीलिए हुई है कि समाचार-पत्रों की आजादी की रक्खा की जाये। यह तक दिया जा रहा था कि प्रस्ताव पास करने से कोई लाभ नहीं होगा, योकि कोई भी समाचारपत्र इसे नहीं छापेगा। मैंने उनसे कहा कि यहाँ सबके विवेक का सबाल है। मेरे सारे भाषण की अक्षरादः सूचना सरकार को दे दी गयी थी।

मुझे पहली बार यह महसूस हुआ कि किसी वेरहम सरकार के हथियारखाने में ‘आंसुका’ जैसा हथियार कितना शक्तिशाली होता है। मुझे याद आया कि किस प्रकार केरल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ई० एम० एस० नम्बूदिरीपाद ने निवारक नजरबन्दी कानून की अवधि के, जो खत्म होने वाली थी, बढ़ाये जाने का विरोध किया था, पर वह असफल रहा था। तरकालीन गृहमंत्री गोविन्दवल्लभ पत के नियास-स्थान पर मुल्यमंत्रियों की एक बैठक में सिङ्ग० ई० एम० एस० ने इसका विरोध किया था। परिचमी बंगाल के मुख्यमंत्री विधानचन्द्र राय ने तो यहाँ तक बहा था कि ई० एम० एस० बच्चा है जो प्रशासन की ज़रूरतों को नहीं समझता, लेकिन नम्बूदिरीपाद अपनी बात पर श्री राय के उठकर चले जाने पर भी बढ़े रहे। निवारक नजरबन्दी कानून की अवधि बढ़ाने का निर्णय तो ले लिया गया जैसिन ई० एम० एस० ने वही और उसी बज्जत यह आश्वासन दिया था कि उनकी पार्टी इस कठोर कानून का कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगी और उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं ही किया।

आमुका इससे भी च्यादा खुराक था। इसके तहत कोई आदमी कभी भी गिरपतार किया जा सकता था। इसके खिलाफ जो कुछ भी कानूनी कार्रवाई हो

१. मैंने बाद में पता चला कि प्रेस-कौसिल के बघ्यक न्यायमूलि आयगर ने श्री शुक्ल को १३ अगस्त १९७५ को नियुक्त किया था: “आपको याद होगा कि मैंने आपको यह बताया था कि कुछ सदस्य इमरजेंसी और सेंसरशिप पर बच्चा करने के लिए एक बैठक बूलाना चाहते हैं। मैंने दिल्ली-स्थित सदस्यों के साथ अनौपचारिक रूप से बैठक की और मैंने उन्हें समझाया है कि यह न बढ़करी है और न उचित होते हैं। वह लोग मेरी बात मान गये हैं। इसलिए जो बैठक बुलायी जा रही है, वह विषय-मूल्य से शामिल नहीं रहेगी।”

सकती थी वह संशोधन विधेयक लाकर ख़त्म कर दी गयी थी। कोई भी आदमी नज़रवन्दी को चुनौती नहीं दे सकता था। इस संशोधन के बारे में वहूत-से मंत्रियों को तब मालूम हुआ जब उसे संसद में पेश किया गया।

इस विधेयक का अनुमोदन मंत्रिमंडल की राजनीति विषयक समिति कर चुकी थी, जिसके सदस्य श्रीमती गांधी, जगजीवनराम, चहूण, स्वर्णसिंह और बहानन्द रेडी थे। राज्यों से, जिनका इस विषय से सीधा संवध था, कोई भी राय नहीं ली गयी थी (कानून और व्यवस्था राज्यों की विषय सूची में आती है)। पहले ऐसे सभी मामलों में, निवारक नज़रवन्दी कानून और 'आंसुका' के मामले में भी, मूल्यमंत्रियों से पहले ही सलाह-मशविरा कर लिया जाता था।

विरोधी दलों ने इसका जमकर विरोध किया। उनका शक वेवुनियाद नहीं था, क्योंकि आंसुका को कार्यान्वित करने के बारे में सरकार का रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं था। जब इस विधेयक को पहले-यहूल कानून का रूप दिया गया था तब यह दलील दी गयी थी कि मामली कानूनों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि रेल के डिव्वों को लटने वालों या खाने-पीने की जरूरी चीजों की जमाखोरी करने वालों की ठीक तरीके से घर-पकड़ की जा सके और उन्हें दंड दिया जा सके। वहूत-से लोगों ने विशेषाधिकार द्वारा शासन करने की सरकार की प्रवृत्ति के खिलाफ आवाज उठायी थी, लेकिन उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि इसका इस्तेमाल चोरों, उचकारों और काला बाजार करने वालों के खिलाफ ही किया जायेगा।

यह आश्वासन कि इसका बुरी नीत से इस्तेमाल नहीं किया जायेगा, झूठा था। मैं उस समय संसद में प्रेस गैलरी में था जब गृह-राज्य-मंत्री ने यह कहा था कि आंसुका तस्करों और समाज-विरोधी तत्वों के लिए है और इसका इस्तेमाल राजनीतिक कार्यों के लिए कभी नहीं किया जायेगा। और आज यहाँ मैं गिरफ्तार इसलिए किया जा रहा हूँ कि मैंने प्रेस सेंसरशिप के खिलाफ जो विरोध किया उसमे मैं नाकामयाब रहा।

एक वेचैनी-सी हो रही थी कि असहनशीलता दिन-भर-दिन बढ़ती जा रही है। जो लोग सहमति नहीं व्यक्त करते उनको गिरफ्तार किया जा रहा था और विरोधी पार्टियों को सताया जा रहा था। ऐसी घटनाएँ बराबर होती जा रही थीं जहाँ हमारी आजादी को कुचला जा रहा था। इसमें कोई शक नहीं था कि संसद में

पढ़ने की आजादी आदि। इन अधिकारों की बुनियोदाद सार्वजनिक सिद्धात होते हैं, जिनको कोई भी सरकार, कोई भी वहूमत नहीं भंग कर सकता। इनमें कोई भी फेर-वदल नहीं की जा सकती, क्योंकि ये मनुष्य के ऐसे अधिकार हैं जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। विना मुकदमा चलाये आदमियों को नज़रवन्द करना, जिसके खिलाफ खुद काप्रेस पार्टी ने अप्रेजों के शासनकाल में लडाई लड़ी थी, इन अधिकारों की जड़ पर कुठाराघात था। इस शक्ति के मिलने से नादिर-शाही के लिए जैसे दरवाजे खुल गये।

मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि श्रीमती गांधी इमरजेंसी लाग करने जैसा कोई कठोर कदम उठायेंगी। असल में, दौरे पर आया हुआ एक अंग्रेज पत्रकार मुझसे मेरे दफ्तर में दो दिन ही पहले मिला था और उसने पूछा था कि अगर श्रीमती गांधी यह ताकत ले ले तो इस पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी।

मैंने पूछा कि 'ताकत लेने' से उसका आशय क्या है तो उसने कहा, "यही शासन-व्यवस्था में एक तरह से अचानक परिवर्तन है।" मैंने उसकी बात मानने से इकार कर दिया। मेरी दलील यह थी कि भारत के निवासी तानाशाही को किसी हालत में स्वीकार नहीं करेगे, अगर किसी ने तानाशाही लाने की कोशिश की तो विद्रोह हो जायेगा। जिस जनता ने आजादी के आंदोलन के दौरान बड़ी-से-बड़ी कवर्नी की है उसमें एक-दलीय शासन-पद्धति के खिलाफ भी लड़ने की ताकत है और साहस भी। कांग्रेस ने एक ताकतवर अंग्रेजी हुक्मत के खिलाफ भंडा बुलन्द किया था; अगर किसी ने अन्दर से ही भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिश की तो कांग्रेस और अधिक जोश और ताकत से उसके खिलाफ भंडा उठायेगी।

मुझे यह विलक्षण भी अन्दाज़ नहीं था कि चार दिन के अंदर मेरे शब्द भट्ठे सावित हो जायेगे। इमरजेंसी लाग जाने के दो दिन बाद वही अंग्रेज पत्रकार कमरे में आया और खड़ा हो मेरी ओर निहारता रहा। वह कुछ नहीं बोला, उसे बोलने की जरूरत भी नहीं थी। अंत में उसने पूछा, "तुम्हारे पास इसके लिए क्या जवाब है?" मैंने कहा "सचमुच मुझे कुछ नहीं मालूम।" वह मुझे अब ज्यादा लज्जित नहीं करना चाहता था, इसलिए वह चला गया। लेकिन वह बाजी जीत गया था। लोकतंत्र के प्रति मुझे अपने देश और देशवासियों के विश्वास के बारे में जरूरत से ज्यादा गर्व था।

निश्चय ही जिन संस्थाओं ने लोकतंत्र को बनाये रखा है उन्हें काफ़ी असे से कमज़ोर किया जा रहा था। लोगों को पहले तो डर महसूस हुआ, लेकिन बाद में वे सरकार के मनमाने कार्यों और सनक के आदी हो गये थे। शुरू में विरोध था, लेकिन ज्यों-ज्यों दिन बीतते गये यह विरोध हल्का होता गया। "जब कोई नहीं बोलता तो मैं ही क्यों 'बोलूँ'" ही एक सामान्य नीति बन गयी। हर आदमी ने अपना व्यापार करना ज्यादा ठीक समझा, हालांकि हम सब जानते थे कि बुरा हो रहा है। आलोचकों का मुँह बंद करने के लिए सरकार ने एक शब्द गढ़ लिया था—प्रतिवर्द्धन। इसकी कमी समाज के हरक्षेत्र में—जजों, सरकारी कर्मचारियों, पत्रकारों, व्यापारियों और उन सब में पायी जाने लगी जो प्रशासन से सहमत नहीं थे।

इसका असली आशय यह था कि अगर कोई श्रीमती गांधी का समर्थन नहीं करता, चाहे भले ही वह गलती पर हो, तो वह प्रतिवर्द्धन नहीं था। हालांकि प्रतिवर्द्धता की प्रमुख कसीटी 'प्रगतिशीलता' और 'धर्मनिरपेक्षता' होनी चाहिए थी, लेकिन यह बातें गोण हो गयी। कोई चाहे जैसा भी हो उसे श्रीमती गांधी का समर्थक होना ही चाहिए था।

बात यहीं तक खत्म नहीं हुई। हाँ मैं ही मिलाने का एक अजीब बातावरण पैदा किया गया। अगर आप प्रतिवर्द्ध नहीं हैं तो आपको अपने पद से हटाया जाना चाहिए या आपको "फालतू" बना देना चाहिए।

जब मुग्धीम कोटं के तीन सीनियर जजों—शेलट, हेंगडे और प्रोवर का अधिलंभन कर ए० एन० रे को भारत का मर्वोच्च न्यायाधीश नियुक्त किया गया तब यही दबोल दी गयी कि ये जज पर्याप्त रूप से 'प्रतिवर्द्ध' नहीं हैं। इसका मतलब यह था कि ये जज पर्याप्त रूप से पथपात-पूर्ण नहीं थे और जब कभी श्रीमती गांधी की चुनाव-न्यायिका मुग्धीम कोटं में आयेगी तब ये जज उनका पथ नहीं सेंगे। जब इन जजों का अधिलंभन किया गया तब कुछ विरोध जरूर हुआ था, लेकिन यहूँ दी हल्का-सा। यहूँ-से पढ़े-सिये बुद्धिजीवियों ने यह सोच कर सतोप

कर लिया कि इन जजों का अधिलंघन देश की प्रगति के लिए किया गया है।

जजों की तरह सरकारी कर्मचारियों को भी “प्रतिवद्ध” करना था। उनको कोठी (श्रीमती गांधी की कोठी) का हुक्म मानना जरूरी था, उनको इससे कोई मतलब नहीं कि जिसने हुक्म दिया वह संजय गांधी है या आर० के० धब्बन। सरकारी कर्मचारियों ने सरकार को खुश करने की नीति से आलोचकों को सताने के लिए ऐसे बहुत-से काम करने शुरू कर दिये जो उनके अधिकार-क्षेत्र के बाहर थे। कुछ ने इसका फ़ायदा बिना पारी की पदोन्नति या वेतन-वृद्धि लेकर उठया और कुछ को ऊँचै-ऊँचै पदों पर नियुक्ति मिल गयी।

श्रीमती गांधी ने सुद कहा था कि मुझे ‘प्रतिवद्ध’ कर्मचारी चाहिए; इस टिप्पणी को बड़े-से-बड़े सरकारी अधिकारी ने बुद्धिसंगत समझा और इसका कोई विरोध नहीं किया।

पत्रकार भी अपवाद नहीं थे। उनकी व्यावसायिक योग्यता इस बात से नारो जाती थी कि वह किस हृद तक ‘प्रतिवद्ध’ है। जो इस आदर्श को मानकर नहीं चल रहे थे उनके प्रति भेदभाव किया जाता था। श्रीमती गांधी के सचिव पी० एन० हक्सर ‘प्रतिवद्ध’ पत्रकारों की विशेष बैठक बुलाते थे। वाकी पत्रकार इसका विरोध करने के बजाय ‘इन चौनीदा पत्रकारों’ से मिलना पसन्द करते थे।

स्वाभाविक है कि जब न्यायतंत्र, सरकारी कर्मचारी और समाचारपत्र ‘प्रतिवद्ध’ बनना चाहते हों तब न कोई आजादी थी, न असहमति और न कोई विरोध। लोकतत्र मुरझाना शुरू हो गया था। हर मुल्क में विशिष्ट वर्ग रास्ता दिखाता है—और विशिष्ट वर्ग इन्हीं तीन वर्ग के लोगों से बनता है। लोगों के विचार बदल गये थे, वे अपने को समय के अनुकूल बनाने लगे थे।

कोई सिर उठाता तो उसका मजाक उड़ाया जाता था, यहाँ तक कि भला-बुरा भी कहा जाता था। ऐसे में मूल्यों की चर्चा करना बेवकूफी का काम था और मूल्यों से चिपके रहना तो उससे भी बड़ी बेवकूफी थी।

स्थिति का मूल्यांकन करने में मैंने गलती यह की थी मैंने सोचा था कि जनता विरोध करेगी, जब जनता यह देखेगी कि वह संस्थाएं, जिन्हे उसने पाला-पोसा है, नष्ट की जा रही है तो वह उठ खड़ी होगी।

बहरहाल अब तो मैं इन दो पुलिस बालों के साथ, जो मेरे पास बड़े थे, घर छोड़ने के लिए तैयार था। लेकिन मेरी बहनें और दूसरे लोग देर लगा रहे थे। मैंने अपने पहली मंजिल बाले घर से बाहर उस सढ़क की ओर देखा, जो उस अर्ध-चन्द्राकार स्थान तक आती थी जहाँ हम लोग रहते थे। चारों तरफ खामोशी थी। एक भारी-भरकम पुलिस का सिपाही हाथ में लाठी लिये रास्ता रोककर खड़ा था और वहाँ पर कुछ और लोग भी जमा थे जो स्पष्ट ही साधारण पोशाक में पुलिस बाले थे। इनमें से एक को तो मैंने पहचान लिया था—इसे पिछली रात मैंने गेट की घैंधली रोशनी में कोई अखबार पढ़ते देखा था।

मेरे ‘पापो’ की सरकारी फेझरिस्ट लम्बी और व्योरेवार थी: “श्री कुलदीप नैयर ने गैर-कान्फ्यूनिस्ट पार्टियों के आदोलनों को, जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण कर रहे हैं, लगातार समर्थन दिया है। इन आंदोलनों का उद्देश्य कानूनी और सवैधानिक तौर से स्थापित सरकार को उलटना है। इन्होंने इस आंदोलन के लिए छिपे तौर पर अनेक कार्यक्रमों में पर्याप्त भाग लिया है, जो निम्नलिखित से स्पष्ट है:

(1) श्री कुलदीप नैयर जामा मस्जिद के इमाम श्री संयद अब्दुल्ला बुखारी

से 28 फरवरी 1975 को मिले और उनसे गैर-सी० पी० आई० पार्टियों द्वारा बोट कब्ज़ पर 6 मार्च 1975 को आयोजित रेली में मुसलमान वातियरों को इयादा-से-इयादा तादाद में भेजने को कहा, ताकि जामा मस्जिद के इमामत के मन्त्रे में जो मुसलमानों से संबंधित सिफ्ऱ एक धार्मिक समझ्या थी, सरकार द्वारा तथाकथित दखलन्दाजों किये जाने पर मुसलमानों की शिकायतों और असन्तोष को विदेशी रूप से व्यक्त किया जा सके।

(2) श्री कुलदीप नैयर ने कांग्रेस (संगठन) की कार्य-समिति की 3 अप्रैल 1975 को जन्तर-मन्तर में हुई बैठक (15/16) में चर्चा में भाग लिया, जो वह पत्रकार की हैतियत से नहीं कर सकते थे। इस समिति ने गुजरात विधान-सभा के चुनाव कराने पर और देश में इमरजेंसी को उठा लेने पर जोर देने के लिए अनिश्चित काल के लिए मोरारजी देसाई द्वारा 7 अप्रैल 1975 से अनशन शुरू करने के निर्णय का पुराजोर समर्थन किया।

(3) उन्होंने कांग्रेस (संगठन), अकाली दल, भारतीय लोक दल, भारतीय जन सभा और सोशलिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की दो बैठकों में भाग लिया जो 21 और 22 जून 1975 को हुई थी। इन बैठक में इलाहाबाद हाई-कोर्ट का फैसला होने पर प्रधानमंत्री के रवैये और उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों पर चिन्ता व्यक्त की थी। वह निर्णय लिया गया था कि इस मसले पर जनता से एकजूट हो आदोलन और सत्याग्रह करने की अपील की जाये और जनमत को आदोनित किया जाये। श्री कुलदीप नैयर के बारे में यह सूचना मिली है कि उन्होंने समिति की पहली विश्वास दिलाया था कि वह पत्रकारों में अपने प्रभाव के द्वारा यह सुनिश्चित करेंगे कि इस अपील का प्रेस द्वारा अधिकाधिक प्रचार हो।

(4) उन्होंने य० पी०-निवास में 22 जून 1975 को आयोजित गैर-सी० पी० आई० विरोधी पार्टियों की (20/22) बैठक में दुबारा भाग लिया। यह निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री को व्याग-पत्र देने के लिए मजदूर करने और मोजूदा सरकार को उलटने के लिए देश-व्यापी, सविनय, अवज्ञा आदोलन सेवा जाये और इस काम के लिए मोरारजी की अध्यक्षता में लोक संघर्ष समिति की स्थापना की जाये, जिसके कोपाध्यक्ष और संचारी कमशः अशोक मेहता और नामाजी देशमुख होंगे। मह भी निर्णय लिया गया कि सरकार की सशस्त्र सेनाजी से विद्रोह करने की अपील की जाये। गृहमंत्री को खुलकर चनोदी दी जायेगी कि वह व्यावर्त के लिए ज० पी० पट मुकदमा चलायें। छात्रों से यह कहा जायेगा कि वह अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार हो जाये। श्री कुलदीप नैयर के बारे में यह सूचना मिली है कि उन्होंने इस बैठक में भाग लेने वालों को फिर यह विश्वास दिलाया कि वह पत्रकारों में अपने प्रभाव का पूरा-पूरा उपयोग कर पहली सुनिश्चित करेंगे कि इन निर्णयों तथा रेली में किये गये संबोधन का व्यापक रूप में प्रचार हो।

1. बालियटन में भारत के राजदूत विलोकीनाय कौज ने कहा कि उन्हे इन आदोपो के घोरों की कोई जानकारी नहीं है। राजदूत ने कहा, "मैं नैयर को जानता हूँ। वह मेरे दोस्त है। उनके बारे में कहा गया है कि उन्होंने कुछ खबरे विदेशी में छिपा कर भेजी हैं जो कानून का उल्लंघन है।"

(धीरपती गोयी को भेजे गये एक केवल मे संदर्भ के 'टाइम्स' ने बताया कि "नैयर ने टाइम्स को कोई ऐसी गवर्नर नहीं भेजी हैं जो भारतीय मैसैरिंग का पालन नहीं करती है; हमने भी उनसे नहीं कहा है कि वह ऐसा करें।")

सके और राष्ट्र के सभी पश्चों में अपने पत्रकार साधियों से अनुकूल सम्पादकीय टिप्पणियाँ लिखवायेंगे।

“जब से इमरजेंसी की घोषणा हुई है तभी से थी कुलदीप नैयर गुप्त सूत्रों के द्वारा भूमिगत नेताओं, जैसे नानाजी देशमुख, एम० एल० सोंधी, एम० एल० खुराना आदि, से सम्पर्क बनाये हुए हैं जिससे भौजूदा सरकार के खिलाफ़ भूमिगत आदोलन का संगठन होता रहे। यह पता चला है कि उन्होंने शहरों और गाँवों में हर मुहल्ने में गुप्त समितियाँ बनाए, आकाशवाणी और टी० वी० की खबरों को झूठा ठहराने के लिए अफवाह उड़ाते और नजरबन्द राजनीतिक नेताओं पर अत्याचार की कहानियों और देश के विभिन्न भागों में जोरदार प्रदर्शनों की खबरों का प्रचार करने के लिए छिपेन्टोर पर पैम्फ़लेट निकालने की राय दी थी।”¹

मुझे बताया गया कि इस बात के लिए खास तौर से एहतियात बरतने का आदेश दिया गया था कि मैं भूमिगत न हो जाऊँ। लगता है, सरकार को मेरी क्षमता के बारे में मुझसे ज्यादा पता था।

मैं अपनी बहन की पुरानी परिचित नीले रंग की फिटट कार का इंतजार कर रहा था। वह चन्द्राकार सड़क पर मोड़ लेकर आती दिखायी दी। मैंने अपना हैंड-बैग उठाया और पुलिस की निगरानी में सीढ़ियों से उतर कर सड़क पर आ गया।

मेरी माँ वीमारी से हाथ-पैरों के बराबर हिलते रहने के कारण गाड़ी में रह गयी, लेकिन मेरी बहन, पिता और ससुर मेरे पास आ गये और उन्होंने मुझे छाती से लगा लिया। मेरे पिता रो रहे थे, लेकिन मेरे ससुर, जो अंग्रेजों के डमाने में वर्षों तक जेलों में रहे थे, शान्त थे। उन्होंने मजाक करते हुए कहा कि मैंने सोचा था कि मैं ही सबसे पहले गिरफ्तार होऊँगा। उन्होंने कहा, “मैं तुम्हारे पीछे-पीछे आता हूँ, क्योंकि मैंने भी उनको एक बिट्ठी तिखी है।”²

मेरी माँ की आँखों में कोई भी आँसू नहीं था। उन्होंने कहा, “मैं क्यों रोऊँ?” उन्हे इस बात का गवर्नर कि उनका बैटा एक उसल के लिए जेल जा रहा है। मैं अपने को नहीं रोक पा रहा था। लेकिन उन्होंने मुझे ढाँड़स दिलाया, “हम लोगों की फिक्र मत करो। हम विलकुल ठीक रहेंगे और तेरी बापसी का इन्तजार करेंगे।” मेरी बहन राज ने कहा, “तुम अब नेता हो।” उसकी आँखें गीली थीं। भारती ने अपना मुँह छिपा लिया। जैसे ही मैं पुलिस की जीप में बैठा, राजू धाड़

1. शाहू कमीशन के सामने जिला-मेजिस्ट्रेट मुशीलकुमार ने बताया कि नैयर को गिरफ्तार करने के आदेश प्रधानमंत्री के निवास-स्थान से उन्हे उप-राज्यपाल के सचिव नवीन चाबला की भाफ़त मिले। जिस पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने मुझे गिरफ्तार किया उसने यह बताया कि नैयर को गिरफ्तार करने के लिए आरोप उनको गिरफ्तार करने के दो या तीन दिन बाद तैयार किये गये थे। यह आरोप के० एस० बाजवा, एस० पी० (सी० बाई० डी०) की सूचना के बाधार पर तैयार किये गये थे जो उन्होंने उसे दी थी। बाजवा ने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने कोई सूचना दी थी। पी० एस० भिडर ने यहां हैं दृष्टि बताया कि उन्हें नैयर की गिरफ्तारी का पता के० डी० नैयर, एस० पी० से चला। उन्होंने एक यही काम किया कि उन्होंने अफसरों से कहा कि वह कुलदीप नैयर को ‘उचित सम्मान’ दें, क्योंकि वह एक श्रेष्ठ पत्रकार है।

इस मामले में भी किशनचन्द ने ‘भाहन प्रधानमंत्री’ के हुक्म का ‘सिंक पालन’ किया। किशनचन्द ने कहा कि वह मेरी गिरफ्तारी से खुश नहीं थे, क्योंकि वह मुझे जानते थे, लेकिन ओम मेहता ने उन्हे बताया कि श्रीमती माधी “उन्हें (नैयर को) गिरफ्तार किये जाने पर तुली हुई है।”

2. इस पत्र में जो कुछ लिखा गया था वह इस पुस्तक में आगे उद्दृत है।

में आयी। जीप स्टार्ट नहीं हो रही थी, उसकी बैटरी कमज़ोर थी और इंजन में जान डालने के लिए इसे धक्का लगाना पड़ा।

मुहब्बत करता था और जिनको मुझे दूरते चाँद की पृष्ठभूमि में मकान पर होइना पड़ा था। मेरी आँखों में आँस छलछला रहे थे। बहुत-से हाथों ने मुझे विदाई दी और जैसे ही जीप ने मोड़ लिया, मेरी आँखों से वह सब ओफल हो गये।

मुहल्ले में सब लोग अभी भी सोये हुए थे। बहुत-से गेटों पर चौकीदार घूमते हुए नज़र आ रहे थे। तड़का होकर ही चुका था। जो लोग सड़कों पर थे वह कोतुकवश जीप को देखने लगे। पिजरानुमा एक बस पास से निकल गयी जिसमें बच्चे शोर कर रहे थे। कुछ देर के बाद जीप डिप्लोमेटिक पुलिस-स्टेशन में आ गयी। मैंने इसे सड़क से अपनी गाड़ी से कई बार देखा था, लेकिन मैंने वह नहीं सोचा था कि एक दिन मैं यहाँ कँदी बनकर आऊँगा।

एम० एच० ओ० ने मुझसे कहा कि अब मुझे तिहाड़ जेल ले जायेगा, जिसमें अभी कुछ देर लगेगी और इमतिए मैं उसके कमरे में ही रहौं। मैं दर्शक के स्थान में इस जेल में एक बार गया था, नहीं आ रहा था कि यह जेल कै

है हुए अपना नाम बरार एकेडमी से आया था। इमज़ैसी लागू होते ही इन सबको जल्दी-जल्दी नियुक्ति दी गयी थी और बड़ी तादाद में गिरफ्तारियाँ करने के लिए खास-खास पुलिस-स्टेशनों का चार्ज दे दिया गया था।

“आप जानते हैं है।” बरार ने कहा,

भी नहीं किया था कि यह भेट इस तरह से होगी।” मैंने यह कहकर उसको और एयादा बोलने से रोक दिया, “ठीक है, आपको अपने कर्तव्य का पालन करना है चाहे वह कितना ही अप्रिय वर्णों न हो।”

“नहीं, यह मेरे बिवेक को कचोट्ता रहेगा,” वह बोला, “मैंने एक बेगूनाह बादमी को गिरफ्तार किया है।” वह आगे और कुछ नहीं बोल सका, क्योंकि उसकी आँखें डबडबा आयी थीं और वह तेजी से कमर से बाहर निकल गया।

मैं उससे मिलकर उदास हो गया। पुलिस में काम करने के लिए वह बहुत गुलोमल और मानवीय था। या हो सकता है कि मेरी यह धारणा कि पुलिस का लाठीधारी आदमी दयाशूल्य होता है, गलत रही हो।

मैं बहुत देर तक अकेला बैठा रहा और काटेदार खिड़की से जितना देख सकता था, बाहर की दुनिया देखता रहा। मैंने एक स्त्री को देखा जो एक लड़की के बाल सेवार रही थी, शामद वह माँ-बेटी थी। वह लोग कितने निश्चन्त और युद्ध थे! मैं कैद में होने के कारण यह महसूस करने लगा था कि मैं सताया जा रहा हूँ। पास मे किसी का तेज रेडियो बज रहा था और मैं सोचने लगा कि अब हफ्तों, महीनों और कई साल तक संगीत मुनने को नहीं मिलेगा।

बरार मुझे यह बताने आया कि अब चलना चाहिए। मैं उसके साथ हो लिया। वह बौला कि यह बड़े ताजजुब की बात है कि सरकार में ऊंचे अधिकारियों ने मेरे बारे में यह सोचा था कि मैं गिरफ्तारी से बचने के लिए कोशिश करूँगा। किसी नैयरा नाम के पुलिस-सुपरिटेंडेंट को, जिसे मुझे बारंट देने का काम सौंपा गया था, यह बेतावनी दी गयी थी कि अगर मैं गिरफ्तारी से बच निकला तो उसकी जिम्मेदारी होगी। यह शक किया गया था कि एक नैयर दूसरे नैयर को पेशगी ख़बर भिजवा देगा। मैंने उसे कभी देखा नहीं था और मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं उससे मिला भी नहीं था।

बरार ने मुझे गले मिलकर बिदा किया। उसने एक बार फिर कहा कि सारी जिन्दगी उसका बिवेक उसे कचोटता रहेगा कि उसने मुझ जैसे आदमी को गिरफ्तार किया है और मैंने फिर देखा कि वह अपने आँसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा है। एस०एच०ओ० पुराना पका हुआ आदमी था। जब वह मुझे देख रहा था तब उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे।

जीप फिर ढंडी पड़ गयी थी। इस बार थाने के आदमियों ने धक्का देने में मदद की और जल्दी ही हम लोग चल पड़े। तिहाड़ जाने वाली सङ्क पर लोगों का आना-जाना शुरू हो रहा था। सरदार पटेल मार्ग पर खुले और बड़े-बड़े बैंगलों में लोग जाग गये थे और पार्क में कुछ बच्चे अपनी 'आयाओ' के साथ खेल रहे थे। हम इस रईस मुहल्ले को छोड़ ज्यों ही आगे बढ़े, हमने आगे काफी चहल-पहल देखी। गरीब लोगों के लिए दिन जल्दी शुरू हो जाता है। सङ्क पर भीड़ बढ़ने लगी थी।

जीप रेल के फाटक के पास आकर फिर रुक गयी। जेल अब बहुत दूर नहीं थी। इस बार धक्का लगाने पर भी इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। हमने सोचा कि अब बाकी रास्ता पैदल चलकर पूरा करना पड़ेगा। तभी कैदियों की एक गाड़ी, जिसमें कुछ अपराधी बन्द थे, पास से निकली। हमको देखकर वह रुक गयी। मेरे साथ जो तिपाही थे, वह मुझे उसमें ले गये। मेरे सामने एक कंदी बैठा था, उसके हाथों में हथकड़ी थी और पैरों में बेड़ी पड़ी हुई थी। वह पहले तो मुझे नजर बचाकर देखने लगा जैसे वह मुझे लजिजत नहीं करना चाहता था, लेकिन बाद में वह सीधी तजरों से देखने लगा। सारे रास्ते हम एक-दूसरे से कुछ भी नहीं बोले, लेकिन हम दोनों एक अजीब संबंध से बँधे जा रहे थे; हम लोग दोनों कँदी थे।

जेल की गाड़ी भारी पत्थरों की दीवाल के पास एक विशालकाय लोहे के दरवाजे पर आकर रुक गयी। इस किलानुमा इमारत के ऊपर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था। मैं ताजजुब करने लगा। सभी सरकारी इमारतों पर तो यह नहीं फहराता, फिर यहाँ ही क्यों? यह झंडा शायद सत्ता का प्रतीक था। जो लोग इस जेल में

1. मेरी गिरफ्तारी के बारे में जो रिपोर्ट उसने तैयार की थी उसमें लिखा था : "धी कुलदीप नैयर एस० डी० एम० नई दिल्ली से भिले बारट के आधार पर 24 जूलाई 1975 को मीसा के तहत नजरबन्द किये गये। उनको नजरबन्द करने के लिए आरोपी को बाद में स्पेशल बाच से भिली सूचना के आधार पर तैयार किया गया और उन पर पुरानी तारीख डालकर ए० डी० एम० :

करने के आदेश डी० आ० :

पहले थी कुलदीप नैयर : आई० डी० और स्थानीय पुलिस द्वारा निगरानी रखी गयी। धी कुलदीप नैयर को गिरफ्तार करने के लिए आदेश जारी करते समय मुझे यह बताया गया कि प्रधानमंत्री को कोठी में लोग यही चाहते हैं।"

बन्द है उन्हें तो कैद मेरी जाना, महीनों और सालों हर घड़ी सत्ता का बोझ छोलना होगा, किर भी उनको सत्ता के अस्तित्व की पाद दिलाना चल रहा है।

पुलिस के जो सिपाही मुझे अपने साथ लाये थे उन्होंने फाटक खटखटाया। उस फाटक में एक छोटा-सा दरवाजा खुला और किसी ने बाहर झाँक कर देखा।

दस्तखत किये गये। मुझसे और अन्य कैदियों मेरों कोई कर्क नहीं था—हम सभी 'सिपुर्द' कर दिये गये। मैं इस छोटे दरवाजे में झुककर धूसा जिससे मेरा सिर न टकरा जाये। मुझे बताया गया कि जब कोई बहुत बड़ा आदमी या अफसर यहाँ दोरा करने आता है तभी यह फाटक पूरा खलता है; वाकी लोगों को इसी छोटे और तंग दरवाजे से आना-जाना होता है, ताकि अपराधियों को यह जानकारी हो जाये कि इसमें धूसना जितना मुश्किल है, उससे ज्यादा मुश्किल इससे बाहर निकलना है।

मैं एक मैले-कुचले आदमी को सौंप दिया गया। इस आदमी ने धारीदार पाजामा और कमीज पहनी हुई थी और इसके सिर पर एक सूती टोपी थी। मुझे बाद में पता चला कि इसे कई साल की कैद मिली हुई है और कैद के कुछ साल काटने के बाद उसमें अब 'अदेली' का काम लिया जा रहा है। कैदियों को उनके काम और व्यवहार के आधार पर जिम्मेदारी का काम सौंपा जाता है। आम तौर पर यह 'पदोन्नति' जेल में लीन साल बिताने के बाद होती है।

जेल-सुपरिटेंडेंट मुझसे मिलना चाहता था। मुझे यह बताया गया कि कैदी के लिए यह बड़ी इजजत की बात होती है। मुझे उसके दृष्टिर के बाहर लकड़ी के एक स्टूल पर बैठने को कहा गया। लेकिन उसने मुझे तुरंत अन्दर बुला लिया—मुझे एक कुर्सी दी गयी; पह भी कैदी के लिए इजजत की बात थी।

"मैं जानता था कि आप जल्दी ही यहाँ आयेंगे!" उसने मुझे बताया। "मैं आप के लेखों को पढ़ता रहता हूँ। मुझे आपके नजरबन्द किये जाने की खबर कल टेलीफोन पर मिली थी।" ऐसा लगता था कि उसको इस तरह के कई टेलीफोन आते रहते थे। उसकी मेज पर टेलीफोन की घंटी अक्सर बज उठती थी। मैं इसमें यह जान रहा था कि उसे इस तरह उन लोगों के बारे में बताया जाता था जो उसके यहाँ भेजे जायेंगे। जेल-सुपरिटेंडेंट परेशान-सा नजर आता था—वह यात्रियों की भीड़ आने पर फाइव स्टार होटल के रिसेप्शनिस्ट की तरह परेशान था। "मैं इतने आदमियों को कहाँ रखूँगा? सारी जगह भर गयी है।" वह चिढ़-कर मुझसे बोला। लेकिन होटल पर रिजर्वेशन के काउंटर पर बैठे आदमी की तरह वह यह नहीं कह सकता था कि 'जगह नहीं है'।

मैं इस आदमी से पहले कभी नहीं मिला था, लेकिन वह मुझसे ऐसे मिला जैसे वह मेरा वयों पुराना दोस्त हो। वह मुझसे यह बताना चाह रहा था कि वह सहानुभूति रखता है और वह, अमर उसके बजे में ही तो, नागरिक अधिकारों के गृहमें किये जाने के निए विरोध भी कर सकता है।

जो कुछ मेरे माय हुआ उमरें वह मेरे प्रति बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण महसूस कर रहा था और लग रहा था कि ज्यादती ही है। इसनिए मैंने उससे पूछा कि क्या मैं टेलीफोन कर सकता हूँ। मैंने सोचा कि मैं अपने परिवार को टेलीफोन कर उन्हें अचम्पे में डाल दूँगा कि मैं बच गया हूँ। लेकिन उसने मुझे समझाया कि यह

कानून के खिलाफ है कि कोई कंदी टेलीफोन का इस्तेमाल करे। पहले तो वह नरमी से और उसके बाद सख्ती से बोला: “आज से बर्गर हमारी इजाजत आप बाहर वालों से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे।” मैंने स्वीकृति में अपना सिर हिला दिया। जाहिरा तौर पर बराबरी की बातचीत के बाद वह मुझे मेरी हैसियत बता देना चाहता था—मैं एक कंदी था और वह मेरा जेलर।

मैंने अपनी हैसियत स्वीकार कर ली, यह देखकर वह खुश लग रहा था। लेकिन इसके बाद के दो घटे बड़ी मुश्किल से बीते। मुझे उसकी उर्दू की कुछ नज़रों को दाद देते हुए सुनना पड़ा। उसने बताया कि यह नरमें उसकी खुद की लिखी हुई है।

तब तक एक टेलीफोन आ गया, जो ज्यादा महत्वपूर्ण था और मुझे इस जेल-सुपरिटेंट से छुटकारा मिला। उसने एक दूसरे अर्दली को बुलाया जो धारीदार पाजामा-कमीज पहने था और मुझे बाईं में ले जाने की कहा। उसने डपट कर कहा, “देखो, नैयर साहब को कोई तकलीफ नहीं होने पाये।”¹

इस आदमी ने मेरा हैडवैग उठाया और सीधा चल पड़ा, वह कैंदियों की भीड़ को छाँटता हुआ मेरे लिए रास्ता बनाता हुआ चल रहा था। उनके हाथों में हथ-कड़ियाँ पड़ी हुई थीं और जिस तरह से वे हथकड़ियों को देख रहे थे उससे लगता था कि यह उनके लिए एक नयी बात थी—जैसे मेरे लिए मेरी गिरफ्तारी।

जेल के भीतरी भाग की सुरक्षा के लिए एक और भारी और बड़ा दरवाज़ा था। इस अर्दली ने इस पर दस्तक देते हुए कहा, “कोई आदमी यहाँ से बचकर नहीं निकल सका है।”

मुझे एक बार फिर इस तंग दरवाजे में झक्कर निकलना पड़ा। और उसके बाद अन्दर जाने पर मैंने कई बाईं देखे, जिनके अलग-अलग लोहे के दरवाजे थे। “यहाँ अठारह बाईं हैं,” अर्दली ने कहा। मैंने देखा कि अन्दर कई बुर्जियाँ हैं। जब मैं इन बुर्जियों की ओर देख रहा था तो मेरे इस साथी ने बताया कि इन बुर्जियों पर चौबीसों घटे पुलिस के सिपाही मशीनगन लिये हुए पहरा देते रहते हैं। “कोई भी यहाँ से बचकर नहीं निकल सका है,” उसने फिर दुहराया, जैसे उसे यह शक हो रहा था कि मैं जेल तोड़कर भाग निकलने की सोच रहा हूँ।

कुछ और आगे चलने के बाद अर्दली रुक गया। उसने फूसफुसाते हुए कहा, “यह जननियों का बाईं है... यहाँ चन्द्रेश शर्मा रहती है,” और उसकी हँसी कूट पड़ी। यह नाम तो जाना-पहचाना था; इसके बारे में यह आरोप था कि इसने आंखों के मशहूर स्पेशलिस्ट डॉक्टर एन० एस० जैन की बीवी को मरवाने की साजिश की थी और डॉक्टर के बारे में यह कहा गया था कि इसने अपनी बीवी का खन किया था जिससे वह श्रीमती शर्मा के साथ रह सके। “वह देखने में कैसी है?” मैंने पूछा, क्योंकि यह स्पष्ट था कि वह मुझसे कुछ सुनना चाहता था—शायद वह हर नये कंदी से, जिसे यहाँ लाता था, यही बात करता था। “मैं उसके लिए किसी का खून नहीं करूँगा,” उसने हँसकर जबाब दिया—शायद यही जबाब वह हमेशा देता था।

यह अर्दली मुझे लोहे के एक दूसरे दरवाजे की ओर ले गया और बोला, “यह आपका बाईं है।”

1. बाद में जब मैंने दूसरे नदरबंदी से बातचीत की तो मुझे पता चला कि उसने ऐसी ही बात हर किसी से कही थी।

मैं खाकी कपड़े पहने एक वार्डर को सौप दिया गया। वह कामकाजी लगता था, उसने पहले तो मेरी और बाद में मेरे हैडवैंग की तलाशी ली। उसने पाजामों में लगे कमरवन्दों को जब्त करना चाहा, लेकिन वह बाद में नरम पड़ गया—शायद वह यह समझ गया कि मैं इन कमरवन्दों का इस्तेमाल आत्महत्या के लिए नहीं करूँगा।

जेल में

मुझे टीन की एक चम्मच और टीन का एक कटोरा और छोटी-छोटी दरियों के कुछ टुकड़े विस्तर के लिए दिये गये और वैरकों की ओर ले जाया गया।

वहाँ पर लगभग पन्द्रह-बीस आदमी थे। मुझे आते ही उन्होंने घेर लिया। इनमें से बहुत-से लोग मुझे मेरी रचनाओं की बजह से जानते थे और उन्हें यह जानने की लालसा थी कि बाहर दुनिया में—उस दुनिया में जिससे वह अलग कर दिये गये हैं—क्या हो रहा है। किस तरह का आंदोलन चल रहा है? क्या बड़े पैमाने पर दंगे भी हुए हैं?

वह इस बात पर आश्वस्त-से लगते थे कि विद्रोह का झंडा ऊँचा है। उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं होता था कि बाहर सिफ़े शमशान की शान्ति है—आज्ञादी खन का एक वूँद भी गिराये विना मर चुकी है। बुद्धिजीवी क्या कर रहे हैं? जब मैंने यह स्पष्ट बताया कि वे तो पहले ही मर चुके हैं तो सन्नाटा छा गया।

तभी किसी ने गुस्से में भर कर कहा कि यह सब जयप्रकाश नारायण की गलती से हुआ। जब राष्ट्र संघर्ष के लिए तैयार नहीं था तब उन्होंने इसका आह्वान ही क्यों किया? किसी ने कहा कि यह तो नेहरू-जीसी वार दृढ़ जिन्होंने लड़ाई के लिए तैयारी किये विना बड़े गर्व से पत्रकारों से कहा था, “मैंने सेना से कह दिया है कि तुम चीनियों को बाहर खेड़े दो,” और यही ऐलान हार का कारण बना।

भूमिगत आदोलन का क्या हाल है? मैंने कहा कि चंकि नेनाओं को गिरफ्तारी का पहले से कोई पता नहीं था, इसलिए सारी चीजों को संगठित होने में कुछ समय लगेगा। लेकिन नानाजी देशमुख और जार्ज फर्नानडीज पुलिस की आंदों से बच निकले हैं और संघर्ष को जारी रखने में कुछ-न-कुछ ज़रूर कर रहे होंगे।

यह सुनकर जेल के भेरे साथी खुश नजर आये। लेकिन मैंने उन्हें बताया कि जनता इस बात से असन्तुष्ट है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई भी कार्यकर्ता गिरफ्तार होने के लिए आगे बढ़कर नहीं आया है। नजरवन्दों में से कुछ लोगों ने जो संघ के लगते थे यह स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी के लिए आगे आना संघ की नीति नहीं है। उन्होंने कहा, “श्रीमती मांधी हम लोगों को उत्तेजित करना और समाप्त करना चाहती हैं। लेकिन हम उन्हें ऐसा कोई मोका नहीं देंगे। हम अपने मोके का इन्तजार कर रहे हैं।”

हम अभी बात ही कर रहे थे कि करछी से थाली बजाये जाने की बाबाज

मुनायी पड़ी। मैं भौतिकता रह गया, लेकिन सभी नज़रबद्ध आदमी जल्दी से अपनी-अपनी दरियाँ, धाती और चमच लेकर दोड़ पड़े और एक पेड़ के नीचे इकट्ठे हो गये। मैं भी उनके पीछे-पीछे हो गया। सामने कुछ युली जगह थी। यहाँ पर बनी दो अन्य बैरकों से कुछ और आदमी भी था गये—तीन बैरकों को मिलाकर एक बांड़ बनता है। दो दिन पहले पानी वरसने से जमीन अभी भी गीली थी। हम लोगों ने दरिया खोलकर बिछा दी और तादून बनाकर बैठ गये। तभी कुछ साथ के कैदी रोटियाँ ले आये और उन्होंने हमारे सामने परोस दी। वहाँ मविख्याँ भिन्नभिन्न रही थीं—हर एक को बात करते समय मुँह पर हाथ रखता पड़ता था कि कही कोई मुँह में न चली जाये। जब मैं खाने के लिए पहुँचा तो याना इतना गरम था कि मविख्याँ उस पर नहीं बैठ सकती थीं।

तभी कोई चिल्लाया, ‘ठहरिये, पहले हम लोग मंत्र पढ़ लें।’ यह ईश्वर की एक छोटी-सी प्रार्थना थी। इसके बाद लोगों ने खाने की तरफ हाथ बढ़ा दिये। इसी समय मैंने उन्हे रोक दिया। वहाँ नज़रबद्ध लोगों में मैंने तीन मुसलमानों—राव शमशाद अली, अब्दुल रज्जफ और सङ्काब—को पहचान निया था, जिनको मैं जानता था। मैं वह लोग थे जिनके साथ मैं एक साल पहले दिल्ली के किशनगंज इलाके में हिन्दू-मुसलिम दंगे के बाद एक हप्ते तक रहा था।

मैंने एक से कहा, “वधा आप विस्मिल्ला नहीं कहेंगे।” वह बोला, “हाँ, लेकिन अपने ही मन में।” मैंने कहा, “जौर से कहिये।” और हमारे खाना शुरू करने से पहले, हिन्दू-मंत्र के बाद विस्मिल्ला पड़ा गया।

दाल बहुत पतली और रोटियाँ आधी सिक्की थीं। जब दुबारा दाल दी गयी तब मैंने देखा कि उसमें कुछ मविख्याँ उतरा रही है। मैं घबरा गया। लेकिन पान में बैठे आदमी ने कहा, “चिन्ता मत कीजिये, आप इनके आदी हो जायेंगे।” वह सही था। कुछ दिनों के बाद मैं खाने में मक्की देखता-देखता इतना आदी हो गया कि मैं उनको बड़े आराम से निकाल देता था, बगेर मतली आये मैं खाना शुरू कर ही,

थी,
खोल दी गयी थी। वहाँ राष्ट्रीय स्वप्नसेवक संघ के दिग्गज नेता मेरे साथी थे। अन्य बैरकों की तुलना में इस बैरक की खिड़कियों में लोहे की छड़े कम लगी ही थी और वहाँ सोने के लिए इंटो के चबूतरों के बजाय बान की चारपाईयाँ थीं। लेकिन यहाँ छत में एक ही पधा था, जिसकी हवा कुछ ही दूर जाती थी। हमसे से बहुतों ने ऐसी स्थिति को देखा तो था, लेकिन इसका कभी अनुभव नहीं किया था। गर्भी थी, लेकिन गर्भी से ज्यादा मच्छरों का प्रकोप था जिससे हम सभी परेशान थे। मैं अपने परिवार और दोस्तों के बारे में सोचने लगा, जिन्हें मैं बाहर छोड़ आया था कि अब तक बहुत-से लोगों को मेरी गिरफ्तारी का पता चल गया होगा। एक नज़रबद्ध आदमी ने, जो शाम को आया था, मुझे बताया कि उसने मेरी गिरफ्तारी की सबर पुरानी दिल्ली में सुनी थी।

शाम रात में बदल गयी। रात में खाना (फिर वहाँ रोटियाँ और दाल) खाने के बाद हम में से कुछ लोग बातें करते रहे। यहाँ छोटी से भी छोटी खबर महत्वपूर्ण थी। इन खबरों को सुन लेकर वे लोग यह अनुभव करते थे कि बाहर की दुनिया से उनका संबंध अभी तक बना हुआ है, जिससे वे लोग एक महीने से

भी उपादा समय से अलग थे।

मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन रात के दो बजे तक भी औंख न लग सकी (जेल का गजर एक-एक घंटे के बाद दिन-रात बजता रहता था)। सारी रात मच्छर भनभनाते रहे और आदमी के लिए छोटी थी।

दरियाँ कुछ भी नहीं थीं। मैंने सिर को सहारा देने के लिए अपनी बांह का इस्तेमाल किया। इसके अलावा, मेरी चारपाई पैंखे से दूरी पर थीं। इस बैरक में सिर्फ़ एक ही पंखा था। हम सभी अट्टाइस आदमी एक पैंखे के नीचे नहीं आ सकते थे।

दूसरे दिन चारपाई के एक किनारे पर बैठकर मैं छड़ी से बाहर देखने लगा। सारी रात मेरा बीभ सहकर भी चारपाई अपने पैरों पर टिक नहीं सकी थी। बाहर, हाल की बरसात से एक तालाब-सा बन गया था। मैंने देखा कि इस बरसाती पानी के निकलने का कोई रास्ता नहीं है और यह यूं ही सूखता रहेगा। हम लोगों को कई दिनों तक इन्तजार करना पड़ेगा कि जमीन अच्छी तरह सूख जाये और हम लोग यहाँ रिय ट्रेनिस बेल सकें।

अचानक इस तालाब में दो सफेद परछाईयाँ चमक उठीं और मैंने देखा कि इनमें से एक तो मेरे सम्मुख हैं। हमेशा की तरह वह स्वच्छ खादी पहने हुए थे; उनके पीछे एक कौदी था, जो अपने सिर पर एक सूटकेस और बिस्तरबंद लिये हुए था।

मैंने सोचा कि मेरे सम्मुख से मिलने और विस्तर देने आये हैं, जो मैं अपने साथ नहीं लाया था। उन्होंने मुझे इसी खुशकहमी में रहने दिया। जब मैंने उन्हें विस्तर के लिए धन्यवाद दिया तब वह थोड़ा मुसकरा कर बोले, “तुम बहुत-सी चीजें छोड़ आये थे, मैंने सोचा कि मैं तुमसे मिलूँगा और उन्हें तुम्हें दे दूँगा।” मैं तब यह बिलकुल नहीं जानता था कि ऐसी मुकाबलात सिर्फ़ काटक पर ही होती है और स्टाफ़ के अलावा कोई भी ‘बाहरी आदमी’ जेल के अन्दर नहीं आ सकता है।

लेकिन मेरे साथी कैदी मूर्खसे ज्यादा जानते थे। उन्होंने पूछा कि उन्हें क्यों भेजा गया है, तब मैंने जाना कि वह भी एक कैदी थे। मेरी बैरक के एक साथी ने कहा कि अब गांधीवादियों के गिरफ्तार होने की बारी आयी है। मेरे सम्मुखीन सच्चर 1919 से गांधीवादी थे, जब उन्होंने अंग्रेजों से असहयोग करने की गांधीजी की अपील पर अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। एक कैदी ने कहा कि अगर थीमतो गांधी एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार कर सकती है जो पजाव का मुख्यमन्त्री, उडीसा और अंग्रेज प्रदेश का राज्यपाल और थीलका में भारत का उच्चायुक्त रहा हो तो वह कुछ भी कर सकती है।

मेरे सम्मुख ने हमें बताया कि उन्होंने और सात अन्य आदमियों ने (महात्मा गांधी के सचिव प्यारेलाल ने आखिरी बृक्त हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया) बिना मुकाबला चलाये लोगों को नज़रबन्द करने और समाचारपत्रों पर पाकन्दी लगाने के खिलाफ विरोध में प्रधानमन्त्री को एक पत्र लिखा था। वह पत्र³ इस प्रकार था :

1. मूर्ख बाद मेरा चला कि अधिकारियों ने यह समझा था कि यह पत्र मैंने लिखा था। उन्होंने यह निष्पक्ष इस बात से निकाला कि मेरे सम्मुख और उनके पांचों दोस्तों ने अपने पत्र में समाचारपत्रों की भूमिका पर नेहरू के उसी कथन वो उद्देश किया, जिसे मैंने पहले थीमती यांत्री द्वारा लिखे अपने पत्र में उद्देश किया था। इन लोगों ने यह उद्दरण मेरी पुस्तक ‘इडिया आपूर्द नेहरू’ से लिया था।

माननीया प्रधानमंत्री,

आपतीर पर प्रधानमंथी का समय बहुत ही वहमूल्य होता है, उसे छोटी-छोटी बातों के लिए नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि पिछले कुछ दिनों से आप मुक्त रूप से सभी तरह के विचारों वाले लोगों से निकट निजी-सम्पर्क के लिए मिलती रही हैं, हमारे मन में भी यह उत्साह हुआ कि हम आपका वहमूल्य समय लें।

2. हम आपके सह-देशवासियों में से अत्यन्त चिनग्र देशवासी और सामान्य नागरिक हैं, जो मुख्यतः २चनात्मक कार्यों में रुचि रखते हैं। हममें से कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं है। हमारा कोई भी राजनीतिक स्वार्थ नहीं है और न किसी राजनीतिक पद या सत्ता प्राप्त करने के इच्छुक हैं। हमारी मुख्य रुचि व्यक्ति की स्वतंत्रता और मर्यादा को बनाये रखने में है।
 3. हम पडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय लोकतंत्र का एक प्रधान निर्माता मानते हैं। वह कहा करते थे : "किसी भी व्यक्ति को आलोचना से परे नहीं होना चाहिए वाहे वह कितना ही महान् क्यों न हो।" पडितजी ने ही समाचार-पत्रों की आज्ञादी के बारे में कहा था :

"मेरे विचार में उदारतापूर्वक समाजारपत्रों की आजादी सिर्फ़ एक नारा नहीं है बल्कि लोकतंत्रीय पद्धति का अभिन्न अंग है। मृजे इसमें कोई शक नहीं है कि अगर सरकार समाजारपत्रों द्वारा अपनी आजादी के इस्तेमाल को पसन्द न करे और खतरनाक समझे तो भी समाजारपत्रों की आजादी में दबुल देना गलत होगा। पावनियाँ लगाने से आप किसी चीज़ को बदल

समाचारपत्रों के बजाय में चाहता है कि समाचारपत्र पूरी तरह से आजाद रहें, चाहे इस आजादी के गलत इस्तेमाल किये जाने से कितना ही बड़ा खुतरा भर्या न उठाना पड़े।”

उन्होंने हमें यह अविसरणीय नारा तब दिया था, जब आजादी की लड़ाई में प्रेरणा हम पर जुल्म वरसा रहे थे—“आजादी खतरे में है; इसकी जी-जात से रक्षा करो।” उनकी याद कर हमारा गला भर आता है, व्योकि अगर आज वह जीवित होते तो वह हमें आत्मान करते कि “लोकतंत्र पृथरे में है, जी-जात से उसकी रक्षा करो।”

4. हम सरकार के इस अधिकार पर विवाद नहीं उठा रहे हैं कि संविधान के अंतर्गत आपातकालीन व्यवस्था की वह महायता ले सकती है और इसके लिए पहले भी उमी को करनी है। सेक्रिटरी गवर्नर का फौजी नहीं है। इसके बाद

5.

अनियाय हो गया है। यह मोद्रा समस्या पर मन्त्र और सांख्यिक रूप से चर्चा के बिना मंभव नहीं है। इस समय तो सामाजिक जनता को इस बात की आवादी प्राप्त नहीं है कि यह इस विषय पर चर्चा कर सके। इसके विपरीत युए रिगिस्टर दर्द के लोगों को, जो सरकार को धम्प कर लान उठा रहे हैं

या उठाना चाहते हैं, पूरी आज्ञादी मिली हुई है कि सरकार के निर्णय के समर्थन में प्रदर्शन आदि करें। क्या यह सामान्य जनता के हित में है? इस स्थिति का दुष्परिणाम यह है कि उन समाचारपत्रों को छोड़कर सभी समाचारपत्रों का गला धोंट दिया गया है, जो सरकार की नीति और सरकार द्वारा अपनाये जा रहे उपायों का समर्थन कर रहे हैं और जो सरकारी पार्टी के प्रचार में सहायक हो रहे हैं। जन-प्रिय सरकार को चाहिए कि वह समान भाव से समाज के सभी वर्गों की बातों को सुने।

6. हम यह दोहराते हैं कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आपके पास पर्याप्त शक्ति होती हुए भी और अधिक शक्ति प्राप्त करने के आपके अधिकार को हम चुनौती नहीं देते हैं, लेकिन हमारी समझ में यह नहीं। आता कि जनता को—जनता के सभी वर्गों को—खुलकर सर कार द्वारा किये जा रहे उपायों के गुणावगुण पर चर्चा करने के लिए सामान्य रूप से प्राप्त अवसर का वर्षों नियोग किया जा रहा है!
7. ऐसे समाचारपत्रों के खिलाफ, जो सिर्फ सनसनीखेज खबरें छापते हैं या राजनीतिक नेताओं पर सार्वजनिक रूप से कीचड़ उछालते हैं, चाहे वे नेता अपकी पार्टी के हों या विरोधी पार्टी के, कार्रवाई करने के बजाय हर समाचार और टिप्पणी को छपने से पहले सेंसर किया जाता है। यह हमारे संसदीय लोकतंत्र पर कुठाराघात है कि हमारी संसद की कार्रवाई भी बिना सेंसर हुए समाचारपत्रों में प्रकाशित नहीं हो सकती। अखिल-भारतीय समाचारपत्रों के सम्पादक समसरशिप के विरोध-स्वरूप सम्पादकीय कालम को खाली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उन्हें आपके सूचना और प्रसारण-मंत्री द्वारा बदला लिये जाने का डर है और उन्हें मजबूर किया जाता है कि वह लिखें तो आपके समर्थन में, अन्यथा बिलकुल ही न लिखे। जनता की नागरिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों और राजनीतिक चर्चा करने और समाचारपत्रों या जनसम्पर्क के अन्य स्रोतों से निष्पक्ष समाचार प्राप्त करने के उनके अनतिकम्य अधिकारों का बिना खेद व्यक्त किये हृतन कर दिया गया है।
8. विरोधी नेताओं और स्वयं आपकी पार्टी के असन्तुष्ट लोगों को कानून की अदालत में मुकदमा चलाये बिना जेलों में बन्द कर दिया गया है। हमें पूरी आशा है कि जो संसद-सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं उन्हें संसद के चालू सत्र में अपनी बात कहने का अवसर दिया जायेगा। क्या यह सचमुच जरूरी था कि जिन राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को आपने गिरफ्तार किया है उनके नाम जनता को न बताये जायें और उनके निकट संबंधियों को उनसे मिलने या उनके लिए कानून के तहत बचाव करने का भीका नहीं दिया जाये, चाहे वह मौजूदा अध्यादेशों के अधीन संभव हो। गिरफ्तार हुए लोगों में कुछ लोग तो अभी हाल तक आपके मंत्रिमंडल में मंत्री और राज्यों में मरणमंत्री और मंत्री रहे हैं। क्या ये सचमुच रातोंरात ऐसे देशद्वोही हो गये कि ये इस लायक भी नहीं रहे कि इनके नाम और इनके पते-ठिकाने जनता को या उनके निकट संबंधियों को बताये जायें?
9. आपके राजनीतिक समर्थकों के बलावा दिल्ली में आम आदमी अब डरा हुआ-सा बात करता है जैसा कि कम्युनिस्ट देशों के लोग करते हैं, वह अब कॉफी हाउस या बस-स्टैंड पर राजनीतिक चर्चा नहीं करता और कोई भी राय व्यक्त करते समय अगल-बगल देख लेता है। डर और राजनीतिक दमन का

वातावरण छाया हुआ है और आपके दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण रखने वाली राजनीतिक प्रबुद्ध लोग वडी सावधानी से चुप रहना पसंद करते हैं और इनमें से कुछ को हमेशा यह डर बना रहता है कि उनका भी दस्तावेज़ रात में खटखटाया जायेगा।

- वया भय का यह दैत्य हमें दुबारा निगल जायेगा, जिसे समूल नष्ट करने के लिए हमारे प्रिय नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना सर्वस्व—अपनी धन-दोलत, ऐशो-आराम, अपने माँ-बाप और यहाँ तक कि अपनी पत्नी का—बलिदान कर दिया था? वह भय को भारत का सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। अच्छा हो कि हम उनके इन स्मरणीय जनकों में जोगा जें।

“हमारे प्राचीन ग्रंथों में

‘अभय’ सबसे बड़ा वरदान है, ...”
से भय का निकल जाना है। हमारे इतिहास के आरंभ में जनक और याज्ञवल्य ने कहा था कि राष्ट्र के नेताओं का काम वहाँ के निवासियों को निर्भय बनाना है। लेकिन अंग्रेजों के शासन के अधीन भारत में भय, आतंक, दमन, और दम घोटने वाला भय प्रधान रूप से व्यापत रहा—यह भय सेना से भय, पुलिस से भय और देशव्यापी गृहसंचर सेवा से भय और कुचल देने के लिए बनाये गये कानून का भय था। इसी सर्वव्यापी भय के बिताऊं गांधीजी ने अपनी गभीर और संकल्प भरी आवाज को चुनन्द किया था कि ‘डरो मत’।

- मौजूदा परिस्थितियों को देखकर हर नागरिक और प्राप्ति के सेनानियों की बच्ची हुई बूढ़ी पीढ़ी हैरान है। हमें इस पुकार के अनुसार काम करना है। इसलिए हमारा यह इरादा है कि इस बात की चिन्ता किये बिना कि इसका हमें क्या नहीं जाना भोगता पड़ेगा, विशेषाधिकारों द्वारा स्वयं की रक्षा करने वाली सरकार के गुण-दोषों पर चर्चा करने के लिए हम 9 अगस्त 1975 से सार्वजनिक भाषण और सार्वजनिक सम्मेलन करने और समाचार-पत्रों की आजादी के अधिकारों का खुलकर समर्थन करेंगे। इसका उद्देश्य अधिकारियों को प्रेशानी में डालना या अनावश्यक आंदोलन करना नहीं है। हमारी यह आत्म-स्तप्त्या मातृभूमि के चरणों में एक तुच्छ भेट होगी, जिसकी वेडियो को काटने में हमें राष्ट्रप्रिता के महान नेतृत्व में अपना अकिञ्चन धोगदान करने का गोरव प्राप्त हआ था।

भवदीप

ह० (1) भीमसेन सच्चर	20, तुगलक शोसेट, नई दिल्ली-11
ह० (2) एस० डी० शर्मा	ए-312 डिफेस कालीनी, नई दिल्ली-24
ह० (3) जे० आर० साहनी	आध्यात्म साधना केन्द्र, छतरपुर रोड (महरोली), नई दिल्ली-30
ह० (4) विष्णुदत्त	डल्लू० जेड, 1282, नंगल राया, नई दिल्ली-56
ह० (5) किशनलाल वेदा	नजफगढ़, नई दिल्ली-43
ह० (6) संवकराम	लाजपत भवन, लाजपतनगर, नई दिल्ली-24
ह० (7) जे० के० शर्मा	बी-999, शास्त्रीनगर, दिल्ली-52
ह० (8) के० के० मिन्हा	बी-97, नीति चांग, नई दिल्ली-49

उन लोगों को सीमेंट के चबूतरों पर अपना विस्तर बिछाने, अपना सामान करीने के साथ लगाने और रोजाना का काम शुरू करने में देर नहीं लगी। ऐसा लगा, जैसे वह यहाँ महीनों से रह रहे हैं। कोई चर्खा कातने लगा, जिसे वह अपने साथ लाया था, कोई जग लगे हैडपम्प पर जाकर अपने कपड़े साफ करने लगा और कोई गीता का पाठ करने लगा।

“आपने कितनी जल्दी इसे अपना घर बना लिया,” मैं अपने ससुर से बोला। उन्होंने जवाब दिया—“तुम पहली बार जेल आये हो, तुम जल्दी ही इसके आदी हो जाओगे।”

वे हमारे साथ सिर्फ़ एक दिन रहे। कुछ कारणों से, जिन्हे जेल के अधिकारी ही जानते थे, एक को छोड़कर वाकी सभी अम्बाला जेल ले जाये गये। जो हमारे साथ रह गये थे उन्हें हम बैद्यजी कहते थे। उनके पास आयुर्वेद की दवाइयाँ थीं और जब कभी कोई वीमार पड़ता वह उसका इलाज करते। जो लोग निराश थे, वह उनको सांत्वना भी देते थे।

हम लोग उनके चले जाने पर उदास थे, वह हम लोगों को प्यार करते थे। मेरे ससुर की उम्र 82 साल थी और दो व्यक्ति 75 साल से ऊपर के थे। चैंकि वह उर्दू और फ़ारसी अच्छी जानते थे—वह पश्चिमी पंजाब के थे—इसलिए हममें जो मुसलमान थे उन्हें उनके साथ बात करने के लिए काफ़ी मसलिला मिल जाता था।

हमारी रसोई का इचार्ज देविंदर जैत नाम का क्रैंडी, जिसने यह कसम खा रखी थी कि जब तक श्रीमती गांधी हटा नहीं दी जाती है तब तक मैं दाढ़ी नहीं बनाऊँगा, इन लोगों को बिदाई-भोज देने के लिए उस दूध की खीर बना लाया, जो हम अपनी सबेरे की चाय में डालते। इन लोगों को सबेरे जाना था, लेकिन इनको अपने साथ ले जाने वाला पुलिस का दस्ता दोपहर के बाद आया।

हम लोग उन्हें विदा देने के लिए लोहे के फाटक तक गये जो हमारी लक्षण-रेमा थी। मेरे समर की आँखे गीली हो आयी और मेरी भी। मध्ये जनकी जिन्ता

है,

या
..... ते
उन्हें जेल में डाल दिया है। किसी ने कहा कि श्रीमती गांधी अब काफ़ी हृताश हो चुकी है, नहीं तो वह ऐसे बड़े और बूढ़े नेताओं को जेल न भेजती। यह भी हो सकता है कि वह सबके दिमाग में यह आतंक पैदा करना चाहती है कि जो उनका विरोध करेगा वह बचकर कहीं नहीं जा सकता।

जब तत्कालीन गृह-मंत्री प्रद्युमनन्द रेड्डी आंध्र प्रदेश में मंत्री हुआ करते थे तब मेरे ससुर वहाँ के राज्यपाल थे। मैं सोच रहा था कि वह उसकी गिरफ्तारी का विरोध कर सकते थे, हालाँकि मैं पूरी तरह समझता था यह मुमकिन नहीं था।

मुझे याद आया कि जगजीवनराम भी 26 जून 1975 की सुबह को इमरजेंसी की खबर सुनकर कितने ध्वरा गये थे। उस दिन हम दस पत्रकार उनसे मिलने के लिए उनके बरामदे में उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने ढेर धंटे के बाद हम लोगों को बुलाया और सिर्फ़ यह कहा: “मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है।” यह सुनकर हम लोग भौंचक रह गये। उनके बारे में यह कहा गया था कि उन्होंने चन्द्रशेखर, कृष्णकान्त और कुछ अन्य लोगों को श्रीमती गांधी से इलाहाबाद हाई-कोर्ट के फ़ैसले के बाद इस्तीफ़े की माँग करने के लिए उकसाया था।

टेलीफोन के रिसीवर को नीचे रखते हुए कहा ; वह सोचते थे कि अगर रिसीवर रखा रहा तो उसकी यह बात चीत टेप हो सकती है ।

मैं जब उठने लगा तब उन्होंने मुझसे कहा, "मेरे स्टेनो से सम्पर्क बनाये रखियेगा और अगर आप मेरे बारे में कुछ सुनें तो उसे बता दीजियेगा ।" ये सब कितने कमज़ोर थे !

जेल में जब किसी को यह कहना होता कि सभी नेताओं ने कुछ निजी स्वार्थों के लिए सिद्धांतों और मूल्यों को ताक पर रख दिया है तब जगजीवनराम का नाम खास तौर से लिया जाता था । कोई बड़ा मंत्री या कांग्रेस का नेता विरोध कर्त्त्व नहीं करता ?

मैं जल्दी ही इन चर्चाओं का, जिनका कोई अन्त ही नहीं था, आदी हो गया, जैसे मैं जेल की डिन्डगी का आदी ही गया, हालाँकि तिहाड़ में परिस्थितियाँ बड़ी ही कठोर और घिनावनी थीं । हमारी 'डॉरमीटरी' में अट्टाइस साथियों¹ के लिए सिफे तीन मुखे पाखाने थे और हम लोगों को बड़े तड़के से ही लाइन लगानी पड़ती थी । लम्बी सजा पाया हुआ एक कँदी हमारा जमादार था और उसे इस काम के लिए तनाखाह के रूप में हर महीने कुल दस रुपये मिलते थे । वह पाखाने को दिन में सिर्फ़ एक बार साफ़ करता था । शाम को जब कभी उधर से होती हुई हवा का भाँका हमारी डॉरमीटरी में आता तो बदबू-ही-बदबू भर जाती, जो अगरवतीर्थ, जिन्हे हमारे कुछ नजरवन्द साथी अपने साथ ले आये थे, जलाने पर भी दूर नहीं होती थी ।

लगता था, इस जमादार की मेरे ऊपर खास मेहरबानी रहती थी । वह जैसे ही मुझे जाता देखता, सफाई कर देता । मुझे बाद मे पता चला कि यह मेहरबानी हम लोगों का एक ही नाम, कुलदीप, होने की बजह से थी । वह चंडीगढ़ का था और पंजाबी अच्छी तरह जानता था ।

हम लोगों के नहाने के लिए कोई गुसलखाना नहीं था और खुले में नहाना पड़ता था । वहाँ एक ही नल था और वह सबेरे 9 बजे ही बन्द हो जाता था । इसलिए हम लोगों को हैण्ड-पम्प पर निभंर रहना पड़ता था । यह इतना पुराना और टूटा-फूटा था कि एक-एक बुद्ध पानी लेने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ती थी ।

हम इसी पम्प पर नहाते-धोते थे । जो साबुन की बट्टियाँ हममें से कुछ लोग लाये थे वह एक-दूसरे को दे देते थे, लेकिन हम कपड़े साबुन की बजाय रक्षादातर अपनी ताकत से धोते थे । गोले कपड़े सुखाने के लिए बहुत थोड़ी जगह थी, यथोकि जमीन या तो गोली रहती था उसमें पानी भरा रहता था ।

गीली लकड़ियों का धुआं भरा होता था, जो हमारी ओर्डों में भर जाता था ।

1. यह सम्भव एक पर्याप्त में बहुकर लियाने हो गयी ।

इस धुआँ-भरे रसोईघर का मालिक जैन यह देखकर बहुत ही घबरा गया कि मैं बहुत थोड़ा खाता हूँ, हालाँकि मैंने उसे विश्वास दिलाया कि इससे उसके खाने बनाने का कोई संबंध नहीं है। सबेरे और आराम को खाने में चपाती और मस्कियाँ पढ़ी दाल देखते-देखते मेरी भूख खत्म हो गयी थी। मेरे संगी-साथियों को मेरे स्वास्थ्य की चिन्ता सताने लगी। वह मिचं डालकर मेरी भूख जगाने की कोशिश करते, लेकिन मुझे खाना निगलना मुश्किल होता था।

एक रात को जैन मेरे लिए एक गिलास दूध ले आया। उसने कहा, “इसको पी लीजिये, मैंने सबेरे की चाय के लिए काफ़ी बचा लिया है।” जैन के साथ ही एक नोजवान ने भी एक पैकेट से कुछ मिठाई निकालकर मुझे दी, जो वह अपने साथ कपड़ों में छिपाकर अन्दर ले आया था। सभी को यह तुरंत पता लग गया कि मुझे मिठाई पसन्द है और वह मेरे लिए कुछ मीठा, चाहूँ वह लेमनचूस ही क्यों न हो, लाने की हर संभव कोशिश करने लगे। वह मुझको मीठे विस्कुट भी देते थे। उनकी यह मेहरबानी कुछ ऐसी थी जिसे मैं भूला नहीं सकूँगा।

एक आदमी हर बार्ड के लिए लकड़ी की पेटियों में मीठे विस्कुट और साबुन, सिगरेट और टूथपेस्ट लाता था। वह कैटीन का आदमी था और उससे मीठे विस्कुट मिल सकते थे। इसका भुगतान नकद करना मना था। कूपनों का ही इस्तेमाल हो सकता था, जो जेल-अधिकारियों द्वारा हर महीने के शुरू में दिये जाते थे। हर कूपन पच्चीस पंसे का होता था और कोई भी आदमी तीस रुपये से ज्यादा के कूपन नहीं खरीद सकता था। लेकिन अगर कोई धूस देने को राजी हो तब वह जितने कूपन चाहता, चोरी-छूपे ले सकता था—इन अतिरिक्त कूपनों की कीमत लगभग तीस प्रतिशत ज्यादा होती।

एक महीने के लिए तीस रुपये की यह पाबन्दी इसलिए थी कि हर आदमी इतना रुपया ही घर से मँगा सकता था। इससे ज्यादा जितना रुपया मेरे पास था उसे मैं जेल में अन्दर आते समय सुपरिटेंडेंट के पास जमा कर आया था। लेकिन कुछ क्रीमत देने पर जितना रुपया भी कोई चाहता, बाहर से मँगा सकता था। वहाँ मनीआर्डर और चिट्ठियाँ भेजने व मँगाने की भी एक व्यवस्था थी जो शायद डाक-विभाग की व्यवस्था से ज्यादा विश्वसनीय थी। उदाहरण के लिए, मेरे बार्ड में एक कैदी को दो सौ रुपयों की ज़रूरत थी, इसके लिए उसने बार्ड के मार्फत पुरानी दिल्ली में अपने आदमियों को एक चिट्ठी भिजवायी और चौबीस धंटे से भी कम समय में उसे रुपये मिल गये। उसने उसके लिए लाने-जैसे आने पर खर्च के लिए छियासठ रुपये दिये—ऐसे कामों के लिए ‘मनीआर्डर के चार्ज’ के रूप में तीनीस प्रतिशत कमीशन बंधा हुआ था। मुझे यह बताया गया कि चाहे जितना रुपया मँगाया जाये, कभी भी कोई धोखापड़ी नहीं होती है—और इससे ज्यादा कमीशन भी नहीं लिया जाता। कैदी इस गुप्त मनीआर्डर-सेवा द्वारा बड़ी रकमे मँगाया करते थे। हम लोगों को बताया गया कि जहाँजी कम्पनियों के मालिक धर्म तेजा ने हजारों रुपये इसी तरह मँगवाये थे। और अगर कोई जेन-कमंचारियों की जेव गर्म कर सकता हो तो उसे हर तरह का आराम—जो भी वह चाहे—मिल सकता था। तेजा को सभी तरह के आराम मिले हुए थे—उसकी सेल में एआर-क्लूर लगा हुआ था, उसे रेडियो व रेकर्ड-लेभर का सेट मिल गया था और उसे टेलीफ़ोन करने की सुविधा भी मिली हुई थी। धनादृष्ट होने के अलावा तेजा को एक सुविधा यह भी थी कि उस समय सरकार में ऊँची जगहों पर काम करने वालों में उसके दोस्त थे। इन्दिरा गांधी के दोनों लड़के विदेशों में उसी के यहाँ

ठहरते थे। एक भूतपूर्व विदेश-सचिव टी० एन० कौल के बारे में कहा जाता पा कि वह उससे जेल में मिलने अक्सर आया करते थे।

हरिदास मुंधडा नामक व्यापारी, जिसे धोखाधड़ी के अपराध में सजा मिली थी, एक दूसरा धनी आदमी था जिसने कुछ दिन तिहाड़ में बिताये थे। उसे जेल में सब तरह का आराम ही नहीं मिला हुआ था, बल्कि वह जब चाहता जेल के बाहर भी जा सकता था; वह कई बार कई दिनों तक जेल के बाहर रहा और उसने कलकत्ता तक यात्रा भी की थी। लेकिन इस मवके लिए बहुत रुपया चाहिए था। इससे व्यापारा धनी कहीं था रामकृष्ण डालमिया; उसने अपनी जेल को अधिकाश अवधि अस्पताल में बितायी थी। वह जेल के अधिकारियों में अपनी उदासता के लिए मशहूर था, एक डॉक्टर को तो उपहार के रूप में एक गाड़ी मिल गयी थी।

तिहाड़ में व्यापारियों से अधिक तस्करों को रखा जाता था, जो पानी की तरह रुपया खर्च करते थे। उनके लिए खाना मोती-भहन से और हिस्सी कानाट-प्लेस से आती थी। उनको फराब ही नहीं बल्कि औरतें भी मिल जाती थीं। एक बांडर ने कहा, “वावूजी, ये औरतें बेश्याएँ नहीं बल्कि असली सोसायटी-गर्ल होती थीं।” यह औरतें तब लायी जाती थीं जब ‘साहब लोग’ खाना खाने घर चले जाते थे और उनके छाती कमरों में ‘मन यहलाव’ होता था। बांडरों के साथ बातचीत कर लंच-इंटरव्हल का समय बढ़कर तीन घंटे हो जाता था और इससे इन तस्करों को मनवहलाव के बाद अपने-अपने सेल और औरतों को शहर लौटने के लिए काफ़ी समय मिल जाता था। इन कामों में बहुत खतरा रहता था और इसमें कई लोग शामिल होते थे। इसलिए इसके लिए बहुत रुपया लिया जाता था।

एक दिन हम चार आदमियों ने यह पता लगाने का निष्ठय किया कि वहा राजनीतिक ‘अपराधियों’ की भी उतना अच्छा खाना मिल सकता है जो आर्थिक अपराधियों को मिल जाता है? हमने बांडर से पूछा कि क्या वह हम लोगों के लिए चिकन करी और तन्दूरी रोटी ला सकता है? उसने भहमति में सिर हिला दिया। हमने पट्टदह-ग्नदह रुपये दे दिये। हमको जो हमने चाहा था, मिल गया—चिकन करी और गरम-गरम तन्दूरी रोटी। हमको बताया गया कि हमने बांडर को साठ रुपये दिये थे, उसमें से सबने, जो यह सामान लाये, अपना-अपना कमीशन ले लिया है।

जेल में भ्रष्टाचार इतना सुगठित और इतना व्यवस्थित था कि एक बार कीमत देने पर सब काम पड़ों की तरह होने लगते थे। इसमें सभी स्तर के जेल-कर्मचारियों का हाल था और हर एक का अपना हिस्सा बैथा हुआ था। कभी कोई भगड़ा नहीं होता था। चोरों में भी एक अनोखी ईमानदारी होती है।

हर आदमी या तो जेल के बड़े रसोईघर से बना-बनाया खाना ले सकता था या युद्ध बनाने के लिए राशन से मफता था। मैंने बड़े रसोईघर का खाना यापा तो वह याने सायक नहीं नगा। दाल और रोटियों में, जो जेल का स्थायी खाना था, बहुत रुपया रेत भरी रहती थी।

हमारे बांड में हमने यह चाहा कि हम एउट ही खाना पकायेंग। इसमें सफाई भी रहेगी और फ्री आदमी द्वाइ रुपये के ईनिक भत्ते से थोक में यूरोड करने में सामान भी इयादा मिलेगा; दाल के बनावा कभी-कभी कुछ सब्जी भी ने नी ब्राया करेगी। हममें गे कई ऐसे थे, “धान तोर से आर० एम० एस० और जन मंथ के नवरबन्द लोग”, जो पोड़ा-बहुत ग्याना पका मकने थे—उन लोगों ने अपने

संगठनों द्वारा लगाये गये कैम्पों में संकड़ों आदामियों के लिए खाना बनाया था। आपस में बातचीत कर सभी लोगों ने यह स्वीकार किया कि हममें देविन्दर जैन ही सबसे अच्छा खाना बना सकता है।

कैदियों को जो नेहौं और चावल मिलता था उसमें मिलावट रहती थी। वज्रन बढ़ाने के लिए उसमें मिट्टी, कंकड़ और कूड़ा-करकट मिला रहता था। जलाने के लिए जो लकड़ियाँ हमें दी जाती थीं वह भी इसी उद्देश्य से पानी में भीगी रहती थीं। और तौलने की मशीन भी तोड़ दी गयी थी। जेल-सुपरिटेंडेंट से शिकायत करने पर एक-सा जवाब मिलता कि चैंकि कँदी अपने-आप राशन सही रहे हैं, इसलिए जेल बालों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम लोग जेल में एक दूकान से ही पूरीदारी कर सकते थे और जेल-सुपरिटेंडेंट तौलने वाली मशीन की जांच करने पर भी राजी नहीं हुआ।

जेल में हर-एक का अपना हिस्सा होता है। दूध थोक में फाटक पर आता था। वहाँ डिब्बों में से ऊंचे अधिकारियों के लिए काफी मात्रा में दूध निकाल लिया जाता था और उतना ही पानी डाल दिया जाता था। ज्यों-ज्यों यह डिब्बे बाड़ों की तरफ ले जाये जाते, त्यों-त्यों जो भी उनको उठाते-रखते अपने-अपने शेयर के मुताबिक दूध निकालते और बदले में उतना ही पानी डाल देते थे। एक बार जब हम लोगों ने बांडर से यह शिकायत की कि दूध में पानी जितना होना चाहिए उससे ज्यादा मिला होता है तब वह हँसकर बोला कि सुपरिटेंडेंट से लेकर नीचे तक हर आदमी का इसमें हिस्सा होता है। “जब वह मेरे बांड तक पहुँचता है तब मैं भी अपने शेयर बाला दूध निकाल लेता हूँ जौर कमी को पानी डालकर पूरा कर देता हूँ,” उसने कहा। हम इतनी ही आशा कर सकते थे कि इसमें जो पानी मिलाया जाये वह ज्यादा गन्दा न हो।

इस भ्रष्टाचार से ज्यादा दहलाने वाली विलक्षण ‘दास-प्रथा’ थी, जो हमने जेल में देखी। ये दास दस से अट्टारह साल के लड़के होते थे, जिनको ‘सहायक’ के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और ये बीसियों थे। वे खाना पकाते, वर्तन साफ करते, कमरों की सफाई करते, पानी लाते और कमर-तोड़ काम उन आदमियों के खिए करते जिन्हे इसके लिए तनखाह मिलती थी। इन्हें सुबह की चाय तैयार करने के लिए छह बजे से पहले उठा दिया जाता था और बरतन साफ करने पर रात को लगभग दस बजे के बाद सोने दिया जाता था—इनको भेड़ों की तरह एक बांड में भर दिया जाता था, जहाँ न कोई पंखा था और न सफाई की उचित व्यवस्था। लेकिन रोशनी खूब रहती थी, सारी रात बहुत-से बल्ब जलते रहते थे, जिससे नीद में ऊंघता हुआ बांडर एक ही नजर में यह जांच कर सके कि सभी मौजूद हैं।

इन लड़कों पर मुक़दमा चल रहा होता था, बहुत से वहाँ आठ महीने से थे और एक लड़का तो दो साल से रह रहा था। इनको किसी-न-किसी अभियोग के आधार पर मुक़दमा चलाने के लिए एक अदालत से दूसरी अदालत ले जाया जाता और जेल में ही रखा जाता। ऐसा करने का उद्देश्य इनको जब तक हो सके जेल में डाले रखना था, क्योंकि इनके बगैर उन लोगों को जो बरतन बगैरह की सफाई आदि कार्मों के लिए नियुक्त किये जाते थे, आराम करने का मौका नहीं मिल सकता था।

एक दिन एक लड़के के रोने से सबेरे-सबेरे भेरी नीद टूट गयी और मैंने देखा कि वाकी “सहायक” लोग उसे समझा-नुभा रहे हैं और एक बांडर चूपचाप खड़ा

देख रहा है। मैं उसके पास गया, उसके घुंघराले बालों को देखकर मुझे अपने छोटे लड़के राजू की याद हो आयी। यह लड़का पिछली शाम को नयी दिल्ली में डिफ़ॉस कालोनी में पकड़ा गया था और रात-भर पुलिस चौकी में रखे जाने के बाद सबेरे जेल में लाया गया था।

मैंने उससे पूछा कि उसने क्या किया है जो जेल में आना पड़ा। उसकी हिचकियाँ बन्द नहीं हो रही थीं कि वह कुछ भी जवाब देता। वार्डर ने हँसकर कहा “इमरजेंसी!” मैंने यादा जानने के लिए पूछा तो वार्डर ने बताया कि जब कभी जेल में क्रेदियों की संख्या बढ़ जाती है, यहाँ के नौकरों की मदद के लिए पुलिस से लड़के लाने के लिए कहा जाता है। वार्डर ने बताया कि पिछले कई दिन से जेल के अधिकारी पुलिस पर दबाव डालते रहे थे कि नजरवंदों की संख्या बढ़ गयी है, इसलिए और यादा “सहायक” लाये। पिछली शाम को जब यह लड़का डिफ़ॉस पकड़ लिया गया था, पुलिस वाले जेल-अधिकारियों की इस अपील पर कि और यादा “हेल्पर” लाये जायें, इन लड़कों को पकड़ते रहे।

“यह कोई नयी बात नहीं है ऐसा हमेशा से होता रहा है,” वार्डर ने समझाया। ऐसे कई लड़कों ने जेल में मुझे अपनी दुख-भरी कहानी सुनायी कि किस तरह उन्हें भूठ आरोप लगाकर गिरफ्तार किया गया और फिर किसी-न-किसी बहाने से उन्हें जेल में बन्द रखा गया है।

इन लड़कों के अजीब से नाम होते। वहाँ एक था रायनू। वह मालिश का काम करता था। नजरवन्द कंदी उससे अक्सर मालिश करने के लिए कहते थे। उसे दो घटे काम करने के बाद सिफ़े पच्चीस पैसे का एक कूपन मिलता था। हर बादमी चाहे वह नजरवन्द हो या जेल-अधिकारी, उससे काम लेता था। वह मना करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे मालूम था कि कुछ ही दिन पहले दो लड़कों को कुछ नजरवन्दों की शिकायत पर दूसरे बाँड़ में भेज दिया गया था। “ये लड़के बड़े लापरवाह हो गये हैं,” उन्होंने शिकायत की थी। राजनीतिक बांड़ में काम बन्ध वाड़ों की अपेक्षा हलका कहा जाता था और इसलिए अधिकतर लड़के उन्हीं वाड़ों में बने रहना पसन्द करते थे।

रायनू जेल में सोलह महीने से था। उसके खिलाफ़ चोरी का इल्जाम था। उसने स्वीकार किया कि उसके पास दो दिन से खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने एक घर में युसकर यह कोशिश की कि जो भी मिले चुरा लिया जाये। उसने बताया कि जब भी उसका केस अदालत में सुनवाई के लिए आता है, पुलिस किसी-न-किसी वहाने से मुल्तवी करा देती है। जाहिर था कि वह इस लड़के को अपने चंगुल से नहीं निकलने देना चाहती थी।

मुझे बताया गया कि अभी हाल में जेल में एक ऐसा लड़का था जो एक साल से यादा समय से यहाँ किसी भूटे अभियोग के कारण बन्द था। उस पर बहुत दिनों से कोई मुकदमा भी नहीं चल रहा था और न अदालत में उसकी कोई पेशी ही की जाती थी। वह इस तरह जेल में ही सड़ जाता, लेकिन सेना के एक मेजर ने उसकी जान बचा ली। वह लड़का उसका नौकर होता था। जब से वह लड़का गायब हुआ तभी से मेजर उसकी तलाश में लग गया और उसके बाद जेल के अधिकारी उसे यहाँ बन्द नहीं रख सके।

मैं एक नये लड़के के प्रति आकृष्ट हो गया। उसका नाम था वेद। वह अनाथ। इसे मशक्कती कहते थे। मशक्कती उनको कहा जाता है जिसको जबरदस्ती

काम करना पड़ता है। जब मैंने इससे बात की तब इसकी आँखों से आँसू वह निकले। यह लड़का चोरी का इल्जाम लगा कर जेल में लाया गया था, लेकिन इसने कसम खाकर कहा कि उसने कोई भी चोरी नहीं की थी। मैंने उसे पुछकारा और कहा कि जब वह छठ जायेगा तब उसे यह बेगार नहीं करनी पड़ेगी। इससे उसको सन्तोष हुआ। और तब मुझे अचानक लगा कि जैसे अधिकारियों ने मेरे लड़के को गिरफ्तार कर लिया है, वह उसे सता रहे हैं और उसको मेरी ही कोठरी में ले आये हैं। मैंने इस लड़के से कहा कि वह मेरे ही साथ रहे, मैंने उसका विस्तर अपने विस्तर के पास लगा लिया और अपने हाथों से उसे खिलाता था। मैंने उसको पढ़ना भी सिखाया, जो काम मैंने कभी नहीं किया था। वेद का बिसूरना देख मेरी कल्पना हवा हो गयी। मैंने वार्डर से निवेदन कर कहा कि वह उसे रसोईघर में रखे—बहुत कम मशक्कती रसोईघर में रखे जाते थे, यहाँ उनको बहुत कम काम करना पड़ता था।

मुझे ताज्जुब था कि लड़कों को सुधार-गृह में क्यों नहीं रखा जाता, चाहे उन्होंने कोई अपराध ही किया हो। जेल-अधिकारी यह मानते तो थे कि यहीं होना चाहिए और यह लिखा हुआ भी था। जिन वैरकों में मैं अपने सत्ताइस साधियों के साथ रह रहा था, वह असल में पढ़ाने का कमरा था। मैंने देखा कि दीवाल पर ब्लैक-बोर्ड लगा हुआ है। अधिकारियों ने मुझे बताया कि इमरजेंसी लगने के बाद जगह की कमी के कारण इसे बाढ़ बना दिया गया है। उन्होंने मुझसे कहा कि जब कभी बाहर आन्दोलन होते हैं, जेल में वे ऐसा ही करते हैं।

कुछ लड़के जेल की जिन्दगी के आदी हो गये थे। वह हँसी-खुशी से रहते और हम लोगों के पास सिगरेट या मिठाई खरीदने के लिए कूपन मांगते आ जाया करते थे। कुछ कैदियों को ये लड़के उपयोगी लगते थे—वे खाली समय में इनसे कपड़े धोने का या ऐसा ही कुछ और काम करते थे। बदले में उनको साबुन की एक बट्टी या विस्कुट का एक पैकेट मिल जाता था।

हमें लगा कि उनकी जिन्दगी उन कैदियों की तुलना में अधिक कठोर थी जिन्हे कठोर कारावास की सजा दी जाती थी। उन्हें मुकदमा चलाये जाने की कोई सुविधा भी नहीं मिली ही थी। जेल-अधिकारी उन्हें सिर्फ़ खाना देते थे, वह भी अक्सर बचा-बुचा। उन्हें जेल के तोशाखाने से कपड़े भी नहीं मिलते थे, क्योंकि उन पर मुकदमा चलते रहने से वह कैदी नहीं माने जाते थे। जब ज्यादा कैदी लाये जाते और सहायकों को सोने के लिए कोई फ़ालतू बाड़ नहीं बचता तो उन्हें काल-कोठरियों में रख दिया जाता—छह फ़ीट लम्बी और तीन फ़ीट चौड़ी इन कोठरियों में हवा के आने-जाने के लिए सिर्फ़ एक ही छोटी-सी खिड़की होती और सोने के लिए सीमेंट का एक चबूतरा। चार-पाँच लड़के उन कोठरियों में भर दिये जाते थे।

यह यकीन नहीं होता कि बोसवीं शताब्दी में भी ऐसा हो सकता है। मेरी बड़ी इच्छा होती थी कि मैं यह जानूँ कि ये असहाय लड़के खुश कैसे रहते हैं? मेहनत, संघर्ष और तपनी में पल कर भी यह बरसाँ इसी तरह जियेंगे और शायद ये जिन्दगी के आखिर तक भी इसी तरह रहेंगे। उनका कोई नहीं है, उन्हें उनके संवधियों ने छोड़ दिया है और फिर भी वे ऐसी जिन्दगी विता रहे हैं—सिर्फ़ बने रहने के लिए, जिन्दा रहने के लिए। अगर मनुष्य ईश्वर का अपना ही प्रतिविम्ब है तो यह सबसे निकृष्ट विम्ब या जो किसी ने देखा होगा। भूय से तपे इन चेहरों पर खुशी का कोई भी निशान नहीं था और जब रात में देर तक ये लड़के

गाते रहते तब मैं ताजजव करता था कि इनको कहाँ से प्रेरणा मिल रही है। और जब उनका गाना बन्द हो जाता और वे सो जाते तब भी लगता कि मैं उनको गाते सुन रहा हूँ:

...वहरह सुनता ३५
निश्चाव ति-

निष्पत्ति है निष्पत्ति मनुजता का...!
शायद जनता के लिए धर्म से ज्यादा चीज़
कल्पना है जिसके

कल्पना है जिसका आकर्षण ऊपरी मतह परनही रहता, बल्कि दिल के किसी गहरे कोने में रहता है जहाँ बुद्धि नहीं गड़ें सकती। इस कल्पना में हम अपने को भूल जाने हैं, कम-से-कम तब तक के लिए जब तक इसमें हम डूबे रहते हैं। जब यह नंसार विहर जाता था तो अकेलापन हमें बड़ी तेजी से काटने दीजाता है। हमारा मन उचाट हो जाता था।

अमंभव का सप्तवा ऐसे ही है।

उचाट हो जाता था । उचाटपन हम बड़ी तेजी से कॉटने दौड़ता या अब अभंभव का सपना देखने और जिन्दगी के उचाटपन और धकान को भूलने के लिए कल्पना की उड़ानें ज़हरी थीं । मैं अक्षय अपने को युनयुनाता हुआ पाता था, हालांकि इंवर सारी था कि मैं कोई संगीतज्ञ नहीं था—और कोठरी मेरी गुनगुनाहट कभी तेज़ नहीं होती थी कि दूसरे मुन सकें । यह ताजगुड़ की वात थी कि कभी तो उम वातावरण में कट्टों को रहने में सहायता मिलती थी, क्योंकि हर व्यक्ति को मध्येनशीलता मर जाती थी; लेकिन कभी इस वातावरण से निराशा छा जाती थी । तब इन ऊंची दीवातों से बाहर सुन्दर-सा चेहरा देखने के लिए, संगीत की लय मुनने के लिए फूलों की व्यारियों की मुग्ध प्राप्त करने के लिए, मैंने अपने गे पूछा कि जेलों को दूर क्यों नहीं ! उत्तर—

ब्रज में 1960 में गृह-मवान्य में वा तथ भारत के जैलों के इस्पेस्टर-
ननरों के गवर्नर व उनके मुख्य के आधार पर 'एक धाद्य' जैल-मनुष्यवत
नियर रिया गया था। अपशंगों को रोकने पर और भविष्याधियों के माय किये जाने-
वाले घट्याहर के बारे में मुख्य इकट्ठे करने के लिए एक केन्द्रीय मुद्धारनेवा-
स्थान भी स्थापित किया गया था। नेविन जैलों में रहन-गहन को दाना और मनो-
रुपानि का विकास करने के लिए एक विशेष विभाग बनाया गया है।

लोगों को एक दैनिक समाचारपत्र को एक ही प्रति दी जाती थी। चूंकि हम सभी बाहरी दुनिया की खबरों के लिए भूमे रहते थे, कभी-कभी इस अखबार को लेकर या इस अखबार के एक खास पेज को लेकर झगड़ा हो जाता था, क्योंकि इसके पन्ने हम लोगों में बैट जाते थे। वहाँ कोई रेडियो नहीं था जिसे हम सुन लेते। हम लोगों ने जेल-सुपरिटेंडेंट से पूछा कि क्या वह हम लोगों को कम-से-कम एक मीडियम चेव का ऐसा रेडियो दे सकता है जिस पर बी० बी० सी० या किसी

हालाँकि यह अखबार फीका होता था तो भी मैं इसे पढ़ता था—चूंकि समाचार-पत्रों पर पावनिधीय लगी हुई थी, इसलिए यह फीका होने के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता था। मैं मुख्य पृष्ठ पर लगभग रोजाना श्रीमती गांधी और उनके लोगों द्वारा इमरजेंसी की बड़ाई पढ़ते-पढ़ते थक गया था। एक दिन वह कहती थी कि लोग इमरजेंसी चाहते थे, दूसरे दिन वह कहती कि इमरजेंसी ने राष्ट्र की सेवा की है और तीसरे दिन यह कि जब से इमरजेंसी लगी है तब से देश में धी-दूध की नदियाँ वह निकली हैं।

इस अखबार में किसी ने शोक-समाचार के कालम में लोकतंत्र के मृत्यु की मूर्चना बड़ी ही चतुराइ से छपवायी थी। यह विज्ञापन इस प्रकार था :

डि' आकेसी—डी० इ० एम० विलबड हस्केंड ऑफ टी० रुथ, लॉर्विंग फॉर्मर ऑफ एल० आई० वर्टी, ब्रदर ऑफ फेय, होप, जस्टीशिया एक्सपायर्ड ऑन टेलन्टी-सिक्स्ट्यू जन।

[डि' आकेसी (अर्थात् डिमोक्रेसी या लोकतंत्र) —टी० रुथ (अर्थात् ट्रूथ या सत्य) के प्रिय पति, एल० आई० वर्टी (लिवर्टी अर्थात् स्वतंत्रता) के पिता, फेय (विश्वास) होप (आशा), जस्टीशिया (न्याय) के भाई का 26 जून को देहावमान।]

मुझे याद है कि जब सेसरशिप लागू हुई थी, हमने भी नियमों से बचने के लिए अपने समाचारपत्र में टैगोर की निम्नलिखित प्रार्थना छापी थी :

जहाँ चित्त अभय है, शीश है उच्च जहाँ पर
जहाँ मुक्त है ज्ञान
जहाँ विश्व विच्छिन्न नहीं है छोटे-छोटे घर की दीवारों से
जहाँ बचन के बोत हृदय से फूटा करते
जहाँ अजस्त कर्म के हाथ निपुण हो जाते हैं
जहाँ तक की स्वच्छ-धारा रुढ़ि-मरुस्थल में सूख नहीं जाती है
जहाँ चित्त को तुम ने जाते हो विन्तीर्ण भाव और कायं-ज्ञेय में
ऐसे मुक्त गगन में प्रभु भेरा देश जाने !

८

सौ नवरवंदों में एक अखबार की एक प्रति को लेकर झगड़ा होना स्वाभाविक

या। एक दिन हमारे बाड़े का एकमात्र मालसंवादी—कम-से-कम वह अपने को यही कहता था—सबेरे जल्दी जग गया और दरवाजे पर चिपककर खड़ा हो गया। अद्यतार बाटने वाले से उसने अख्तिवार को ले लिया। जो लोग रोजाना अख्तिवार पढ़ा करते थे, चिढ़ गये और जब उसने अख्तिवार पर कम्बजा ही कर लिया तब और इयादा चिढ़ गये। इस पर भगड़ा शुरू हुआ। कई लोगों ने शांत करने की कोशिश की।

लेकिन मैं नहीं समझता कि वह मालसंवाद जानता भी था या उसमें कोई गहरी आस्था रखता था। वह केवल ऐसे नारे दोहराता रहता था : “पूजीवाद की काली दैत्याकार मिले”, “इतिहास केवल पर्ण-संघर्ष का दस्तावेज़” आदि-आदि।

वह पश्चिमी पाकिस्तान से आया हुआ एक शारणार्थी था जो दिल्ली में बस गया था। 1947 की घटनाओं ने उसके विचारों को पराभूत कर रखा था। उसका सब-नुछ छिन गया था और उसके मन में उस समाज के लिए चिट्ठेप पैदा हो गया था। उसका विचार था कि उसे समाज दुबारा पनपने नहीं देगा।

यह मालसंवादी एक हरिजन से हमेशा लड़ता रहता था, जो अपने को जनसंघी कहता था। दोनों ही गरीब थे और दोनों के पास लड़ने की कोई बात नहीं थी। लेकिन मालसंवादी यह नहीं भूल पाता था कि दिल्ली में जन संघ के जासन-काल में वह अपनी दो गायों से हाथ धो चका था। उसने हमें बताया कि उसे पहले तो अपनी भोजड़ी के बाहर दो गायें रखने की इजाजत दे दी गयी और बाद में भता कर दिया गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि उसे इन गायों को, जो पहला खरीदार मिला उसके हाथ कोड़ियों के मोल बेचना पड़ा, ताकि वे कहीं पकड़कर काँजी-हाउस में न भेज दी जायें।

मालसंवादी और जनसंघी अक्सर आपस में भिड़ जाते, गरीबी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो उनको आपस में मिलाकर रखती। ताज्जब की बात यह थी कि उस मालसंवादी का ऐसा व्यवहार हमारे सेल में अन्य किसी जनसंघी या आर०एस० एस० के आदमी के साथ नहीं था। इस मालसंवादी से अक्सर साम्प्रदाद के आदर्शों पर नहीं, बल्कि भारत में मालसंवाद की उपयोगिता के बारे में चर्चा होने लगती थी।

हमारे दिमाग पर श्रीमती गांधी का प्रभुतावाद छाया हुआ था और हम लोग तानाशाही के नाम मात्र जाते थे। हमारे बाड़े सूचना के साधन और समाचारपत्रों की आज्ञा।

कि अगर किसी उचित मामले को हम सही ढंग से पेश करें तो लोगों के दिलों को जीत सकते हैं। उदाहरण के लिए, श्रीमती गांधी को सन् 1971 में भारी सफलता मिली, क्योंकि उन्होंने जनता को यह बचन दिया था कि सत्ता में आने पर गरीबी हटा देंगी। इन लोकतंत्रवादियों का कहना था कि अगर उन्होंने इस दिशा में कोई उल्लेखनीय काम नहीं किया तो इसमें पढ़ति की कोई थुट्ठी नहीं थी, गुलती श्रीमती गांधी की थी जिन्होंने इस पढ़ति का पालन नहीं किया।

तानाशाही में व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता, वह मक्कीन का पुर्जा बनकर

रह जाता है। उसकी सारी आजादी ख़त्म हो जाती है, वह न तो सोच सकता है और न खुद कुछ कर सकता है। वह मशीनी आदमी हो जाता है। उसको चलाया जाता और बन्द किया जाता है, वह खुद नहीं चलता, बल्कि मशीन है जो उसे चलाती है।

लोकतंत्रवादियों की एक और दनील यह थी कि भौतिक सम्पन्नता लाने की कोशिशों में साम्यवाद मनुष्य की प्रकृति में निहित आध्यात्मिक तत्व को भूल जाता है। जीवन का नैतिक और आध्यात्मिक पक्ष मनुष्य के बुनियादी तत्व है। साम्यवाद मानवीय व्यवहार के आदर्शों और मूल्यों की उपेक्षा ही नहीं करता, बल्कि उसको विलग भी कर देता है। उसकी भाषा हिंसा की भाषा है और दमन, किसी भी प्रकार हो, मनुष्य में जो कुछ भी अच्छाई है, उसे कुचल देता है।

श्रीमती गांधी अवसर पूछती थी : आजादी किसके लिए ? जैसा कि कम्यूनिस्ट कहते हैं, क्या यह “पूँजीपतियों, प्रतिक्रांतिकारियों” के लिए या “धनी-मानी लोगों” के लिए ? “क्या व्यक्ति समाज से ज्यादा महत्वपूर्ण है ?”

मैं सोचता था कि समाज व व्यक्ति में विरोध कहाँ है, कर्योंकि समाज का अस्तित्व व्यक्ति के हित के लिए है। जब हम समाज के हित की चर्चा करते हैं तब यह हित कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो व्यक्ति के, जो समाज का अंग होता है, हित से अलग हो, असल में व्यक्ति ही समाज बनाता है। साम्यवाद, समाजवाद या पूँजीवाद—लक्ष्य तक जाने के लिए साधन हैं, स्वयं में लक्ष्य नहीं है। हम कल्याणकारी राज्य की बात करते थे, लेकिन यह कैसा राज्य होगा ? क्या इसमें उन कामों के लिए जो समाज के हित में समझे जायेंगे, व्यक्ति की उपेक्षा की जायेगी या उसकी बलि दे दी जायेगी ? नेहरू अवसर कहा करते थे और उन्होंने लिखा था : व्यक्ति की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।

हमारे बाड़े में कुछ गांधीवादी थे जो हमेशा कहा करते थे कि बुरे साधनों से अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। उनकी धारणा थी कि हिंसा से कोई स्थायी हल नहीं निकलता है, यह हमको अनुचित दिशा की ओर ले जाती है। समाज में कोई भी परिवर्तन संवेद्धानिक तरीकों से लाया जाना चाहिए और इसके लिए शक्ति बंदूक से नहीं बल्कि जनमत से हासिल की जानी चाहिए। वे प्राय बहुत जीरों से कहते थे कि समय-समय पर सरकार को अपनी नीतियों की पुष्टि मतदाताओं से करानी चाहिए। किसी भी आदमी या पार्टी को खुद यह दम्भ नहीं करना चाहिए कि उसे यह तथ करने का अधिकार है कि देश के हित में क्या है, क्या नहीं।

बहस चाहे जितनी गर्म होती, अंत में हम लोग इस बात पर सहमत हो जाते कि ऐसी पद्धति जो हमारी निजी स्वतंत्रता पर हावी हो जाये या उसे छीन ले, अपनाये जाने लायक नहीं हो सकती। भविष्य के बारे में बात करते समय हम सहमत थे कि एक ऐसा तंत्र बनाना चाहिए जो हमें आजादी दे और रोटी भी। नजरबंदों ने यह प्रतिज्ञा की कि जब कभी वे जेल से छूटेंगे, ऐसे ही तंत्र की स्थापना के लिए कोशिश करेंगे जो लोकतंत्र के सिद्धांतों को झंति पहुँचाये विना आर्थिक खुशहाली ला सके।

हम लोगों में थोड़े-बहुत ऐसे लोग भी थे जो कहते थे कि इस का एकमात्र उपाय अपनी आवश्यकताओं को कम करना, सादा जीवन विताना और सहनशील बनना ही है। लेकिन हम लोगों में से एक उप्रवादी ने यह कहा कि सहनशील होने से हम यथा-स्थिति को बनाये रखेंगे और जो व्यवस्था पहले से ही स्थापित है उसकी रक्षा करेंगे। उसका विश्वास था कि इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया

जी सकता कि व्याविरोध को पतनपत्रे दिया जाये। वह विरोध का औचित्य तो मानता था, लेकिन यह भी मानता था कि विरोध किसी भी कायंकम को पूरा करने में रुकावट बन जाता है।

जन संघ और आर० एस० एस० दोनों के आदमी मुझ पर वेहद मेहरवान थे। इनमें से अधिकतर लोगों ने मेरे लेखों को पढ़ा था, इसलिए ये लोग अपने संगठनों के बारे में मेरे विचार जानते थे। शायद इसी बजह से ये लोग कुछ आम बातों को छोड़कर राजनीति पर मुझसे कोई खास बहस नहीं करते थे। मुझे यह कहा है कि इन लोगों ने आपस में यह तय कर लिया था कि मुझसे अगर कोई राजनीति पर चर्चाकिरणा तो केवल दो आदमी ही करेगे। इनमें से एक दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राद्यापक था।

उसके साथ बात करने में एक बात स्पष्ट है, जो मैं सोचता भी था, वह यह कि जन संघ और आर० एस० एस० एक ही सिक्के के दो पहलौ हैं। वह इसे छिपाते भी नहीं थे और कहते थे कि जन संघ का जन्म राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ है, जिसे वह एक सास्कृतिक या सामाजिक संगठन बताते थे और यह इसी की एक राजनीतिक मस्ता है। हर क्षेत्र के लिए उनका अलग-अलग संगठन था—जैसे, विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी परिषद, मजदूरों के लिए भारतीय मजदूर संघ आदि-आदि। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग इन संस्थाओं के सदस्य होते थे।

वंगाल के श्यामाप्रसाद मुखर्जी, जो हिन्दू महासभा के नेता थे, सबसे पहले अप्रक्षित थे जो आर० एस० एस० से जन संघ में भेजे गये थे। दीनदयाल उपाध्याय और हृसरे लोगों ने इसके बाद जन संघ में प्रवेश किया था। मैं यह जानना चाहता था कि जो लोग जन संघ में भेजे जाते हैं उन पर आर० एस० एस० के अधीन नियंत्रण रहता है। मुझे बताया गया कि वे हमेशा आर० एस० एस० के अधीन रहते हैं। आम तौर पर वे अपने मन के मुताबिक काम करते हैं, लेकिन जब कभी जरूरी या नीति-विदेशों के अनुसार चलना पड़ता है तब उन्हें निर्देश दिये जाते हैं। उन्हें इन निर्देशों के अनुसार चलना पड़ता है। उदाहरण के लिए, चुनावों के तिए अध्ययित्यों को छाटना “हमारे परामर्श से” होता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदमी ने कहा और हम लोग चुनावों में जन संघ के अध्ययित्यों का प्रचार करने, घन आदि इकट्ठा करने में सहायता करते थे। आर० एस० एस० ही यह निर्णय करता था कि इस काम पर कौन लगाया जाये और कौन नहीं।

इस बात में कोई सन्देह नहीं था कि जन संघ और आर० एस० एस० के लोग निष्ठावान और राष्ट्रभक्त थे। मुझे विश्वास हो गया था कि ये लोग कभी भी राष्ट्र के प्रति गहारी नहीं करेगे। लेकिन जिस बात पर मझे हैरत होती थी वह यह थी कि उनका झुकाव स्वयं को ही सच्चा देशभक्त मानने की ओर जायादा था। अच्युत लोगों के प्रति, खास तौर से मुसलमानों के प्रति, वह शक की नज़र से देखते थे। मुसलमानों के बारे में वह यह सोचते थे कि उनका ध्यान पश्चिमी एशिया की ओर रहता है और इनका ‘दिल’ भारत में नहीं लगता। यह दोनों प्रवक्ता कहते थे कि जिसे हिन्दू संस्कृति कहा जाता है वही भारतीय संस्कृति है और मुसलमानों को भारतीय होने के नाते इसे अपनाने में कोई किफायत नहीं होनी चाहिए। गीता, वेद, पुराण और पूजा-विधि भारतीय संस्कृति की अभिव्यक्ति है, हिन्दू संस्कृति की नहीं। एक-आधा बार वह बहस के दौरान धर्म-परिवर्तन में मुसलमानों की ‘आस्था’ और काफिरों का सफाया करने में उनके

‘विश्वास’ की भी चर्चा करते। वह चाहते थे कि भारत में मुसलमान सच्चे मुसलमान बनें।

मुझे कुछ ऐसा लगता था कि जन संघ और आर०एस०एस० के लोग इस्लाम के बारे में बहुत कम जानते थे और भारतीय मुसलमानों के बारे में तो उससे भी कम। मुसलमान भी नयी दुनिया के प्रभाव में अपने को ढाल रहे थे। दुनिया के बहुत-से मुसलमान नेताओं ने कहा था कि इस्लाम को अपने समाज में भीतर से सुधार लाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत-से मुसलमान देशों में यह हुआ भी है। ऐसा लगता था कि जन संघ और आर०एस०एस० के ये हमारे दोस्त इस बात से अनभिज्ञ थे कि वे मुसलमानों से यह कहकर कि उन्हें अच्छा मुसलमान बनना चाहिए, उन पर अपना बड़प्पन जताते हैं। ऐसा लगता था कि वे यह अनुभव नहीं करते कि मुसलमानों के प्रति दया की भावना का प्रदर्शन करने से मुसलमान और भी निराश होते हैं और समझते हैं कि उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता; नौकरी ढूँढने, व्यापार करने या रोजगार शुरू करने में उनके साथ भेद-भाव किया जाता है; उन्हें जान-दूरफकर अलग रख दिया जाता है। और सरकार भी उनको समान अवसर दिलाने के लिए कुछ नहीं करती। प्राइवेट कम्पनियाँ तो उनको पूर्वाग्रहों के कारण नौकरी देने में हिचकिचाती थीं। और फिर, हर तरफ से उनको यह उपदेश सुनने को मिलता था कि उन्हें राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा के साथ मिल जाना चाहिए। यह भारतीयकरण के पुराने सिद्धान्त का नया रूप-जैसा लगता था। लेकिन भारतीय होने के योग्य बनने के लिए उनसे क्या करने की आशा की जाती थी? उन्होंने सभी राजनीतिक सभाओं में तो भाग लिया था जिसमें जन संघ भी शामिल था, मुसीबत के दिनों में उन्होंने तकलीफ़ भी भेली थी और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ़ लड़ाई में भी हिस्सा लिया था। इससे ख्यादा उनसे और किस बात की आशा की जाती है? वह और किस तरीके से राष्ट्रीय जीवन की अवधारणा में अपना योगदान कर सकते हैं?

मैंने जन संघ के अपने इन दोस्तों को बताया कि आजादी के अट्टाइस साल बीतने के बाद भी बहुत-से मुसलमान सोचते हैं कि उन्हें अपनों बफादारी और देशभक्ति का सबूत देना होगा। जब से विभाजन हुआ तब से उनको ही सबसे ख्यादा तकलीफ़ भेलनी पड़ी। वह अपने भविष्य के बारे में निश्चित नहीं हैं, राष्ट्रीय मुसलमान भी कभी-कभी अपने को असुरक्षित समझते हैं। नेहरू के शब्दों में, “हिन्दुओं को चाहिए था कि मुसलमानों के दिमाग में सुरक्षा का भाव जगाते, बल्परंख्यकों के प्रति वहसंख्यकों की यही जिम्मेदारी होती है।”

लेकिन जन संघ के मेरे दोस्त इस बात पर सहमत नहीं होते थे। वे कहते थे कि मुसलमानों के प्रति उनके मन में कोई द्वेष नहीं है—हो सकता है कि एक दिन मुसलमान जन संघ में शामिल भी हो जायें। लेकिन इससे पूर्व, उन्हें भारतीय पहले और तब मुसलमान होना पड़ेगा।

मेरे इस सवाल का कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जन संघ के लोग पहले भारतीय और तब हिन्दू हैं, उनका जवाब था कि हाँ। लेकिन तब उनके मत में हिन्दू होना भारतीय होना था। और वहस वहीं पर पृथम हो जाती जहाँ से शुरू हुई थी।

वाँड़ में किसी ने कहा कि मुसलमान इस भावना से ही, कि उन्हें किसी भी धोन में उचित स्थान नहीं मिला है, या तो दकियानुसी हो जाते हैं या किसी शुद्ध साम्प्रदायिक गंगटन में जा मिलते हैं। वे समझते लगते हैं कि साम्प्रदायिक

आधार पर अपने को संगठित करके अब से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। वे रौजगार होने के कारण नौजवानों को निराशा का ज्यादा एहसास होता है और वे लड़के मिडने को तैयार हो जाते हैं। हालांकि वह यह जानते हैं कि ऐसे कामों से हिन्दुओं में खुराक प्रतिक्रिया होगी तो भी उन्हें कोई परवाह नहीं होती।

इसलिए मुसलमान किसी तरह की तबदीली यहाँ तक कि अपने विवाह कानून में भी किसी परिवर्तन के लिए तैयार नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरह उनका विवाह कानून भी उनके धर्म का एक आखिरी गढ़ बन गया है। उनको डर है कि वह अपनी विशेषता, या जिसको वह अपनी संस्कृति कहते हैं, खो चूंगे। अन्यथा यह वडे ताज्जुब की बात है कि उन्होंने ऐसी तबदीलियों को भी उनका पाकिस्तान में भी दूसरी शादी करने के लिए पहली पली की लिखित सहमति लेनी पड़ती है। लेकिन भारत में मुसलमानों ने चार-चार बीवियाँ रखने के अपने अधिकार को बनाये रखा है।

मुसलमानों के उत्तराधिकार कानून के अनुसार लड़के अपने पिता की सम्पत्ति के बारिस होते हैं लेकिन इस पिता के मरने के बाद उसके लड़कों के लड़के उत्तराधिकारी नहीं होते। वहुत बाधों पहले, जब डॉ. जाकिर हुसैन जीवित थे, इस बात की कोशिश की गयी कि मुसलमानों के विवाह कानून को 'नया' रूप दिया जाये। लेकिन केन्द्रीय मंत्रियों और संसद-सदस्यों ने इसका विरोध किया और, इस दलील के बावजूद कि जब संसद हिन्दुओं, सिखों और ईसाइयों के लिए कानून बना सकती है तब वह मुसलमानों के लिए भी बना सकती है, यह कोशिश छोड़ दी गयी थी।

मुसलमान बिना किसी कारण विवाह-कानून के बारे में अड़ गये थे, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में सरकार का दृष्टिकोण संकीर्ण था। अगर मुसलमान दूरी तरह चाहते हैं, तो आसमान नहीं फट जाता। अगर अधिनियम से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बुनियादी ढाँचे में कोई परिवर्तन किया जाना पा तो ऐसा ही अधिनियम बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में 'हिन्दू भावना' के कारण कुछ गया? लेकिन सरकार बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में उसी तरह का विधेयक भी परिवर्तन नहीं करना चाहती थी। सन् 1971 में जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के लिए भी बनाया जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने इस विचार को छोड़ दिया, क्योंकि वह हिन्दू मतदाताओं को 1972 के विधान-सभा-चनाव के पहले नाराज नहीं करना चाहती थी।

उद्दू की समस्या भी है, जिसे साड़े छह करोड़ भारतीय मुसलमान अपनी भाषा कहते हैं। उद्दू के जिलाफ निश्चित ढैप रहा है और सबके मन में यह बात बैठे पर कर गयी है कि वह पाकिस्तान की भाषा है। इस तथ्य को भी ध्यान में नहीं रखा जाता कि उद्दू का जन्म दिल्ली और उसके आस-पास के इलाकों में हुआ था। इस भाषा के साथ जो सौंतेला व्यवहार होता है उससे मुसलमानों में यह भावना और उप होती गयी कि उनके प्रति अन्यथा हो रहा है। यह सुना गया कि उद्दू को उचित दर्जा दिलाने के लिए स्थापित इन्दर गुजरात-कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि उद्दू उस कसोटी को पूरा नहीं करती है जिसके आधार पर उसे रियो भी राज्य में दूसरी सरकारी भाषा का दर्जा दिया जाये। जब छठी अनुमति

में दी गयी हर भाषा को देश के किसी-न-किसी भाग में सरकारी दर्जा मिला हुआ था, तब उदू को क्यों नहीं दिया जाता ? यह अधिकांश भारतीय भाषाओं की अपेक्षा अधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाती है और इसके साहित्य की वरावरी कुछ भाषाओं के साहित्य के साथ ही हो सकती है। जमात-ए-इस्लामी के सभी तीनों नज़रवंदों ने अपनी विनम्रता के अलावा उदू के मलीकोदार इस्तेमाल से हम लोगों का दिल जीत लिया था। हुकूमत-ए-इलाही की उनकी धारणा राम-राज्य या (ईसाई धर्म मानने वालों के लिए) किंगडम ऑफ गॉड बॉन अथ (पृथ्वी पर ईश्वर का शासन) जैसी है। लेकिन मनुष्य-निर्मित कानूनों के प्रति उनका विरोध और कुरान के सदियों पुराने कानून के प्रति उनका झुकाव इतना कटूर है कि जन संघ के सदस्य कभी-कभी उसकी तीव्र आलोचना करते थे। मुझे याद आया कि गृह-मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि जमात का “दूसरे लोगों के माथ गठबंधन है।”

ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, आर० एस० एस० और जन संघ के लोग और जमात के सदस्य एक-दूसरे के नज़दीक आते गये। वे अपना अधिकांश समय आपस में बातचीत करने और खेलने में विताते थे। एक-दूसरे के प्रति दोनों के सन्देह दूर होते गये और उनमें से अधिकांश लोगों ने यह स्वीकार किया कि वे एक-दूसरे को ठीक से नहीं जानते थे। वे तानाशाही के खिलाफ लड़ाई में एक-दूसरे का हाथ बैटाने की बात अक्सर करते थे। एक बात निश्चित हो गयी थी कि जब कभी वे छूटें तो उनके आपसी संबंध पूर्वाग्रहों से अधिक मज़बूत साबित होगे।

जहाँ तक जमात की कटूरता का संबंध है, यह एक तथ्य है। मुझे याद है, हाल ही में गृह-मंत्रालय की एक अध्ययन-रिपोर्ट¹ में इसे “आधुनिकता के प्रति प्रतिरोध” कहा गया था। इस अध्ययन-रिपोर्ट में यह कहा गया था कि चूंकि मुसलमान अल्यमंख्यक समुदाय के रूप में हैं जो अपनी विशेषता को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए आधुनिकता के प्रति उनकी प्रतिक्रिया सदिग्द है और जो रुदिवादी है वे तो स्पष्ट रूप से आधुनिकता के विरोधी हैं। इस अध्ययन-रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि जो लोग आधुनिकता से प्रभावित हैं वही परिवर्तन के विरोध में अगुआ रहते हैं, क्योंकि उन्हे इस्लामी विशेषता के लिए आधुनिकता से पैदा होने वाली ख़तरा ज्यादा साफ दिखायी देता है। वह साम्रादायिक राजनीतिक आन्दोलनों को छोड़ने में, इस्लामी भाषाओं का विकास करने में और मुघार का विरोध करने में अगुआई करते हैं। रुदिवादी मुसलमान समुदाय की एकता के बारे में चिन्तित रहता था, जिसे वह आधुनिकता की प्रक्रिया में निहित विखरणे वाली मन्मावनाओं के प्रसंग में विशेष ज़रूरी समझता है। इस अध्ययन के अनुसार ऊँचे वर्ग के ऐसे लोग जो आधुनिकता में रोग होते थे उनमें धार्मिक भावनाओं की कमी रहती थी, वे साम्रादायिक एकात्मता को विकसित करने के लिए राजनीति और समाजता की चर्चा को मुख्य साधन के रूप में इस्तेमाल करते थे।

मेरा अनुमान था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विभाजन के पूर्व की घटनाओं से बहुत ज्यादा प्रभावित था। वह पाकिस्तान बनने पर हिन्दुओं और सिक्खों के कत्ल किये जाने के लिए मुसलमानों को दोषी ठहरावा रहता था और यह भूल जाता था कि लगभग इतने ही ज्यादा मुसलमान भी मारे गये थे। मुझे याद है कि जब मैं सरहद पार कर भारत में शरणार्थी के रूप में आया था तब वही खून-बूझ रावे

1. ‘कट्टपोरेरी मुस्लिम एटिट्यूड्स बॉन देवर लेस इन इंडियन चोमाइटी’

की घटनाएँ यहाँ भी हो रही थीं, सिफ़ आदमी बदल गये थे। पाकिस्तान में यैर-मुस्लिम मारे जा रहे थे और भारत में मुसलमान।
 लेकिन दोनों तरफ ऐसे लोग थे जो अपने को और दूसरों को पहले मनुष्य और बाद में हिन्दू, मुसलमान या सिख समझते थे। हमने पाकिस्तान बनाने से दो दिन पहले 12 अगस्त को अपना घर छोड़ा और हम कैटोनमेट में चले आये, जो फौज की निगरानी के कारण यादा सुरक्षित था। यहाँ हमें एक ऐसे घर में प्रवाह मिली जो मुसलमान का था। एक दूसरे मुसलमान ने हमें पाना और हृषि दिया था। एक बार हमारे रिश्तेदारों और दोस्तों की संख्या, जो इस मकान में रहते थे, सौ से भी यादा हो गयी। मेरे पिता के मुसलमान दोस्त ने हम सबको धाना खिलाया। एक बार मेरे पिता ने उनको रुपये देने चाहे तो इसका उन्होंने वेहद बुरा माना। उन्होंने कहा कि जिन्दगी में एक बार उन्हें यह भौका मिला कि वह अपने दोस्त की सेवा करे, ऐसे दोस्त की जिसने डॉक्टर होकर बहुत लोगों की जाने वाचायी थी। मेरे पिता के दोस्त कहते थे कि ऐसे भौकों पर उनको सेवा करने से न रोका जाये।

मैं आर० एस० एस० के अपने दोस्तों की यातचीत को सुनता हुआ यह याद कर रहा था कि किस प्रकार मैंने अपना यतन सियालकोट छोड़ा और किस तरह अमृतसर पहुंचा। डॉक्टर होने के नाते मेरे पिता सेना के बहुत-से गैर-मुस्लिम अफसरों को जानते थे जो सड़क के रास्ते भारत आने की तैयारी कर रहे थे। हमने पूछा : क्या कोई हमको भी साथ ले चलेगा? लगभग सभी ने इंकार कर दिया। हर एक की अपनी कार या ट्रक भरी हुई थी। लेकिन एक मेजर ने, जो मेरे पिता कोइन जाये? कोई भी दूसरे से अलग नहीं होना चाहता था। आखिर मेरे लॉटरी निकाली गयी और मैं बै-मन से जीता हुआ ट्रक में धैंस कर बैठ गया जो जल्दी ही एक पुरानी जंजर कोच के नीचे सिमटा बैठा था। सभी लोग डरे हुए थे। कोई किसी से यादा वात नहीं कर रहा था। लेकिन कभी-कभी भारतीय नेताओं पर यह उबल पड़ते थे कि उन्होंने पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दुओं को धोखा दिया हुई। लेकिन उसके बाद यह काफिला रुक गया। एक भीड़ ने हमें रोक लिया। हमारे सैनिक रक्षकों के पास जो स्टेनगनें, राइफलें और मशीनगन थीं वह तन गयी। लेकिन यह झूठा अलार्म था। यह यैर-मुसलिम आदमियों का जट्या था जो दूर के शहरों से भारत पैदल आ रहा था। एक दर्दनाक दृश्य था। वे सब कठोर हैं, हर एक के चेहरे पर तकलीफों की रेखाएँ उभर आयी थीं। उनका सब-कुछ लुट चुका था। कुछ आदमियों के शरीर पर धाघ थे जिससे पता लगता था कि उन्हें लाठी से मारा-पीटा गया था, औरते और बच्चे हृके-बक्के थे।

मुझे आज भी याद है कि एक सिख, जिसकी लम्बी-लम्बी ढाढ़ी आधी पक चूँकी थी, मुझे बार-बार रोक रहा था और एक बच्चे को, जो उसका इकलौता पौता था, मेरी गोदी में दे रहा था। उसने मुझसे अनुनय की थी, “हमारे खानदान में एक यही बचा है। इसे भारत लेते जाओ। कम-से-कम यह तो जिन्दा रहे।” एक नोजबान औरत ने अपना बच्चा ट्रक में फेंक दिया, “मैं तुम्हें दूँड़ लूँगी, मेरे बच्चे को लेते जाओ।” मैं इन सोगों के इन बच्चों को ट्रक में कैसे ले जा सकता था, जब मेरे परिवार में से अकेले मुझी को इसमें जगह दी गयी थी? मैं किस

तरह समझाता ? किसको समझाता ? क्या समझाता ?

इन बेसहारा लोगों को छोड़ना बड़ा मुश्किल था। हर आदमी को अपना चिंता खुद थी। इससे ज्यादा हम कर भी क्या सकते थे ! सरहद तक पहुँचने के लिए लम्बा रास्ता तय करना चाही था। फौजें दिन में ही सब काम पूरा कर लेना चाहती थी। गाड़ियाँ घर-घरं कर चल पड़ी। मैंने पीछे देखा, लोग हाथ उठाकर चिल्ला रहे थे और हम लोगों से कूमक जल्दी भेजने के लिए बार-बार कह रहे थे। ट्रकों के पीछे से उड़ती धूत उनके चेहरों पर छा गयी और वह हमारी आँखों से ओझल ही गये।

हम ग्रांड ट्रक रोड से जा रहे थे। हमें रास्ते में कई और दस्ते मिले, छोटे और बड़े, कुछ रावलपिंडी की तरफ से और कुछ गुजरानवाला की तरफ से और कुछ साथ के शहरों से थे। लगता था कि पूरी आवादी ही चली आ रही है। कितनी दूर चलना है ? शायद कोई नहीं जानता था, किसी को इसकी परवाह भी नहीं थी। इन बातों में क्या रखा है कि वह अपने उन घरों को छोड़ आये जहाँ उन्होंने सारी जिन्दगी काटी थी, अपने उन दोस्तों को छोड़ आये जिनको वह दिल से चाहते थे।

जब हमारा दस्ता लाहौर की सीमा पर पहुँचा तब दिन काफ़ी ढल चुका था। यह रुक गया पर पता नहीं क्यों, खबर मिली कि अमृतसर में मुसलमानों के एक दस्ते पर हमला हो गया है और लाहौर के मुसलमान इसका बदला लेने का इन्तजार कर रहे हैं। हम लोगों को ट्रक से उत्तर जाने का हुक्म दिया गया जो घेरा बनकर खड़ी किये गये थे, जिससे रक्षा की पहली पक्कित-जैसी तैयार की जा सके। आदमी ट्रकों से उत्तरकर पीछे बैठ गये और औरतें तथा बच्चे बीच में बिठा दिये गये। हम खामोश होकर इन्तजार करने लगे। दूर पर कभी-कभी गाली चलने का आवाज सुनायी पड़ जाती थी। नजदीक में खेतों से सड़ती हुई लाशों की बदबू आ रही थी। हम लोग 'अल्लाह ओ अकबर', 'या अली', 'पाकिस्तान जिन्दाबाद' के नारे सुन रहे थे, लेकिन कोई हमला नहीं हुआ। देर तक इन्तजार करने के बाद हमारा डर गुलत निकला।

हम फिर चल पड़े। मैंने सड़क के दोनों तरफ लाशों पर लाशे देखी। इधर-उधर खाली ट्रक खड़े हुए थे, जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि कत्ल करने के पहले या बाद में लूटपाट हुई थी। यों-ज्यों हम अपने लक्ष्य के नजदीक पहुँचते जाते हमारी घबराहट बढ़ती जाती।

और तब हमने 'भारतमाता की जय' सुनी। यही हमारे सफर का आखिरी लक्ष्य था। हम सफेद रंगे ड्रमों के पास से जल्दी से निकल गये, बाँस के खम्भे पर भारत का राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था, जो सरहद का प्रतीक था। सब लोग खूश थे। लोग एक-दूसरे के गले मिल रहे थे। यह एक बड़ी बात थी कि हम लोग जिन्दा रह गये। फौज के एक अफमर की बीवी ने एक पैकेट निकाल कर मिठाई बौद्धी, जो स्पष्ट ही वह अपनी सीट के नीचे छिपाये हुई थी। अब भी दिन था। मैंने देखा कि लोग ट्रकों में भरे हुए और पैदल हमारे नजदीक से उल्टी दिग्गा की ओर जा रहे हैं। वे मुसलमान थे। मैं उनके चेहरों पर बही दर्द की झुरियाँ देख रहा था—आदमी और औरतें अपने सिर पर अपने-अपने सामान की गठरियाँ लिये हुए थीं। उनके बच्चे उनके पीछे चल रहे थे। वह भी अपना घर-बार अपने दोस्त और अपनी आशाओं को छोड़ आये थे।

हमारे ट्रक रुक गये, जिससे उनको रास्ता दिया जा सके। हम में से कुछ लोग

टूको से उत्तर गये उनको देखने—सिफ्ट देखने के लिए। कोई कुछ बोना नहीं—न वे और न हम। लेकिन हम लोगों ने एक-दूसरे को पहचान लिया, यह संबंध तुरत जुड़ गया। दोनों ने लोगों को कल्प होता हुए और तकलीफें भेजते हुए देखा था, दोनों को अलग कर दिया गया था, दोनों शरणार्थी थे।

जयो-ज्यो दिन वीतते गये लोग भास्त होते गये, उन्होंने अमुभव किया कि बहुत दिनों तक जेल से छूटने का कोई चारा नहीं था। कुछ सोगों ने विज का खेल सीधा मुरु कर दिया, कुछ भाषा-वैज्ञानिक वरने लगे और अपने गंभीर क्रिदियों से बंगला या उदू सिधाने का आग्रह करने लगे। कुछ लोग पड़ना चाहते थे, मुझे जेल की लायब्रेरी जाकर वार्ड में सोगों के लिए कितावें लाने का काम सौंपा गया। हमने जेल-अधिकारियों से इस बात के लिए इजाजत माँगी और मुझे लायब्रेरी आने जाने की इजाजत मिल गयी।

लायद्रेरी में कुछ लोग ही होते थे। मैंने वहाँ अधियों के मशहूर डॉक्टर एन० एस० जैन को भी देखा, जिन्हे अपनी पत्नी की हृत्पा के अपराध में सदा शिल्पी हुई थी। मैं ताज्जुद में पड़ गया। वहाँ लायद्रेरियन भी थे। मैंने उन्हें पहचान लिया, क्योंकि जब उन पर मुकदमा चल रहा था तब उनकी फोटो अखबारों में दृष्टी थी। मैंने उनसे सारी घटना के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि मसीदा तेयार हो गया है, एक दिन यह छप जायेगा। उन्होंने आगे कहा, “आप शायद मेरी इस लायद्रेरी से कवरतर खाना

दाना निकावना था। अधिकाश किताबें बहुत पुरानी थीं, जैसी कि उन्हें पुराने कलबों में मिलती हैं, जो कभी सिर्फ अंग्रेजों के लिए हथा करते थे।

मेरे साथी चाहते थे कि मैं राजनीति पर कुछ किताबें लाऊँ। लेकिन वही श्रीमती गांधी के भाषणों को छोड़कर राजनीति पर कोई भी किताब नहीं थी। वहीं पर महात्मा गांधी की लिखी कोई किताब नहीं थी, लेकिन नेहरू की गिरन्धर्षसेवा आँख हिस्टी थी। हिन्दू की किताबों का संग्रह अच्छा था।

ताज्जुब था कि वहीं लेडी चैटलोर्ज लवर की एक प्रति आलमारी में मिल गयी। मुझे नेहरू की वह टिप्पणी याद हो आयी जो उन्होंने लेडी चैटलोर्ज लवर पर उस समय लिखी थी जब मैं गृह-मन्त्रालय में काम करता था। सीमा-शुल्क के अधिकारियों द्वारा नोबोकोव की लोनिता किताब रोक ली गयी थी और गृह-मन्त्रालय की यह दलील थी कि लेडी चैटलोर्ज लवर की तरह इस किताब पर भी रोक लगा दी जानी चाहिए। नेहरू ने दलील दी थी कि "लेडी चैटलोर्ज लवर किताब पर वयों रोक लगायी जाये और लोनिता पर वयों नहीं?" नेहरू ने जिस वात पर आपत्ति की थी वह इस पुस्तक के मुख्य पात्रों द्वारा व्यवहृत मा चर्चित शृंगार-क्रियाओं का इसमें सूक्ष्म-से-सूक्ष्म वर्णन था। उन्होंने कहा था कि यह वर्णन भद्दा और आपत्तिजनक है, अगर इस किताब में कोई साहित्यिक गुण है तो वह घासलेटी, गन्दे परिच्छेदों और शब्दों के कारण ढक गया है। और यह किताब कुल मिला कर अश्वील है।

है। उन्होंने इसका इताज करने में अपनी असमर्थता प्रकट की, क्योंकि उनकी जेल

में इसके लिए कोई सुविधा नहीं मिली हुई थी। लेकिन उन्होंने एक खास दबा लगाने के लिए कहा, जो मुझे जेल से मिल गयी।

मेरी आँखें उस दबा से तो ठीक नहीं हुईं जो डॉक्टर जैन ने बतायी थी, बल्कि उस देखभाल से ठीक हुईं जो वार्ड में वैद्यजी ने की। वह दिन में दो बार आते और नीम की पत्तियों से मेरी आँखों की सिकाई करते, जिससे मेरी आँखों को आराम मिला।

जो किताबें मैं वार्ड में लाया उनमें लेडी चैटर्लॉज लवर भी थी। मेरे कुछ दोस्त मेरे चुनाव पर चुश्चथे। इस बात पर वडी गरम वहस हुई कि अश्लीलता क्या है और कला क्या है। इस बात पर सभी दुखी थे कि चाहे जितनी भी रोक लगाओ, किताबों में और नाटकों में अशिष्टता वडी तेजी से साधारण बात होती जा रही है। लेकिन कुछ का विचार था कि कला, साहित्य और मनोरंजन पर रोक लगाने की कोई कोशिश नहीं की जानी चाहिए। इसे रोकने का तरीका सिफ़र यही था कि पावन्दी या रोक विलकुल हटा ली जाये। एक प्रोफेसर ने कहा कि कामवेल ने ज्यों ही थियेटरों को बन्द करने का आदेश दिया था त्यों ही लोग चोरी-छिपे पिछवाड़े से निपिढ़ अभिनयों को देखने जाने लगे थे। हमारी वहस एकाएक एक रुक गयी, जब हमने एक भारी-भरकम आदमी को अपने वार्ड के पास से गुजरते हुए देखा और हम सोग कॉटोंदार दरवाजों से उसे गोर से देखने लगे। वह राजनारायण थे, उनके पीछे-पीछे जेल का एक अदना-सा कर्मचारी चल रहा था। वह रोजाना उधर से निकलते और हम लारेल और हार्डी की इस जोड़ी के अन्ते का इन्तजार करते। लेकिन कोई उनकी तरफ़ हँसता नहीं था, क्योंकि वह जन संघ के लिए भी एक हीरो बन गये थे, उन्होंने थीमती गांधी के खिलाफ़ चुनाव-याचिका जो जीती थी। वह दरवाजे पर अवसर रुक जाते और मेरे बारे में पूछते। पत्रकार होने के नाते मैं उनसे अक्सर मिल चुका था, लेकिन इस समय वह मेरे पत्रकार थे जो बाहर की खबरें सुनाते। उनके संवाददाता वे वकील थे जो उनकी चुनाव-याचिका स्वीकार करने के बाद मे इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज अपील की बाबत उनसे रोजाना मिला करते थे।

मैंने उनसे सुना कि मेरी पत्नी ने पांच अगस्त को मेरी नजरबन्दी के खिलाफ़ संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रार्थना की गयी है। इस याचिका में एक दूसरे आदेश को भी चनौती दी गयी थी, जिसमें कहा गया था कि मेरी नजरबन्दी राष्ट्रपति द्वारा घोषित इमरजेंसी को 'प्रभावी' ढग से लागू करने के लिए आवश्यक थी।

मूझे ताज्जुब हुआ कि भारती ने याचिका दायर करने के बारे में मुझे पहले से कोई संकेत नहीं दिया था और न याचिका दर्ज हो जाने के बहुत दिन के बाद भी कोई युद्धर भेजी थी। राजनारायण ने बताया कि मेरा केस पक्का है। लेकिन मुझे शक था। मैं देश में डर के बातावरण का अनुभव कर रहा था। सभी बुज्जिल थे, जज भी।

राजनारायण का साथ हमेशा अच्छा था। एक दिन मैंने जेल-सुपरिटेंडेंट से पूछा जो हर सोमवार को क्रैंडियों से निजी सम्पर्क के लिए सभी वार्डों में आता था, कि हमारे मेल में राजनारायण को क्यों नहीं रख दिया जाता? हमने बताया कि उनका वार्ड, जो बहुत लम्बा-चौड़ा था, महिला नजरबदों को दे दिया जाये। हमें मालूम हुआ था कि महिलाओं का वार्ड बहुत दुरी तरह भर गया था। जेल-सुपरिटेंडेंट ने

वताया कि उसे यह हुकुम था कि राजनारायण को अकेला रखा जाये—उन्हें अपने जेलरों और वकीलों के सिवा किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं थी। लेकिन राजनारायण उन आदेशों से विचलित होने वाले नहीं थे। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ही मेरे वार्ड में चले आया करो।

जेल का अदना कर्मचारी, जो उनके साथ चलता था, हमारे वार्ड में उनके आने-जाने से स्पष्ट रूप से असन्तुष्ट था। उसने मुझसे कहा कि मैं राजनारायण से बात न किया करूँ। उसे डर था कि वह झटक में पड़ जायेगा और उसे अपनी नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता था। राजनारायण को कोई दबा नहीं सकता था। एक दिन मुझे उनके पास आने में कुछ देर हो गयी थी। वह, वह मेरा नाम लेकर इतनी जोर से चिल्लाने लगे कि वार्डर ने समझा, उसके अफसर आधमकर्गे। वह डरता-डरता राजनारायण से बोला कि वह हम लोगों से बात न करें। राजनारायण ने शान्त होकर जबाब दिया कि उसे कुछ शमियों के पीछे अपना ईमान नहीं देवना चाहिए। उन्होंने कहा, “हम जब सरकार में आयेंगे तब तुम्हारी अच्छी नौकरी देंगे।” वार्डर परेशानी में पड़ गया—वह इस बात से इनकार भी नहीं कर सकता था कि राजनारायण कभी सरकार में नहीं आयेंगे।

राजनारायण ने मुझे बताया कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में उनके केस की सुनवाई खत्म हो जायेगी वह हिसार ले जाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि बंसीलाल उन्हें ‘लेने’ के लिए बहुत उत्सुक है। सुना गया था बंसीलाल ने अपने कुछ आदमियों से कहा है, “मैंने बहन जी (थीमती गांधी) से कहा कि आप मुझे राजनारायण को दे दीजिये और मैं उनके पुटठे छाट दूँगा।”

राजनारायण ने एक दिन बड़ी संजीदगी के साथ पूछा कि थीमती गांधी की तानाशाही के लिए क्या वे जिम्मेदार हैं? अगर वह अपनी चुनाव-न्याचिकान दायर करते और जीतते तो क्या वह जनता से उसकी निजी आजादी छीनने के लिए वह सब भयंकर कार्य करती?

यह एक मनोरजक विषय था। निश्चय ही एक दिन कोई ईमानदार शोधकर्ता डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने के लिए इस पर शोध करेगा। लेकिन तब यह निर्णय करना कठिन था कि क्या इलाहावाद हाईकोर्ट ने तानाशाही के लिए रास्ता खोल दिया था। निर्णय से थीमती गांधी को उस रास्ते पर चलने में आसानी हो गयी, जिस पर वह पहले से ही चल रही थीं।

क्या वह सोचती थी कि वह ऐसी जगह पहुँच गयी है कि किसी-न-किसी तरह की तानाशाही जरूरी है? अगर ऐसा था तो उन्होंने इलाहावाद के निर्णय के बाद ही इमरजेंसी लाए करने का विचार क्यों किया?

मेरा अनुमान था कि जैसे ही स्थिति विगड़ती गयी उनके दृष्टिकोण में दो तब्दीलियां आ गयी। पहली यह कि उन्होंने दूर भविष्य का विचार करना छोड़ दिया, वह घटनाओं के अगले मोड़ के बारे में ही चिन्तित रहने लगी। दूसरे यह कि वह अन्तिम लक्ष्य व संस्थाओं के बारे में सोचने के बजाय सिफं इस बात की किक में थीं कि किस तरह प्रधानमंत्री बनी रहे। उन्होंने इस भावना को यह दलील पेश कर न्याय-संगत बनाया कि अगर वह प्रधानमंत्री नहीं रहीं तो देश में ऐसा कोई नहीं रहेगा जो देश को उसके चमकीले लक्ष्यों की ओर ले जाना सुनिश्चित कर सकेगा।

केन्द्र से ज्यादा राज्यों में, शासकों ने जो मिला उसे हथियाना शुरू कर दिया, जैसे सभी को यह विष्वास हो गया था कि यह मोका है कि हर चीज जो हाथ लग

मंत्रियों का है ?

औरतों का वाड़ हमारे वाड़ के बाद था, शीघ्र में सिर्फ़ एक दीवाल थी। जब वहाँ कोई नज़रबद आता, हम लोगों तक खुबर पहुँच जाती। जेल में खुबर वड़ी तेज़ी से फैलती थी, जिसके लिए वहाँ कई साधन थे। वहाँ वाड़र थे जो हमें खुबर देना पसन्द करते और कैटीन बाला सबेरे सामान के साथ खुबरे भी ले आता था। लेकिन हमारा सर्वोत्तम संवाददाता था पालिश करने वाला एक लड़का—वह अपने को राजू कहता था। वह एक वाड़ से दूसरे वाड़ में दिन में कम-से-कम तीन बार घूम जाता था। वह जूते-चप्पलों पर पालिश करते समय बातें करता और खुबरे इकट्ठी करता था। उसने किसी से भी यह बात नहीं छिपायी कि वह लड़कियों के घेड़ने के अपराध में पकड़ा गया था। हमारे जूते-चप्पलों पर पालिश की ज़रूरत तो होती नहीं थी, लेकिन हम उसका वड़ी उत्सुकता से इन्तजार करते थे। वह हमें गाना सुनाता था। वह हरदम कुछ-न-कुछ गाकर मुनाने के लिए तैयार रहता था। हम उसे सिगरेट या कूपन दे देते थे। वह जितनी देर हमारे पास ठहरता और लबरे सुनाता उतने ही लगादा कूपन उसे मिलते थे।

उसी ने हमें बताया कि जयपुर की महारानी और ग्वालियर की महारानी औरतों के वाड़ में नज़रबद थी। बाद में उसने बताया कि इन दोनों को जेल की जिन्दगी दूभर हो रही थी। उनको अपराधिनों—हत्या करने, चोरी करने वाली औरतों और वेश्याओं—के साथ रखा गया है और उनकी नल से पानी लेने, शीघ्र के लिए इन्हीं के साथ लाइन में लगना पड़ता था। जब हमने मद-नज़रबदों को कम-से-कम इस तरह तो नहीं करना पड़ता था। जब हमने राजनीतिक औरत-नज़रबदों की हालत के बारे में जेल-सुपरिटेंडेंट से शिकायत की तब उसने बताया कि जेल में औरतों के लिए एक ही वाड़ है और सभी कंदी औरतों को उसी में रखा गया है।

ऐसा लगता था कि इस बात के आदेश दिये गये थे कि इन दोनों महारानियों को जितनी हो सके तकलीफ दी जाये। लगता था कि औरत-वाड़रों ने कैदियों को यह इसारा कर दिया था कि इन नज़रबदों को शीघ्र के लिए जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक लाइन में खड़ा रखे। इस वाड़ में नहाने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं थी, सभी लोगों को असल में खुले में ही नहाना पड़ता था। उन्हें या तो खुले में या अन्दर सोना पड़ता था, जहाँ तिल रखने की जगह नहीं थी। सबसे भयानक बात यह थी कि कुछ कंदी औरतें वहाँ पेशा भी करती थीं। यह पुलिस, वाड़रों, जेल के अधिकारियों और कुछ मद-कैदियों के मिले-जुले सहयोग से होता था।

इनमें एक नज़रबद महिला भी थी—थीलता, जिसके बारे में यह कहा गया था कि यह नवसलबादी है। उसने दिली के बाहर थीमती गाधी के फार्म के मजदूरों को उकसाया था कि वह कानून में निर्धारित मजदूरी की माँग करें। पता चला था कि उसने जेल में भी औरत-वाड़रों से कहा था कि वह अपने रहन-महन के आधार पर बेतन की माँग करें।

इस महिला का सभी आदर करते थे, लेकिन निराशा की बात यह थी कि नवसलबाद भी एक विनाशकारी सिद्धात बनकर रह गया था। नज़रबदों ने कहा कि व्यवस्था बदलने के लिए नवसलबादी वर्षों से हिसात्मक कारंवाइर्य कर रहे हैं। लेकिन उनको कोई गफनता नहीं मिली। भारत में शायद उनकी बात लोगों के

गते के नीचे नहीं उतरती है। हत्या तो हत्या है।

लेकिन नवमतवादियों के लिए हिंसा व्यक्तिगत धरातल पर शुद्धीकरण का एक साधन है। नये वाम मार्ग के नेता फांज़ कानन ने भी इसी बात की शिक्षा दी थी। वार्ड में अधिकारा लोगों ने कहा कि इन हत्याओं से नमस्या का हन नहीं निकलता, इनसे मानवीय व्यवहार में आदर्श और मूल्य तसमाप्त हो जाते हैं।

हम लोगों में अधिकांग का यह विचार था कि पश्चिमी देशों के मजदुरों के प्रति नये वामपंथियों का असंतोष उचित ही था, क्योंकि यह मजदूर स्वयं बुन्दुआ हो गये थे और इसीनिएँ कोई प्रातिकारी कदम नहीं उठा सकते थे। हमारा विचार था कि नया सवंहारा वर्ग वह था जिसमें तीसरी दुनिया के गुरीब लोग, यासकर किसान और यह लोग शामिल हैं जो धूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका या अन्यथ रंग और जाति के कारण भेद-माव से ग्रस्त थे।

हमारी समस्या नवतवादी कम, व्यावहारिक दबावा थी। पालिश वाले लड़के ने जाकर घबर दी कि औरतों के बांड में विजली के पर्याप्त बल्ब नहीं थे और वहाँ एक सौंप देखा गया था। हमने यह बात अपनी दोपहर बाद बाली बैठक में रखी—बांड के सभी लोग रोजाना दोपहर बाद तीन बजे इकट्ठा होते थे, इस बैठक में जैत की दिक्कतों के बारे में या राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय घटनाओं पर चर्चा होती थी।

दोपहर बाद बाली इस बैठक में एक तरह की अध्ययन-गोष्ठी होती थी। बाद में रोजाना सम्भ्या होती थी। यह ताजबूब की बात थी कि जन सघ और आर० एस० एस० के आदमी महात्मा गांधी को प्रिय प्रार्थना “ईश्वर अल्लाह तेरे नाम” गाते थे लेकिन वे इसमें से ‘अल्लाह’ शब्द छोड़ देते थे। उनके लिए यह प्रार्थना होती “ईश्वर ईश्वर तेरे नाम!” जब मैंने एक से यह पूछा कि वह ‘अल्लाह’ का नाम क्यों निकाल देता था तब उसने बताया कि ईश्वर और अल्लाह एक ही भगवान के दो नाम हैं। जब मैंने यह कहा कि उन्हें कम-से-कम कुछ बार इसे “अल्लाह-अल्लाह तेरे नाम” कहना चाहिए, तब उसके पास कोई जवाब नहीं था।

यह लोग दिन में दो बार प्रार्थना करते थे। पहली प्रार्थना सबेरे बड़े लड़के होती थी। चंकि यह बैठक में ही होती थी, इसनिएँ इससे बाजी लोगों को तकलीफ दोती थी। लेकिन किसी का भी यह साहस नहीं होता था कि वह इसका विरोध करे। वे मुझे अनीश्वरवादी समझते थे। असल में, एक दिन उनमें से एक आदमी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ, तब मैंने जवाब दिया कि मैं यह तो नहीं जानता कि ईश्वर है या नहीं, लेकिन कभी-कभी मैं अनुभव जरूर करता हूँ कि वह है, लेकिन कभी मुझे लगता है कि वह नहीं है।

उन्होंने मेरे विचार बदलने की कोजिश की, लेकिन प्रार्थना में शामिल होने के लिए दो बार आग्रह करने के बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया। बांड में सभी हिन्दुओं के लिए प्रार्थना में शामिल होता जरूरी था और कुछ ही लोग शामिल नहीं होते थे। जन संघ और आर० एस० एस० के आदमियों के लिए प्रार्थना उनके अनुशासन का एक अंग थी। जब एक आदमी उपस्थित रहने में अनियमित हो गया तब उसको यह बताया गया था कि उसने आदेशों का उल्लंघन किया था और उसे तुरंत ही दंड भी दिया गया था।

शाम को जब यह प्रार्थना होती थी तब हममें से कुछ लोग गजल सुना करते थे। बहुत-न्में लोगों ने भजन छोड़ दिये और हमारी गजलों को सुनना शुरू कर दिया। इस पर आर० एस० एस० के सर-संचालकों को यह हिदायत देनी पड़ी कि

उनका जो भी आदमी प्रायंना में शामिल नहीं होगा उसे दंड दिया जायेगा। हमरे मनपसन्द शायर फैज़, इकबाल और गालिब थे। लेकिन इनमें से हम फैज़ को ज्यादा पसन्द करते थे क्योंकि उनको भी बहुत साल जेल में रहना पड़ा था। फैज़ की नज़र जो हमारी भावनाओं को दर्शाती थी और जिसे हम इसीलिए रोजाना विधिवत गाते थे, यह थी-

निसार में तिरी गन्धियों पे ऐ बतन, कि जहाँ
चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले
जो कोई चाहनेवाला तवाफ़¹ को निकले
नजर चुरा के चले, जिसम-ओ-जाँ बचा के चले
है अह-ले-दिल के लिए अब यह नजमे-वस्त-ओ-कुशाद²
कि सग-ओ-खिश्त³ मुकट्यद⁴ है और सग⁵ आजाद
बहुत है जुल्म के दस्ते-वहानः-जू⁶ के लिए
जो चन्द अह-ले - जुनून तेरे नामलेवा है
वने हैं अह-ले-हक्स, मुहूर्द भी, मुसिफ भी
किसे बकील करे, किससे मुसिफी चाहे
मगर गुजारनेवालों के दिन गुजरते हैं
तिरे फिराक में यूँ मुहूर्द-ओ-शाम करते हैं
बुझा जो रोजने-जिर्दा तो दिल यह समझा है
कि तेरी माँग तितारी से भर गयी होगी
चमक उठे हैं सलामिल⁷ तो हमने जाना है
कि अब सहर तिरे रुख पे विखर गयी होगी
गरज तसव्वुरे - शाम - ओ - सहर मे जीते हैं
गिरफते - साय-ए-दीवार - ओ - दर मे जीते हैं
यूँ ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खत्क
न उनकी रस्म नयी है, न अपनी रीत नयी
यूँ ही हमेशा खिलाये हैं अपने आग मे फूल
न उनकी हार नयी है, न अपनी जीत नयी
इसी सवब से फलक का गिल: नहीं करते
तिरे फिराक मे हम दिन बुरा नहीं करते
गर आज तुझ मे जुदा है तो कल वहस⁸ होगे
यह रात भर की जुदाई तो कोई बात नहीं
गर आज औज़⁹ पे है तालाग-रकोव¹⁰ तो क्या
यह चार दिन को खुदाई कोई बात नहीं
जो तुझमे अह-द-ओ-वका उस्तवार¹¹ रखते हैं
इलाज - गदिशे - सेल - ओ - निहार¹² रखते हैं।

हम लोगों मे राव का गना नवसे अच्छा था। वह दिल्ली मे शिक्षक था और जमात-ए-इस्लामी-ए-हिन्द का मदस्य था। वह उद्दू बहुत अच्छी और साफ बोलता
1. परिषदा, 2. चंदने और पुलने की व्यवस्या, 3. इंट-पत्थर, 4. कैद, 5. दुने,
6. बहाना दूँके लावे हार, 7. उजोरे, 8. मिलेंगे, 9. जिष्ठर, 10. प्रतिद्वंदी वा
भाष्य, 11. पवसा, 12. रात और दिन के कम का इलाज।

था। वह इकबाल की नद्ये सुनाना दयादा पसंद करता था। उसके लिए इकबाल मर्द-ए-मुजाहिद था जबकि फैज़ एक दहरिया (नास्तिक)। लेकिन वह जो भी गजल सुनाता, दिल से सुनाता था।

यही वह मुसलमान था, जो मुझे जेल में पहले दिन जाना-पहचाना लगा था। मैं दिल्ली में किशनगंज में एक हृष्ट रहा था, जहाँ कुछ दिनों पहले हिन्दू-मुस्लिम दंगा हुआ था। मैं खुद यह अनुभव करना चाहता था कि अल्प-संख्यक समुदाय का होने से कैसा लगता है, उन परिस्थितियों को जिनमें मेरे तीर, खास तौर से मुसलमान, एक मोहल्ले में रहते हैं, उनकी कठिनाइयों और शकाओं को जानना चाहता था। मैंने इस काम के दौरान जिन लोगों के साथ बैठकर घटों बातचीत की उनमें यह शिक्षक भी था। इस मोहल्ले की जिन्दगी का सदियों से चला आ रहा अपना ही तरीका था, लेकिन हिन्दुओं ने पुलिस की मदद से इसे अब खत्म कर दिया था। मोहल्ले में सभी लोग डरे हुए थे और वहुत-से मुसलमान छोड़कर बाहर जाने के लिए तैयार थे, शर्तं यह थी कि अगर गये तो एक साथ जायेंगे।

एक दिन सबेरे मैं जगा दिया गया। पुलिस एक मुसलमान को तलाश करने आयी थी, जिसने दंगे में बदूक का इस्तेमाल किया था। पुलिस वाले उजड़ और अबहड़ थे और वहाँ के रहने वाले लोगों की इज्जत का खयाल रखे विना हर घर की तलाशी ले रहे थे। पुलिस नाराज़ थी क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वहाँ के लोगों को पता था कि बन्दूक लिये लड़का कहाँ छिपा है, लेकिन ये बता नहीं रहे थे। मुझे बाद में मालूम हुआ कि वात सच थी। सारा मोहल्ला जानता था कि लड़का कहाँ छिपा था—यह लड़का उनकी नज़रों में हीरो था, क्योंकि उसकी बन्दूक की बजह से ही हिन्दुओं की भीड़ पास नहीं आ सकी थी। जब उन लोगों ने मुझ उस लड़के के ‘करतव’ सुनाये तब उनके चेहरों पर गर्व का भाव था। उस लड़के ने कभी सोचा भी नहीं था कि कानून अपने हाथ भेले लेने से वह अपराधी बन गया था। हमारे बांड में जन संघ का कैदी रामलाल भी किशनगंज का था। असल में जब मैं वहाँ रह रहा था तभी मैंने सुना था कि उसी ने मुसलमानों पर हमला करने के लिए लोगों को उकसाया था। लेकिन उसने इस बात से इनकार किया था और अपने पक्ष की बात मुझे बतायी थी। वह बन्दूक इस्तेमाल करने के लिए मुसलमानों को दोषी ठहराता था।

शायद उसका कहना ठीक था कि वह उस घटना के लिए दोषी नहीं था। जन संघ के सदस्यों ने कहा कि उन्हें मुसलमानों की निपटा पर शक था, तो भी उनकी नीति यह नहीं थी कि उन पर हमला किया जाये या उनको बाहर निकाल दिया जाये। असल में वह साम्राज्यिक शान्ति चाहते थे जिससे यह बताया जा सके कि हिन्दुत्व का अर्थ सहनशीलता था।

वह चाहे जो कहे, असलियत यह थी कि मुसलमानों में डर था, पुलिस का रुख भी साम्राज्यिक नगता था, जिसका एक कारण यह था कि पुलिस की नौकरी में मुसलमान थोड़े थे।

जब लालबहादुर शास्त्री गृह-मन्त्री थे तब उन्होंने प्रदेशों के मर्हयमंत्रियों को ये निर्देश भेजे थे कि यानेदार तक की जगहों के लिए आवश्यक योग्यता में दील देते हुए मुसलमानों को भर्ती किया जाये। लेकिन प्रदेशों की सरकारों में केन्द्र के इस अदेश का एक-न-एक बहाना लेकर पालन नहीं किया था। फिर भी यह खुशी की बात थी कि हमारी जेल में कोई भी साम्राज्यिक द्वेष नहीं था—यहाँ तक कि किशनगंज के मुसलमानों और हिन्दुओं में भी नहीं।

जन संघ और आर० एस० एस० के आदमी जमात-ए-इस्लाम-ए-हिन्द के आदमियों के आत्म-विवास और उनकी सफाई से प्रभावित थे। वह उनके और अन्य मुसलमानों के साथ खाना खाते और यहाँ तक कि उनसे उर्दू सीखते थे। लेकिन यह स्पष्ट था कि उनकी अपनी शंकाएँ थीं।

एक दिन हमने देखा कि हमारा एक साथी, जो धामतीर पर चूप और अकेता रहता था, एकाएक चहल-पहल करने लगा और बहुत खश था। उसने दाढ़ी बना, नहान्धोकर धूले कपड़े पहन रखे थे। मुझे बताया गया कि यह परिवर्तन इसलिए था, क्योंकि दौपहर बाद उसकी मुलाकात होगी। वह मीसा में नज़रबन्द होकर जब से जेल में आया था तब से आज पहली बार बाहर के लोगों से मिलेगा। सरकार ने यह आदेश दिया था कि नज़रबन्दों को अपने सबसे निकट के संबंधियों (पत्नी, बच्चे या माँ-बाप) से महीने में एक बार मिलने की इजाजत रहेगी। वे तिफ़ आध घंटे के लिए मिल सकेंगे और वह भी पुलिस के सिपाही की उपस्थिति में।

रिशेदारों को इजाजत के लिए डिप्टी-कमिश्नर को अर्जी देनो पड़ती थी, जो बाद में जेल-अधिकारियों को सूचित कर देता था कि किस नज़रबन्द से कौन किस

असल में एक लिए इमरजेंसी में इस बारे में क्या नियम थे। हाँ सकता है कि मीसा क्रान्ति आलोचकों को दण्ड देने, उनकी जिन्दगी को कष्टमय या चंसोनाल के शब्दों में, विरोधियों को मही रास्ते पर लाने के लिए बनाया गया था।

एक दिन मेरी मुलाकात की बारी थी, लेकिन ताज़िब था कि मुझे इसकी कोई खबर नहीं थी। बांडरअचानक यह खबरलेकर आया कि मेरे कुछ मुलाकाती आये हैं। वह उनके बारे में नहीं जानता था, लेकिन मेरी ख़ुशी का पाराबार नहीं था। खुश-क्रिस्मसी से यह वह दिन था जिस दिन मैंने दाढ़ी बनायी थी और धूले कपड़े पहने थे। मैं हृष्टे में एक बार दाढ़ी बनाता और धूले कपड़े पहनता था, उस दिन मैंने अपने कपड़े ज्ञान के दिये हए साबुन से साफ़ किये थे, जिसका विस्तर मेरे विस्तर के पास रहता था। मैं बड़ी उम्मीदों में बांड के बाहर आया। मैं दूसरी बार बांड से बाहर निकला था। रास्ते में मझे औरतों का बांड, वही पेड़-पीछे, झाड़ियाँ और वही मोटी और ऊँची दीवार मैली जो पहने देखी थी। और वह बांडर भी वही था जो पहले दिन मझे यहाँ लाया था। जैसे ही मैं फाटक के पास पढ़ूँचा मैंने एक दुबली-पतली, गेहूँ-रेग की औरत को देखा जो एक बांडर-औरत के साथ हमारे नज़दीक आ रही थी। मेरे बांडर ने मझे बताया कि यही चम्द्रेण शर्मा है। बिना कुछ जाने कि मुझे क्या कहना चाहिए मैंने उससे कहा कि मैं डॉ जैन से मिल चुका हूँ। वह कुछ नहीं बोली और अपने रास्ते चली गयी।

बांडर ने फाटक पर आकर घटवटाया और बड़े जोरों से कुछ बोला। मैं सिर्फ़ अपना ही नाम समझ सका। एक बार फिर फाटक का छोटा-सा दरवाजा खुला। गलियारे में भीड़ थी और मैं इसी भीड़ में से होकर मुपरिटेंडेंट के कमरे में जाया गया। मैंने वही भारती और राजू को देखा। वह लोग मुझे देखकर मेरी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन एकाएक समझ गये कि हम लोग कहाँ थे। हम लोग बेंधे दुएँ-से महसून करने लगे, क्योंकि वहीं कुर्सी पर मुपरिटेंडेंट बैठा था और मेरे साथ मेरा बांडर था। उन्होंने बताया कि वे लोग बड़ी देर से इन्तज़ार कर रहे थे,

मुझे पता चला कि मुलाकात की सारी वौपचारिकताओं को पूरा करने में कम-से-कम एकाध धंटा लगा था, हालाँकि डिप्टी-कमिशनर ने मुलाकात के लिए नजरबंदों के रिश्तेदारों के आने की मूचना जेल-अधिकारियों को पहले भिजवा दी थी।

वे अपने साथ चीनी-खाना लेकर आये थे। उन्हें मालूम था कि यह मुझे बहुत पसन्द है। सुपरिटेंडेंट हम लोगों को देखता रहा। कोई बात भी क्या कर सकता था, जब सबके गले भरे हुए थे! हमने बात करने की कोशिश की। मैंने रिश्तेदारों और दोस्तों के बारे में पूछा। मैंने अपने सबसे बड़े लड़के सुधीर के बारे में पूछा। भारती ने बताया कि वह बाहर खड़ा है—सिफं दो आदमियों को अन्दर आने की इजाजत थी। मैंने कॉटेदार खिड़की से बाहर देखा। वह सड़क पर खड़ा नजर आया। मैंने उसे पुकारा, उसने मुड़कर देखा और हाथ हिलाया। वह कानपुर में काम करता था और वहाँ से ट्रेन से मुझे मिलने यहाँ आया था। वह हम लोगों के पास नहीं आ सकता था, इसलिए वह दुखी था।

भारती ने कहा कि उससे मिलने कोई नहीं आया, यहाँ तक कि घनिष्ठ दोस्त और रिश्तेदार भी दूर ही रहे। उनको डर था कि घर आने से वहाँ मुसीबत में पड़ जायेगे। अचानक मुलाकात हो जाने पर कुछ लोग अपनी गलती महमूस करते और माफी माँगते थे। कुछ ही लोग उसे टेलीफोन करते थे, क्योंकि यह खबर फैल गयी थी कि हमारा टेलीफोन टेप किया जा रहा था। उसने बताया कि थोड़े-से लोगों ने ही उससे सम्पर्क बनाये रखा था, जिनकी मरण्या छह या सात से ज्यादा नहीं थी।

भारती अपने साथ मेरी चेक-नुक लायी थी लेकिन सुपरिटेंडेंट ने कहा, वह मुझे चेकों पर दस्तख़त करने की मंजूरी नहीं दे सकता जब तक कि मजिस्ट्रेट इसके लिए अधिकृत न करे। भारती ने मुझे मिठाइयों का एक डिब्बा दिया, लेकिन मेरे लेने के पहले ही सुपरिटेंडेंट फिर आँखें आ गया; उसने वह डिब्बा ले लिया। इसके लिए मजिस्ट्रेट की इजाजत और यह भी प्रमाणित करना जरूरी था कि रिश्तेदारों से कितनी मिठाई—कौन-कौन-सी मिठाई—जैसे गुलाबजामुन या वर्फी एक नजरबन्द को मिल सकती थी। इस मिठाई की सख्त्या का मिलान मजिस्ट्रेट की मंजूरी के आदेश में दी गयी संख्या के साथ किया जाता था। लेकिन अधिकारियों के 'सहयोग' से मिठाइयों के भावे जेल में लाये जा सकते थे—हमारी जेलों में भ्रष्टाचार के बारे में कोई कितना ही भला-बुरा क्यों न कहे, वहाँ नियमों की जकड़ नहीं, मानवीयता तो है।

मैं देख रहा था कि राजू बड़ा नाराज था, वह मिठाई लेने चाहनी चौक गया था। सुपरिटेंडेंट को दया आयी, “आप इसमें से जितनी चाहे मेरे सामने खा सकते हैं।” लेकिन इसके पहले कि मैं उसकी इस अचानक उदारता से लाभ उठाता उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा और दृढ़तापूर्वक कहा कि समय ख़त्म हो गया। जब हम लोग अलग हो रहे थे, हमने चौधरी चरणसिंह को आते देखा। वह अपने हाथ में छड़ी लिये हुए थे जो मैंने समझा कि यह एक आम बात थी, लेकिन वह कमज़ोर थे और लगता था कि उन्हें सहारे की ज़रूरत थी। उन्होंने मुझे देखा और कहा, “इस ओरत ने आप जैसे पत्रकारों को भी नहीं बहसा है।” मैंने उनसे पूछा कि क्या वह आशा करते थे कि लोग इतनी बड़ी मस्त्या में गिरफ्तार किये जायेंगे, उन्होंने कहा, “हर आदमी यह समझ रहा था कि ऐसा होने वाला है।” उन्होंने आगे कहा, ‘नैयर साहूव, अगर मैं कभी सरकार में आया तो इन काग्रेमियों को

चौराहे पर यादा करनों के लगाऊंगा।" चौधरी की पत्नी उनमें मिलने आयी थीं

भागवारों में उन दिनों एक दिन यह पर प्रसामित हुई थि नागाओं ने सेना के कुछ लोगों को पकड़ लिया और छिंगा दिया है। यहाँ दिनों के बाद ऐसी पट्टा पटी थी और सेना अनुमान था कि इनमें सेना भड़क उठेगी। मैं इसी बात को लेकर सोचा करता था।

वर्षों में नागालैंड में राजनीतिक गवर्निंगों और सेना की गतिविधियों का लेकर विरोध हो रहा था। भूमिगत नागाओं को नान्ति भंग करने पर सुरक्षा दलों द्वारा कितना और कब दण्ड दिया जाना चाहिए, इस बात पर अमैनिक और अनिक अधिकारियों में मतभेद पा। वे मिलपार एक नायक कारंवाई न करने के लिए एक दूसरे को हमें दोपो ठहराते थे और नयी दिल्ली में उनमें आपस में तालमेन विटाने के लिए कई बार कोजिन की गयी थी।

मैं उस लड़ाई की बाद करने लगा जो कुछ दिनों पहले कोहिमा से तीसरे किलोमीटर दूर जोस्तोस्मा गवर्नर में भड़क उठी थी। सेना भूमिगत नागाओं के एक दल के प्रिलाक कारंवाई करने गयी हुई थी, जो चीन और नागालैंड के बीच राइफल-प्रगिधाण के काम में जुटे थे और जिनको चीन में प्रगिधाण मिला हुआ था। नागालैंड के तत्कालीन गवर्नर थी० के० नेहरू ने नयी दिल्ली को इस आगम का एक विरोध-पक्ष भेजा था कि इस कारंवाई को करने के पहले उनसे सलाह लेनी चाहिए थी। चूंकि कानन और व्यवस्था नवमंत्र की विशेष जिम्मेदारी थी, इसलिए उन्हें इसकी जानकारी का होना चाहीरी था। राधा-विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वरसात के कारण टेलीफोन के तार टट गये थे, इसलिए इस बारे में शिलंग को पहले गच्छा नहीं भेजी जा सकी। लेकिन कारंवाई करने का नियंत्रण कारंवाई करने से दो दिन पहले लिया था, इसलिए टेलीफोन के अलावा अन्य साधनों से भी सलाह-मणिविरा किया ही जा सकता था।

इस विरोध-पक्ष का कोई परिणाम नहीं निकला। इसी बीच केन्द्र का एक मंत्री दोरे पर नागालैंड गया। उसने प्रधानमंत्री धीमती गाधी का ध्यान अमैनिक और संनिक अधिकारियों के बीच सम्पर्क न बने रहने की ओर दिलाया। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा—“आजकल एक और नागालैंड सरकार और हुसरी और सुरक्षा सेनाओं के कमाड़ों के बीच वे गवध-मध्यक नहीं हैं जो इन दोनों के बीच होने जल्दी है और यही कारण है कि हम लोग भूमिगत नागाओं से हारते जा रहे हैं।” इस मंत्री ने उस उत्तेजक स्थिति की चर्चा की जिसका सामना सुरक्षा सेनाओं को इन निर्देशों के तहत करना पड़ता था कि वे गोली पहले नहीं चलायें। उसने चेतावनी दी थी कि “हमारी सुरक्षा सेनाएं अचानक ही भूमिगत नागाओं द्वारा की गयी गोलावारी को वरदाश्त नहीं कर सकती।” जो जहाँ मन हुआ वहाँ और जब मन हुआ तब गोलावारी करने से नहीं चुकते थे।

स्पष्ट ही भूमिगत नागाओं से किस प्रकार निवटा जाये, इस बारे में दो तरह के मत थे—एक वे लोग थे जो जैसे-को-तैसा सिडान्त में विश्वास रखते थे और दूसरे वे लोग थे जो एक तरफ घप्पड़ खाने पर दूसरा गाल भी सामने कर देने को तैयार थे। मध्य प्रदेश के एक सीमियर सिविल सर्विस के अधिकारी नरेना पांचवें दशक के उत्तरार्द्ध में नागालैंड में समस्त कारंवाईयों के असैनिक प्रभारी होकर लगभग नियुक्त हो गये थे। लेकिन जब तत्कालीन गृहमंत्री गोविन्दवल्लभ पन्त को यह पता चला कि वह इस सिडान्त को मानने वाला है कि तुमने हमारे

आदमी मारे, हम तुम्हारे आदमियों को मारेंगे, तो उनकी नियुक्ति टल गयी। सरकार ने भूलने और धमा करने की नीति अपना रखी थी। जे० पी०, माइकेल स्कॉट और कुछ अन्य लोगों की मदद से वहाँ शान्ति स्थापित हुई और कोडर्मा नाम के नागा गांव में बहुत दिनों तक सफेद झड़ा फहराता रहा, जहाँ सरकार और भूमिगत नागाओं के प्रतिनिधियों ने परस्पर बातचीत की थी।

लेकिन सरकार के लिए नागा उतनी बड़ी समस्या नहीं थे जितनी चीन। चीन के शासक भारत की कठिनाइयों से फ़ायदा उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे और भूमिगत नागाओं को चीन में या भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान में ट्रेनिंग दिया करते थे। मुझे याद है कि जब रक्षा-भंडालय ने मध्यमडल की अन्तरग समिति को यह सच्चाना दी थी कि नागाओं के छह दस्ते, जिसमें करीब 1000 आदमी हैं, पीकिंग गये हुए हैं तो कितनी घदराहट पैदा हुई थी। सबसे पहली बात जिस पर विचार हुआ, वह यह थी कि यह खुबर राष्ट्र को न दी जाये और सरकार इस काम में बहुत दिनों तक सफल भी रही थी।

विदेश-भंडालय ने बताया कि चीन ने वियतनाम का उदाहरण देते हुए नागाओं से कहा है कि वह निर्भय होकर भारत का विरोध करे। यह दलील दी गयी कि जब वियतनाम-जैसा छोटा देश अमेरिका जैसी ताकत से लोहा ले सकता है तब वे क्यों नहीं ले सकते? वियतनाम जैसी लड़ाई शुरू करने में पीकिंग को सफलता न मिलने का कारण यह था कि नागाओं में जो उदार वर्ग के लोग थे वे पीकिंग के साथ लैन-देन का कोई भी सबंध नहीं रखना चाहते थे। यह सच था कि इन उदार नागाओं में कुछ ऐसे भी थे जो नागालैंड के लिए आजादी की माँग करते थे, लेकिन यह लोग ईसाई थे और किसी कम्युनिस्ट देश से सहायता लेने के लिए कुल खिलाफ थे।

ये सब लोग जानते थे कि जब श्रीमती गांधी वर्मा के प्रधानमंत्री से मिली थी तब रंगून की सरकार ने यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया कि भारत की सेना विद्रोही नागाओं का पीछा करती हुई वर्मा सीमा के अंदर प्रवेश कर सकती है। तब से भारतीय सेनाएँ इसके तुरत बाद भूमिगत नागाओं को वर्मा की सीमाओं के अन्दर तक खदेड़ आती थीं।

जब मैंने इस विषय पर जन संघ और आर० एस० एस० के अपने दोस्तों से चर्चा की तब उन्होंने कहा कि यह सारी समस्या नेहरू की कमज़ोरी और इस क्षेत्र में मिशनरियों को आने-जाने की आजादी के कारण पैदा हुई। आर० एस० एस० के लोगों ने मुझे बताया कि वे इस क्षेत्र में 'हिन्दुत्व' का प्रसार कर रहे थे, जिन लोगों ने ईसाइयत को 'ताकत' के भय या 'धन' के लोभ के कारण अपनाया था उनको यह लोग फिर से अपने धर्म में वापस ला रहे थे। मुझे बताया गया कि यह अभियान न केवल इस क्षेत्र में वल्कि मध्यप्रदेश और केरल में भी जारी था। हजारों लोगों को, जो ईसाइयत अपना चुके थे, हिन्दू-धर्म में वापस आने के लिए कहा जा रहा था।

हालाँकि सभी दिन एक-जैसे होते थे, फिर भी कुछ विशेष दिन थे। इनमें एक था स्वतंत्रता-दिवस। हम लोग सबेरे जल्दी उठ बैठे, हमने दाढ़ी बनायी, नहाये और उस बैरक में इकट्ठे हो गये जिसे बी० आई० पी० बैरक कहा जाता था। ब्लैक-बोर्ड पर एक राष्ट्रीय क्षण बनाया गया और एक चादर से ढक दिया गया। हम लोगों में एक बहुत ही बुजुर्ग — हंसराज ने, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के

नेता हैं और दिल्ली के मेयर रह चुके थे, भंडे का 'अनावरण' किया, एक बंगली नजरबन्द ने 'जम-गण-मन' के सामूहिक गायन का नेतृत्व किया और राव ने 'सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्तानी हमारा' गाया। जैन ने नास्ति के लिए पूरी और एक चौज, जिसे खाने में हल्लुए का स्वाद आया था, तैयार करायी थी। फैज की एक नज़म जो इस अवसर के लिए बड़ी ही सटीक और जिसे हमारे एक मुसलमान साथी ने पढ़ा था, यह थी :

रात वाकी थी अभी जब रार-ए-बलों आकर
चाँद ने मुझ से कहा जाग, सहर आयी है,
जाग ! इस शब्द जो मय-ए-जाम उत्तर आयी है
अक्स-ए-जानाँ को विदा करके उठी मेरी नजर
शब्द के ठहरे हुए पानी की सियाह चादर पर :
जा-ब-जा रक्ष में आने लगे चाँदी के भैंवर;
चाँद के हाथ से तारों के केंवल गिर-गिर कर
झूँकते, तैरते, मुरझाते रहे, घिलते रहे
रात और सुब्ध बहुत देर तक गले मिलते रहे ।

इसमें कोई शक नहीं कि हमारे त्योहार अच्छी तरह बीतते रहे। लेकिन एक बार ऐसा लगा था कि हम इनको नहीं मना पायेंगे। हमसे कुछ दयादा तेज लोगों ने कहा कि स्वतंत्रता-दिवस के दिन उपवास कर इसे विरोध-दिवस के रूप में मनाया जाये। इसके लिए दलील यह थी गयी थी कि हम लोगों के लिए आजादी का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि हम अपनी आजादी को गेंवा चुके हैं और बिना मुकदमा चलाये नजरबन्द कर दिये गये हैं। इस दलील को विजय प्रताप¹ नामक एक नौजवान समाजवादी ने बड़ी ईमानदारी से रखा था। लेकिन वाकी लोगों का विचार या कि स्वतंत्रता-दिवस किसी एक पार्टी या एक व्यक्ति का नहीं है, यह गुलामी के खिलाफ हमारी लडाई की पूर्णता का प्रतीक है। अन्त में यह तथ्य हुआ कि हमारा विरोध थीमती गाधी और उनके शासन के प्रति होना चाहिए और ऐसा करते समय हमें इस दिवस के महत्व को कम या नष्ट नहीं करना चाहिए। हमने तथ्य किया कि हम 25 अगस्त को उपवास रखेंगे, जिस दिन इमरजेंसी का दूसरा महोना पूरा होगा।

कुछ कारणों से हम आशा करते थे कि थीमती गांधी लालकिले वाले अपने भाषण में कुछ मेल-मिलाप की बात कहेंगी। लेकिन हमें बताया गया कि उन्होंने इमरजेंसी का समर्थन किया था और नजरबन्दियों के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा था। लगता था कि दुनिया में वह सबसे परे हो गयी है।

बाद में दिन में बांदर यह खबर लाया कि शेख मुजीबुर्रहमान को कत्त कर दिया गया। बांद में शायद ही कोई ऐसा था जो यह न सोचता हो कि अगर थीमती गाधी तानाशाही के रास्ते पर चली तो उन्हें भी यही दिन देखना पड़ेगा। मेरे एक कँदी साथी ने बताया कि उसने किस तरह खुद ही यह सोचा था कि थीमती गांधी को "उडा दिया जाये"² और इसके लिए दूरवीन लगी राइफल यह वही था जिसे अदिका सोनी ने इसलिए तमाचा मारा था कि इसने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के थोड़ा के बाद थीमती गाधी से त्याग-पत्र माँगने का साहस किया था। लेखक की पुस्तक 'फैसला' देखें।

खुरीदी थी। यह नज़रवन्द कँदी हरियाणा का था। इसने कहा कि उन्होंने इतना अत्याचार किया था कि अब देश के पास इन्हे उड़ा देने के सिवाय कोई चारा नहीं रह गया है। वह सोचता था कि उसकी गलती यह थी कि वह बीजा के लिए अमेरिकी दूतावास गया था। मुझे नहीं मालूम कि क्या वह सच बोल रहा था, लेकिन दिन-पर-दिन उससे घंटों पूछताछ की जाती थी।

उसने ही मुझे बताया था कि लालकिले में एक ऐसा कमरा था, जिसमें आदमी के विचारों और स्वभाव का पता लगाने के लिए सभी तरह की मशीनें लगी हुई थीं। जिस व्यक्ति से अपना अपराध स्वीकार कराना होता था उस पर ढेर सारी रोशनी डाली जाती थी। वह न तो सोने दिया जाता था और न उसे अपनी आँखें ही कन्द करने दी जाती थी। उसको एक ही तरह दिन-रात रखा जाता था, जब तक कि वह बात करने के लिए तैयार नहीं हो जाता था। हरियाणा का यह आदमी वहाँ दो बार ले जाया गया था, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि उसने वहाँ क्या कहा था। एक बार उसने वस इतना ही बताया कि उन्होंने वहाँ पर उसे मारा-पीटा तो नहीं, लेकिन सोने नहीं दिया।

मैं उन दिनों के बारे में सोचते लगा, जब शुरू-शुरू में गणतंत्र-दिवस पर पदवियाँ दी जानी शुरू हुई थीं। जब पचास के दशक के उत्तरार्द्ध में ये पदवियाँ शुरू की गयी थीं तब मैं गृह-मन्त्रालय में था। पहले यह सोचा गया था कि इन पदवियों को स्वतंत्रता-दिवस पर घोषित किया जाया करे, लेकिन बाद में यह तय किया गया कि गणतंत्र-दिवस ही इसके लिए उपयुक्त है। शुरू से ही इन पदवियों के वितरण के बारे में हमेशा विवाद रहा। जिन व्यक्तियों को पदवी दी जानी होती थी उनकी सूची कभी भी किसी व्यवस्थित तरीके से नहीं बनायी जाती थी। इन व्यक्तियों का चुनाव उलटा-सीधा और मनमाने ढंग से होता था। किसी भी व्यक्ति के गुणों से इसका कोई संबंध नहीं था, सिर्फ़ यही बात देखी जाती थी कि अमुक व्यक्ति को प्रधानमंत्री, गृह-मंत्री या राष्ट्रपति स्वीकार करने या नहीं। यही कसोटी रहती थी। मुझे प्रशस्ति-पत्र बनाने का काम सौंपा गया था। नामों की घोषणा करने के बाद इनकी सूची मेरे पास भेज दी जाती थी। मेरा काम इन व्यक्तियों के गुणों का पता लगाना, पुस्तिका तैयार करना और प्रचार-कार्य को देखना था।

पदवी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के बारे में सूचना के अभाव की बजह से कभी-कभी मैं बड़ी परेशानी में पड़ जाता था। मैं हूँ ज़हूँ (कौन क्या है) पुस्तकें देखता या इधर-उधर से सामग्री इकट्ठा करता और बहुत-से विशेषण लगाकर गुणों का आस्थान तैयार करता था। मैं बेब्टर का शब्द-कोश या रोजेट का 'थेसारस' उचित शब्दों और उनके पर्याय इकट्ठा करने के लिए अपने पास रखा करता था। विशेषणों के दुवारा इस्तेमाल से बचना एक मुश्किल काम था। पदवी प्राप्त करने वाले हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग तरह से कहा जाना जरूरी था।

यह व्यवस्था कुछ बर्पें तक तो ठीक चली, लेकिन जब मोविन्दवलनभ पन्त को 'भारत-रत्न' की उपाधि दी गयी तब यह नाकामयाव रही। वह उस समय गृह-मंत्री थे और उनके गुणों का आख्यान तैयार करने के लिए विशेष सावधानी रखने की जरूरत थी। तत्कालीन गृह-सचिव थी। एन। भा ने यह जिम्मेदारी ली कि वह खुद प्रशस्तिपत्र और पुस्तिका तैयार करेंगे। जब इसका भसीदा पन्तजी के सामने रखा गया तब हमने सोचा कि वह इसे मामूली काम समझ इस पर सहमति दे देंगे, लेकिन उन्होंने इसे रद्द कर दिया। उस समय एक पण्डिताङ्क एडीशनल-

सेकेटरी हरि शर्मा हुआ करते थे। उनको कहा गया कि वह प्रशस्ति-पत्र तंगार करें। उनका मसौदा भी रह कर दिया गया। इसी तरह मेरा मसौदा भी रह कर दिया गया। पन्तजी ने तब हम सबको एक साथ बुलाया और मिल-जुलकर एक मसौदा तंगार करने के लिए कहा। उन्होंने पहले तो इस मसौदे में काटने-छोटने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने उसे भी ठीक नहीं पाया तब छोड़ दिया।

उपाधि-वितरण समारोह के लिए बहुत ही थोड़ा समय रह गया था और हम लोग परेशान थे। देश की सर्वोच्च उपाधि प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए क्या सचमुच किसी प्रशस्ति-पत्र की ज़रूरत है? 'भारत-रत्न' की उपाधि पाने वाले व्यक्ति की योग्यता का उल्लेख कर हम उसके गुणों को सीमित कर रहे थे। हमारी इस दलील को तुरन्त ही स्वीकार कर लिया गया। पन्तजी ने भी इस विचार को पसन्द किया। उस साल से 'भारत-रत्न' की उपाधि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए कोई प्रशस्ति-पत्र नहीं होता।

मध्यांधी पाठांग उमेश चन्द्र चन्द्राल का लिए उपाधि पत्र पाठांग चन्द्र चन्द्र उन्होंने उसका नाम खुद अपने हाथ से लिखा था। जब यह मूर्ची गृह-मत्रालय को बापस भेजी गयी तब हर आदमी पूछते लगा कि यह मिस लाजरस कौन है? जबाब कोई भी नहीं जानता था और किसी को यह साहस भी नहीं हुआ कि राष्ट्रपति से पूछे। जानकारी प्राप्त करने की बेतहाशा कोशिश की गयी, क्योंकि गुजरात में अधिसूचना प्रकाशित करने से पहले उपाधि पाने वाले व्यक्ति की सहमति

शास्त्री नहीं बल्कि एक नस्ते थी। अब तो बेहद उलझन पैदा हो गयी और फिर सभी जगह खोज शुरू हुई। पता लगा कि जब राष्ट्रपति कुरनूल से हैदराबाद मोटर से आ रहे थे तब उनको दमा का दीरा पड़ा था। उस समय मिस लाजरस ने उनकी परिचर्या की थी। आखिर मेरे वह घोज निकाली गयी और उनकी सहमति प्राप्त की गयी। उस साल दो मिस लाजरसों को उपाधि मिली।

हफ्ते में डाक दो बार आती थी और हर आदमी उसके आने का इन्तजार करता था। जब वार्डर डाक लेकर आता तब वार्ड के सभी लोग उसे घेर लेते थे। वह हर चिट्ठी उठाता और पते पर लिखा नाम पुकारता था। तब वह आदमी चिट्ठी लेने उसके पास जाता था।

कुछ दिन से मुझे कोई चिट्ठी नहीं मिली थी। मुझे चिन्ता होने लगी थी। जब औरों को अपनी चिट्ठियाँ मिल जाती थीं तब मुझे अपनी चिट्ठी क्यों नहीं मिलती? मझे यह नहीं मालूम था कि नजरबन्दों को लिखी चिट्ठियाँ जाच के लिए पहले

से एक ने यताया कि जिस दृश्यतर में चिट्ठियों की जाँच होती थी वहाँ उर्दू जानने वाला सिफे एक ही आदमी था और जब बहुत-सी चिट्ठियाँ उर्दू में लिखी थीं जाती

तब वह उनको बिना पढ़े ही भेज देता था।

मुझे जो पहली चिट्ठी मिली वह मेरी भांजी का पोस्टकार्ड था। इस चिट्ठी पर सेसर की मुहर और स्थाही फैली हुई थी, इसलिए मैं यह नहीं पढ़ सका कि इसमें क्या लिखा था। लेकिन इससे मुझे एक खबर तो मिली कि घर पर सव ठीक था। लिफाफों में बन्द चिट्ठियाँ खोल ली जाती थीं और इन चिट्ठियों में जो कुछ 'आपत्तिजनक' लिखा होता वह संबंधित अधिकारियों द्वारा काट दिया जाता था। मेरी एक चिट्ठी पूरी ही कटी हुई थी और इस पर सिर्फ़ भेजने वाले का नाम पढ़ा जा सकता था।

यही हाल उन चिट्ठियों का होता जो हम भेजते थे। हम एक हफ्ते में दो पोस्ट-कार्ड भेज सकते थे। ये पहले सेसर के लिए डिप्टी-कमिशनर के दफ्तर ले जाये जाते थे और तब लिखे पते पर भेजे जाते थे। हमको यह साफ़-साफ़ बता दिया गया था कि अगर किसी चिट्ठी में कोई आपत्तिजनक बात लिखी होगी तब वह नहीं भेजी जायेगी।

अक्सर मेरे घर के लोग अपनी चिट्ठियों में यह शिकायत लिखते थे कि मैंने बहुत दिनों से कोई चिट्ठी नहीं भेजी है। वे यह नहीं जानते थे कि मैं उनको नियमित रूप से हफ्ते में दो पोस्टकार्ड भेजा करता था। स्पष्ट ही इसमें से कुछ चिट्ठियाँ कभी डिलीवर नहीं की गयी। एक बार जब मेरी पत्नी मुझसे मिली तो उसे यह जानकर ताज्जुब हुआ कि मुझे कनजेक्टीवाइटिस हो गयी थी। मैंने पूछा, उसे वह चिट्ठी नहीं मिली जिसमें मैंने इस बारे में लिखा था। स्पष्ट था कि यह चिट्ठी डिलीवर नहीं की गयी थी। शायद अधिकारी सोचते हों कि मुझे अपनी पत्नी को अपनी बीमारी के बारे में बताने का भी अधिकार नहीं है। वे शायद बीमारी का समाचार भी 'आपत्तिजनक' समझते थे। सरकार की नजरों में दूसरी आपत्ति-जनक बात थी एक नजरबद का अपनी वहन से मिलना। पहले कभी मैं रक्षा-वंधन का इतनी उत्कठा से इन्तजार नहीं करता था और न इस बार की तरह मुझे पहले कभी निराश होना पड़ा। मैंने उस दिन जल्दी ही दाढ़ी बना ली और नहांधो लिया। मैंने धूले कपड़े पहने थे। राज ने एक चिट्ठी में लिखा था कि उसे रक्षावंधन बाले दिन मुझसे मिलने की इजाजत मिलने की पूरी उम्मीद है। उस दिन मैं बराबर इन्तजार करता रहा। मैंने बार्डर से कई बार पूछा कि मेरा कोई मुलाकाती आया है? मैंने उस सुपरिटेंडेंट के दफ्तर भी यह पता लगाने के लिए भेजा कि मेरे लिए कोई स्बर्बर आयी है। शाम तक मैं आशा छोड़ बैठा। राज उन लोगों में नहीं थी जिन्हे लोग धार्मिक कहते हैं, लेकिन उसे त्योहार प्रसन्न थे। वह ऐसा कोई त्योहार मनाना नहीं भूलती थी जो परम्परा से चले आते थे। वह मुझे हर साल राखी के साथ एक केक देती थी। इस बार क्या हुआ? शायद उसे सरकार से इजाजत नहीं मिल सकी थी। आखिरकार सरकार मेरे साथ बैसा ही बताव कर रही थी जैसा कि वाकी सब क्रेडियों के साथ किया जा रहा था। मेरे साथ कोई रियायत क्यों की जाये?

लेकिन दो दिन बाद मुझे राखी मिली। राज ने मुझे लिखा 'या कि वह खुद मजिस्ट्रेट के पास इजाजत के लिए गयी थी। वह ओम मेहता से भी मिली थी। सबने उससे इजाजत दिलाने का बायदा किया, लेकिन यह बायदा पूरा नहीं हुआ। असल में उसकी चिट्ठी जो मुझे सेसर के द्वारा मिली, सरकार के बारे में बहुत ही आलोचनापूर्ण थी। क्या श्रीमती गांधी भाई-वहन का रिस्ता मिटा सकती थीं? यह चिट्ठी गुस्से से भरी हुई थी। मुझे ताज्जुब था कि यह चिट्ठी सेसर से

कैसे बच गयी ?

शाम की एक बैठक में बड़ी अटकले लगायी गयी कि थीमती गाधी व्या तमिलनाडु में ब्रविड मुनेत्र कपगम के मंत्रिमंडल को बख्ति करेंगी और क्व हमको विश्वास हो गया था कि कुछ ही दिन में सब-कुछ हो जायेगा । हम लोग इससे बड़े निराश थे कि कहणानिधि अभी तक इमरजेंसी के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे थे । गुलाम के रूप में काम करने के बजाय यह अच्छा था कि लड़ाई जार रखी जाती । हम लोग तमिलनाडु के बारे में यही सोचते थे ।

मैंने जेल के अपने साथियों को बताया कि स तरह एक बार केरल सरकार को बख्ति करने की स्थिति आ गयी थी । उन दिनों नम्बूदिरीपाद मुख्यमंत्री थे और वात थी, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा एक दिन की साकेतिक हड्डताल । नयी दिल्ली की सरकार इनके कर्मचारियों के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती थी और उसने केरल की सरकार से भी कार्रवाई करने के लिए कहा था । केरल सरकार का विचार या कि कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं थी ।

साकेतिक हड्डताल के पांच दिन पहले गृह-मंत्रालय ने प्रदेश की सरकार को इस हड्डताल से निवाटने के लिए केन्द्र द्वारा जारी किये गये अध्यादेश के अनुसार आवश्यक सावधानी वरतने के लिए तार द्वारा निर्देश भेजे थे । कुछ केन्द्रीय सुरक्षा पुलिस (सी० आर० पी०) भी केरल में आ गयी थी । इसके कमानडेट ने सी० आर० पी० के पहुँचने की सूचना मुख्य सचिव को दे दी थी लेकिन दोनों ने ही— दोनों ही अधिल भारतीय सेवा के थे—इस बात को गुप्त रखा था कि मुख्यमंत्री को इसकी सूचना देने से मामला कही उलझ न जाये । लेकिन मलयालम के एक दैनिक समाचारपत्र में केरल में केन्द्रीय सुरक्षा पुलिस के आने का समाचार छप गया । जब नम्बूदिरीपाद से इस पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया तब उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी कोई सूचना नहीं है । उस समय संसद-सदस्यों का एक दल केरल आया हआ था । इस दल के सम्मान में राज्यपाल द्वारा दिये गये दिन के भोज में नम्बूदिरीपाद ने इसकी जाच गृह-मंत्रालय के विशेष सचिव आर० प्रसाद से की, जो उस दिन विवेन्द्रम में ही थे । इस अधिकारी ने सी० आर० पी० के बहाने को पुष्टि की ।

प्रदेश सरकार की अनुमति विना, उसे बताये बग़ेर ही, केन्द्रीय पुलिस को के जरिये प्रदेश सरकार को आदेश दिया गया कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जिनके बारे में कर्मचारियों को हड्डताल करने के लिए भड़काने की खबरें थीं । जब यह वायरलेस द्वारा भेजा हुआ आदेश विवेन्द्रम पहुँचा तो प्रदेश के मंत्रिमंडल की बैठक हो रही थी । मंत्रिमंडल केन्द्रीय पुलिस को तैनाती से यूँ ही चिढ़ा हुआ था । उसने सर्वसम्मति से केन्द्रीय आदेश की अवहेलना करना तय किया । केरल सरकार ने नयी दिल्ली को मूचित किया कि वह कानून और व्यवस्था बनाये रखेगी, केन्द्रीय सम्पत्ति की रक्षा करेगी, लेकिन उन लोगों को गिरफ्तार नहीं करेगी जिनके बारे में कहा गया था कि वे कर्मचारियों को हड्डताल करने के लिए उक्ता रहे हैं । प्रदेश सरकार ने विना उग्रसे पूछे केन्द्रीय पुलिस तैनात किये जाने के बारे में गृह-मंत्रालय को विरोध-पत्र भी भेजा ।

नयी दिल्ली का जवाब तुरंत आ गया । प्रदेश का ध्यान संविधान की उन पाराओं की ओर आकृष्टि किया गया जिनके अनुसार प्रदेश केन्द्रीय कानूनों का पालन करने को बाध्य था, और प्रदेश के लिए इस विषय में कोई विकल्प ही नहीं

था। यह दलील दी गयी थी कि जब तक अवधि न पूरी न हो जाये तब तक अध्यादेश उतना ही वैध था जितना कि संसद का कोई अन्य अधिनियम। सी० आर० पी० का भेजा जाना इस आधार पर उचित ठहराया गया कि केन्द्र को इस बात का अधिकार था कि प्रदेश से परामर्श किये बिना वहाँ पुलिस भेज दी जाये। इस पर केरल का जवाब कड़ा और दो टक था। प्रदेश सरकार ने कहा कि उसे अपने संवैधानिक दायित्व और केन्द्र के विशेषाधिकारों का पूरा ज्ञान था। उसे आपत्ति उस तरीके पर थी जो अपनाया गया था। प्रदेश सरकार को सूचना दिये बिना सी० आर० पी० का वहाँ तैनात किया जाना निरंकुश कार्य कहा गया। प्रदेश सरकार ने यह बात दुहरायी कि वह कानून और व्यवस्था को बनाये रखेगी, लेकिन वह उन लोगों को गिरफ्तार नहीं करेगी जो कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने के लिए कह रहे हैं। यह तथ करना कि वया कारंवाई की जाये, प्रदेश के प्रशासन का काम था।

दिल्ली में घरेल मामलों संबंधी मंत्रिमंडल की उप-समिति की आपात् बैठक रात में ही बुलायी गयी। इस बैठक में मोरारजी देसाई को छोड़कर, जिनके बारे में कहा गया कि सोने चले गये हैं, सभी भौजूद थे। बैठक में सुझाव रखा गया कि केरल में मंत्रिमंडल को बख़स्त कर दिया जाये। दलील यह दी गयी कि किसी भी प्रदेश की सरकार को केन्द्र के आदेशों का उल्लंघन नहीं करने दिया जाना चाहिए अन्यथा इसके परिणाम भयंकर होंगे। लेकिन कारंवाई इस कारण से नहीं की गयी कि सांकेतिक हड़ताल के सवाल पर प्रदेश सरकार की बख़स्तगी से श्रीमती गांधी की प्रगतिशील तसवीर को आधात पहुँचेगा। केरल की सरकार अपनी बात पर अड़ी रही और उसने सांकेतिक हड़ताल बाले दिन किसी केन्द्रीय दफ़तर को काम नहीं करने दिया।

वाड़े में आये एक नये नज़रवन्द से हमें पता चला कि केरल भूमिगत आंदोलनों का केन्द्र था। भारत की मार्किस्ट कम्युनिस्ट पार्टी उन सभी तत्वों का साथ दे रही थी जो श्रीमती गांधी का विरोध कर रहे थे। जब हमने सुना कि नानाजी देशमुख, जिन्हे जे०पी० द्वारा संघर्ष-समिति का मंत्री नियुक्त किया गया था, पहले से ही हमारी जेल में बन्द हैं तब हम निःस्ताहित हो गये। वह सभी दृष्टियों से भूमिगत आंदोलन के एक प्रधान संगठनकर्ता थे। हम यह सुनकर हताश-से ही गये, क्योंकि हमारे विरोध के किन्तु एक-एक कर ढह रहे थे। इनको किसने धोखा दिया? हम ताज़ज़ब में थे। वह श्रीमती गांधी के लिए एक इनामी कही थी।

हमारे एक दोस्त ने बताया कि नानाजी की गिरफ्तारी में एक कौतुक-सा हुआ था। जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया तब वह उन्हें पहचानती नहीं थी। उनकी गिरफ्तारी इस तरह हुई: नानाजी ने अकाली नेता मुरजीतसिंह वरनाला को मिलने के लिए बुलाया हुआ था, क्योंकि वह चाहते थे कि अकाली अपना सत्याग्रह धीरे-धीरे चलायें। उनको ढर था कि जिस तेजी से अकाली गिरफ्तारी करा रहे थे वे ज्यादा समय तक आंदोलन को नहीं चला सकेंगे।¹ नानाजी ने साउथ एक्स-टॉन की वह जगह भी बता रखी थी जहाँ वह वरनाला से मिलना चाहते थे। वरनाला ने जन सध के दो नेताओं को—दोनों का नाम किशनलाल था—नानाजी से मिलने के लिए भेजा था और इसकी चर्चा दरवार साहेब (स्वर्ण मन्दिर) में

1. अकाली इमरजेंसी की पूरी अवधि-भर, लम्भग 19 महीने तक, आंदोलन चलाते रहे और कोई 40,000 सिख जेल गये।

एक सभा में की थी, जहाँ सत्याप्रही अपनी गिरफ्तारियों करवा रहे थे। खुफिया-विभाग के लोगों को पता लग गया। उन्होंने दोनों जन संघियों का दिल्ली तक पीछा किया। साथ ही दिल्ली की पुलिस को भी वायरलैस से सावधान कर दिया। चूंकि किसी का नाम नहीं बताया गया था इसलिए पुलिस को यह नहीं मालूम था और वह किसका पीछा कर रही थी। जन संघ के दोनों नेता साउथ एक्सटेंशन गये और यह एक संयोग था कि उन्होंने सादे कपड़े पहने हुए पुलिस के आदमी से उसी खाल पर का पता पूछा। वह उन्हें वहाँ ले गया। नानाजी पश्चिमी कपड़े पहने हुए बड़ी-सी मूँछे रखे सिर के बालों को एकदम काला किये उम घर में पुसे (नानाजी के दाढ़ी-मूँछे साफ रखते हैं, उनके बाल सफेद हैं और वह धोती-कुर्ता पहनते हैं)।

तभी पुलिस ने उस घर पर छापा मारा और उनको गिरफ्तार कर दिया। वह पुलिस-स्टेशन ले जाये गये और वहाँ उन्होंने अपना नाम बताया, लेकिन कोई भी उन पर भरोसा नहीं कर रहा था। उन्होंने शिनालूल के लिए नानाजी की कुछ तसवीरे भी निकाली, लेकिन यह विश्वास नहीं किया कि यह नानाजी ही हैं। उन्होंने नानाजी को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दिया। नानाजी ने अवसर का लाभ उठाया और शौचालय में गये। उन्होंने नाली में अपनी वह नोट-नुक वहा दी, जिसमें देश-भर के अपने सम्पर्क के लोगों के टेलीफोन नम्बर लिख रखे थे। इसके बाद एक सरकारी कमंचारी ने, जो संयुक्त विधायक दल की सरकार में जन संघ के एक मंत्री के यहाँ काम कर चुका था, नानाजी को पहचाना। अब हमारी आँखें जाँज़ फनन्डीज पर लगी थीं। हमें बताया गया कि वह पुलिस से कई बार बच निकले थे और श्रीमती गांधी के खिलाफ भूमिगत आंदोलन चला रहे थे।

मैं कभी-कभी सोचा करता था कि क्या कोई व्यक्ति इस जेल से बचकर निकला है? यहाँ बड़ी ऊँची-ऊँची ठोस एक-दूसरे के बाद दो दीवारें थीं। बाहर की दीवार पर बुजियों पर आदमी मशीनगन लिये हमेशा पहरा दिया करते थे। जेल-अधिकारियों को इस बात का गर्व था कि वीरा साल से जब से यह जेल बनी थी कोई भी कैदी यहाँ से भाग कर नहीं निकला था।¹ अधिकारियों ने बताया कि एक बार एक कैदी मोरी में छिप गया था, लेकिन चार दिन के बाद वह उसमें से निकल आया क्योंकि मोरी के दूसरे सिरे पर लोहे की ठोस छड़े लगी हुई थीं।

तब भी जेल-अधिकारी सतकं रहते थे। कैदियों की एक दिन में दो बार गिनती होती थी। एक बार हमारे बांड में भगदड़ भच गयी, क्योंकि गिनती की पता नहीं लग रहा था। धंटों तलाशी के बाद वह छत पर सोता हुआ मिला। चूंकि सीढ़ियाँ नहीं थीं इसलिए किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि वह छत पर सी रहा था। वह ऊँची दीवार पर चढ़कर छत पर किस तरह पहुँचा, इसके बारे में तरह-तरह की अटकलें लगायी गयीं। नानाजी के बाद गांधी शांति प्रतिष्ठान के राधाकृष्ण आये। उन्होंने भी इधर-उधर लोगों से सम्पर्क कर संगठित आंदोलन नहीं थी।

उन्हें मेरी बगल में जगह दी गयी। वह अपने थुलथुल शरीर के कारण मेरे

1. कुछ महीनों बाद हम जेल से चार अपराधी मुरग से निकल कर भाग गये थे, जिसे खोदने में उन्हें हारने लगे होये।

विस्तर पर भी जगह घेर लेते थे। मैं रात में बड़ी सावधानी से अपने को सिकोड़ता हुआ आघे विस्तर पर पड़ा रहता था जिससे उनको कोई परेशानी न हो। जब वह सोते तब वाडे में सभी लोग उनके खरीटों से जग जाते थे। मैं उनकी बगल में था, इसलिए मुझे सबसे ज्यादा खरटि सुनने पड़ते थे। मैंने अपने कानों में हई लगाकर सोने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। मैं सोचता था कि ऐसा मन्त्र सीखा जाये जिससे शोर को दबाया जा सके। मैं रात विस्तर पर बैठे हुए काटता था। एक रात मैं उनके खरीटों से जग गया और मैंने उन्हे जगाकर कहा, “अब आप सो चुके हैं, कुछ देर मुझे भी सो लेने दीजिये।” वह यह नहीं समझ सके कि मैंने उनसे क्या कहा और फिर सोने लगे।

उनके खरीटों से तो चिढ़ होती थी, लेकिन उनके रहने से वह उचाटपन दूर हो जाता था जो हमें काटा करता था। और अब उन्होंने योग सीखना शुरू कर दिया था जिससे हमारा मन-वहलाव होता था। वह जल्दी जग जाते थे। वह जिस तरह से योग-अभ्यास करते थे उससे हमें इतनी हँसी आती कि कभी-कभी आदियों में से वौस निकलने लगते। लेकिन वह इसका बुरा नहीं मानते थे। उनकी यही सबसे बड़ी विशेषता थी जो हमें बेहद अच्छी लगती थी। हालांकि वह जानते थे कि हम लोग उन्हीं पर हँस रहे हैं तब भी उन्होंने इसकी कोई शिकायत नहीं की।

मेरा विस्तर कोने में था, जिससे खिड़की के पास रहने का लाभ था और काफी रोशनी और हवा मिलती थी। लेकिन जब हवा बन्द हो जाती थी तब छत के पंखे से दूर होने के कारण हवा नहीं मिल पाती थी। इसका एक नुकसान भी था, जब पानी बरसता तब मेरी चारपाई गीली हो जाती। उसको खिड़की से दूर नहीं ले जाया जा सकता था, क्योंकि खिसकाने के लिए जगह नहीं थी। लेकिन कई लोगों की अपेक्षा मैं काफी अच्छी जगह पर था, क्योंकि मेरी तरफ की छत नहीं टपकती थी। बाकी छत इतनी टपकती थी कि कुछ लोगों को तो नीचे बाल्टी रखनी पड़ती थी।

हमने जेल के अधिकारियों को इसके बारे में बताया तो उन्होंने जबाब दिया कि उनके पास मरम्मत के लिए कोई फंड नहीं है। उनके अनुसार, सारी छत फिर से पड़नी थी, लेकिन कई बार याद दिलाने पर भी सरकार ने इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की थी। फिर भी मैंने बरसात का स्वागत किया।

एक बार मारी रात पानी बरसता रहा। मैं वह आवाज मुनता रहा जिसे मैं अपने बचपन से पूर्ण रूप से ऐसी लगती थी कि कोई जानदार चीज या कोई आदमी मेरे पास है जो डरावने भूत-प्रेतों से मुझे बचा लेगा। लेकिन जैसे-जैसे मैं बड़ा होता गया भूत-प्रेत का डर तो दूर होता गया, लेकिन अकेलेपन की भावना मेरे मन में गहरी होती गयी। इन अट्टाईस आदमियों के बीच सोने पर, अकेना होने का कोई सवाल नहीं था। फिर भी मैं अकेला था, कहीं दूर रहता था बिना यह सोचे हुए कि मैं अपनी कल्पना में किस ओर जा रहा हूँ। बरसात से मेरे मन में यह भर जाता कि मेरे भी साथ कोई है। अपने साथियों से भी अकेलेपन की भावना दूर होने लगी। पहले दिन जब मैं यहीं आया था, ये सब अजीब भीड़ जैसे लगते थे। मैंने अपने को एक ऐसे आदमी की तरह अनुभव किया जो अनजानी दुनिया में आ गया था, जहाँ लोगों की दाढ़ी बड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, सब-कुछ अस्त-व्यस्त था, जहाँ लोग गाली-गग्नीज करते थे और ऊपर से बहुत बड़े धार्मिक बनते थे। लेकिन अब यहीं पर

ज्ञान, भाटिया या बालेस थे। अब मैं उनको जानता था।

राधाकृष्ण के आने से पहले ज्ञान की चारपाई मेरी वग़ल में थी। वह के तो हलवाई था, लेकिन उन लोगों में से था जो अपने व्यवसाय के बाहर की बात सोचते हैं। उसे राजनीति पसन्द थी, और राजनीति में फैस गया था। उपरानी दिल्ली में जन सघ के टिकट पर स्थानीय निकायों का चुनाव भी लड़ा था वह दियालू था, लेकिन उन लड़कों के प्रति नहीं जो हमारा काम करते थे। दो-चौसिंहरेटों के बदले वह गन्दे कपड़ों की गठरी उनसे घुलवाता था। मुझे मिठाइयं पसन्द थी, यह जानकर उसने दो बार कशमीरी गेट की अपनी दूकान से मिठाइयं के डिव्वे मंगवाये थे।

बालेस साहब, जैसा कि हम उनको पुकारते थे, ज्ञान के पड़ोसी थे। हमारे बांड मे उसे लोग सबसे ज्यादा जानते थे, लेकिन सबसे कम इच्छत देते थे। उसका किसी भी आदोलन से, चाहे वह राजनीतिक हो या गैर-राजनीतिक, कोई भी संबंध नहीं था। वह शायद व्यक्तिगत द्वेष का गिकार था। लेकिन कुछ नज़रबदों ने जो उसे जानते थे, मुझे यह बताया कि वह पुलिस वालों को छोटी-छोटी बातों पर मुकदमे कर रहा था। इसलिए जब पुलिसवालों को संविधान के बाहर कुछ शक्तियाँ मिल गयी तब उन्होंने इसको फैसा लिया। जो भी कारण रहा हो, वह जेल मे सभी लोगों के बीच फ़िट नहीं हो रहा था। उसने अपनी रिहाई के लिए कई बार टेलीग्राम और याचिकाएं भेजी थी। उसने लिखित रूप मे माफी भी माँगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं।

जो थोड़ी-बहुत सहानुभूति उसे बांड मे मिलती थी, उसने 25 अगस्त के बाद वह भी खो दी थी। उस दिन हम सब लोगों ने इमरजेंसी के खिलाफ़, जिसे लागू हुए दो महीने हो चुके थे, विरोध प्रकट करने के लिए उपवास किया था। सारा राशन, जिसमे दूध भी था, जेल-अधिकारियों को वापस लौटा दिया गया था। किसी ने चाय तक नहीं पी थी। बालेस ने उस दिन बांडर के साथ खाना खाया, लेकिन वह यह सबको बताता फिरा कि वह भी उपवास कर रहा था। बहुतों ने उसका विश्वास कर लिया, लेकिन जब उन्हे मालूम हुआ कि उसने भूठ बोला है तब वे उससे अलग हो गये। उसके और एक नज़रबद के बीच इस पर झगड़ा भी हुआ। हमने किसी तरह स्थिति बना ली और शान्ति बनाये रखी।

मेरी नाइन मे तीसरा और आखिरी आदमी भाटिया था। हर मुबह और शाम को वह आधे दर्जन नज़रबदों को इकट्ठा कर लेता और उनसे जोरो से 'ओम' कुलवाता था। मुझे लोग इसी का अस्यास करते थे। भाटिया जेल मे अधिकतर लोग इसी का अस्यास करते थे। भाटिया जेल मे अच्छी तरह रहता था। वह नियमित रूप से कल और अंडे खाता था। उसे अपनी दूकान का हाल-दूकान थी। वह अपना व्यवसाय बांड से चलाता था। वह आवश्यक निर्देश लिखकर भेज देता था। एक बार मैंने उससे पूछा कि वह यह सब किस तरह कर लेता है तो उसने जवाब दिया कि उसके लिए कुछ खबंच करना पड़ता था। वह जन संघ के आदोलनों के मिलसिले मे कई बार जेल काट चका था, लेकिन उसने कभी पैरोल या रिहाई के लिए अर्जी नहीं दी थी। जैसा कि वैह कहता था, वह एक अनुशासनवद्ध कार्यकर्ता था।

भाटिया से मुझे पता चला कि जन संघ के कार्यकर्ता किनने अनुशासनवद्ध हैं—प्रगर ऊपर से एक शब्द भी कहा जाता है तो वह अन्तिम आदेश समझा जाता है। इसका उल्लंघन करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। भाटिया ने इस

वात को कभी गुप्त नहीं रखा था कि आर० एस० एस० एक उत्तम संगठन है जिसने अपने 'सैनिक' विभिन्न क्षेत्रों में तैनात कर रखे हैं। वह हिन्दू-राष्ट्र में विश्वास करता था। वह इस वात को नहीं छिपाता था कि वह किसी भी मुसलमान का विश्वास नहीं करता। पाकिस्तान से आया हुआ शरणार्थी होने के नाते, जिसने नये सिरे से अपनी जिन्दगी शुरू की थी, वह यह नहीं भूला था कि मुसलमानों ने उसे बेघरबार कर दिया था। उसकी दलील बड़ी ही स्पष्ट थी—मुसलमानों ने हमको यहाँ भेजा, उनके भाई लोगों को वहाँ जाना चाहिए, इन्हीं लोगों ने पाकिस्तान बनाया था।

हम लोग एक-दूसरे के जाने-पहचाने हो गये थे। यही हाल डॉक्टर साहब का था, जिन्हे हम इसी तरह पुकारते थे। डॉक्टर साहब एक कँदी के सिर पर दवाइयों का वक्स रखे उसको साथ लेकर एक वार्ड से दूसरे वार्ड धीरे-धीरे जाया करते थे।

इनके आ जाने से हमारी नित्य की जिन्दगी में रीनक्स आ जाती थी, इसलिए जिस दिन वह हमारे वार्ड में नहीं आते, हमें उलझन होती थी। जैसे ही वह आते थे, हम सब उनको घेर लेते थे। चाहे जिसे कोई भी बीमारी हो, वह या तो बी० कम्प्लेक्स का मिस्चर होता या ऐसी ही कोई बैंधी-बैंधाई दवा दे देते थे। हम लोगों को रोजाना आध घंटा उनके साथ बिताते बहुत अच्छा लगता था। वह सब लोगों के साथ हँसकर दोस्ती से बोलते थे और यही सबसे बढ़िया दवा थी। वह उन कुछ लोगों में से थे जिनके साथ काफी दूर तक ठहलने से सुख मिलता था। उनकी एक चिट से हम लोग वार्ड छोड़कर जेल के अस्पताल तक जा सकते थे, जो करीब आधा किलोमीटर दूर था। वार्ड में बहुत दिनों तक बंद रहने से, बाहर जाना मन और शरीर दोनों के लिए अच्छा था।

एक दिन मैंने उससे चिट देने का आग्रह किया, जिससे मैं अस्पताल तक जा सकूँ। वहाँ एक बगाली डॉक्टर चीफ मेडिकल आफिसर था। उसने मुझे बताया कि जब वह कलकत्ता में था तब उसने स्टेट्समैन में मेरे कुछ लेख पढ़े थे। वह जान गया कि मैं वार्ड से सिर्फ बाहर निकलने के लिए अस्पताल आया था। लेकिन मैंने उसे बताया कि मुझे नीद नहीं आती है। उसने बताया कि यह वातावरण की वजह से था। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं कुछ दिन अस्पताल में रहना चाहता था। मैंने चारों ओर देखा। यह जेल में बाकी जगहों की तरह गन्दा था—बल्कि सायद ज्यादा गन्दा था। इस अस्पताल के साथ में लगा हुआ एक वार्ड था, जो दिमाग के रोगियों के लिए था। मैंने इस वार्ड से अजीब-सी आवाजें आती सुनी और कुछ रोगियों को अजीब-सा बवहार करते देखा। लेकिन इससे ज्यादा धिनावनी थी अस्पताल में फैली बदबू और चारों तरफ की गन्दगी। वहाँ पलंग कम रोगी ज्यादा थीं और प्रो

ओर न कोई सहायक ही दिखायी पड़ रहा था।

मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं अपने वार्ड में ही रहेंगा। उसने भी अस्पताल में आने के लिए कोई जोर नहीं दिया। वह वहाँ की हालत के बारे में सतर्क था। उसने कहा कि जब आवश्यक दवाइयाँ खरीदने के लिए भी कंड न हो तब वह कर ही क्या सकता था? उसने मुझे दूध और डबल रोटी और ज्यादा दिये जाने के लिए एक चिट लिख दी। उसने कहा कि वह इतना ही कर सकता था।

वह लिहाज करता था, लेकिन नियम ऐसा नहीं करते थे। यह जानते हुए भी

कि वह जेल के अस्पताल में कुछ दयादा नहीं कर सकता है, कभी-कभी वह किसी क़दी को शहर के अस्पताल में भेज दिया करता था। नियमों के अनुसार, राजनीतिक क़दी को भी हथकड़ी पहन कर जाना होता था, उसके साथ पुलिस के छह आदमी जाते, उस पर सतत चौकसी रखी जाती थी, यहाँ तक कि वह अकेले में शौच भी नहीं जा सकता था। दिल के रोगी डॉक्टरी जॉच के समय ही नहीं, बल्कि ई०सी०जी० लिये जाने के समय भी हथकड़ी पहने रहते थे। एक बार एक क़दी ने शहर के अस्पताल में जाने से इनकार कर दिया। वह अपनी छाती में दंद की शिकायत कर रहा था, डॉक्टर कह रहा था कि इसका ई० सी० जी० जहर होना चाहिए, लेकिन पुलिस इस बात पर जोर दे रही थी कि वह उसे हथकड़ी पहना कर ही ले जायेगी। वह इस बात पर अड़ा हुआ था कि वह यह बैद्यज्ञती नहीं वर्दाशत करेगा।

अधिकारियों को कई बार प्रतिवेदन भेजे गये कि वह हथकड़ी बाले नियम से कम-से-कम रोगियों को छूट दे दें, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। जेल के लोगों ने मुझे बताया कि जवाब आयेगा भी नहीं, क्योंकि सरकार की यह नीति थी कि हत्यारों की बनिस्वत राजनीतिक नज़रबंदों के साथ दयादा कड़ाई से व्यवहार किया जाये।

शायद यही कारण था कि निरोग रहने के लिए अक्सर विशेष प्रारंभाएँ होती थी। बहुत-से तो घटों 'रामायण' और 'मीता' पढ़ा करते थे। भारती ने भी मुझे

और अटट विश्वास था। मैं इसके लिए उससे अक्सर ईर्ष्या करता था। थड़ा एक खूंटी है जिस पर कोई भी आदमी अपनी चिन्ताओं और समस्याओं को टांग सकता है। यह घाँटों पर मतहम का काम करती है, वह हममें आशा जगाती है जब हमारी आशा बुझ चुकी होती है। जो थड़ा युक्त है वे भाग्यशाली हैं।

महात्मा गांधी कहा करते थे कि जब निराशा उन्हें धेर लेती और उन्हें कही से भी कोई किरण नहीं दिखायी देती तब वह 'भगवद्गीता' की शरण में जाते थे।

भारती को राजस्थान के एक स्वामी की यह भविष्यवाणी याद आयी होगी कि मैं एक दिन 'धार्मिक बन' जाऊँगा। उसने कहा था कि यह बान उसने मेरी हुयेली में देखी थी। लेकिन दूसरे किसी हाथ देखने वाले ने मेरे हाथ में यह छात रेखा नहीं देखी थी। मेरे घाँट में करीब आधे-दब्जें ऐसे लोग थे जो अपने को हस्तरेखा-शास्त्र का ज्ञाता कहते थे। वह हाथ देखा करते थे और साथ ही उपदेश भी देते थे। जेन की उदाम जिन्दगी में समय बिताने का यह एक अच्छा साधन था। बुरी भविष्यवाणियाँ बहुत कम होती थीं और यह विश्वास दिलाया जाता था कि अच्छे दिन आने वाले हैं।

मैंने 'गीना' पहने की कोशिश की, लेकिन मैं अपने को यही सोचता हुआ पाता कि इस गुस्तक को मेरे पास भेजने में कितना कष्ट उठाया गया था। यहा उन्हें मजिस्ट्रेट के मामने श्रद्धा होना पड़ा था और यह घोषणा करनी पड़ी थी कि इसमें क्रातिकारिता की कोई बात नहीं थी? बया उन्हें यह कथन तीन प्रतियों में या चार प्रतियों में प्रस्तुत करना पड़ा था? और जब यह गुस्तक आयी थी तब किसी को हर पृष्ठ उनट-गुस्त कर भर निश्चय करने के लिए देयना पड़ा था कि इसमें वही कोई सूनना तो नहीं छिपी हुई थी? मैंने इसके पृष्ठों को स्वयं उनट-गुलट कर

देखा। मुझे अपने एक ईसाई दोस्त की याद हो आयी जो यही काम 'वाइवल' के साथ करता था। जब कभी उस पर कोई संकट आता या उसके सामने कोई समस्या होती थी तब वह कोई भी पृष्ठ खोल लेता और उसे पढ़ा करता था। मैंने . . . "जिस प्रकार कोई आदमी पुराने लेता है, इसी प्रकार आत्मा पुराने लेती है।"

हर व्यक्ति को उसके सत्कार्यों का पुरस्कार अगले जीवन में मिलता है; बुरे कार्यों के लिए दण्ड इसी जीवन में मिल जाता है। इस जीवन में प्राप्त मुख-दुख की यही व्याख्या थी। इसी वाक्य में यह आशा निहित थी कि इस जीवन में जो कष्ट हम सहन कर रहे हैं उसका बदला अगले जीवन में मिल जायेगा। क्या यह ईसाई या इस्लाम के न्याय-दिवस के सिद्धान्त की अपेक्षा, जिसमें यह कहा गया है कि उस दिन जीवन का लेखा-जोखा कर यह निर्णय किया जायेगा कि किसको स्वर्ग में भेजा जाये और किसको नक्के में, ज्यादा विश्वमनीय था?

मैंने देखा कि मेरी इस पुस्तक के कारण 'प्रार्थना वर्ग' के सदस्यों में कुछ जिज्ञासा जाग्रत हुई थी। उन्होंने शायद इस गर्व का अनुभव किया था कि पापी मुक्ति के रास्ते पर आ गया था। जब कभी वह मेरी बैरक में प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते तो मैं वाहर निकल जाना न भूलता। इसका कारण अंशतः यह था कि मैं अपने को इनके बीच अकेता-न्सा अनुभव करता और अशंतः यह था कि मैं नहीं चाहता था कि उन्हें अपने बीच एक अविश्वासी की उपस्थिति से कोई परेशानी हो। अगर किसी कारण से मैं समय पर वाहर नहीं निकल पाता तो वह मेरे निकल जाने का इन्तजार करते थे। एकाध आदमी, जिन्होंने मुझे 'गीता' पढ़ते देखा था, प्रार्थना के समय आशापूर्ण नजरों से मुझे देखा करते थे। लेकिन मैं हमेशा की तरह वाहर निकल जाता था।

मैं जन संघ के अपने प्रार्थना करने वाले दोस्तों को चिढ़ाता था कि वह वीरों की अपनी मूर्ची में संजय गांधी का नाम भी शामिल कर ल, क्योंकि उसने वही कहा था जिसमें उनका विश्वास था। एक समाचारपत्र को इंटरव्यू देते समय उसने कहा था कि वह उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किये जाने व नियंत्रित अर्थव्यवस्था का विरोधी है। वह आधिक शक्ति बढ़ाने के लिए करों में कटौती और निजी क्षेत्र को अधिक स्वतंत्रता दिये जाने का हिमायती था।

यह पूछे जाने पर कि क्या वडे-वडे व्यापारिक मस्थानों में कटौती की जाये और क्या वह नियंत्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है? मज्य ने कहा था, "नियंत्रित अर्थव्यवस्था में, असल में वडे-वडे व्यापारिक संस्थान ही विकसित होते हैं, क्योंकि उनके पास नियंत्रणों से बचने के लिए साधन और क्षमता होती है। छोटे-छोटे लोग नियंत्रणों का उल्लंघन नहीं कर पाते, इसीलिए छोटा उद्योग करने वाला व्यक्ति ही नुकसान उठाता है।"

"अगर सभी नियंत्रणों को हटा लिया जाये तो वडे-वडे उद्योगपति खत्म हो जायेंगे। यही लोग नियंत्रण लगाने के लिए प्रचार करते फिरते हैं। इनमें कुछ तो वडे-वडे उद्योगपति हैं और कुछ नोकरशाही हैं। नियंत्रणों से नोकरशाही को संरक्षण देने तथा शक्ति और धन को प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त होती है।"

"आप किसी भी क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण नहीं चाहेंगे?" इंटरव्यू करने वाले व्यक्ति ने पूछा। संजय ने कहा, "नहीं, कभी नहीं।" अपनी बात की पुष्टि में उसने कोयला-खानों के राष्ट्रीयकरण के परिणामों की चर्चा की थी। कोयला-खानों का

राष्ट्रीयकरण किये जाने के पहले कोयला पेंटीरा रप्पया प्रति टन विक रहा था और चानीं को मुनाका भी हो रहा था। भी गांधी ने कहा, "कोयले का दाम नब्बे रप्पे प्रति टन है और उन्हें गो करोड़ रप्पे का प्रतिवर्ष नुकसान हो रहा है।" पर नीकरमाही को हर तरह का फायदा हो रहा है, उन्होंने आगे कहा।

यह पूछे जाने पर कि क्या किया जाये जिसे आधिक सक्षमता वा जाये, संजय ने कहा, "एक तरीका है कि काला वाजारी उत्तम कर दी जाये। सबसे अच्छा उपाय यह है कि कर्म कर दिया जाये।"

कुछ लोगों का विचार था कि माँ की अपेक्षा लड़का रप्पादा बुद्धिमान था। अधिकाद्य लोगों को उसकी धैर्यानी पर रोना आता था, जिसके परिणाम हम लोगों तक आने शुरू हो गये थे।

कुछ ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि मड़के चौड़ी करवा कर उसने चाँदनी चौक में कमान का काम किया था।

पूरा चाँद निकल आया था। मैंने इसे धीरे-धीरे एक पत्ती रेखा से पूरा गोलाकार होते देखा था। सभी चीजें—नोहे की गलायें, ऊँझ-प्पावड़ जमीन और धाँआ देता रसोईपर—रोशनी में नहायी ढुई थीं, हर चीज, यहाँ तक कि जेल में व्याप्त निराशा-भरी उदासी भी, सुन्दर लग रही थी। यह ताज्जनूब था कि इससे डर या मत्रास के प्रति बदला लेने की नहीं बल्कि तहानुभूति की भावना पैदा हो रही थी। मैं एक ऐसे आदमी की तरह था जो दर्द के बावजूद लुशी का अनुभव कर रहा था।

मैं सोच रहा था कि अगर मैं बच्चा होता तो मैं अपनी छत पर चढ़ जाता और देखता कि वया चाँद पूर्ण उग आया है, मैं सबसे पहले अपनी माँ को बताता कि चाँद निकल आया है। वह हर पूर्णमासी को उपवास रखा करती थी। मुझे वह वायदा भी पूरे चाँद को एक छलनी में देखकर उपवास तोड़ा करती थी। मुझे वह कभी नहीं याद आया जो मैंने किसी से लिया था जिसे मैं प्पार करता था कि मैं पूरे चाँद को निहारा कर्हूँगा। उसने कहा था कि वह भी ऐसा ही करेगी। मुझे कभी नहीं नालम हुआ कि वह देखती थी या नहीं, लेकिन यह बात सोचने में बेहद अच्छी सगती थी और मैं चाँद को देर तक अपनक देखता रहता था।

मुझे जैनसन के शट्ट याद आये: "हर कहानी का मूल्य उसके सच्चे होने में है। कहानी या तो सामान्य मानव के स्वभाव का चित्रण करती है; अगर यह कहानी झूठी हो तो किसी की भी तसवीर नहीं होती।"

मैंने दूर से आती संगीत की घृति सुनी, लेकिन वह शोर-शराबे में डूब गयी। मैं उस लय को पकड़ने की भरसक कौशिश में था। मैं काली मोटी दीवार तक टहलता हुआ गया और उस पर कान रख सुनने लगा। यह कोई महान संगीत नहीं था, महज एक किलमी गीत था, लेकिन मुझमें एक अजीव उदात्त भावना भर रहा था। बहुत दिन से मैंने कोई संगीत नहीं सुना था, सुनना मुझे मर्यादा नहीं था। मैं वाहरी दुनिया से कितना बलग हो गया था! क्या वाहर कोई दुनिया थी भी? संगीत की लय, वाहर सड़कों पर गाड़ियों की परघराहट या जेल के ऊपर हवाई जहाजों के उड़ने की गूँज—सभी यह बताती थीं कि इन ऊँची मोटी और ठोस दीवारों और लोहे के फाटकों के बाहर जिन्दगी सामान्य रूप से चल रही थी। उन्हें प्पार, खाना, कपड़ा, काम और पूजा की चैसी ही कामना थी, उन्हें जेल के भीतर बन्द लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कभी फुरसत के

समय में कुछ लौग ऐसे भी होंगे जो सौचते होंगे कि हमें असफलता मिली और कुछ सफलता चाहते होंगे। उनका जो भी निष्कर्ष रहा हो, जितने समय में क्रीद में रहा वह बेकार गया और वह वापस कभी नहीं आयेगा। उसका अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता था।

मैंने एक अजीव-सा सपना देखा। मैं अपने बाप-दादों के शहर, सियालकोट लौट आया था जो अब पाकिस्तान में है और अपने घर के पीछे छोटे-से मकबरे में एक अनजान पीर के सामने खड़ा था। यह मकबरा उजड़ा हुआ दीख रहा था, सब जगह धास उग आयी थी, लेकिन मैं कुर्सी पर बैठा पीर को देख रहा था। उसकी सफेद लंबी दाढ़ी थी, कंधे पर सफेद चादर पड़ी हुई थी।

मैं अपने स्कूल के दिनों में हर बृहस्पतिवार (जुम्मेरात—शुक्रवार से पूर्व-संध्या को जो मुसलमानों के लिए पवित्र मानी जाती है) को मकबरे जाता था और इस्तहान शुरू होने से पहले मिठाई चढ़ाता था। मैं इस विश्वास के साथ बड़ा हुआ कि पीर अपने सच्चे भक्त की प्रार्थना मंजूर करता है।

सपने में पीर ने मुझसे कहा कि मैं अगले बृहस्पतिवार को छूट जाऊँगा और मैं अचकचा कर उठ बैठा। मेरे कमरे में कोई प्रार्थना कर रहा था—यह लगभग तड़का था—और यह बृहस्पतिवार था।

पीर के प्रति अद्वा मेरे मन में वचपन से ही घर कर गयी थी। मेरी माँ उनके बारे में अक्सर बड़े आदर से चर्चा करती। मैंने उन्हें अपने पिता से अनवन होने पर कई बार मकबरे जाते देखा था।

जब भारती और मेरा साला राजिन्दर मुझे देखने आये तब सपने की याद मेरे दिमाग में ताजा थी। नज़रबन्द हुए मुझे दूसरा महीना चल रहा था और नियमों के अधीन मैं अपने निकट के रिश्तेदारों से महीने में एक बार मिल सकता था। राजिन्दर ने मेरे केस के बारे में मुझसे विचार-विमर्श किया, उसे विस्तृत भी आशा नहीं थी। याचिका के गुण-दोष का सवाल नहीं था, लेकिन सारे देश में एक डर छाया हुआ था। मुझे पता चला कि कुछ ही जज सरकार की मर्जी के खिलाफ जा सकते हैं। लेकिन जेल के मेरे एक साथी ने बताया कि रंगराजन और अग्रवाल से अच्छे जज किसी गलत नज़रबंद होने वाले कैदी को नहीं मिल सकते थे। दोनों बपनी स्वतंत्रता और निर्भकिता के लिए प्रसिद्ध थे।

राजिन्दर को सूचना मिली थी कि सरकार मुझे तभी छोड़ेगी जब नेता लोग छोड़े जायेंगे। इसका अर्थ यह था कि मुझे जेल में बहुत दिन के लिए रहना पड़ेगा। मैंने उनसे जाड़े के कपड़े और कुछ और ज्यादा कितावें भेजने के लिए कहा। राजिन्दर ने कहा कि इसके लिए भी मंजूरी लेनी पड़ेगी और यह संवधित मजिस्ट्रेट की मर्जी पर निर्भर करेगा। मैंने उसे बताया कि हमने सुना था कि मजिस्ट्रेटों पर इस बात का और अधिक दबाव डाला जा रहा था कि नज़रबंदों को कम-से-कम सुविधाएँ दें।

राजिन्दर का विचार था कि यह सच हो सकता है। अभी हाल में वह सच्चर साहब से मिलने अम्बाला गया था और उनसे बड़ी मुश्किल से मिल सका था। ऐसा लगता था कि सरकार तब तक यह निर्णय नहीं कर पायी थी कि व्या नज़रबंदों को अपने संवधियों से मिलने की इजाजत दी जाये।

राजिन्दर ने बताया कि उसने गृह-मंत्री नज़रबन्द रेडी को टेलीफोन किया था। उन्होंने बताया कि वह 'ओम से पूछेंगे' और तब उसे बतायेंगे कि मिलने की मंजूरी मिल राकेगी या नहीं (ओम मेहता उन दिनों गृह-मंत्रालय में उनके नीचे

काम करते थे)। राजिन्दर ने कहा—कि यह तो वह खुद ही कर सकता है। और उसने ओम मेहता को टेलीफोन किया। ओम मेहता ने कुछ देर किसी से पूछने के लिए उठकर—शायद श्रीमती गांधी से—उसे इजाजत दी थी।

हमारी बातचीत मुश्किल से युरु ही हुई थी कि पास में बैठे पुलिस के सिपाही ने कहा कि समय पूरा हो गया। मैं वहद मुँहताया, मैं अपने बच्चों के बारे में, अपने बूढ़े माँ-बाप और अपने दोस्तों के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था। लेकिन पुलिस का सिपाही बेबस था, नियम तो नियम ही थे और आधे घंटे का समय मंजूर हुआ था। मैं अपनी कोठरी की तरफ लौटने लगा तो मैंने इंटरव्यू के कामरे के पास ही अपनी बहन को बड़ा देखा। मैं उसकी ओर देखने लगा, लेकिन पुलिस वालों ने मुझे रोक दिया। मैंने देखा कि वह ये रही थी, उसने अचानक सिर ऊपर उठाया और चिल्लाकर कहा : “यह लोग हमारे रिश्ते को नहीं छीन सकते, हम भाई-बहन हैं।”

मेरे पीर ने मुझे जिस वृहस्पतिवार के बारे में कहा था, वह बड़ी इन्तजार के बाद आखिरकार आ गया। बाड़ का जव भी दरवाजा खलता मैं बाहर की तरफ बड़ी आशा से देखने लगता। मेरे एक-दो कंदी साधियों ने इसे भाँप लिया, लेकिन उन्होंने कोई टीका-टिप्पणी नहीं की। मैंने उन्हें अपने सपने की बात नहीं बतायी थी—वे मुझे निश्चय ही अन्धविश्वासी कहते। खास तौर से इसलिए कि वहाँ लगभग सभी हिन्दू थे और मैंने अपने सपने में पीर को देखा था, राम या कृष्ण को नहीं।

एक बार मैं बाड़ से मिला तो मैंने बड़े ही सहज भाव से कंदियों के छोड़े जाने की प्रक्रिया की सभी बातों के बारे में व्यारेवार पूछा। उसने बताया कि रिहाई का आदेश कभी भी सेल में नहीं आता, कंदी से अपना सामान इकट्ठा करने और सुपरिटेंडेंट के पास जाने के लिए कहा जाता है, लेकिन कंदी को छोड़े जाने के समय ही नहीं वल्कि उसको एक सेल से दूसरे सेल या जेल में ले जाने के समय भी यही होता है। यह सावधानी इसलिए बरती जाती थी कि छूटने वाले के साथी उसके साथ मिलकर जेल से निकल भागने के लिए कोई पद्ध्यन्त्र न कर सकें।

मैं अपना सामान बटोरने के लिए सारे दिन आदेश का इन्तजार करता रहा, लेकिन वह आया नहीं। रात के खाने के समय तक मुझे यह विश्वास हो गया कि जो सपना मैंने देखा था वह सिफ़ सपना था। यह नहीं हो सकता कि किसी आदमी को रात में रिहा किया जाता। मैं बाड़ से दुबारा पूछ भी नहीं सकता था, क्योंकि इससे निश्चय ही उसका कौतूहल बढ़ सकता था। वह मुझसे पूछताछ करने लग सकता था। और अगर मैं उससे अपने सपने की बात बता देता तो यह चारों तरफ फैन सकती थी, जिससे मैं सबकी हँसी का पात्र बन सकता था। एक बार मैं उदास होकर सोने चला गया, लेकिन मुझे नीदनहीं आ रही थी। मैंने जेल की घड़ी में दस बजते मूना। और तभी अचानक बाड़ भेरी चारपाई के पास आया। मुझसे उसने अपने साथ बाहर चलने के लिए कहा। जेल-मुपरिटेंडेंट भेरा इन्तजार कर रहा था।

यह असाधारण बात थी। मुझसे अपना सामान इकट्ठा करने के लिए नहीं कहा गया था। बाड़ में सब लोग उत्सुक हो गये। जो लोग चारपाईयों में लेटे थे वे उठकर बैठ गये, बाकी पहले ही मुझे घेरे खड़े थे। सभी मेरे साथ गेट तक आये लेकिन बाड़ ने उन सबको रोक दिया, सिफ़ मुझे ही बाहर आने दिया। इसका कुछ लोगों ने विरोध किया, क्योंकि कुछ को यक था कि कहीं कोई धोखा न हो।

हम लोग बहुत दिनों से एक साथ रह रहे थे और एक परिवार बन गये थे, एक आदमी की खुशी हर आदमी की खुशी थी, इसी तरह एक आदमी का दुख सब लोगों का दुख था। वार्डर ने उन सबको विश्वास दिलाया।

मैंने सुपरिटेंडेंट को बाहर घड़े देखा। उसके साथ एक और आदमी था। मुझे बताया गया कि वह दिल्ली का डिप्टी-कमिश्नर था और सुपरिटेंडेंट हमारा एक-दूसरे से परिचय करा कर चला गया। वह बातचीत में दोस्त जैसा लगा। उसने कहा कि उसने मेरी किताबे पढ़ी थीं और वह चाहता था कि वह मुझसे कही अन्यथा मिलता। उसने मुझसे कहा कि प्रधानमंत्री ने मेरे स्वास्थ्य के बारे में दो-तीन बार पूछा भी था।¹ उसने मुझसे मेरे बारे में और जेल में रहन-सहन की हालत के बारे में पूछा। मैं थोड़ा नाराज़-सा था कि मुझे सोते से क्या सिफ़र इसी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। लेकिन मैंने उससे कहा कि मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि जेले इतनी गन्दी क्यों रहती हैं, इनमें जगह से ज्यादा आदमी वयों भरे जाते हैं? कोई भी जेल में नहीं रहना चाहता, सरकार इन कैदियों को आवश्यक सुविधाएँ न देकर खुद उनको वयों सताती है? उसने कहा कि वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकता और उसने बताया कि जेल इतने सारे आदमियों को रख भी नहीं सकती, न जरबंदों की भीड़ के कारण सुविधाएँ कम पड़ गयी थीं।

उसने मुझे बताया कि मेरे मामले में कुछ गलती हो गयी थी, क्योंकि फाइलों में मेरे विश्वास कुछ भी नहीं था। मेरे खिलाफ़ यह शिकायत गलत निकली थी कि मैंने कुछ खबरें विदेशों को भेजी थी और इसकी सूचना प्रधानमंत्री के सचिवालय को दे दी गयी थी। उसने मुझसे नज़रबंदों के हौसले के बारे में पूछा। मैंने उसे बताया कि उनका हौसला बुलन्द था। उसे यह सुनकर ताज़जुब हुआ, क्योंकि उसने बताया कि नज़रबंदों में अस्सी प्रतिशत ऐसे लोग थे जो किसी-न-किसी रूप में यह व्यक्त कर चुके थे कि वह जेल से बाहर जाना चाहते थे। हमारी बाकी चर्चा सामान्य बातों पर हुई।

आधे घंटे के बाद जब वह जाने लगा, तब वार्डर मुझे बापस ले जाने के लिए मेरे पास आया। जैसे ही मैं बार्ड के अन्दर घुसा, मुझे मेरे कैदी साथियों ने धेर लिया। सभी जानना चाहते थे कि क्या हुआ। मैंने उनको बताया कि यह मैं नहीं जान सका कि मुझसे डिप्टी-कमिश्नर क्या चाहता था, क्योंकि उसने ज्यादा

1. शाह कमीशन के सामने गवाही देते हुए, डिप्टी-कमिश्नर ने कहा कि बार० के० ब्यवन ने उसे मुझसे यह कहने के लिए कोन किया था कि प्रधानमंत्री ने मेरे बारे में दो-तीन बार पूछा था।

उसने कमीशन को बताया था कि उसे मेरी गिरफ्तारी के बादेश प्रधानमंत्री-निवास

पालन किया। कृष्णचंद ने कहा कि उन्हें मेरी गिरफ्तारी पर बक़सौस था, क्योंकि वह मुझे जानते थे, लेकिन ओम मेहता ने उन्हें बताया था कि थीमती गाधी मेरी गिरफ्तारी के लिए जोर दे रही थी।

काम करते थे)। राजिन्दर ने कहा—कि यह तो वह खुद ही कर सकता है। और उसने ओम मेहता को टेलीफोन रिया। ओम मेहता ने कुछ देर किसी से पूछने के लिए रुककर—शायद श्रीमती गांधी से—उसे इजाजत दी थी।

हमारी बातचीत मुश्किल से शुरू ही हुई थी कि पास मे बैठे पुलिस के सिपाही ने कहा कि समय पूरा हो गया। मैं बेहद भुक्ताया, मैं अपने बच्चों के बारे मे, अपने बूढ़े माँ-बाप और अपने दोस्तों के बारे मे बहुत कुछ जानना चाहता था। लेकिन पुलिस का सिपाही बेबस था, नियम तो नियम ही थे और आधे घंटे का समय मंजूर हुआ था। मैं अपनी कोठरी की तरफ लौटने लगा तो मैंने इंटरव्यू के कमरे के पास ही अपनी बहन को खड़ा देखा। मैं उसकी ओर देखने लगा, लेकिन पुलिस बातों ने मुझे रोक दिया। मैंने देखा कि वह रो रही थी, उसने अचानक सिर ऊपर उठाया और चिल्लाकर कहा : “यह लोग हमारे रिस्ते को नहीं छीन सकते, हम भाई-बहन हैं।”

मेरे पीर ने मुझे जिस बृहस्पतिवार के बारे मे कहा था, वह बड़ी इन्तजार के बाद आखिरकार आ गया। बार्ड का जब भी दरवाजा खलता मैं बाहर की तरफ बड़ी आशा से देखने लगता। मेरे एक-दो कैंदी साधियों ने इसे भाषि लिया, लेकिन उन्होंने कोई टीका-टिप्पणी नहीं की। मैंने उन्हे अपने सपने की बात नहीं बतायी थी—वे मुझे निश्चय ही अन्धविश्वासी कहते, यास तौर से इसलिए कि वहाँ लगभग सभी हिन्दू थे और मैंने अपने सपने मे पीर को देखा था, राम या कृष्ण को नहीं।

एक बार मैं बांदर से मिला तो मैंने बड़े ही सहज भाव से कैंदियों के छोड़े जाने की प्रक्रिया की सभी बातों के बारे मे व्योरेवार पूछा। उसने बताया कि रिहाई का आदेश कभी भी सेल मे नहीं आता, कैंदी से अपना सामान इकट्ठा करने और सुपरिटेंडेंट के पास जाने के लिए कहा जाता है, लेकिन कैंदी को छोड़े जाने के समय ही नहीं बल्कि उसको एक सेल से दूसरे सेल या जेल मे ले जाने के समय भी यही होता है। यह सावधानी इसलिए बरती जाती थी कि छूटने वाले के साथी उसके साथ मिलकर जेल से निकल भागने के लिए कोई पद्ध्यत्र न कर सकें।

मैं अपना सामान बटोरने के लिए सारे दिन आदेश का इन्तजार करता रहा, लेकिन वह आया नहीं। रात के खाने के समय तक मुझे यह विश्वास हो गया कि जो सपना मैंने देखा था वह सिफ़ सपना था। यह नहीं हो सकता कि किसी आदमी को रात मे रिहा किया जाता। मैं बांदर से दुवारा पूछ भी नहीं सकता था, क्योंकि इससे निश्चय ही उसका कोनूहल बढ़ सकता था। वह मुझसे पूछताछ करने लग सकता था। और अगर मैं उससे अपने सपने की बात बता देता तो यह चारों तरफ फैल सकती थी, जिससे मैं सबको हँसी का पात्र बन सकता था। एक बार मैं उदास होकर सोने चला गया, लेकिन मुझनीदनहीं आ रही थी। मैंने जेन की धड़ी मे दम बजते मुना। और तभी अचानक बांदर मेरी चारपाई के पास आया। मुझसे उसने अपने साथ बाहर चलने के लिए कहा। जेल-सुपरिटेंडेंट मेरा इन्तजार कर रहा था।

यह अमाधारण बात थी। मुझसे अपना सामान इकट्ठा करने के लिए नहीं कहा गया था। बांद मे सब लोग उत्सुक हो गये। जो लोग चारपाईयों मे लेटे थे वे उठकर बैठ गये, बाकी पहले ही मुझे घेरे रहड़े थे। सभी मेरे साथ गेट तक आये सेकिन बांदर ने उन सबको रोक दिया, सिफ़ मुझे ही बाहर आने दिया। इसका कुछ लोगों ने विरोध किया, क्योंकि कुछ को शक था कि कही कोई धोया न हो।

हम लोग वहुत दिनों से एक साथ रहे थे और एक परिवार बन गये थे, एक आदमी की खुशी हर आदमी की खुशी थी, इसी तरह एक आदमी का दुख सब लोगों का दुख था। वार्डर ने उन सबको विश्वास दिलाया।

मैंने सुपरिटेंडेंट को बाहर खड़े देखा। उसके साथ एक और आदमी था। मुझे बताया गया कि वह दिल्ली का डिप्टी-कमिशनर था और सुपरिटेंडेंट हमारा एक-दूसरे से परिचय करा कर चला गया। वह बातचीत में दोस्त जैसा लगा। उसने कहा कि उसने मेरी किताबे पढ़ी थीं और वह चाहता था कि वह मुझसे कही अन्यथा मिलता। उसने मुझसे कहा कि प्रधानमंत्री ने मेरे स्वास्थ्य के बारे में दो-तीन बार पूछा था।¹ उसने मुझसे मेरे बारे में और जेल में रहन-सहन की हालत के बारे में पूछा। मैं थोड़ा नाराज़-सा था कि मुझे सोते से क्या सिफ़े इसी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। लेकिन मैंने उससे कहा कि मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि जेलें इतनी गन्दी क्यों रहती हैं, इनमें जगह से ज्यादा आदमी क्यों भरे जाते हैं? कोई भी जेल में नहीं रहना चाहता, सरकार इन कैदियों को आवश्यक सुविधाएँ न देकर खुद उनको क्यों सताती है? उसने कहा कि वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकता और उसने बताया कि जेल इतने सारे आदमियों को रख भी नहीं सकती, नजरबंदों की भीड़ के कारण सुविधाएँ कम पड़ गयी थीं।

उसने मुझे बताया कि मेरे मामले में कुछ गलती हो गयी थी, क्योंकि फ़ाइलों में मेरे विरुद्ध कुछ भी नहीं था। मेरे खिलाफ़ यह शिकायत गलत निकली थी कि मैंने कुछ खबरें विदेशों को भेजी थीं और इसकी सूचना प्रधानमंत्री के सचिवालय को दे दी गयी थी। उसने मुझसे नज़रबद्दों के हौसले के बारे में पूछा। मैंने उसे बताया कि उनका हौसला बुलन्द था। उसे यह सुनकर ताज्जुब हुआ, क्योंकि उसने बताया कि नज़रवंदों में अस्सी प्रतिशत ऐसे लोग थे जो किसी-न-किसी रूप में यह व्यक्त कर चुके थे कि वह जेल से बाहर जाना चाहते थे। हमारी बाकी चर्चा सामान्य बातों पर हुई।

आधे धंटे के बाद जब वह जाने लगा

मेरे पास आया। जैसे ही मैं वाँड़ के अन्दर लिया। सभी जानना चाहते थे कि क्या हुआ? जान सका कि मूरक्से डिप्टी-कमिश्नर क्या चाहता था, क्योंकि उसने ज्यादा

१. शाह कमीशन के सामने गवाही देते हुए, हिट्टी-कमिशनर ने कहा कि बार० के० घबन ने उसे मुझसे यह कहने के लिए फोन किया था कि प्रधानमंत्री ने मेरे बारे में दी-नीन बार पूछा था।

उसने कमीशन को बताया था कि उसे मेरी गिरफ्तारी के आदेश प्रधानमंत्री-निवास से उप-राज्यपाल के सचिव नवीन चावला को मार्फ़त मिले थे। मझे गिरफ्तार करने वाले पुलिस-मुर्पिटेंडेंट, के० छो० नैयर ने अपने बयान में कहा कि मेरी गिरफ्तारी से दो या तीन दिन बाद ही अभियोग-पत्र तैयार किया गया था। यह अभियोग मी० आई० छी० के मुर्पिटेंडेंट, के० एस० बाजवा द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर बनाये गये थे। पी०सी० भिडर ने यहाही देते हुए कहा कि उन्हें मेरी गिरफ्तारी की “जानकारी” मुर्पिटेंडेंट से मिली थी, इस गिरफ्तारी में उसका कोई हाय नहीं था; उन्होने केवल अपने कर्मचारियों से सिँचे यही कहा कि कुछदोष नैयर के साथ “समृच्छित शिष्टता” का बतवि किया जाये, क्योंकि वह एक प्रमुख पक्षकार है।

कृष्णचंद ने कमीशन को बताया कि उन्होंने सुपर-प्रधानमंत्री के आदेशों का "सिफ पालन" किया। कृष्णचंद ने कहा कि उन्हें मेरी गिरफ्तारी पर व्यक्तिसे था, ज्योंकि वह मुझे जानते थे, लैकिन ओम मेहता ने उन्हें बताया था कि श्रीमती गांधी मेरी गिरफ्तारी के लिए जोर दे रही थी।

समय मुझसे जैल में रहन-सहन की स्थिति के बारे में ही बातचीत की थी। इस असामान्य घटना के बारे में तरह-तरह की अटकले लगायी जा रही थी, कुछ को शक था कि मैं कुछ छिपा रहा था। रात बहुत हो गयी थी, हम सब सोने के लिए चले गये। हम इस असामान्य घटना को लेकर उल्लभत में पड़ गये थे; पता नहीं कब हमारी आंख लग गयी।

अभी छह नहीं बजे थे, फिर भी वार्डर ने मुझे जगा दिया। जैल-सुपरिटेंट फिर बाहर मेरा इन्तजार कर रहा था। जब मैं उससे मिला तब उसने बताया कि डिस्ट्री-कमिशनर ने जाने से पहले पिछली रात—वृहस्पति की रात—को ही मेरी रिहाई के लिए आवश्यक कागजों पर दस्तखत कर दिये थे।

मुझे अपना सपना याद आ गया।

मैं बाड़े में बापस लौट आया। सभी लोग यह सुन कर कि मैं रिहा किया जा रहा था, मुझे बधाई देने लगे। सुपरिटेंट चाहता था कि मैं जल्दी चला जाऊँ, मेरे कैदी साधियों ने मुझे अपना सामान बर्धने में मदद की। उन्होंने कहा कि वह मेरी याद करेंगे। कुछ ने यह आशा व्यक्त की कि मेरी रिहाई के बाद अब लोग ज्यादा भयंकर नहीं रहेंगे। कुछ ने मुझे अपने-अपने टेलीफोन नम्बर दिये और अपने परिवार के लोगों को यह बताने के लिए कहा कि वे सब ठीक हैं।

विदा होने से पहले राजस्थान का एक ब्राह्मण, जिसके माथे पर तिलक की ढेर सारी रेखाएँ बनी हुई थीं, मुझे अलग ले गया। वह मुझसे एक पेड़ लगवाना चाहता था।

करता था। उसकी नी बातचीत में धर्म

ताज्जुब करता था कि यह धार्मिक व्यक्ति क्यों नज़रबन्द किया गया। मैं अकसर उसे चिढ़ाता भी था कि ईश्वर ने उसे धोखा दिया है। वह हमेशा शान्त रहता। वह 'गीता' में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को बताये गये कर्मवाद में विश्वास करता था। उसका तर्क या कि जो कुछ कोइँ इस समय है, वह उसके पूर्वजन्म के कर्मों का फल है।

उसने मुझे पेड़ लगाने के महत्व को बताया। उसने इस बात पर जोर देने के लिए कि पेड़ का लगाना तीर्थयात्रा करने के समान है, संस्कृत के कुछ श्लोक भी सुनाये। उसके लम्बे-बौद्धे भाषण का सार यह था कि मैं बाड़े के अन्दर एक पेड़ लगाऊँ। बाड़ में उमीन इतनी ऊसर और पथरीली थी कि मैंने अपने बाड़ के

अध्यक्त नियम के अनुसार क्लोइ भी तेज़ भार का ओजार पुरुषों को नहीं दिया जा सकता था, इस डेर से कि ये लोग इन ओजारों का दस्तेम्हल आपस में लड़ाई करने में या निकल भागने के लिए मुरंग घोदने में करेंगे। यह दलील कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए वहाँ दिन-रात वार्डर रहता था, मानो नहीं भवी।

चाहे नियम हो चाहे नहीं, पंडितजी पेड़ लगवाने के अपने मिशन पर दृढ़ थे। उन्होंने एक गड़वा अपने हाथों से खोदा था। मैंने उसमें कहा कि पेड़ लगाने से मूँझे यह जाद जा पहाड़े कि वी० आई० पी०-लोग इन समारोहों को किस प्रकार प्रजार कर मातृपुत्र बनानें थे। और पहले से व्यंवस्था जी जाती थी कि वहाँ क्लोइ-प्राफर और सुवाददाता उपस्थित रहे।

मैंने पंडितजी से मजाक में पूछा, “फोटोग्राफर लोग कहाँ हैं?” जल्दी ही वहाँ और लोग भी इकट्ठे हो गये, उस काम के प्रति आदर की भावना से नहीं, जो मैं सम्पन्न कर रहा था वल्कि इसलिए कि हर किसी को जेल में समय काटना मुश्किल हो जाता था और इससे थोड़े समय के लिए मन बहल गया। वह पौधा अमरुद का था जो जल्दी ही बड़ा हो जाता है। मैंने वह पौधा धीरे-से गड्ढे में रखा, मिट्टी डाली और उसे सीच दिया। मैंने कोई भाषण नहीं दिया, हालाँकि लोग आग्रह करते रहे। मझे टेनीसन की पक्कियाद आ गयी : “दरार पड़ी दीवारों में फूल !” मैंने उस दिन के बारे में भी सोचा कि जब वह पौधा बढ़ कर पूरा एक पेड़ बन जायेगा। मैं तब कहाँ होऊँगा?

हालाँकि मैं रिहा होने से खुश था, मुझे विश्वास था कि मुझे उन लोगों की याद आयेगी जिनके साथ मैं दो महीने रहा। उन लोगों ने इस अवधि में कितनी बार अपनी समस्याएँ, शंकाएँ, आशाएँ बतायी और कितनी बार मैंने उनसे अपनी समस्याओं, शंकाओं आदि की चर्चा की। हम लोगों ने साथ-साथ तकलीफ़ झेली, हम साथ-साथ हँसे, हम आपस में झगड़े भी और हमने साथ-साथ आशाएँ भी

कि मैं उनके लिए ताना-

कि इस सबके लिए क्या

दरवाजे पर सबकी भीड़

लग गया। ये उपर्युक्त विवरण लकार चुप्तारक्षण के पास गया। मैंने उनसे पूछा कि क्या कोई मेरे घर कार भेजने के लिए टेलीफोन कर देगा? सुपरिटेंडेंट ने कहा कि यह नियम-विरुद्ध है, वह मुझे एक टैक्सी भेंगवा सकता है।

जब तक मैं टैक्सी में नहीं बैठ गया सुपरिटेंडेंट और बांदर मेरे पास खड़े रहे। वह मुझे आजाद होते देख रहे थे। बांद के किसी आदमी ने मुझे चेतावनी दी थी कि अधिकारी एक आदमी को एक और रिहा करते हैं और दूसरी ओर उसी समय गिरफ्तार भी कर लेते हैं। मेरे चारों ओर पुलिस का कोई आदमी नहीं था।

मझे उन भयानक दीवारों के बाहर आकर, बिना सीखचे लगी खिड़कियों से बाहर दैखते हुए अच्छा लग रहा था। मैंने देखा कि सड़कें बेहृद चौड़ी हो गयी थीं और महीनों जेल में रहने के बाद, जहाँ हर चीज अरुचिकर थी, कैटोनमेट का भीड़-भरा बाजार साफ़-सुथरा था।

...और वाद में

भारती किसी मन्दिर में गयी हुई थी और घर पर सिफ़र राजू था। जब उसने मुझे देखा तब उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, कुछ देर बाद मैंने उससे टेलीफोन-डाइवर को किराया देने को कहा। उसके बाद मैंने अपने माँ-बाप को टेलीफोन किया। मैंने पहले तो उनको अचम्भे में चिल्लाते सुना, लेकिन बाद में जब उन्होंने मेरी आवाज मुनी तब वह खुशी के मारे चिल्लाने लगे। मुझे पता चला कि मेरे समूर को पहले ही छोड़ा जा चुका था। तत्कालीन विधिमंत्री गोखले ने सरकार को बताया था कि उनके खिलाफ कोई भी मामला नहीं था और न मेरे। श्रीमती गाधी ने उनकी रिहाई के आदेश दे दिये थे, लेकिन मेरी फाइल अपनी मेज पर रख छोड़ी थी। स्पष्ट ही वह यह जानना चाहती थी कि मेरी अपील पर कोट्ट में क्या कारंवाई होगी। जब उन्हें यह बताया गया कि कोट्ट निश्चय ही मुझे रिहा कर देगी तब वह मेरी रिहाई पर सहमत हो गयी थी।

मन्दिर से लौटने के बाद भारती को मुझे राजू के पास बैठा देख कर अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सभी लोग खुश थे। बहुत-से टेलीफोन किये गये और बहुत-से टेलीफोन आये। राजू ने पूँड़ों के लिए आँड़र दिया (पूँड़ा एक तरह का मालपुए होता है जिसको पजाबी लोग वरसात के दिनों में खाते हैं)। यह उसकी मनपसन्द मिठाई थी। उसने कसम खा रखी थी कि जब तक मैं जेल में रहूँगा तब तक वह उसे नहीं छुयेगा। उसने दो महीने से इसे नहीं खाया था।

हालांकि मेरे परिवार के लोगों को मेरे जेल से छूटने पर ताज्जुब था, पत्रकारों को कोई भी ताज्जुब नहीं हुआ। जिस मुख्य सेंसर कायलिय ने मेरी रिहाई की खबर न छापने के लिए उन्हें निर्देश दिया था, मैं उनका कृतज्ञ था। मेरे घर पहुँचने के एक घटे के अन्दर कुछ विदेशी पत्रकार मेरी रिहाई का व्योरा जानने के लिए आ गये। मैंने उन्हें डिप्टी-कमिशनर के आने के बारे में बताया और कहा कि मैं इससे प्यादा कुछ नहीं जानता।

बहुत-से विदेशी समाचारपत्रों ने मेरी रिहाई की खबर छापी और मुझे ऐसे सुनी थी।

जब कोट्ट मेरे रिट-पिटीशन पर फ़ैसला सुनाया गया था तब मैं वहाँ हाजिर था। इस मामलों की सुनवाई। सितंबर 1975 को शुरू हुई थी। इस पर फ़ैसला सुनाने के लिए 10 सितंबर तारीख निश्चित की गयी थी। मेरे वचाव-पद्धा की ओर

से बी० एम० तारकुड़े, सोली सोरावजी और सॉलिसिटर अग्रवाल थे। इनमें से किसी ने भी फीस नहीं ली थी।

सरकार ने दलील दी कि चूंकि मुझे रिहा कर दिया गया है¹, इसलिए फैसला सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जजों ने कहा कि वे फैसला सुनायेंगे। सौनियर जज रंगराजन ने कहा कि जिस तरीके से सरकार ने यह मुकदमा चलाया उससे लगता था कि वह फैसला चाहती है, लेकिन जब मुलज़िम के खिलाफ़ कोई भी मुकदमा नहीं बना और सरकार ने सभभा कि वह छोड़ दिया जायेगा तब उसने फैसले से बचने के लिए नज़रबंद को रिहा कर दिया। रंगराजन ने फैसला² पढ़ा और एक ऐसे आदमी को कैद करने के लिए सरकार की आलोचना की जिसका राजनीति से कोई संबंध नहीं था, जिसने किसी भी कानून को नहीं तोड़ा था और जिसने सिर्फ़ पत्रकार की तरह काम किया।

जजों ने यह अनुभव किया कि प्रश्न महत्वपूर्ण है और इस मामले में फैसला सुनाना ज़रूरी है : “हमने कानूनी विचार किये जाने की संभावना को स्पष्ट करने की कोशिश की है, साथ ही यह स्पष्ट करने की कोशिश की है, मोटे तौर पर ही सही, कि प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और किस हद तक कानूनी विचार संभव है। हमने यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि कानून के तहत कोई भी नियम प्रशासक को मनमानी कार्रवाई करने की इजाजत नहीं देता।”

कोट्टे का कमरा भीड़ से भरा था। फैसले के बाद कुछ विदेशी पत्रकारों ने मुझे घेर लिया जो वहाँ मौजूद थे और उन्होंने मेरी प्रतिक्रिया जाननी चाही। मैंने उनसे कहा, “मेरी दलील उचित ठहरायी गयी और समाचारपत्रों की स्वतंत्रता की विजय हुई।”

विदेशी समाचारपत्रों ने फैसले की संराहना की। लन्दन से प्रकाशित गांधियन को टिप्पणी अनोखी थी—

केवल कुछ कुत्ते ही भीक रहे थे

भारत में इमरजेंसी नागू हुए लगभग तीन महीने बीत रहे हैं और विरोधियों का गायब होना एक रहस्य बनता जा रहा है। ज़्यूप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई और इसी तरह के अन्य वरिष्ठजन के भाग्य के बारे में निश्चय ही अब कोई रहस्य नहीं रह गया है। वे दस हजार से भी ज्यादा लोगों के साथ जैल में हैं। लेकिन देश के विशाल भू-भाग में कहीं भी विरोध का एक भी स्वर इस निस्तब्धता को नहीं भंग कर रहा है। जो विरोधी थे उन्होंने अपने सारे सिद्धान्तों को ताक पर रख दिया है और थीमती गाधी का आश्चर्यजनक ढग से समर्थन कर रहे हैं। समाचारपत्रों को पालतू बना दिया है या उनका गला घोट दिया गया है।

केवल न्यायपालिका ही सफलतापूर्वक स्वतंत्र है। कुलदीप नय्यर के मामले में सरकार के खिलाफ़ दिल्ली के हाई कोट्टे के फैसले से इस बात का फिर से संकेत संकेत मिलता है कि भारत के न्यायाधीशों में कम-से-कम कुछ साहसी और

I. . . . :

शूरु होने के पांच मिनट पहले दिया गया था और उनसे उस पर दस तस्वीर करने को कहा गया था।³

2. परिणाम III में सारांश।

आजाद हैं। एकमप्रेस न्यूज सर्विस के सम्पादक, थी नव्यर उन हजारों लोगों में से थे जिन्हे कैदी बनाया गया था। लेकिन उनकी पत्नी ने इसके खिलाफ निर्भीक हो संघर्ष किया, थी नव्यर की प्रतिष्ठा पर कोई भी ओच नहीं आयी और उच्च-न्यायालय में दर्ज याचिका के कारण फ़ैसले के पहले ही उनको रिहा करना पड़ा।

लेकिन इससे हमें यादा युश नहीं होना चाहिए। इसके कई कारण हैं। पहला, न्यायपालिका अपने तंत्र के कारण आजादी का दुर्गम स्रोत है। जैसा कि कुलदीप नव्यर के मामले में हुआ, वह व्यक्ति को आजाद कर सकती है लेकिन जिलों में अभी इतने लोग हैं कि धैदालतों को उनके मामलों की सुनवाई के लिए इकोसर्वी शताब्दी आने तक बैठे रहना पड़ेगा। और दूसरा यह कि, जब आजादी को चौरी-खुपे खत्म करना आसान हो तो उसे बचा सकना मशिल होता है।

काव्यसुप्त आकाशाओं की कूड़े की टोकरी में तो फेंक ही दिया है, अन्य मामलों में भी उनका पंजा और यादा मजबूत होता जा रहा है। इमरजेंसी शासन कुशलता व दक्षता का शासन है। अब कहीं कोई उपद्रव नहीं हो पाता, क्योंकि जो

किया है उस सनातन रूप से नीतिकता प्राप्त हो जाये और तब शोध, उनके विदेशी आलोचक उन पर उंगली उठाना भी बन्द कर देंगे। तब हम सब-कुछ भूल जायेंगे (और यही सबसे बड़ा खतरा है) कि शान्ति सरकार द्वारा अत्याचार, बिना मुकदमा चलाये जेल भेजने और सर्वेत्र सभी समाचारपत्रों पर रोक

विरोध की कोई बात नहीं सुनी जायेगी, इसलिए चुनाव में जीत-ही-जीत नजर आयेगी। और तब तक और कुछ नहीं तो न्यायाधीश भारतवासियों को सत्य की याद दिलाते रहेंगे। कुलदीप नव्यर ने कोई गलत काम नहीं किया, उन्होंने कोई प्रदर्शन नहीं किया, उन्होंने कोई गैर-कानूनी पार्टी की सदस्यता को नहीं स्वीकार किया। वह बस निष्ठा के साथ अपना काम करते रहे जो निश्चय ही अपूर्व है। श्रीमती गांधी के दरबार का रोप उन पर फूट पड़ा। जहाँ पर वड़े-वड़े संघर्ष नहीं होते वहाँ छोटे-छोटे संघर्ष ही पर्दे को एक और हटा देते हैं।

इसके दूसरे ही दिन थी युक्त के लिए प्रेस-न्यूज में जल-पान का आयोजन था। यह संयोग था कि मैं और वह एक ही साथ वहाँ पहुँचे। मैंने उनसे हाथ मिलाया और मैं पत्रकारों की भीड़ में जा मिला। वहाँ मेरे दुबले ही जाने पर हँसी-मजाक हुआ—मेरा चुनन लगभग एक किलोग्राम घट गया था—लेकिन मैंने कहा कि मुझे इसके लिए कोई दुख नहीं था। थी युक्त ने मूँझे बुलाया और विश्वाया दिलाते हुए कहा कि मेरी गिरफ्तारी से उनका कोई संबंध नहीं था।

उन्होंने आगे कहा, "उन्होंने तुम्हारा दस लाख डालर का प्रचार किया है"। इससे निश्चय ही उनका आशय मेरी गिरफ्तारी के बारे में विदेशों में प्रकाशित समाचारों से था।

कुछ घंटों के बाद हम एक-दूसरे से उलझ गये। किसी समाचारपत्र वाले ने उनसे पूछा कि नागरिक स्वतंत्रता के मामले क्यों दबाये जा रहे थे और सरकार ने क्यों समाचारपत्रों को ऐसे आदेश दिये कि वे इस बारे में कुछ भी न छापें? श्री शुक्ल प्रसंग समझ गये। उन्होंने कहा—“कुलदीप नयर का मामला राजनीतिक था।” मैं उठ खड़ा हुआ और मैंने इसका विरोध करते हुए कहा कि जब न्यायालय कह चुका है कि ऐसी कोई बात नहीं थी और यह कि सरकार ने मुझे अवैध तरीके से गिरफ्तार किया था तब मंत्री महोदय को ऐसा नहीं कहना चाहिए। जब उन्होंने अपना आरोप दुहराया तो मैंने कहा—“या तो सिद्ध कीजिये या फिर मत कहिये। मैं आपकी या किसी और की बात सुनने को तैयार नहीं हूँ।”

प्रेस-बलब की बैठक में श्री शुक्ल के खिलाफ काफी गमगिरी रही। मैं इससे उत्साहित होकर पत्रकारों से अलग-अलग इसलिए मिला, जिससे यह पता लगा सकूँ कि क्या ये लोग समाचारपत्रों पर से रोक उठा लेने के लिए एक बार फिर प्रस्ताव पास करने के लिए सहमत होंगे। मुझे यह देखकर ताज़ुब हुआ कि दो महीने पहले जो पत्रकार ऐसा करने के लिए इच्छुक थे उनसे से अब आधे दर्जन भी इसके लिए तैयार नहीं थे। वे डरे हुए थे।

वहाँ भय था। सभी पत्रकार भयभीत थे। कुछ थोड़े-से पत्रकार ही मेरे पास आये और मुझसे मिले। यहाँ तक कि मेरे कुछ घनिष्ठ मित्र और संबंधी भी मुझसे आँख चराते थे। उन्हे मालूम था कि मेरे मकान पर चौबीसों घंटे निगरानी रखी जाती थी और जो भी आता उसका नाम और हुलिया, यहाँ तक कि कार का नम्बर भी, नोट किया जाता था। मुझे चिन्ता इस बात की थी कि इस विरोधके ढोंग को भी कैसे बनाये रखा जाये। मैं जेल के अपने साथियों की याद करने लगा। तभी मैंने शेख अब्दुल्ला से मिलने के लिए श्रीनगर जाने का इरादा बनाया।

श्रीनगर में मेरे आने की खबर सुनकर शेख मेरे होटल आये। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और कहा, “तुम भी अब हाजी हो गये हो,” अर्थात् मैं भी जेल हो आया था। वह मुझे अपने घर ले गये। उन्होंने मुझसे हालात के बारे में व्योरे-वार बातचीत की। वह विरोध पक्ष वालों, विशेषकर जयप्रकाश नारायण, से इस बात के लिए बहुत असन्तुष्ट थे कि उन्होंने बिना तैयारी किये आंदोलन का आँहान कर दिया था। अगर उनका बस चलता तो वह नज़रबंदों की सहायता के लिए सब-कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्हे यह विश्वास नहीं था कि श्रीमती गांधी इस संबंध में उनकी किसी बात को सुनेगी। शेख ने बताया कि कुछ दिनों पहले उन्होंने श्रीमती गांधी को सुझाव दिया था कि सभकौते का कोई रास्ता ढूँढ़ निकाला जाना चाहिए, लेकिन वह सुनकर आग-न्वृला हो गयी थी। मैंने उनसे कहा कि इस समय जो लोग जेलों में बन्द हैं और जो बाहर है, सभी उनसे मदद चाहते हैं और चूँकि जब वह नज़रबंद थे तब जे० पी०-जैसे लोगों ने उनकी रिहाई की माँग की थी, इसलिए उन्हें भी नज़रबंदों को जेल से छोड़े जाने के लिए कुछ-न-कुछ करना चाहिए। उन्होंने बचन दिया कि उनसे जो कुछ हो सकेगा, जरूर करेंगे, लेकिन उन्हे कोई रायदा उम्मीद नहीं थी। शेख ने कहा, “अगर मैंने कुछ भी किया तो वह ऐसी व्यक्ति है जो मुझे भी तुरन्त जेल भेज देंगी।”

इमरजेंसी के बारे में शेख से किसी ऐसी बात को कहलवाना जिसे रिकार्ड में

आजाद हैं। एकमप्रेस न्यूज सर्विस के सम्पादक, थी नव्यर उन हजारों लोगों में से ऐ जिन्हें केंद्री बनाया गया था। लेकिन उनकी पत्नी ने इसके छिलाफ निर्भीक ही संघर्ष किया, थी नव्यर की प्रतिष्ठा पर कोई भी औच नहीं आयी और उच्च-न्यायालय में दजे याचिका के कारण फँसते के पहले ही उनको रिहा करना पड़ा।

लेकिन इससे हमें यादा खुश नहीं होना चाहिए। इसके कई कारण हैं। पहला, न्यायपालिका अपने तंत्र के कारण आजादी का दुर्गम स्रोत है। जैसा कि कूलदीप नव्यर के मामले में हुआ, वह व्यक्ति को आजाद कर सकती है लेकिन जेलों में अभी इतने लोग हैं कि अंदालतों को उनके मामलों की सनवाई के लिए

का वसुप्त आकाशाओं की कूड़े की टोकरी में तो फेंक ही दिया है, अन्य मामलों

किया है उस सनातन रूप से नीतिकता प्राप्त हो जाये और तब शोध, उत्तरके विदेशी आलोचक उन पर उंगली उठाना भी बन्द कर देंगे। तब हम सब-कुछ भूल जायेंगे (और यही सबसे बड़ा खतरा है) कि वानित सरकार द्वारा अत्याधार, विना मुकदमा चलाये जेल भेजने और सर्वेत्र सभी समाचारपत्रों पर रोक

प्रदर्शन नहीं। किया, उन्होंने कोई गैर-कानूनी पार्टी की सदस्येता को नहीं स्वीकार किया। वह बस निष्ठा के साथ अपना काम करते रहे जो निश्चय ही अपूर्व है। थीमर्ती गांधी के दरवार का रोप उन पर फूट पड़ा। जहाँ पर वड़े-वड़े संघर्ष नहीं होते वही छोटे-छोटे संघर्ष ही पद्दें को एक और हटा देते हैं।

इसके दूसरे ही दिन थी युक्त के लिए प्रेस-कलब में जल-यान का आयोजन था। यह मंयोग था कि मैं और वह एक ही साथ वहाँ पहुँचे। मैंने उनसे हाथ जाला। वहाँ मेरे दुखते हो जाने पर पौच किलोग्राम घट गया था—लेकिन विश्वास दिलाते हुए कहा कि मेरी गिरफ्तारी से उनका कोई मंदिर नहीं था। थी युक्त ने मुझे बुलाया और

उन्होंने आगे कहा, “उन्होंने तुम्हारा दस लाख डालर का प्रचार किया है”। इससे निश्चय ही उनका आशय मेरी गिरफ़तारी के बारे में विदेशों में प्रकाशित समाचारों से था।

कुछ धंटों के बाद हम एक-दूसरे से उलझ गये। किसी समाचारपत्र वाले ने उनसे पूछा कि नागरिक स्वतंत्रता के मामले क्यों दबाये जा रहे थे और सरकार ने क्यों समाचारपत्रों को ऐसे आदेश दिये कि वे इस बारे में कुछ भी न छापे? श्री शुक्ल प्रसंग समझ गये। उन्होंने कहा—“कुलदीप नव्यर का मामला राजनीतिक था।” मैं उठ खड़ा हुआ और मैंने इसका विरोध करते हुए कहा कि जब न्यायालय कह चुका है कि ऐसी कोई बात नहीं थी और यह कि सरकार ने मुझे अवैध तरीके से गिरफ़तार किया था तब मंत्री महोदय को ऐसा नहीं कहना चाहिए। जब उन्होंने अपना आरोप दुहराया तो मैंने कहा—“या तो सिद्ध कीजिये या फिर मत कहिये। मैं आपकी या किसी और की बात सुनने को तैयार नहीं हूँ।”

प्रेस-न्यूज़ब की बैठक में श्री शुक्ल के खिलाफ़ काफी गर्मांगर्भी रही। मैं इससे उत्साहित होकर पत्रकारों से अलग-अलग इसलिए मिला, जिससे यह पता लगा सकूँ कि वया ये लोग समाचारपत्रों पर से रोक उठा लेने के लिए एक बार फिर प्रस्ताव पास करने के लिए सहमत होंगे। मुझे यह देखकर ताज़ज़ब हुआ कि दो महीने पहले जो पत्रकार ऐसा करने के लिए इच्छुक थे उनमें से अब आधे दर्जन भी इसके लिए तैयार नहीं थे। वे डरे हुए थे।

वहाँ भय था। सभी पत्रकार भयभीत थे। कुछ थोड़े-से पत्रकार ही मेरे पास आये और मुझसे मिले। यहाँ तक कि मेरे कुछ धनिष्ठ मित्र और संवधी भी मुझसे आँख चुराते थे। उन्हे मालूम था कि मेरे मकान पर चौबीसों धंटे नियरानी रखी जाती थीं और जो भी आता उसका नाम और हुलिया, यहाँ तक कि कार का नम्बर भी, नोट किया जाता था। मुझे चिन्ता इस बात की थी कि इस विरोधके दोंग को भी कैसे बनाये रखा जाये। मैं जेल के अपने साथियों की याद करते लगा। तभी मैंने शेष अब्दुल्ला से मिलने के लिए श्रीनगर जाने का इरादा बनाया।

बात के लिए बहुत असन्तुष्ट थे कि उन्होंने बिना तैयारी किये आन्दोलन का आँहान कर दिया था। अगर उनका बस चलता तो वह नज़रबंदों की सहायता के लिए सब-कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्हे यह विश्वास नहीं था कि श्रीमती गांधी इस संबंध में उनकी किसी बात को सुनेंगी। शेख ने बताया कि कुछ दिनों पहले उन्होंने श्रीमती गांधी को सुभाव दिया था कि समझौते का कोई रास्ता ढूँढ़ निकाला जाना चाहिए, लेकिन वह सुनकर आग-बबूला हो गयी थीं। मैंने उनसे कहा कि इस समय जो लोग जेलों में बन्द हैं और जो बाहर हैं, सभी उनसे मदद चाहते हैं और चैकिं जब वह नज़रबंद थे तब जै.० पी०-जैसे लोगों ने उनकी रिहाई की माँग की थी, इसलिए उन्हें भी नज़रबंदों को जेल से छोड़े जाने के लिए कुछ-न-कुछ करना चाहिए। उन्होंने बचन दिया कि उनसे जो कुछ हो सकेगा, ज़रूर करेंगे, लेकिन उन्हे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं थी। शेख ने कहा, “अगर मैंने कुछ भी किया तो वह ऐसी व्यक्ति है जो मुझे भी तुरन्त जेल भेज देंगी।”

इमरजेंसी के बारे में शेष से किसी ऐसी बात को कहलवाना जिसे रिकार्ड में

नाया जा सके, बहुत ही मुश्किल काम था। उद्देश्य के दिलेर सम्पादक अहमद शमीम, जो उन दिनों शेख के विश्वासपात्र हथा करते थे, और मैंने साथ बैठकर इन्टरव्यू की रिपोर्ट तैयार की, जिसे शेख ने प्रकाशित होने पर पढ़ा। इसका कुछ अंश उस विचार-विमर्श पर आधित था जो मैंने उनके साथ किया था। इस रिपोर्ट का आवश्यक अंश जैसा प्रकाशित हुआ, इस प्रकार था:

शेख अब्दुल्ला ने मेरे साथ हुई एक मैट्ट-वार्ता में मुझसे कहा कि उन्होंने राज्य में 'समझौते और दोस्ती' का रास्ता चुना है और वह देश के सभी मामलों में इसी तरह के दृष्टिकोण को अपनाने का सुझाव देते हैं। उन्होंने कहा, "मेरे पास कोई बना-बनाया है या कार्मला देने को नहीं है, लेकिन मुझे यक़ीन है कि हम ऐसा रास्ता ढूँढ़ सकते हैं जिससे लोकतंत्र को सही रास्ते पर वापस लाया जा सके।"

श्री अब्दुल्ला बहुत धीरे बोल रहे थे जैसे वह हर शब्द को तोलते जा रहे थे। उनसे मिलकर मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसे आदमी से मिला जो इस विषय पर कुछ न बोलना ही उचित समझता था।

"मैं आपको एक बात बता सकता हूँ। प्रधानमंत्री ने मुझसे कभी नहीं कहा कि मैं इस मामले में कुछ कहूँ। फिर भी, जो लोग समझौते को अच्छा समझते हैं उनके लिए मेरी सेवाएँ हमेशा हाजिर हैं।"

उन्होंने बहुत-से सवालों को यूँ ही टाल दिया और यह कहकर विषय बन्द कर दिया, "जो कुछ होना था, हो गया। कभी कोई दिन ऐसा आयेगा, जब इतिहासकार उसके कारणों की छानबीन करेंगे और किसी को दोषी बतायेंगे। इस समय हम लोगों को चाहिए कि हम अपनी संस्थाओं को मज़बूत करने में जुट जाये ताकि फिर से हम न गड़वड़ायें।"

मैं श्रीनगर से खदा होकर नहीं लौटा, लेकिन शमीम और मुझे, दोनों को इस बात का पूरा यक़ीन था कि अगर शेख ने इमरजेंसी के खिलाफ कुछ भी खुलकर किया तो श्रीमती गांधी उनको फिर जेल भेजने का साहस नहीं करेगी। शेख के खिलाफ कार्रवाई करने का मतलब होगा कि विरोध की बुझी हुई वाग को फिर से मुलगाना। लेकिन शेख सोचते थे कि वह कुछ बोले तो विला वजह बात बढ़ जायेगी और जेल में रहने के बजाय बाहर रहकर दगदा अच्छी तरह से देश की सेवा कर रहे थे।

श्रीनगर से मैं मद्रास गया और तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि से मिला। उन्होंने इमरजेंसी और श्रीमती गांधी की बड़ी आलोचना की। उन्होंने श्रीमती गांधी को भरा-पूरा तानाशाह बताया। लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि वह तमिलनाडु के शासन को अपने हाथ में ले लेंगी। मैंने उनसे पूछा कि वया उन्होंने पार्टी को हर तरह की स्थिति का सामना करने के लिए तैयार कर लिया है और अगर श्रीमती गांधी ने तमिलनाडु पर राष्ट्रपति शासन लागू किया तब सत्याग्रह घेड़ों के लिए क्या उन्होंने सदस्य बना लिये हैं? उन्होंने बताया कि वह आवश्यक तंयारियां कर रहे हैं।

1. जब तमिलनाडु का शासन केंद्र द्वारा अपने हाथ में लिया गया तब कोई भी बादोलन नहीं हुआ। नयी दिल्ली से ठीक अफसर हवाई बहाड़ से गये और उन्होंने बिना किसी दृग्यव के अपना काम पूरा कर दिया।

मैंने कर्णानिधि से पूछा कि क्या वह गुप्त रूप से समाचारपत्र निकालने के लिए तैयार हैं। उस समय गुप्त रूप से विभिन्न क्षेत्रों से जो भी समाचारपत्र प्रकाशित और प्रसारित होते थे वह मुख्यतः भावना-प्रधान होते थे, उनमें तथ्यों और पुष्ट तर्कों का अभाव रहता था। उन्होंने कहा कि गुप्त साहित्य का प्रकाशन तमिलनाडु में तो हो सकता है, लेकिन जहाँ तक उसे डाक द्वारा दाहर भेजने का प्रश्न है, वह प्रदेश से बाहर किया जाना चाहिए। वह इस काम की जिम्मेदारी को स्वयं लेने या तमिलनाडु में किसी और को देने के लिए राजी नहीं हुए—वह स्वयं भी कोई झंझट नहीं मोल लेना चाहते थे।

इसके बाद मैं लोगों से मिलने कोचीन गया। मुझे वहाँ कुछ सी० पी० एम०

गया होगा। लेकिन वरार ने मुझे मेरे मामले में हाईकोर्ट द्वारा की गयी आलोचना के खिलाफ अफसरों का एक पिटीशन दिया। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी और पिटीशन की एक प्रति पर मुझसे दस्तखत करवाना चाहते थे। मैंने इस मामले में आगे कार्रवाई नहीं की।

दिल्ली में संवैधानिक संशोधनों का भूत सवार था। संविधान में पूरी तरह से संशोधन करने के लिए, जिससे वह देश की सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति और अधिक उत्तरदायी बन सके, स्वर्णसिंह की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति थी। श्रीमती गांधी ने कहा था कि मंसदीय प्रणाली बनी रहेगी और संविधान में केवल 'कुछ ही संशोधन' किये जायेंगे, लेकिन लोगों की शंकाएँ नहीं दूर हुई थीं। लोगों की, खास तौर से बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों की, माँग थी कि जब तक नये चुनाव नहीं हो जाते हैं संविधान में कोई भी संशोधन न किया जाये। सुप्रीम कोर्ट वार एसोसियेशन ने कहा था कि इसरजेसी के दौरान कोई भी संवैधानिक संशोधन नहीं किया जाना चाहिए। गैर-कम्प्युनिस्ट विरोधी पक्ष के लोगों और सी० पी० एम० ने संवैधानिक संशोधन विषयक कांग्रेस पार्टी की समिति के साथ विचार-विमर्श करने से इनकार कर दिया था और आवश्यक संशोधनों को पारित करने के लिए विशेष संसदीय अधिकेशन का वहिकार किया था।

इस बात के लिए गभीर प्रयास किये जा रहे थे कि 42वें संशोधन विधेयक को, जिसका उद्देश्य संविधान के लगभग साठ अनुच्छेदों में संशोधन करना था, दो-तिहाईका बहुमत न मिलने दिया जाये। शायद जगजीवनराम का विवेक उन्हें

सकते थे। उन्होंने अधिकांश को इस विधेयक से असन्तुष्ट देखा, लेकिन लोग खुल कर विरोध करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने विरोधी दलों से सम्पर्क किया और उनसे संसद के सत्र में उपस्थित रहने के लिए कहा, जिससे कांग्रेस के कुछ

सदस्यों की सहायता से इस विधेयक को रोका जा सके। विरोधी पक्ष के कुछ सदस्य दिल्ली से बाहर थे। ऐसे लोगों को हवाई जहाज से दिल्ली लाने का इन्तजाम किया गया। यह दो दिन तक चला। सरकार को इन कार्रवाइयों की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन श्रीमती गांधी को इसका पता चल गया। जिन कार्रवाइयों ने इस विधेयक के खिलाफ मत देने का वचन दिया था जब उनको पता चला कि श्रीमती गांधी को यह मालम भी गगा है तब इनमें से अधिकांश पीछे पाये। जब मंशोधन विधेयक गगा कि उन्हें जो विचार मत

पर लियो। उसका एक अंग प्रासंगिक है—“उनकी अपील दिल के प्रति है। विन चाहे लोग भूते हैं—भूख भोजन की नहीं बल्कि शान्ति के लिए है, वह प्यासे हैं—यह प्यास पानी के लिए नहीं बल्कि शान्ति के लिए है। वे नंगे हैं—उन्हें कपड़ों की नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की चाह है; वे गृह-विहीन हैं—उन्हें घर नहीं बल्कि सद्भाव की ज़रूरत है।”

कुछ हफ्ते बाद मैंने श्रीमती गांधी के इस कथन के बारे में लिखा कि वह विरोधी पार्टियों से बातचीत करने के लिए तैयार है। मैंने लिखा कि उन लोगों से बातचीत करने की ज़रूरत है जो जेलों में बंद है। मैंने आग्रह किया कि उनसे बातचीत करनी हो तो नजरबंदों को रिहा करना ज़रूरी है। रिहाई से अनुकूल बातावरण बन जायेगा। इस दिशा में कुछ भी किया जाये तो जेलों का सहयोग चाही होगा, क्योंकि उनका विरोधी दिल पर बहुत असर है।

बाद में पवनार आथम में आचार्य विनोद भावे की विद्व-मंडली की बैठक के बारे में लिखते हुए मैंने यह दलील पेश की कि किसी भी राष्ट्र की खुशहाली के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए लोकतंत्रीय पद्धतियों व संस्थाओं की ज़रूरत है। नो अगस्त को ‘भारत छोड़ो’ आदोलन की जयती के अवसर पर मैंने लिखा कि “उस संघर्ष का इतिहास जानना तो ज़रूरी है ही, नौजवानों के लिए यह भी जानना चाहिए कि उसके पीछे क्या भावना काम कर रही थी। वह धारकों व सातितों के बीच टकराव-माम नहीं था। वह तो तानाशाही पद्धतियों व स्वतंत्र इच्छा के बीच संघर्ष था, तानाशाही व लोकतंत्र का टकराव था। बाज भी नौजवानों को इस बारे में सचेत रहना चाहिए। लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार रहना चाहिए। राजतंत्र या एकतंत्र की अपेक्षा जनतंत्र में स्वतंत्रता के लिए ज्यादा उत्तरा रहता है।”

मेरे बहुत-से ऐसे लेख शुक्ल, संजय और श्रीमती गांधी को मिल चुके थे, जो उन्हें रचिकर नहीं थे और मुझे गिरपत्रार करने का एक बार फिर विचार किया जा रहा था। जन-नंचार साधनों के अध्ययनों की एक बैठक में शुक्ल ने मेरा नाम भी लिया था और कहा था कि मैं “एक साप था जिसे शुक्ल देना चाहिए था।”

मेरी नज़रबदी के लिए कारणों की व्यु-रेखा तैयार करने के लिए एक फ़ाइल योगी नवीनी थी। नवीन जब यह महसूस हुआ कि मेरी फिर से गिरपत्रारी से व्यु-रेखा प्रचार होना शुरू हो जायेगा तब इस विचार की याँ ही छोड़ दिया गया।

इमी श्रीम इंडियन एक्सप्रेस पर यह दबाव ढाला गया कि वह मुझे व्यु-स्टिं कर दे। एक्सप्रेस यूप ऑफ न्यूज़पेपर्स के प्रोप्राइटर, रामनाथ गोप्तवका से कह

दिया गया था कि “आगे बातचीत इस शर्त पर शुरू की जायेगी कि आर० एन० गोयनका को चाहिए कि वह इंडिपन एक्सप्रेस ग्रुप के एडीटर-इन-चीफ की ओर एक्सप्रेस न्यूज सर्विस के एडीटर श्री कुलदीप नव्यर की सेवाएँ तुरन्त खत्म कर दे ।”¹

सरकार एक्सप्रेस ग्रुप के सारे अखबारों को अपने “पूरे नियंत्रण” में ले लेना चाहती थी—उन्हें खारीदना नहीं चाहती थी। गोयनका को यह भी बता दिया गया था कि “अगर उन लोगों ने अपने अखबारों का नियंत्रण सरकार को नहीं दिया तब मीसा कानून के तहत उनको, उनके लड़के भगवानदास और वह सरोज को नजरबन्द करने का निश्चय कर लिया गया है ।”

गोयनका राजी नहीं हुए। उन्होंने न तो मुझे ही निकाला और न अपने अखबारों पर से नियंत्रण ही हटाया। जब उन्हें हाटं अटैक हुआ और वह कलकत्ता में पड़े हुए थे तब सरकार ने उनके लड़के भगवानदास को धमका कर मुलगावकर को रिटायर करवा दिया। उन दिनों हिन्दुस्तान टाइम्स पब्लिकेशंस के चेयरमैन के० के० बिड़ला, इंडिपन एक्सप्रेस ग्रुप ऑफ पेपर्स के भी चेयरमैन थे। गोयनका ने बिड़ला को चेयरमैन बनाना तब स्वीकार किया जब उन्हें बताया गया कि अगर वह बिड़ला की नियुक्ति से सहमत नहीं होते तो “प्रधानमंत्री उनकी असहमति को सद्भावना-विहीन कार्य समझेगी ।”

एक्सप्रेस के बोर्ड में ग्यारह डाइरेक्टर थे। सरकार चाहती थी कि इनमें से छह उसके नामजद व्यक्ति हों। नामों पर कई दिनों तक बातचीत चलती रही। गोयनका को यह बताया गया कि “वह कम-से-कम कुलदीप नव्यर को नौकरी से वस्त्रित कर दें, जिससे वह सिद्ध हो सके कि वह इस बातचीत में निष्ठावान है ।” उन्होंने इसका यह जवाब दिया कि चौंकि नव्यर पर वर्किंग जर्नलिस्ट एकट लागू होता है जिससे सेवा काल की अवधि निश्चित होती है, इसलिए उन्हें ऐसा करना असंभव है ।

गोयनका ने यह भी कहा कि वह अखबारों पर से अपना नियंत्रण नहीं हटायेगे और वह इस मामले को कोटं में ले जायेगे। जब शुक्र ने देखा कि गोयनका नहीं दबरहे हैं तब उन्होंने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि सरकार जिन छह डाइरेक्टरों को नामजद करेगी वह “निष्पक्ष व्यक्ति” होंगे।

सरकार ने नामों की जो सूची पेश की उनमें ये लोग शामिल थे : के० के० बिड़ला (चेयरमैन); पी० आर० रामकृष्णन; विनय के० शाह; ए० के० एंथेनी, केरल कांग्रेस के अध्यक्ष या स्टीफेन एम० पी०; शमसुदीन; सत्यनारायण, एम० पी०; टी० पंचानन, एम० एल० सी०; किपिला वैकटेश्वर; राव और रामन, पहले इसस्ट्रेटेंड घीकली से संबद्ध ।

गोयनका ने दोस आदमियों की सूची पेश की : जगमोहन रेडी, रिटायर्ड जज मुश्रीम कोटं, वाइस-चेयरमैन, उस्मानिया यूनिवर्सिटी; अलगिरि स्वामी, रिटायर्ड जज, सुश्रीम कोटं; एस० रंगनाथन एम० पी०, रिटायर्ड ऑफिटर-जनरल; टी० एस० श्रीनिवासन, डाइरेक्टर, टी० वी० एस०, मद्रास; श्रेयास प्रसाद जैन, उद्योगपति, वर्माई; भरतराम, उद्योगपति, दिल्ली; आर० के० पोद्दार, एम० पी०, उद्योगपति, कलकत्ता; अरविन्द नरोत्तमलाल, लालभाई ग्रुप, अहमदाबाद;

1. यह उस हलफनामे का एक अंश है जो सरकार द्वारा मालिकों को परेशान करने व बख़बार बन्द कराने की कोशिशों के छिलाक दबई व दिल्ली हाई कोर्ट में दायर किया गया था ।

तेथा अन्य ऐसी ही संस्थाओं को परामर्श देते हुए एक गुप्त नोट (डी० आर०/1050/76) भेजा कि “इंडियन एक्सप्रेस प्रूप द्वारा प्रकाशित या उससे संबद्ध किसी भी समाचारपत्र को कोई भी विज्ञापन नहीं दिया जाये।” इस नोट के साथ समाचारपत्रों की सूची¹ भी संलग्न की गयी और इस संबंध में की गयी कार्रवाई को ‘शीघ्र सूचित’ करने को कहा गया था। प्राइवेट संस्थाओं को कहा गया और घमकी दी गयी कि किसी भी एक्सप्रेस प्रकाशन में कोई भी विज्ञापन न दें। इससे आमदनी बड़ी तेजी से गिरने लगी।

दिल्ली में हम लोगों को तंग करने के लिए प्रशासन द्वारा कुछ और कार्रवाई की गयी। तीस सितम्बर को हमारे प्रेस की विजली विना पूर्व-सूचना दिये काट दी गयी। हमने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दी, जिसने विजली को पुनः चालू करने के लिए आदेश दिये। कुछ दिनों बाद, एक दूसरी मुसीबत आयी। दिल्ली नगर निगम के अफसर पुलिस को लेकर हमारे प्रेस आये और उसे जबरदस्ती सील कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट में फिर एक याचिका दायर कर दी गयी। दिल्ली नगर निगम के अफसरों ने प्रेस पर से सील तो हटा दी, लेकिन वह 1,82,000 रुपये की क्रीमत की एयरकंडीशनिंग मशीन और वूस्टर पम्पों को कुर्क करने का एक आदेश ले आये। निगम ने आरोप लगाया था कि उसका 8,00,000 रुपया बाकी है; इस राशि पर विवाद चल रहा था और हमारे समाचारपत्र को स्थगन का आदेश पहले ही मिल चुका था।

ऊपर से वैकोंने कसना शुरू कर दिया। पंजाब नेशनल वैक एक्सप्रेस का मुख्य वैकरथा, लेकिन पहले तौ उसने कर्ज देना कम किया और फिर विलकुल बंद कर दिया।

यह एक बेजोड़ लड़ाई थी। सरकार कठोर थी, उसकी शक्तियाँ असीम थी जब कि एक समाचारपत्र को यह अधिकार नहीं प्राप्त था कि वह अपनी बात भी कह सकता। सेंसर के अफसर यह निर्णय करते थे कि कौन-सी चीज़ प्रकाशित की जा सकती है।

लेकिन विदेशी समाचारपत्रों में इन अत्याचारों की छोटी-से-छोटी खबर भी छप जाती थी, जो इंडियन एक्सप्रेस प्रूप के अखबारों पर किये जा रहे थे। सरकार इस प्रचार से चिरित हो उठी और कुछ दिनों के लिए हमें छोड़ दिया गया। उसने तब भी कोई कार्रवाई नहीं की जब गोयनका ने बोर्ड का पुनर्गठन किया और उन सभी लोगों के नाम निकाल दिये जो सरकार द्वारा नामजद किये गये थे। युवल और उनके मालिकों को यह आशा थी कि एक ओर वैक से धन का मिलना बन्द करने और दूसरी ओर विज्ञापनों के मिलने पर रोक लगाने से अखबार का निकलना बन्द हो जायेगा।

यह एक खुला रहस्य था कि सरकार के कठोर रवैये के पीछे श्रीमती गाधी का लड़का संजय गाधी था। सरकार की ओर से जो लोग समझौते की बात कर रहे थे वे उसको “सुपर प्रधानमंत्री” कहा करते थे, जो एक्सप्रेस के मामले में बड़े-बड़े निर्णय लिया करता था। हमको मालूम था कि उसने पहले मुलगावकर को हटा उसकी जगह बंबई के एक अखबार के सहायक-संपादक को लाने की कोशिश

1. इंडियन एक्सप्रेस, संडे स्टैण्डिंग, स्पीन, फाइनेशियल एक्सप्रेस, लोकसत्ता, रविवारीय लोक-सत्ता (मराठी), रविवारीय लोकसत्ता (गुजराती), दिनमणि, बाध्र प्रभा (देवनागरी), बाध्र प्रभा (गांधारी), कलाङ प्रभा, नूतन गुजरात, रग-तरंग, दिनमणि चार्दिर, जन-सत्ता, चांदनी।

रामकृष्ण बजाज, उद्योगपति, वर्मई; जै० वी० दादाचनजी, एडवोकेट, दिल्ली; मोटू सत्यनारायण, भूतपूर्व एम०पी०, अवकाश-प्राप्त मंत्री, हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास; धानु भाई, सॉलिसिटर, वर्मई; द्वारकानाथ रेडी, उद्योगपति, चित्तूर; वी० एल० दत्त, के० सो० पी० के उद्योगपति, मद्रास; इंडिया सीमेंट्स मद्रास के के० एस० नारायणन; इंडिया सीमेंट्स, मद्रास के एल० एल० नारायणन; एस० एम० रामकृष्ण राव, उद्योगपति, बैंगलूर; जौ० के० सुन्दरवाडिवेलु, रिटायर्ड, वाइस-चॉसलर, मद्रास यूनिवर्सिटी, मद्रास; और रामनाथ पोहार, उद्योगपति, वर्मई।

बहुत विचार-विमर्श के बाद जो नाम तय हुए थे, वह थे : के० के० बिड़ला (चेयरमैन), पी० ए० रामकृष्णन, विनय के० शाह, ए० के० एंडैनी, कमलनाथ और जी० डी० कोठारी।

इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप बोर्ड द्वारा जो पहला संकल्प पारित किया गया वह यह था : “संकल्प किया गया कि चेयरमैन यह सुनिश्चित करेगा कि कम्पनी की सम्पादकीय नीति का, जैसी कि इस बैठक में बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स द्वारा निश्चित की गयी है, कठोरता से समर्थन और पालन किया जाये और इसका कोई उल्लंघन नहीं हो। इस उद्देश्य के लिए, सम्पादक और अन्य सम्पादकीय कर्मचारियों को आदेश दिया जाता है कि वे समय-समय पर चेयरमैन को रिपोर्ट पेश किया करें और इस मामले में उनका मार्ग-दर्शन और सलाह प्राप्त करें।”

यह संकल्प हम सभी लोगों को बताया गया। मुलगावकर के न रहने पर अजित भट्टाचार्य कार्यवाहक-सम्पादक थे। नये बोर्ड के बनने के बाद सरकार को वह तरीका नहीं पसंद था जिस तरह से एक्सप्रेस का काम हो रहा था, क्योंकि सेसरशिप के दायरे में रहकर भी हम इसे प्रशासन-विरोधी और इमरजेंसी-विरोधी समाचारपत्र के रूप में निकाल रहे थे। सरकार का रोप अब अजित भट्टाचार्य के ऊर आ पड़ा और यह कहा गया कि इनको गंगटोक स्थानान्तरित कर दिया जाये जो काफी दूर एक एकान्त जगह थी। गोयनका ने कहा कि जो समझौता हुआ है उसमें सम्नादकीय स्टाफ के किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति, बख़ूस्तिगी या तबादले का प्रश्न निहित नहीं है। शुक्ल ने कहा कि चेयरमैन होने के नाते बिड़ला को इस मंबद्ध में आवश्यक अधिकार प्राप्त हैं।

जब शुक्ल ने देखा कि गोयनका नहीं मान रहे हैं तब उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के सभी आठ संस्करणों पर पूर्ण सेसरशिप सागृ कर दी। इसके लिए पहले से कोई चेतावनी नहीं दी गयी थी। यह आदेश एक दिन अचानक दिया गया (16 अगस्त 1976 को)। मैंसर के अधिकारी अख्यारार के पृष्ठों की रिलीज को सबेरे 7.30 तक रोका फरते, जिससे वह सुनिश्चित हो जाये कि एक्सप्रेस अन्य अख्यारों के साथ न तो छप सके और न ही इसका वितरण हो सके।

गोयनका ने अपनो शिकायत को दूर करने के लिए वर्मई हाईकोर्ट में एक याचिका दी। कोर्ट ने आदेश दिया कि उसके पृष्ठों को रिलीज करने से देरी नहीं की जानी चाहिए और यथामित्र जल्दी-से-जल्दी रिलीज कर दिया जाना चाहिए। आठ गिरफ्तर से सभी संस्करण लगभग समय पर निकलने लगे। अब तक हम अपनी लड़ाई को काफ़ी बच्ची तरह जीतते जा रहे थे।

जब यह मामला इस प्रकार चलता जा रहा था, एक्सप्रेस ग्रुप को केन्द्र और राज्य गवर्नरों के सभी विभागों का दिशा जाना बन्द कर दिया गया। थव्व-दृश्य प्रचार के डाइरेक्टर ने सभी सरकारी विभागों, निगमों, औद्योगिक यूनिटों

तेथा अन्य ऐसी ही संस्थाओं को परामर्श देते हुए एक गुप्त नोट (डी० आर० 1050/76) भेजा कि “इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा प्रकाशित या उससे संबद्ध किसी भी समाचारपत्र को कोई भी विज्ञापन नहीं दिया जाये।” इस नोट के साथ समाचारपत्रों की सूची¹ भी संलग्न की गयी और इस संवर्धन में की गयी कार्रवाई को ‘शीघ्र सूचित’ करने को कहा गया था। प्राइवेट संस्थाओं को कहा गया और घमकी दी गयी कि किसी भी एक्सप्रेस प्रकाशन में कोई भी विज्ञापन न दें। इससे आमदनी बड़ी तेजी से गिरने लगी।

दिल्ली में हम लोगों को तंग करने के लिए प्रशासन द्वारा कुछ और कार्रवाई की गयी। तीस सितम्बर को हमारे प्रेस की विजली विना पूर्व-सूचना दिये काट दी गयी। हमने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दी, जिसने विजली को पुनः चालू करने के लिए आदेश दिये। कुछ दिनों बाद, एक दूसरी मुसीबत आयी। दिल्ली नगर निगम के अफसर पुलिस को लेकर हमारे प्रेस आये और उसे जबरदस्ती सील कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट में फिर एक याचिका दायर कर दी गयी। दिल्ली नगर निगम के अफसरों ने प्रेस पर से सील तो हटा दी, लेकिन वह 1,82,000 रुपये की क्रीमत की एयरकंडीशनिंग मशीन और बूस्टर पम्पों को कुर्क करने का एक आदेश ले आये। निगम ने आरोप लगाया था कि उसका 8,00,000 रुपया बांझी है; इस राशि पर विवाद चल रहा था और हमारे समाचारपत्र को स्थगन का आदेश पहले ही मिल चुका था।

ऊपर से बैंकों ने कसना शुरू कर दिया। पंजाब नेशनल बैंक एक्सप्रेस का मुख्य बैंकरथा, लेकिन पहले तौ उसने कर्ज देना कम किया और फिर विलकुल बद कर दिया।

यह एक बेजोड़ लड़ाई थी। सरकार कठोर थी, उसकी शक्तियाँ असीम थी जब कि एक समाचारपत्र को यह अधिकार नहीं प्राप्त था कि वह अपनी बात भी कह सकता। सेंसर के अफसर यह निर्णय करते थे कि कौन-सी चीज़ प्रकाशित की जा सकती है।

लेकिन विदेशी समाचारपत्रों में इन अत्याचारों की छोटी-से-छोटी खबर भी छर जाती थी, जो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के अखबारों पर किये जा रहे थे। सरकार इस प्रचार से चिरित हो उठी और कुछ दिनों के लिए हमें छोड़ दिया गया। उसने तब भी कोई कार्रवाई नहीं की जब गोयनका ने बोर्ड का पुनर्गठन किया और उन सभी लोगों के नाम निकाल दिये जो सरकार द्वारा नामजद किये गये थे। युक्त और उम्मेके मालिकों को यह आशा थी कि एक ओर बैंक से धन का मिलना बन्द करने और दूसरी ओर विज्ञापनों के मिलने पर रोक लगाने से अखबार का निकलना बन्द हो जायेगा।

यह एक खुला रहस्य था कि सरकार के कठोर रवैये के पीछे थीमती गाधी का लड़का संघर्ष गांधी था। सरकार की ओर से जो लोग समझौते की बात कर रहे थे वे उसको “सुपर प्रधानमंत्री” कहा करते थे, जो एक्सप्रेस के मामले में बड़े-बड़े निर्णय लिया करता था। हमको मालूम था कि उसने पहले मुलगावकर को हटा उसकी जगह बंवई के एक अखबार के सहायक-संपादक को लाने की कोशिश

1. इंडियन एक्सप्रेस, सडे स्टेंडिंग, स्क्रीन, फाइनेशियल एक्सप्रेस, लोकसत्ता, रविवारीय लोक-सत्ता (पराठी), रविवारीय लोकसत्ता (गुजराती), दिनमणि, बाध्र प्रभा (दैनिक), बाध्र प्रभा (साप्ताहिक), कन्नड़ प्रभा, नूतन गुजरात, रग-तरग, दिनमणि नादिर, जन-सत्ता, जोदनी।

की थी और फिर इंडियन एक्सप्रेस के एडीटर-इन-चीफ को हटा दिल्ली के एक टिपोटंर को उसकी जगह नियुक्त करने की कोशिश की थी। आखिर में संजय एक दूसरे एक्सप्रेस-प्रकाशन फ़ाइनेंसियल एक्सप्रेस के सम्पादक बी० के० नरसिंहन की नियुक्ति पर सहमत हो गया था। लेकिन नरसिंहन को भित्ता लेना कोई सहज काम नहीं था।

नरसिंहन ने मुझे लिखने की पूरी आजादी दे रखी थी, लेकिन वह मेरे अमर पितृवत् दृष्टि रखते थे कि कहीं मैं या अखबार किसी मुसीबत में न फ़ैश जाये। उनको चीफ सेंसर ऑफिस से दो या तीन बार चेतावनी भी मिली, लेकिन वह कोई गंभीर बात नहीं थी।

मैंने नज़रबंदों की रिहाई के लिए कोशिश घुर्ल की और कुछ बातचीत भी की। मेरा मन बार-बार उनकी तरफ चला जाता था जो तिहाड़ जेल में बन्द थे। मैं सरकार के मामूली ने कथन को चुन लेता और बातचीत के लिए ठोस सुझाव देता। ऐसा करते समय मैं लोकतंत्र पर बल देता था, जिससे मैं यह बता सकूँ कि जो कुछ व्यवहार मेरे हो रहा था वह तानाशाही था।

नेहरू की बरसी पर मैंने लिखा था : “उन्होंने भारत के और विश्व के सामने जो समस्या रखी वह यह थी कि लोकतंत्र को समाजवाद के साथ किस प्रकार जोड़ा जाये, किस प्रकार संघर्ष के बजाय परस्पर सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया के द्वारा समानता उपलब्ध की जाये। वह समाज को छोटे-छोटे खण्डों में नहीं बांटना चाहते थे और न यही चाहते थे कि लोग छोटी-छोटी बातों में अपने को भूल जायें।”

जब ग्रह्यानंद रेड़ी ने यह कहा कि इमरजेंसी की घोषणा के पीछे जो उद्देश्य थे वे लगभग पूरे हो गये हैं, तो मैंने लिखा कि फिर नरसी लाने की प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू की जाती? मैंने दलील दी थी : “इमरजेंसी की परिस्थितियों में रहने से समाज को जो खतरा है वह यह कि नोकरशाही द्यादा-से-द्यादा शक्ति ग्रहण करती जाती है और वह मानकों, विनियमों और संस्थाओं का कम-से-कम ख़्याल रखने लगती है।”

बातचीत शुरू होने के कोई लक्षण नज़र नहीं आ रहे थे। श्रीमती गांधी ने

करने में ही। श्रीमती गांधी के समर्थक कहते थे कि यह कहना नात्र काको नहीं है। वे यह भी नहीं बताते थे कि विरोधी दल के लोग ऐसा कौन-सा काम करें जिससे प्रधानमंत्री को शर्त पूरी हो सके।

जै० पी० स्वर्ण श्रीमती गांधी को यह विश्वास दिलाने को तैयार थे कि वह न तो हिसा में विश्वास करते हैं और न तोड़-कोड़ में ही। लेकिन श्रीमती गांधी की कोशिश यही रही कि हर चीज़ को अस्पष्ट रखा जाये जिससे वह इमरजेंसी जारी रख सकें और साथ ही लोगों के मन पर यह प्रभाव डालती रहे कि वह इमरजेंसी को उठा सेने के दृश में हैं, वशतें विरोधी दल सही तरीके से अपनी भूमिका निभाने के लिए राजी हों।

हर आदमी देख रहा था कि इमरजेंसी जारी रखने के लिए या कम-से-कम

हजारों लोगों को बिना मुकदमा चलाये जेलों में बन्द रखने के लिए श्रीमती गांधी की दलीलों का कोई असर नहीं पड़ रहा था। यहाँ तक कि कांग्रेसी भी खुश नहीं थे और वहुत-से लोग निजी तौर पर आलोचक बन गये थे। उनका गुस्सा मुख्यतः मंजय गांधी और वंसीलाल के प्रति था और लोगों की आम तौर पर यह धारणा बन गयी थी कि यही दोनों खलनायक हैं। कुछ यह भी कहा करते थे कि वंसीलाल एक-न-एक दिन प्रधानमंत्री बनना चाहता है।

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को भी अब इमरजेंसी जारी रहने को उचित ठहराना मुश्किल हो रहा था। जिस दिन से इमरजेंसी लागू हुई थी, कम्युनिस्ट पार्टी श्रीमती गांधी का समर्थन करती आ रही थी। 1969 में कांग्रेस के दो टुकड़े होने के बाद, पहली बार श्रीमती गांधी ने इस पार्टी का नाम लेकर आलोचना की। उन्होंने इस पर यह आरोप भी लगाया कि यह पार्टी कांग्रेस के और उन लोगों के खिलाफ़, जिन्होंने 'भारत छोड़ो' की लड़ाई लड़ी थी, और जेंडरों से जा मिली थी।

उन्होंने यह भी कहा कि संजय की जो भी आलोचना की जाती थी वह उनकी आलोचना थी, क्योंकि वह तो "एक मामूली व्यक्ति" है।

सी० पी० आई० ने संजय, वंसीलाल या दूसरे ऐसे लोगों की जो आलोचना की थी, यह उसका जवाब था। पार्टी के महासचिव राजेश्वर राव ने कहा था कि कांग्रेस-पार्टी का दोष यह है कि उसके अन्दर ही "प्रतिक्रियावादी कॉकस" घर कर गया है। नगभग आधे दर्जन कांग्रेसी संसद-सदस्यों ने तुरंत इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि सी० पी० आई० खुद एक सर्वसत्तात्मक और प्रतिक्रियावादी कॉकस के सिवा कुछ नहीं है।

इन भत्तेदो को दूर करने की कुछ कोशिश की गयी और राजेश्वर राव ने समझौतापूर्ण एक बक्तव्य भी दिया। लेकिन स्पष्ट ही यह कारगर नहीं हुआ।

लेकिन कांग्रेस के विभाजन के बाद की स्थिति अब नहीं रही थी। तब सो कम्युनिस्ट कांग्रेस पार्टी को "निहित स्वार्थों" से निवटते के लिए उसे सहारा दे रहे थे। उनके अनुसार वाम-मार्ग और दक्षिण-मार्ग के बीच ध्वीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गयी थी और कांग्रेस को पूर्ण समर्थन देने में उन्हें कोई संकोच नहीं था।

उन दिनों में आल-इंडिया उर्दू एडीटसं कांफेंस के संबंध में कलकत्ता में था। मैं इसका संस्थापक-अध्यक्ष था। चैंकि मैंने पत्रकारिता का अपना व्यवसाय एक उर्दू रिसाले से शुरू किया था, इसलिए मैं जानता था कि उर्दू के पत्रों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

मुझे यह नहीं मालूम था कि पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थशंकर राय, जो दिन-रात इमरजेंसी लागू करने के लिए श्रीमती गांधी का गुणगान करते रहते थे, मुझे पसंद नहीं करते। लेकिन वह कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि कांफेंस का संस्थापक-अध्यक्ष होने के नाते मैं उसकी केन्द्रीय-समिति का सदस्य था।

सम्मेलन का उद्घाटन शेख अब्दुल्ला को करना था। वह अभी तक नहीं आये थे और न राय आये थे। राय आये तो उन्होंने मुझे अगली पंक्ति में न बैठने के लिए कहा। मैंने जवाब दिया कि मैं संस्थापक-अध्यक्ष हूँ। वह चुप रहे, लेकिन नाराज होकर मेरी बगल बाली कुर्सी से उठकर दूर चले गये।

खुफिया का एक आदमी मेरे पीछे बराबर लगा रहा और सरकार ने मुझ पर नजर रखी कि मैं क्या कर रहा था और किससे मिल रहा था। मैं उद्घाटन होने के बाद वहाँ से तुरन्त चला गया।

मैं जै० पी० से मिलने गया, जो तब तक रिहा कर दिये गये थे। उन्हे श्रीमती

गांधी की तानाशाही जल्दी सत्तम होती या कोई बातचीत शुरू होती नजर नहीं आ रही थी। वह एक ऐसे आदमी की तरह देख रहे थे जिसे यह नहीं मालूम था कि घटनाएँ क्या रूप ले लेगी। लेकिन उन्हें यह पूरा यकीन था कि तानाशाही किसी-न-किसी दिन सत्तम जरूर होगी। और वह जनता की प्रतिक्रिया के प्रति भी यथादा निराश नहीं थे। उन्होंने कहा कि आखिरकार एक लाख से यथादा लोग जेल गये थे। 1942 के 'भारत छोड़ो' आंदोलन सहित किसी भी कांग्रेसी आंदोलन में जितने लोग जेल गये थे, उनसे यह संस्था कही यथादा थी।

उन्होंने बकीलों और न्यायपालिका को प्रथम स्थान दिया और पश्चातरों और समाचारपत्रों को सबसे निचला स्थान दिया। उन्हें आश्चर्य था कि जो लेखक हमेशा सिद्धान्त बघारते थे वह किसतरह दब गये या बिलकुल ही चूप हो गये थे।

जे० पी० ने मुझे बताया कि चरणसिंह ने उस आंदोलन को, जो श्रीमती गांधी के खिलाफ शुरू होना था, विना शर्त वापस ले लेने के लिए कहा था। सच बात तो यह थी कि आंदोलन शुरू ही नहीं हुआ, क्योंकि सभी नेता योजना बनाने के पहले ही नज़र रखंद कर लिये गये थे।

जे० पी० ने कहा कि सवाल यह नहीं है कि आंदोलन शुरू हुआ या नहीं। सवाल यह है कि उसके वापस लिये जाने का असर क्या होगा। लोग इसका वापस लिया जाना कमज़ोरी की निशानी समझेंगे। भले ही टिमटिमाती ज़ो हो, उसे बुझा देने के लिए आने वाली पीड़ियाँ उनको दोषी ठहरायेंगी—और यह वह नहीं चाहते थे।

बहुत यथादा लोग जे० पी० से मिलने नहीं जाते थे, क्योंकि उनके नाम नोट कर लिये जाते और नयी दिल्ली को सूचित कर दिये जाते थे। कुछ लोगों को तो भेट करने के बाद तंग भी किया जाता था।

लेकिन चरणसिंह ही अकेले नहीं थे, जिन्होंने आंदोलन को वापस लेने को कहा था। उडीसा से हरेकृष्ण मेहताव ने जे० पी० को "विना शर्त घोषणा" करने के लिए कहा था कि आंदोलन वापस ले लिया गया है। मैंने लिखा था, "मुख्य बात यह है कि देश में सामान्य स्थिति आ जाये, जिसका निश्चय ही अर्थ है कि द्विरज्जेंसी वापस ली जाये, नज़रबंदों की रिहाई की जाये और समाचारपत्रों पर लगी रोक हटा दी जाये। अगर यह उद्देश्य पूरे हो सकते हैं तब जे० पी० को इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि वह विधिवत आंदोलन को वापस ने लें।"

सरकार चरणसिंह और मेहताव-जैसे लोगों की माँग को उनकी कमज़ोरी के लक्षण समझ बैठी। उसे विश्वास हो गया कि विरोधी नेताओं में वापस मेरे फूट पड़ गयी है। अधिक-से-अधिक सख्ता में लोग जेलों से रिहा किये जाने लगे।

श्रीमती गांधी ने भी गौहाटी में कांग्रेस के अधिवेशन (नवम्बर 1976) में यह कहा कि सरकार विरोधी दल के लोगों से बातचीत के सवाल पर नये सिरे से विचार करने के लिए तैयार है, अगर ये लोग "देश के हित में" "उत्तरदायी तरीके से" आचरण करने के लिए तैयार हों।

डी० एम० के० द्वारा पहल करने पर गैर-कांग्रेसिट विरोधी दलों के नेताओं की बैठक दिल्ली में (15 दिसंबर 1976) हुई। इस बैठक में इन नेताओं ने "देश में स्थिति को सामान्य बनाने के उद्देश्य से" सरकार के साथ किसी भी बातचीत में भाग लेने की अपनी इच्छा व्यक्त की। जे० पी० ने कषणानिधि को यह बताने के लिए लिया: "मैं आपको कोशिश का पूरा समर्थन करता हूँ और इस प्रयास में सफलता की कामना करता हूँ।" विरोधी दल अब राजनीतिक गतिरोध

को ख़ृत्म करने के लिए तैयार था।

लेकिन कुछ नहीं हुआ। सरकार विरोधी दल लोगों से तब तक कोई भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थी जब तक कि वे यह घोषणा नहीं कर देते कि वे “आंदोलनकारी राजनीति में नहीं पड़ेंगे और हिस्सा तथा तोड़-फोड़ की कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे।” यह बात तो उसी तरह थी जैसे कोई पूछे कि “तुमने अपनी बीबी को कब से मारना बंद किया था ?”

लेकिन बातचीत के लिए ठोह लेने के लिए कुछ लोगों को विरोधी दल के कुछ नेताओं के पास भेजा गया। बीजू पटनायक के पर पर चरणसिंह, ओम मेहता और मोहम्मद यूनुस मिले। इस बात पर चर्चा की गयी कि गतिरोध को किस प्रकार भंग किया जाये। चरणसिंह और बीजू पटनायक नज़रबंदों की रिहाई चाहते थे, जो हजारों की संख्या में अभी तक जेलों में थे। इस बैठक में कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाया। लेकिन यह तय हुआ कि नज़रबंदों को जल्दी-जल्दी रिहा किया जाना चाहिए।

उन्हीं दिनों श्रीमती गांधी ने संगठन-कांप्रेस के अध्यक्ष अशोक मेहता के 21 अक्टूबर और 23 नवम्बर के पत्रों का उत्तर देना ठीक समझा।

श्रीमती गांधी ने फिर दुहराया कि वह और उनकी पार्टी संसदीय लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध हैं और भारत जैसा देश लोकतंत्रीय प्रणाली द्वारा ही संगठित और समदृ रह सकता है। उन्होंने कहा कि जब एक बार संवैधानिक, आर्थिक और जननीनिकी क्षेत्र में परिवर्तनों को सच्चे मन से स्वीकार कर लिया जायेगा और सांप्रदायिक, अलगाव की नीतियों का स्पष्ट रूप से परिस्थापन कर दिया जायेगा और हिस्सा की राजनीति को छोड़ दिया जायेगा तब विरोधियों और सरकार के बीच समस्याओं का हल ढूँढ़ना कठिन नहीं होगा।

उन्होंने कहा, “आपने अपने भत की पुस्ति में महात्मा गांधी की इस वाणी का उल्लेख किया है कि सत्याग्रह लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। सिद्धातों पर विवाद करने से हमें कुछ भी सफलता नहीं मिलेगी। निर्णय और आत्म-परीक्षा के बारे में महात्मा गांधी के अपने मानदण्ड इतने युक्तियुक्त थे कि जब उन्होंने देखा कि लोग अहिंसा के रास्ते से भटक रहे हैं तब उन्हें सत्याग्रह को वापस लेने में देर नहीं लगी थी। हमको चाहिए कि महात्माजी के वचनों के अर्थ का अर्थ न करे और उनके नाम को इस मामले में न घसीटें।”

विरोधी नेताओं से सलाह-मशविरा करने के बाद मेहता ने अपने संक्षिप्त उत्तर में यह कहा था कि विरोधी दल सामान्य स्थिति को फिर से वापस लाने और लोगों को उनके अधिकार और आजादी वांपस दिलाने के इच्छक हैं और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सबसे अच्छा रास्ता यह है कि प्रधानमंत्री और विरोधी दल के लोगों में सीधी बातचीत हो।

के लिए कई कदम उठाने होंगे—जैसे इमरजेंसी का हटाया जाना, समाचारपत्रों को आजाद करना और नागरिक आजादी को वापस लौटाया जाना। इसके बाद ही बातचीत के सफल होने की गुंजाइश होगी।

“वह किस प्रकार का बातावरण होगा जब विरोधी दल के कुछ लोग तो जेलों में बद हों या उन्हें अपनी बात कहने की आजादी न हो। सम्पूर्ण राष्ट्र को

यह बताना होगा कि हम क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए हमने कौन-सा रास्ता अपनाया है। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसका संबंध केवल कुछ नेताओं या कुछ पाठियों से है; इसका संबंध सभी लोगों से है, इन सभी लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। कम-से-कम ये तोग तो जान जायेंगे कि कौन गलती पर है।

“असल में, सामान्य स्थिति लाना बातचीत के परिणाम पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मान लीजिये, बातचीत निष्फल हो जाती है। क्या इसका अर्थ यह होगा कि इमरजेंसी और उसके नाम पर जो कुछ हो रहा है वह सब धनत-काल तक चलने दिया जायेगा? सरकार के जिम्मेदार नेताओं ने बार-बार कहा है कि इमरजेंसी थोड़े समय के लिए है, वह सद्य तक पहुँचने का साधन है, अपने में लक्ष्य नहीं है।

“एक और संभावना पर विचार कीजिये। विरोधी दल के बत्तमान नेता एक ऐसा निर्णय करते हैं जो देश की जनता में बड़े-छोटे सभी लोगों को स्वीकार नहीं है। तब इस समझौते को कौन लागू करेगा? क्या सरकार फिर से बातचीत करेगी? यह आज भी अजीब-सा लगता है कि मोराराजी जैसे व्यक्ति इससे संबद्ध नहीं हैं? जयप्रकाश नारायण का क्या होगा? क्या ऐसी बातचीत या समझौते का कोई अर्थ होगा जिसमें उनको शामिल न किया गया हो?”

अगर बातचीत नहीं होती तो फिर क्या होगा? क्या जो तोग सत्ता में है वे इस तथ्य का सामना करेंगे कि तानाशाही में बीच का कोई रास्ता नहीं है? काल-चक्र को परा भोरा लगाना है गवी इसका तर्क था। जैसा वीज ने माझमे कहा था,

इस अपेक्षाकृत सुलह के बातावरण में मैं पटियाला-स्थित पंजाबी विश्वविद्यालय गया। मैं इसके सिनेट का सदस्य और विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग का अवैतनिक सलाहकार था। नजरबंद होने के पहले मैं महीने में दो या तीन कलास पढ़ाया करता था जो अवसर इतवार को हुआ करती थी। यह सोचे बिना कि परिस्थितियाँ बदल चुकी थीं, मैंने बाइस-चांसलर को टेलीफोन किया कि मैं यूनीवर्सिटी आ रहा हूँ और हमेशा की तरह इतवार को कलास लूँगा। उन्होने मुझसे कहा कि वह विद्यार्थियों को सूचना भिजवा देगी और विभाग खुलवा देगी।

जब मैं पांच बजे सेवेरेमोटर से बलकर पटियाला दस बजे दिन में पहुँचा तब विभाग के दरवाजे बन्द मिले। मैंने बाइस-चांसलर से मिलने की कोशिश की, लेकिन वह ‘नहीं थी’। मुझे एक-दो आदमी इधर-उधर घूमते नजर आये जो मुझे बराबर देख रहे थे। गेस्ट-हाउस के कमंचारियों के पास कोई जगह नहीं थी, जहाँ मैं ठहर सकता। परे चार घटे इतजार करने के बाद और बाइस-चांसलर को कई बार टेलीफोन करने पर मैं उनसे बात कर सका। वह काफ़ी अन्यमनस्क थी। उन्होने कहा कि जब भी यूनीवर्सिटी को मेरी सेवाओं की ज़रूरत होगी वह बता देंगी।¹ यह एक अजीब-सौ बात थी, क्योंकि मैं पढ़ाने की कोई क्लीस नहीं ले रहा

1. मुझे याद में पठा चला कि उन्होने तत्कालीन मुख्यमंत्री जानी जैलसिह से पूछा था और उन्होने मेरी सेवाएँ खस्त करने का आदेश दिया था। सिनेट की मेरी सदस्यता भी नहीं छपायी गयी।

था। उन दिनों एक किताब जो बहुत ही लोकप्रिय थी वह थी इरविन वालेस की आर डॉक्यूमेंट। सरकार ने गैर-सरकारी तौर पर इसके प्रचलन पर रोक लगा दी थी। इसे किताब में एक नवयुवक वकील की कहानी दी गयी थी जो संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी-जनरल का असिस्टेंट था। एक कैदी को मारने की कोशिश की गयी तो वह वकील अमेरिकी संविधान में किये जा रहे एक विवाद-ग्रस्त संशोधन का खुलकर विरोध करने लग गया। इस संशोधन का उद्देश्य इमर-जेंसी के दीरान एफ० बी० आई० के डाइरेक्टर को बेलाग शक्तियाँ प्रदान करना था (उस समय अमेरिका में हत्या की घटनाओं का दौर-सा आया हुआ था। बाद में पता चला कि हत्याओं के आंकड़े एफ० बी० आई० ने बढ़ा-चढ़ाकर तैयार किये थे, जिससे लोगों के मन में यह बैठ जाये कि देश में एक गंभीर संकट आ गया है। असल में कोई संकट नहीं था)। अटॉर्नी-जनरल के असिस्टेंट ने संयुक्त राज्य अमेरिका के चीफ जस्टिस की सहायता मांगी, क्योंकि वही एक व्यक्ति था जो निर्णय करने के लिए लोगों का बहुमत इधर-उधर जुका सकता था। इस संशोधन को अभिपुष्ट करने के लिए समस्त राज्यों के दो-तिहाई मत की ज़रूरत थी। उस समय केवल दो राज्य, कैलीफोर्निया और ओहियो रह गये थे। अगर वे इस संशोधन का अनुमोदन कर देते तब वह संविधान का अग बन जाता।

संयुक्त राज्य अमेरिका के चीफ जस्टिस और अटॉर्नी-जनरल का असिस्टेंट—दोनों यात्रा करते-करते एक छोटे-से शहर में जा निकले, जहाँ संशोधन के लिए एक प्रयोग किया जा रहा था। इस छोटे-से शहर में इमरजेंसी लगी हुई थी, वहाँ नागरिकों को कोई अधिकार नहीं मिले हुए थे और उत्पादन के सभी साधनों आदि पर सरकार का नियंत्रण था। स्कूलों में बैसे ही इतिहास की पढ़ाई होती जैसा सरकार ने निश्चित कर रखा था। यह देखकर चीफ जस्टिस आग-बूला हो गया, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही उसका क़र्त्तव्य कर दिया गया।

असिस्टेंट इस पर तनिक भी नहीं घबराया और वह अपने काम पर डटा रहा। एक बच्चे के टेप-रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड हुई आवाज से सारा रहस्य आखिर में खुल गया। यह पता चला कि संशोधन पारित हो जाने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति की हत्या करने की योजना थी और तब एफ० बी० आई० का डाइरेक्टर राष्ट्रीय संकट की घोषणा करके अपने हाथ में असाधारण शक्तियाँ ले लेता और यह प्रयोग बाकी अमेरिका में करता।

पाठक इस पुस्तक में वर्णित परिस्थितियों की तुलना भारत की परिस्थितियों के साथ करते थे। भारतीय संविधान में 42वीं संशोधन को आर डॉक्यूमेंट में उल्लिखित संशोधन कहा जाता था।

इमरजेंसी की आलोचना बराबर बढ़ती जा रही थी। जो लोग शुरू में उसका समर्थन करते थे, वे भी यह अनुभव करने लग गये थे कि उसकी उपयोगिता खत्म हो चुकी है। श्रीमती गाधी के समर्थक भी अब यह प्रश्न करने लग गये थे कि वह जिस शेर पर सवार थी उससे कैसे उतरें? हालाँकि एक उद्घोषणा द्वारा लोक सभा की अवधि एक साल के लिए अर्थात् 1978 तक बढ़ा दी गयी थी, फिर भी चुनाव की बातचीत शुरू हो गयी थी।

चुनाव की बहुत ज्यादा चर्चा होने पर सरकार को वक्तव्य जारी करना पड़ा कि वह चुनाव कराने की जल्दी में नहीं हैं। उसने यह सोचा भी नहीं था कि चुनाव इनाम नहीं होते, इनसे जनता की इच्छा का, जो असली भालिक होती है, पता चलता है। चुनाव में मतों के द्वारा पार्टियाँ और उम्मीदवार अपनी लोक-

प्रियता और अपने कार्यकर्ताओं के प्रति जनता की रुचि की मात्रा का निर्धारण करते हैं। निश्चित काल के लिए चुने गये विधायक अपनी नीतियों के लिए अनिश्चित काल के लिए समर्थन प्राप्त होने का दावा नहीं कर सकते।

लगता था कि कांग्रेस-सरकार इस तथ्य को भूल गयी थी कि पाकिस्तान भी, जहाँ इसकी कोई परम्परा नहीं थी, तभी चुनाव करा रहा था, जब कि भारतवासी लोकतंत्र की दीर्घ परम्परा के बावजूद चुनाव दो-बार टाल चुके थे। चाहे चुनाव जल्दी न भी होते तो भी इसके लिए एक निश्चित तारीख की घोषणा तो होनी ही चाहिए थी, जिससे लोगों के मन में इस बारे में जो सन्देह था वह द्रूर हो जाता। इसकी मार्ग बढ़ती जा रही थी। कुछ गढ़ी-गदायी कहानियाँ भी समाचारपत्रों में प्रकाशित होने लगी थीं।

बोम मेहता को संसद में यह कहना पड़ा कि मार्च 1977 में चुनाव कराने की तैयारी किये जाने की घबर कोरो अटकलवाजी और वेचुनियाद है। उन्होंने कहा कि चूंकि प्रधानमंत्री ने सामान्य स्थिति को बापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, इसलिए लोग अटकले लगाने लगे हैं। विरोधी दल के बहुत-से नेता रिहा कर दिये गये थे, हालांकि इमरजेंसी से पहले छेड़ा गया आंदोलन न तो ही बापस लिया गया था और न लोक संघर्ष समिति ही भंग की गयी थी। इसकी पुष्टि में जानता था कि चुनाव की तैयारियाँ शुरू कर दी गयी थीं। इसकी पुष्टि में कई तथ्य थे। श्रीमती गांधी ने घन इकट्ठा करने के लिए कह दिया था; उनका लड़का अमेठी से आया था, जहाँ से वह लोक-सभा के लिए चुनाव लड़ा चाहता था। उम्मीदवारों की सूचियाँ प्रधानमंत्री के निवास-स्थान पर तैयार की जाने लगी थीं, खुलिया व्यूरो, केन्द्रीय अन्वेषण व्यारो (सी० बी० बाई०) और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रा) को यह कह दिया गया था कि वे यह पता लगायें कि अगर चुनाव हुए तो नतीजा क्या रहेगा।

श्रीमती गांधी अपने तानाताही शासन को, जिसकी विदेशों में भी उदार विचार वाले लोग भी कटु आलोचना करते लगे थे, वैध वताना चाहती थीं। उन्हें जिन स्रोतों से सूचना मिलती थी उनसे उन्हें पता चला कि जीतेंगी वही। कुछ ऐसे भी घोत थे जिन्होंने उनको यह वताना था कि संजय भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय व्यक्ति है और इमरजेंसी ने लोगों के दिलों को मोह लिया है।

उन पर उनके सचिव पी० एन० धर-जैसे लोगों का भी, जिन्होंने यह हिसाब लगाया था कि वही जीतेंगी क्योंकि देश आधिक दृष्टि से इससे ज्यादा खशहाल कभी नहीं रहा था, दबाव पड़ रहा था। और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष डॉ० के० वरुआ अनेक कारणों से, जो वह ही ज्यादा जानते थे, चुनाव जल्दी कराने के पक्ष में थे।

श्रीमती गांधी ने अभी तक किसी काम के लिए समय निश्चित करने में कभी गलती नहीं की थी। उनका कहना था कि जीतेंगी वही तो फिर इंतजार वयों करें? सरकारी घोषणा के चार दिन पहले, पंजाब के एक पुलिस-अधिकारी ने मुझे बताया था कि उन लोगों से अगले चुनावों के लिए आवश्यक बन्दोबस्त करने के लिए कह दिया गया है। एक दिन बाद मैंने यह खबर इस तरह लिखी:

ऐसा मोके पर कुछ और तय कर लिया जाये तो दूसरी बात है, वर्ता अभी तक नियंत्रण यहीं है कि लोक-सभा के लिए चुनाव मार्च के आखिरी दिनों या अप्रैल के आरंभ में होगे।

इमरजेंसी उठायी नहीं जायेगी वल्कि उसमें दोत दी जायेगी। इसके

लिए तक यह है कि इमरजेंसी से, जो 1975 में लागू की गयी, न तो 1971 और न 1972 के चुनावों के निष्पक्ष सम्पन्न होने में कोई बाधा पड़ी।

चुनाव कराने की सरकारी घोषणा औपचारिक रूप से संसद का सत्र शुरू होने के दिन की जायेगी। यह सत्र 9 फ़रवरी को शुरू हो रहा है।

तब तक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ इस विषय पर ब्यौरेवार बात-चीत कर चुकी होंगी। वे यहाँ 18 जनवरी को 25-सूत्री कार्यक्रम की—20 श्रीमती गांधी के और 5 संजय के—प्रगति पर विचार करने के लिए एकत्र हो रहे हैं।

चीफ सेसर ऑफिसर ने मुझे बुलाया और मुझे मौखिक चेतावनी दी। मुझे बताया गया कि चुनाव की खबर 'बेबुनियाद' है।

तीन दिन बाद चुनाव की सरकारी घोषणा हुई। प्रधानमंत्री ने अपने ग्राहकांस्ट में बताया कि भारत के लोग नयी लोक-सभा का चुनाव मार्च के तीसरे सप्ताह में करेंगे। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में ढील दे दी गयी है, लेकिन वह ख़त्म नहीं की गयी है। मेरा अनुमान सही था और जब मैंने चीफ सेसर ऑफिसर से यह शिकायत की कि मुझे गलत चेतावनी दी गयी तो उसका जवाब था, "हम क्या कर सकते हैं? हमारे मत्री ने हमे ऐसा करने के लिए कहा था।"

रिहा होने पर मोरारजी देसाई ने कहा कि अभी कुछ दिनों पहले आधिकारिक रूप से ख़ंडन करने के बाद इस अचानक निर्णय से चुनाव में प्रचार-कार्य के लिए बहुत थोड़ा समय बचा है, इससे विरोधियों के लिए समान अवसर नहीं दिया गया और उनके सामने एक बड़ी बाधा डाल दी गयी है।

मार्कस्वादी नेता, ई० एम० एस० नम्बूदिरीपाद ने, जो नज़रबंद नहीं किये गये थे, कहा कि इमरजेंसी के लागू रहते स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। कुछ दिनों तक विरोधी दल के लोग इसी बात पर गंभीरतापूर्वक बहस करते रहे कि चुनाव में भाग ले या नहीं। जन सघ ने कुछ शर्तें रखी और कहा कि अगर ये मांगें अगले कुछ दिनों में स्वीकार नहीं की गयी तो वे चुनाव का वायकांट किये जाने का सुझाव लायेंगे। इन मांगों में इमरजेंसी का ख़त्म किया जाना, नज़र-बन्दों की रिहाई, प्रेस सेंसरशिप का ख़त्म किया जाना आदि मांगें शामिल थीं।

सोशलिस्ट लोग अनिश्चय की स्थिति में पड़े हुए थे, क्योंकि जॉर्ज फर्नांडीज, जो कलकत्ता में एक चर्च में गिरफ़तार कर लिये गये थे, अभी तक जेल में थे और सरकार उन पर जिस मुकदमे को चलाने के लिए जोर दे रही थी उसे बड़ी दायनामाइट के सका नाम दिया गया था।¹

भारतीय लोक दल (भालोद) और कांग्रेस (संगठन) के लोग विलकुल स्पष्ट मत के थे कि चाहे जो भी कठिनाई आये वे चुनाव जरूर लड़ेंगे। वे उस भय के कारण असंतुष्ट थे जो सारे देश में अट्टारह महीने तक इमरजेंसी लागू रहने के कारण छाया हुआ था। लेकिन उनको आशा थी कि जनता निर्भय होकर मत देगी।

तब तक गैर-कानूनिस्ट पार्टियाँ अपनी बैठकें कर चकी थीं। पहले तो अलग-अलग आपस में मिल चुकी थीं; फिर जन संघ, भालोद, कांग्रेस (म०) और सोशलिस्ट पार्टी ने अपनी बैठकें की व भविष्य की नीति के बारे में विचार-विमर्श

1. और अधिक जानकारी के लिए सेखक की पुस्तक 'झैसला' देखिये।

किया और बाद में चुनाव के लिए मिलकर एक पार्टी—जनता पार्टी—बन गयी। कांग्रेस (सं०) ने अपना विलय करने के पहले अपनी सम्पत्ति का अलग एक ट्रस्ट बनाया, जिसके व्यवधान मोरारजी देसाई हुए जिससे यह सम्पत्ति 'जनता' के अधिकार से अलग रहे।

हर हालत में यह विलय औपचारिकता मात्र था, इन दलों के अधिकांश नेताओं ने, जब वह रोहतक जेल में बन्द थे, मिलकर अकेली एक पार्टी बनाने का निर्णय कर लिया था। पहले छह महीनों तक उनमें आपस में कोई समझौता नहीं हो सका, लेकिन बाद में जब वे एक-दूसरे को अच्छी तरह जान गये और उन्होंने समझौते का आधार ढंड लिया तब अपने अन्तर और पृथक अस्तित्व को समाप्त करने का फँसला कर लिया। सभी को एक साथ नज़रबन्द करने के अलावा उनका एक ही जगह पर बन्द रखना श्रीमती गांधी की सबसे बड़ी गुलती थी। नज़रबंदी से ये लोग शहीद बन गये और नेता ही गये। जै० प०० ने इस विलय को अपना आशीर्वाद दिया और इस चुनाव को लोकतंत्र और तानाशाही में चुनाव का हृष्ण दिया। उन्होंने कहा कि 'श्रीमती गांधी की जीत का मतलब होगा "तानाशाही की जीत।" उन्होंने जनता पार्टी के नेताओं से जोर देकर कहा वे लोगों को अपना दल छोड़ने के लिए नये और नौजवान लोगों को बढ़ा करें जो ईमानदार हों।

लेकिन, जब उम्मीदवारों को चुना जाने लगा तब 'जनता' के नेतागण को न तो 'ईमानदारी' और न 'नौजवान लोगों' का ही ध्यान रहा। उनका ध्यान चुनाव के बाद की 'परिस्थिति' पर लगा रहा। कसोटी यह रही कि लोक-सभा में और विधान-सभाओं में जनता पार्टी के किस घटक की कितनी संख्या हो। हर घटक ने अपने आदमियों को राष्ट्राद्वारा-संस्थान संख्या में भरा, जिससे उनके अपने ही आदमी आये जिन पर वह निभर रह सकें। यह शोचनीय स्थिति थी कि जब वडे-वडे सिद्धांत धोपित किये जा रहे थे, उम्मीदवारों का चुनाव जल्दी-जल्दी किया गया। उनको ऐसे आदमी खड़े करने चाहिए थे जिनको लौकतंत्र, समाजवाद और सभी धर्मों के प्रति समान आदर की भावना जैसी वृनियादी वातों में अटूट विश्वास हो और जो अपनी ईमानदारी और सार्वजनिक हित में निष्ठा के लिए जाने-माने हुए हों। वहूत-से नौजवानों को उम्मीदवार बनाने का सभी स्वागत करते।

'जनता' जगजीवनराम और बहुगुणा के आ जाने के बाद और अधिक शक्ति-शाली बन गयी। इन दोनों भूतपूर्व-कांग्रेसी नेताओं के आ जाने से वह डर निकल गया जो वहूत-से मतदाताओं के दिलों को धेरे हुए था। यह डर था कि अगर उन्होंने कांग्रेस को हरा दिया तो सरकार उनसे नाराज हो जायेगी। अब इनको स्वतंत्रता के बाद पहली बार कांग्रेस का एक विकल्प संभव दीख रहा था।

मैं बहुगुणा से अवसर मिला करता था। वह बहूत दिनों से श्रीमती गांधी से ऊपर हुए थे (वह उनसे मिलना भी नहीं पसन्द करती थी), लेकिन वह ऐसी घड़ी का इतजार कर रहे थे जो 'कारगर' होती। वह पड़ो तब आयी जब वह जगजीवनराम को कांग्रेस छोड़ने के लिए मनाने में सफल हो गये।

इंडियन एक्सप्रेस में हम लोगों ने जनता के उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए, चाहे वह अच्छे हो या दुरे, पूरी बाजी लगा दी थी। यह हमारे अस्तित्व का सबल था, क्योंकि अगर श्रीमती गांधी आती तो हमें मालूम था कि हमारा अखबार और हमसे से कुछ लोग तो खट्टम ही थे। शुक्ल ने एक बक्तव्य में कहा था कि सरकार सेंसरशिप के आदेश को लागू नहीं करेगी; दूसरे शब्दों में, यह

आदेश स्वयंगित कर दिया गया था, ख़त्म नहीं किया गया था। जो पत्रकार अत्यधिक उत्सुक और सावधान थे वे अधिक साहसपूर्ण क़दम उठाना चाहते थे, लेकिन उनको चेतावनी दे दी गयी थी कि ठीक ढंग से आचरण करें अन्यथा चुनाव के बाद उनको मुसीबत भेजनी पड़ सकती है। लेकिन अधिकांश अख़बारों ने एक्सप्रेस के रास्ते को अपनाया। इन अख़बारों का सर्कुलेशन पहले ही गिरना शुरू हो गया था।

शुक्ल ने एक वक्तव्य में यह भी कहा कि पत्रकारों को “नीति-संहिता” का पालन करना चाहिए। आल-ईडिया न्यूजपेपर्स एडीटर्स कॉफेंस भी, जिसमें यह संहिता बनायी थी, इमरजेंसी के समर्थन में एक संकलन पारित कर चुकी थी। कुछ संपादक यह आरोप लगा चुके थे कि यह संहिता वह नहीं थी¹ जिसे उन लोगों ने पटना कॉफेंस में स्वीकार किया था। यह कैसी संहिता थी, जिसमें “समाचारपत्रों की स्वाधीनता” वाक्याश का कहीं पर प्रयोग नहीं किया गया था, हालांकि इसमें 2000 शब्द भरे थे।

यह एक विडम्बना थी कि चीफ सेंसर ऑफिस प्रेस-संपर्क का काम करने वाला कार्यालय बन गया था। उसके तथा सूचनाव प्रसारण मंत्रालय के उच्च अधिकारी विभिन्न प्रदेशों में इस उद्देश्य से भेजे गये कि समाचारपत्रों को यह बात बता सकें कि कांग्रेस को समर्थन देना “उनके अपने हित में है।” और समाचारपत्रों के कार्यालयों में जब वे जाते तो साफ़ बता देते थे कि आपत्ति जनक सामग्री के प्रकाशन पर रोक लगाने वाला अधिनियम² यथावत लागू है। इस अधिनियम के तहत एक मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह निर्णय करे कि क्या आपत्ति जनक है और वह चाहे तो प्रेस को बंद करा सकता था। इस अधिनियम के तहत कोई मुकदमा नहीं दायर कर सकता था।

एक्सप्रेस में हम लोगों की किसी ने नहीं छेड़ा लेकिन अधिकारियों ने, जिनमें शुक्ल भी थे, यह खबरें भिजवायीं कि वह हमारी गतिविधियों पर नज़र रखे हुए हैं और चुनाव के बाद हमारी खबर लेंगे। मुझे मिल के “आन लिबर्टी” नामक प्रसिद्ध निबंध की वह प्रक्रियाँ याद आयीं जो उन्होंने अंत में लिखी थीं : “उस राज्य को, जो लोगों को बौना बना देता है ताकि वे दबकर उसके उद्देश्यों के साधन बन जायें—भले ही उसके उद्देश्य जनकल्याणकारी हों—अंत में पता चलता है कि छोटे लोगों को लेकर बड़े काम नहीं किये जा सकते।”

मुझ पर सरकार का रोप कम नहीं हुआ था। उसे मेरी टिप्पणियाँ पसंद नहीं थीं, पास तौर से वह टिप्पणी जिसे मैंने चुनाव के मौके पर लिखा था : “अंदरूनी इमरजेंसी लागू होने के बाद सत्तावादी शासन के खिलाफ व्याप्त नाराज़ी से एक सबक सभी को तीखना चाहिए कि भारत में ऐसी कोई भी व्यवस्था काम नहीं कर सकती जिसके अंतर्गत सारी शक्तियाँ राज्य के हाथों में सिमट जायें और नागरिक इतने असहाय बन जायें कि प्रशासकीय अधिकार के मनमाने प्रयोग के खिलाफ कुछ भी न कर सकें। 26 जून 1975 को यही हुआ। और यही वह चीज़ है जिसे जनता दुबारा कभी नहीं होने देता चाहती।”

चुनाव के नतीजे आना शुरू होने और मतदान समाप्त होने के एक दिन पहले 16 मार्च को मुझे चेतावनी भेजी गयी। मुझसे कहा गया कि मैं नज़रबंद होने के

1. इसको सूचना और प्रसार मन्त्रालय ने नये सिरे से लेयार किया था और ए० आई० एन० ई० सौ० के दफ्तर को दे दिया था।

2. जनता सरकार ने जैसे ही कार्यभार संभाला इसमें समोष्टन कर दिया।

रह रहे थे। मैंने उनसे इस धमकी का कोई चिक नहीं किया, क्योंकि वह अकारण ही परेशान हो जाते। और कौन जानता था कि इन धमकियों को पूरा करने के लिए कोई शुकल रहेगा भी!

धर जाने पर मैंने अपना थैला संभाला और विस्तर बंद किया, जिसे मैं पिछली बार जैल जाते समय छोड़ गया था। मैंने भारती को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। लेकिन मेरे मन में कुछ ऐसी चीज़ थी जो मुझसे कह रही थी कि श्रीमती गांधी और उनके लोग अब वापस नहीं आयेंगे।

और वह नहीं आये। लेकिन संजय के लिए यह मन-बहलावा था, उसने हम लोगों को यह खबर भिजवायी : “एक्सप्रेस की बधाई”, “वयोद्धु रामनाथ गोयनका की बधाई”।

कांग्रेस ने भले ही स्वीकार नहीं किया, लेकिन अच्छी तरह से समझ लिया कि सारे उत्तर भारत में उसका सफाया हो जाने का एक मात्र कारण था—पिछले अट्टारह महीने में इमरजेंसी के नाम पर किये गये कामों से पैदा हुआ जन-असंतोष। इन अट्टारह महीनों में ही सरकार की प्रतिष्ठा पर बट्टा लगा और श्रीमती गांधी के कट्टर समर्थक भी उनका विरोध करने लगे।

अगर प्रधानमंत्री ने 26 जून 1975 को इमरजेंसी लागू करने के बजाय चुनाव कराने का आदेश दे दिया होता तब विरोधी इतनी सफलता नहीं प्राप्त करते, जितनी उन्हे मिली।

यह बदलाव मुख्यतः सरकार के निरंकुश शासन के कारण हुआ। इसके प्रति लोगों की प्रतिक्रिया खराब रही, इमरजेंसी में ढोल मिलने के अवसर का उन्होंने उपयोग किया और मंत्रियों, अकासरों और अन्य लोगों द्वारा, जिनका आदेश कानून था, शवित के दुष्प्रयोग के लिलाफ़ अपनी नाराज़ी व्यक्त की। किसी को क्या मालूम कि कितनी घटनाएँ श्रीमती गांधी की जानकारी में लायी गयीं—हो सकता है, अधिकांश उनकी जानकारी में हों—लेकिन ऐसी असंघर्ष घटनाएँ थीं जो अब सभी को मालूम हुईं और जिनका आधार व्यक्तिगत और राजनीतिक दोष था।

निश्चय ही यह एक बुरा सपना था। आलोचकों को रोका जा रहा था, विरोधियों की धर-पकड़ हो रही थी, बड़े-बड़े बौद्धोगिक घरानों पर छापे मारे जा रहे थे, दूकानदारों को सताया जा रहा था, सरकारी कर्मचारियों को दिटापर किया जा रहा था और लोगों के अवक्तुगत आयकरके मामलों को फिर से उलटा-पुलटा जा रहा था—यह सब यह सिद्ध करने के लिए किया जा रहा था कि जो तोग सरकार का समर्थन नहीं करते थे उनको मुसीबत उठानी पड़ेगी। जो कुछ हो गया उसका अब कोई निदान नहीं था। लोगों को बात करते समय भी डर लगता था, विरोध करने की कौन कहे!

यहाँ तक कि सरकार को उसके सबसे द्यादा सुविचारित कार्यक्रम का भी कोई यथा नहीं मिला—कारण यह कि वह कार्यक्रम लागू ऐसे ढंग से किया गया कि लोग बिगड़ गये। जिस देश की जनसंख्या 61 करोड़ से भी ऊपर पहुँच चुकी हो, उसके लिए परिवार नियोजन जरूरी कार्यक्रम था और हर राजनीतिक पार्टी ने इसे अपने चुनाव घोषणा-सत्र में स्वीकार किया था। लेकिन अनियायी तसवंदी से सरकार की बदनामी मिली। ऐसे अतेक मामले थे जिनमें पुलिस लोगों को

जबरदस्ती पकड़ कर नसवंदी कैपों में ले गयी थी ।

अगर समाचारपत्रों को आजादी मिली होती तो वह जबरदस्ती की इन कार्यवाहियों और ऐसी ही अन्य घटनाओं की खबरें छापते । लेकिन उन पर तो इतनी रोक लगी हुई थी कि कांग्रेस में आपसी मतभेद के बारे में या लंदन में किसी एकदेश द्वारा दूकान से सामान चोरी करने की खबर भी नहीं छाप सकते थे । सेंसरशिप के एक आदेश में लिखा हुआ था : “परिवार नियोजन कार्यक्रम की कोई आलोचना नहीं होनी चाहिए, इसमें ‘संपादक’ को पत्र भी शामिल है ।” ऐसी हालत में जबरदस्ती नसवंदी की घटनाओं के बारे में क्या कहा जा सकता था ! जब कभी संसद-सदस्य परिवार नियोजन और अन्य क्षेत्रों में हुई द्यादतियों की घटनाएँ सरकार की जानकारी में लाते तब समाचारपत्र उनका उपयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि दोनों सदनों की कार्यवाहियों को निर्दिष्ट मार्गदर्शी सकेतों के अनुसार ही छापा जा सकता था । जहाँ तक संसद-सदस्यों का संघध था, वे यह देखकर चुप रहना पसंद करते थे कि आलोचकों को द्वेष और संदेह से देखा जाने लगा था । जब कभी वे इसको बात भी करते तब दरवाजे बंद कर या गुपचुप तरीके से । इस तरह जनता की तकलीफों को कोई कहने वाला नहीं रह गया था ।

अगर पीडित लोगों के पास कोई रास्ता होता तब वे उचित व्यक्तियों के पास अपनी शिकायतें लेकर जाते । अधिकारी द्यादतियों की शिकायतों को सुनने को तैयार नहीं थे, मुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती थी और अधिकांश सामलों में न्यायालय भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि इमरजेंसी के तहत नागरिकों के सभी अधिकार खत्म हो गये थे । जिन एकाध जर्जों ने ऐसे निर्णय देने का साहस किया, जो सरकार को हचिकर नहीं हुए, उनका तबादला कर दिया गया, या उनको अधिलधित कर दिया गया, या उनकी पदावनति कर दी गयी ।

जनता पूरी तरह से असहाय और निराश हो चुकी थी । दुख-दर्द का मारा कर भी क्या सकता था ? समाचारपत्र उसकी तकलीफों को नहीं छाप सकते थे, अधिकारी उसकी कोई परवाह नहीं करते थे और कचहरियाँ उसकी तरफ से कोई पावंदी नहीं लगा सकती थी । बोटर ने ऐसे ही बातावरण में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की ।

उपसंहार

मैं आजाद हूँ। मुझे इस बात का भगोसा है कि पुलिस सिफ़र इतनी-सी बात के लिए मुझे पकड़ने के लिए मेरा दरवाज़ा नहीं खटखटायेगी कि मैंने सरकार के खिलाफ़ कुछ बात लिख दी थी।

मैं डावांडोल रहने की उस स्थिति से पीड़ित नहीं हूँ जो मुझे जेल में सताती रहती थी, क्योंकि बिना किसी मुकदमे या अनिश्चित अवधि के जेल में नज़रबन्द पड़े रहने से मन जिस भावना से सबसे ख्यादा दुखी रहता था वह यह कि मैं बाहर अपने दोस्तों और परिवार के लोगों से शायद न मिल पाऊँगा। नज़रबन्दी एक अंधेरी सुरंग थी, जिसका छोर नज़र नहीं आता था।

निश्चय ही, आजादी के अनुभव ने मुझे मुश्किल रहने के दिन-पर-दिन लोगों का भ्रम कि मैं कब तक इस स्थिति में रहूँगा। मैं देखता हूँ कि दिन-पर-दिन लोगों—के काम करने के तरीके मीज़दा सरकारो—केंद्र और प्रदेशों दोनों की सरकारों—के काम करने के तरीके से टूटता जा रहा है। वे सोचते हैं कि उनकी आशाएँ भूठी निकल गयी हैं और वे नये हुक्मरान पिछलों से भिन्न नहीं हैं।

यह बात तो समझ में आती है कि आर्थिक कार्यक्रमों को कार्यान्वित होने और उनके नतीजे सामने आने में देर लगती है। लेकिन वे आशा करते हैं कि अंग्रेज़ों के शासन-काल से उनमें और प्रशासकों में जो अन्तर बना हुआ था वह दूर हो जायेगा, प्रशासन ख्यादा उत्तरदायी और दक्ष बन जायेगा और उन्हें हर स्तर पर सरकार के काम करने में शामिल किया जायेगा।

लेकिन जब वे देखते हैं कि एक जिले में—जहाँ प्रशासन उनके निकट है—डिप्टी-कमिशनर को वही बेलाग अधिकार मिले हुए हैं और सत्ताधारी पार्टी के इशारों पर, चाहे वह भीड़ इकट्ठा करने के लिए हो या विरोधियों को तंग करने के लिए, उन अधिकारों का प्रयोग या पुलिस द्वारा इन आदेशों को तामील किया जा रहा है तब वे पूछने लगते हैं कि पहले में और आज में क्या फ़र्क है? वे यह नहीं जानते कि कौन सबसे बड़ा होना चाहता है और इसके लिए क्या तरीके अपना रहा है। वे निराश हैं। वे पुरानी परम्परा से अलग एक नयी चीज़ चाहते हैं और उन्हें वह मिलती नहीं है। सरकारी दफ़तरों या कच्चहरियों में उनके साथ वही व्यवहार होता है जो पहले होता था, वे जानता चाहते हैं कि जनता राज के नारे कहाँ चले गये!

उन्हें आशा थी कि जनता के मंत्रियों का रहन-सहन भिन्न होगा और वे

सादगी और संयम से रहेंगे, लेकिन वे देखते हैं कि ये मंत्री भी उन्होंने चमक-दमक वाले बैंगलों में रह रहे हैं, चपरासियों, सिक्युरिटी के आदमियों और पी० ए० लोगों की वही भीड़ है। वे देखते हैं कि जनता के नेतागण अफसरों को टेलीफोन पर निर्देश देने या क्रान्तुर से बाहर जाने का वही पुराना तरीका अपनाये हुए हैं।

जिस जनता ने श्रीमती गांधी व उनके गुर्गों के शासन को ख़त्म किया, यदि वह समझते लगे कि सभी एक-से होते हैं, सत्ता में आने पर अपने वायदे भूल जाते हैं, और वर्तमान व्यवस्था में उसी तरह के लोग फल-फूल सकते हैं जो पिछले तीस वर्ष से फल-फूल रहे थे, तो मुझे अंदेशा होता है कि मेरी आजादी ख़तरे में है।

जब लोग देखते हैं कि मौजूदा नेता उन्होंने चालों, वैसी ही दलवंदी और अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए वही पुरानी राजनीति के दावपेंचों में उलझ गये हैं तब वे अक्सर सोचते हैं कि क्या लोकतंत्र एक विलास है, क्या देश को 'दुरुस्त' रखने के लिए 'अनुशासन' की जरूरत है? यह सोचने की एक भयानक प्रवृत्ति है, लेकिन मौजूदा बातावरण और सरकार की निप्पिक्यता इसको और प्यादा बल दे सकती है।

यह सच है कि भारत ने तानाशाही को उखाड़ फेंका है, लेकिन ऐसा भी कुछ देशों में हुआ है कि तानाशाही के अँधेरे के बाद लोकतंत्र की ज्योति कुछ देर के लिए टिमटिमायी और फिर हमेशा के लिए बुझ गयी। मुझे शंका है कि जनता सरकार के असफल हो जाने के बाद कहीं ऐसी ही स्थिति न आ जाये और पार्टी में अन्दर और बाहर ऐसे संकट आने न शुरू हो जायें जिनसे एक विशेष प्रकार का शासन आ जाये जो जैसे-जैसे दिन बीतते जायें लोकतंत्रीय कम और ज्यादा-से-ज्यादा सत्तावादी होता जाये।

कुछ लोग, खास तौर से श्रीमती गांधी के समर्थक, अब भी यह दलील देते हैं कि श्रीमती गांधी ने इमरजेंसी तब सागू की जब उन्होंने यह देखा कि भारत के लिए लोकतंत्रीय व्यवस्था अनुकूल नहीं थी, वर्योंकि यहाँ की हालत भूख और बेतहाशा बढ़ती आवादी से दिन-पर-दिन गिरती जा रही थी।

इस दलील पर योड़ा-बहुत विश्वास किया जा सकता था, अगर श्रीमती गांधी व्यक्तिगत शासन के मौह में न पड़तीं। उन्होंने इमरजेंसी के अटारह महीनों में एक भी आर्थिक समस्या को कारगर तरीके से हल नहीं किया। असल में हालत खराब होती गयी और जो पुलिस-राज उन्होंने लागू किया था उसके बाबजूद भी 1976 के मध्य में कीमतें बढ़नी शुरू हुई थीं।

कुछ भी हो, इन्सान की ज़रूरतों का जवाब सत्तावाद नहीं है। जीवन के नीतिक और आध्यात्मिक पक्ष के प्रति सत्तावाद की उपेक्षा से उस चीज़ की उपेक्षा हो जाती है जो मनुष्य के लिए बुनियादी है। सत्तावाद मनुष्य से उसके आदर्शों और मूल्यों को छीन लेता है। जबाहरलाल नेहरू समाजवाद के नीतिक पक्ष को ही अपने विचारों में मुख्य स्थान देते थे। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर साधन गलत हैं तो उसका परिणाम भी विकार-युक्त हो जायेगा।

मैं विश्वास करता हूँ कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लोकतंत्रीय तरीके से संभव हैं और ऐसा परिवर्तन उससे ज्यादा कल्याणकारी और स्थायी होता है जो बल के द्वारा किया जाये। भारतीय जनता का भी यही विश्वास है और उसने समूर्ण तानाशाही शासन को निकाल कर यह सिद्ध कर दिया है।

मेरे विचार में जनता पार्टी आज भी एक ऐसे मंच की तरह है, जिस पर युवा लोगों के अलावा उसके पांच घटक अपना-अपना आसन लिये हुए हैं—

जन संघ, भालोद, कांग्रेस (सं०), सी० एफ० डी० और सोशलिस्ट। हर एक का अपना क्षेत्र है और हर कोई एक-दूसरे को इच्छा से देख रहा है। सरकार और पार्टी में पद के लिए कोटा निश्चित है। किसी भी आदमी को उसकी योग्यता या उसकी ताग-न्तपस्या से नहीं, उस पर लगे लेवल से परखा जाता है। कोई किस घटक का किस नेता से संबंधित है, यही महत्वपूर्ण है। और लोक-सभा में हर घटक की सदस्य-संख्या का हर बार उल्लेख किया जाता है।

नेतागण इस बात का स्वयं भी अनुभव नहीं करते कि उनकी विजय थीमती गाधी और उनके दल के लोगों के कुप्रशासन के कारण हुई है। उत्तर भारत में कोई भी जीत सकता था, उम्मीदवार की असली पार्टी का इससे कोई संबंध नहीं या। उदाहरण के लिए अगर उत्तर प्रदेश की सभी चौरासी सीटें सोशलिस्टों को दे दी जाती, जिनकी संख्या सबसे कम है, तब उनकी संख्या बढ़ जाती। यह एक ज्वार या जो अपने साथ सबको बहा ले आया। यही बात जनता-नेताओं को सोचनी चाहिए। इसके बजाय वह चुनाव के नतीजे के आधार पर अपनी या अपनी पुरानी पार्टी की लोकप्रियता को वास्तविक मान बैठे है। किसी को तो अपनी पुरानी वकादारी और राम-द्वेष से ऊपर उठना चाहिए या। लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं किया—न देसाई, न चरणसिंह, न जगजीवनराम और न ही चन्द्रशेखर या अन्य किसी ने, जिन पर आशाएँ लगायी गयी थी। कोई भी महान नेता पार्टी को संकुचित और संकीर्ण भावनाओं के दबदब से निकाल सकता या और उसकी शक्ति को देश के पुनर्निर्माण में लगा सकता या, लेकिन जो लोग इस बार आये हैं।

असल में नेताओं की अधिकांश शक्ति और समय पार्टी को संगठित बनाये रखने में ही लग जाता है। लेकिन पार्टी सिर्फ़ एक बाहन है, कुछ काम करने का एक साधन है, स्वयं में लक्ष्य नहीं है। इन लोगों में काम करने की शक्ति के अभाव के कारण ही श्रीमती गाधी की विश्वसनीयता मिल रही है। लोग उनके पास वापस नहीं जाना चाहते हैं और न तानाशाही के बेघरे, भयानक और डरावने दिन वापस लाना चाहते हैं। लेकिन 'जनता' के नेता इस बात की जी-तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि लोग थीमती गाधी की ओर ही चले जायें।

प्रश्न यह है कि इस स्थिति के बाद अब हम कहाँ जायें? हम भयंकर विगत और सभावित भविष्य के बीच फँस गये हैं। हम गेंद की तरह नहीं रह सकते कि कांग्रेस धनका दे तो जनता वालों के हाथों में चले जायें या उधर से धनका दिया जाये फिर इधर चले आयें। इसके लिए कोई विकल्प होना चाहिए। वह क्या है? मेरा विचार ऐसा है कि भारत ही ऐसा देश है जो पूँजीवादियों और साम्यवादियों द्वारा को यह दिखा सकता है कि आजादी और रोटी दोनों साथ-साथ अजित की जा सकती है। काम चिर्फ़ सही नेतृत्व मिलता!

दुखद स्थिति यह है कि जनता-नेताओं ने उस काति के अर्थ को अभी तक नहीं समझा है जो लोगों द्वारा माचं 1977 के माध्यम से लायी गयी। वही पुराने लोग लोट आये हैं जो उसी पुराने घिसे-पिटे दंग से पुराने जर्जर ढाँचे को फिर से पड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि वह ढाँचा सड़ा-गला होने पर भी सुख्खा प्रदान करता है। सिद्धांतों के आधार पर पार्टियों के आपसी समझौते को सभी पसन्द करते। दरिंगपंथी और बामपंथी में से किसी एक का स्पष्ट चुनाव करने से राष्ट्र करते। दरिंगपंथी कार्यक्रम समझने में आसानी रहती और तब लोग प्रमुख आधिक और को भावी कार्यक्रम समझने में आसानी रहती और तब लोग प्रमुख आधिक और राजनीतिक विकल्पों भी देखा गृहराई से धानबीन करते। लेकिन एक ऐसे दो श में

जहाँ वामपंथी तो सरकार के अंग हों और जहाँ दक्षिणपंथी समाजबाद का नारा लगाते हों, धूकीकरण संभव नहीं है। हो सकता है कि हमें तब तक इन्तजार करना पड़े जब तक नेतृत्व की मौजूदा पीढ़ी न टल जाये।

मैं निराशावादी नहीं हूँ। मैं चिन्तित हूँ। मुझे शंका है कि समाज का जैसा ढाँचा आज है क्या वह फलदायक हो सकता है या इसके कर्णधार—चाहे वे नेता, मंत्री, बुद्धिजीवी, नौकरशाह या पत्रकार हों—देश में मुख समृद्धि लाने में पर्याप्त रूप से समर्थ है या ऐसा करने के प्रति निष्ठावान हैं?

लेकिन मुझे अपनी जनता—साधारण जनता, 'अशिक्षित', गृहविहीन, गरीब, मजदूर, भूमिहीन, दयापूर्ण, तिरस्कृत जनता—पर पूरा विश्वास है। मैं अपनी आँखें बंद करता हूँ और देखता हूँ कि तानाशाही के शासन को उखाड़ फेकने पर उन्होंने कितनी खुशियाँ मनायी थीं, किस तरह उन्होंने यह सावित कर दिखाया था कि देश, उसके वैभव, उसके मूल्यों को जीता नहीं जा सकता।

और मैं उनकी आवाज को और तेज होती और मुझे विना मुकदमा चलाये नज़रबन्द करने आयी पुलिस के आदमियों के पैरों की आहट को और धीमी और दूर होती सुन रहा हूँ...।

परिशिष्ट I

जेलों के सुपरिटेंडेंट और प्रबन्ध के मैनुअल से उद्धरण

अनुच्छेद II—मुकदमा चल रहे कँदी

567-वी. मुकदमा चल रहे कँदी दो थेणियों के होगे अर्थात् (1) वह जो सामाजिक पद, शिक्षा या जीवन की आदत के अनुसार कँचे रहन-सहन के आदी रहे हैं, और (2) दूसरे कँदी, अर्थात् एक थेणी सजा पाये कैदियों की थेणी 'ए' और 'बी' के अनुरूप होगी और दूसरी थेणी 'सी' के अनुरूप होगी। मुकदमा चल रहे कँदी को किसी भी सक्षम कोर्ट में लाये जाने से पहले थेणी का निर्धारण पुलिस-स्टेशन के ऑफिसर-इंचार्ज की मर्जी पर निर्भर होगा। जब वह कोर्ट में पेश कर दिया जाये तब उसकी थेणी का निर्धारण उसी संवंधित कोर्ट द्वारा किया जायेगा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के संशोधित आदेशों के अधीन होगा।

अनुच्छेद III—थेणी 'ए' में प्रविष्ट कैदियों के लिए नियम

- 567-सी. 1. **निवास-स्थान**—जहाँ भी ऐसा निवास-स्थान उपलब्ध है, 'ए' थेणी के कँदी अन्य कैदियों से अलग रखे जायेंगे और उन्हें सेलों में या संवंधित बैरकों में रखा जायेगा जो उनके लिए विशेष रूप से बनी होंगी, वशतें उन्हें अलग न रखा जाये सिवा उन मामलों के जहाँ ऐसी व्यवस्था जेल-दंड के रूप में दी गयी हो।
2. **फर्नीचर**—इन्हें वैसा ही फर्नीचर दिया जायेगा जैसा 'बी' थेणी के कैदियों को दिया जाता है, लेकिन वे इस फर्नीचर के अतिरिक्त अन्य चीजें उचित सीमा के अंदर अपने खुचं पर रख सकेंगे। जहाँ इसकी सुविधा है उन्हें विजली का अपना टेबुल फैन इस्तेमाल करने की भी इजाजत दी जायेगी।
3. **विस्तर**—वह अपना विस्तर इस्तेमाल कर सकेंगे, वशतें वह जेल में लाने से पहले विसंक्रमित किया हुआ हो।
4. **रोगनी**—उन्हें 10 बजे रात तक पढ़ने के लिए एक लैम्प को इस्तेमाल करने की इजाजत दी जायेगी।

- व्यायाम—वह याली हवा में रोजाना ऐसा व्यायाम किया करेगे जैसा कि चिकित्सा-अधिकारी उनके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उचित समझेगा।
- सफाई और नहाने का इतजाम—उनके लिए पर्दे में नहाने, शौच

हाथ का स्थिरा, कंधा आदि के इस्तेमाल की इजाजत दे सकेगा, बशर्ते इस समान का इतजाम केंद्रीय खुद करेगा या उनके दोस्त करें।

- सिर के बाल कटवाना और दाढ़ी बनवाना—उनको सिर पर बाल रखने व दाढ़ी रखने की इजाजत दी जायेगी। जेल-सुपरिटेंडेंट उनको दिन में एक बार दाढ़ी बनाने और अपना सेफ्टी रेजर इस्तेमाल करने की इजाजत दे सकता है, बशर्ते यह स्टोर में रखा जाये और केंद्री के पास न रखा जाये।
- खाना पकाने का इतजाम—जहाँ ‘ए’ थेणी के बहुत-से केंद्री एक जगह पर कैंद हों वहाँ उनको एक अलग रसोई-घर देने की कोशिश की जानी चाहिए। यहाँ ऐसे केंद्री अलग-अलग रसोये हों वहाँ उनको अपना खाना खुद पकाने की इजाजत दी जा सकती है, बशर्ते इसके लिए उचित सावधानी और पूरे काम का उचित ध्यान रखा गया हो।

इनको बैसे ही वरतन दिये जायेंगे जैसे कि ‘बी’ थेणी के कैंदियों को दिये जाते हैं और अपर वह चाहें तो उनकी खाने के अपने वरतनों का इस्तेमाल करने दिया जायेगा।

- खुराक—इसको वही खुराक दी जायेगी जो ‘बी’ थेणी के कैंदियों को दी जाती है। जिन लोगों को अपना खाना खुद पकाने की इजाजत मिली होगी उनको निर्धारित मात्रा के अनुसार जिस दी जा सकती है।

इस खुराक के अलावा उन्हें सादा किस्म की दूसरी चीजों भी दी जा सकती है, बशर्ते इनकी खरीद के लिए धन जेल-सुपरिटेंडेंट के पास जमा कर दिया गया हो।

अलकोहॉल, नशी की दवाइयाँ और विलास की चीजों की मंजूरी नहीं दी जायेगी। उन्हें अपने सुखने पर दी सिगरेट या चार बीड़ी सब्बे और जाम के खाने के बाद पीने की इजाजत दी जा सकती है। सिगरेट या बीड़ी, जो भी हो, उसी समय पीली जानी चाहिए और उसे बाद में पीने के लिए नहीं रखा जाना चाहिए।

- पहनने के कपड़े—अगर वे चाहें तो उनको अपने कपड़े पहनने की इजाजत दी जा सकती है। अन्यथा उन्हें पहनने के वही कपड़े दिये जायेंगे जो ‘बी’ थेणी के कैंदियों के लिए निर्धारित हैं।

राजनीतिक निशान के कपड़े, जैसे गाढ़ी टोपी और काली पगड़ी, पहनना सख्त मता है।

11. कैदियों के लिए काम—कैदियों की क्षमता, स्वभाव, पूर्व-जीवन के तरीके और पूर्ववृत्त पर उचित ध्यान देते हुए उन्हें काम दिया जायेगा।
12. पढ़ने की मुश्किलें—पढ़ने के संबंध में उन पर वही नियम लागू होगे जो 'बी' श्रेणी के कैदियों पर लागू होते हैं, सिवाय इसके कि वे तीन किताबों के बजाय अपनी छह किताबें एक साथ रख सकेंगे और अपने खर्च पर ऐसे रोजाना के अख़्वार रख सकेंगे जो सरकार द्वारा विधिवत् अनुमोदित होगे।
13. चिट्ठियाँ और इंटरव्यू—उन्हें सप्ताह में एक चिट्ठी लिखने और प्राप्त करने और एक बार भेट करने की इजाजत दी जा सकेगी। अत्यावश्यक अवसरों पर, जैसे किसी कैदी के परिवार में मृत्यु होने पर या गंभीर रूप से बीमार पढ़ने पर, इस नियम में जेल-सुपरिटेंडेंट की मर्जी के आधार पर ढील दी जा सकेगी। जो लोग निश्चित समय में कैदी से मिलने आयेंगे उनकी संख्या दो तक सीमित होगी। इन भेटों में राजनीतिक प्रश्नों पर बहस करने की इजाजत नहीं दी जायेगी। सभी चिट्ठियों में विषय-वस्तु विलकुल निजी वातों के बारे में सीमित होगी और इनमें जेल के प्रशासन और व्यवस्था, अन्य कैदियों या राजनीतिक मामलों का कोई भी उल्लेख नहीं होगा।
इंटरव्यू में की गयी वातचीत या कैदियों से प्राप्त चिट्ठियों का सार प्रकाशित होने पर यह अधिकार वापस लिया या ख़त्म किया जा सकेगा।
14. सफाई वगैरह का काम—उन्हें सफाई वगैरह का काम नहीं करना होगा और न ऐसे काम के लिए जो उनके लिए किया गया होगा, उन्हें कोई खर्च देना होगा। यह काम जेल के नौकर-चाकर करेंगे जिनका इस्तेमाल 'ए' श्रेणी के कैदियों को निजी नौकरों की तरह नहीं करना चाहिए।
15. हथकड़ी और बेड़ियों का इस्तेमाल—उनको सजा के अलावा या निकल भागने से रोकने या जेल के किसी कर्मचारी पर हमला करने की स्थिति को छोड़ कर हथकड़ी या बेड़ी नहीं पहनायी जायेगी।
16. सजा—सजा देने के संबंध में सामान्य नियम उन पर लागू होंगे, सिवाय इसके कि उनको कोड़े मारने की सजा गवर्नर और उसकी परिपद की मंजूरी लिये दिना नहीं दी जायेगी। जेल-सुपरिटेंडेंट जो भी सजाएं देगा वह तुरंत इंस्पेक्टर-जनरल को सूचित की जायेगी।
दुर्घटनाकरने पर जेल-सुपरिटेंडेंट कैदियों के व्यक्तिगत अधिकार वापस ले सकता है। इस सजा की अवधि एक महीने से ज्यादा हो तब इंस्पेक्टर-जनरल की मंजूरी लेनी ज़रूरी होगी। लेकिन इस श्रेणी से हटाने का अधिकार गवर्नर और उसकी मन्त्रि-परिपद को ही होगा।
17. अनुशासन—ये हमेशा अनशासित तरीके से आचरण करेंगे लेकिन ये लोग कतार बनाकर नहीं चलेंगे और न याने के लिए इन्हें लाइन बनानी पड़ेगी। वे जेल-सुपरिटेंडेंट, डिप्टी-सुपरिटेंडेंट और मेडिकल जॉफिसर और अन्य सरकारी और गैर-सरकारी जेल-निरीक्षकों के

आने पर सावधान होकर छड़े हो जायेंगे। छोरों से बात करना, गाना या लड्डाई-भरगड़ा करना सना है। लेकिन काम करने के समय से पहले या बाद में कैदियों को धीमे स्वर में बातचीत करने की इजाजत दी जा सकेगी। अन्य मामलों में इन कैदियों पर वही नियम लागू होते जो साधारण कैदियों पर लागू होते हैं।

18. तबादले—इन पर तबादले के वही नियम लागू होंगे जो 'बी' श्रेणी के कैदियों पर लागू होते हैं।

583. (1) हर कैदी को शौच में दरा मिनट या जितनी देर तक उल्लरी हो उतनी देर तक रहने दिया जायेगा। हर संडास में छह आदमियों के लिए एक सीट के हिसाब से जगह हीनों चाहिए जो इसका इस्तेमाल करें और हर संडास के साथ हाथ धोने के लिए संडास की चार सीटों पर एक कमरा होता चाहिए।

(2) शौच-परेड पर इंचार्ज-वार्डर का नियंत्रण रहेगा और जितनी जगहें पाली होंगी उतने ही कैदियों के एक बार अंदर जाने दिया जायेगा।

584. शौच-परेड खत्म होने पर सबेरे के खाने के लिए खाना मिलने वाले चबूतरे पर ले जाया जायेगा, जहाँ अनुच्छेद 591 में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार व्यवस्था की जायेगी।

585. जब कभी कैदियों को जेल में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जायेगा या वे झड़ में बैठे या छड़े होने तब उन भोकों को छोड़कर जब वह खाना खा रहे होंगे या निरीक्षण के लिए लाइन बनाकर छड़े किये हुए होंगे, उनको जोड़ा बनाकर लाइन में ले जाया जायेगा और वे कमान के शब्द या संकेत के अनुसार छड़े होंगे, आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे या बैठ जायेंगे। इन परेडों में जो संकेत दिये जायेंगे वे पंटा बजाकर दिये जायेंगे और इनका पालन उसी समय जेल में सभी जगह किया जायेगा।

586. कैदियों को डिप्टी-सुपरिटेंडेंट या उससे ऊचे अधिकारी को उस अफसर के कमान के शब्द पर सलाम करना होगा जिसके अधीन में होंगे, ये कमान के आदेश हैं :

“हक जाओ”—अगर मार्च कर रहा हो तो निश्चल घड़ा हो जाना।

“उठ जाओ”—बैठे से उठ कर खड़ा होना।

“सावधान”—अगर काम कर रहा हो तो काम बन्द करना।

जब सलाम की प्रक्रिया का समापन करना होगा तब निम्नलिखित शब्दों का इस्तेमाल किया जायेगा :

“चलो”—आगे बढ़ना।

“बैठ जाओ”—बैठ जाने की स्थिति में बाना।

“काम करो”—काम फिर करने लगना।

587. सबेरे याता खाना खाने के बाद, कैदियों को अपने हाथ और पाने वाले वरतन धोने की इजाजत दी जायेगी और उसके बाद टोली-रजिस्टर के अनुसार टोली में कर दिया जायेगा। हर टोली उसके लिए जिम्मेदार अफसर को सौंप दी जायेगी और काम करने को जगह पर ले जायी जायेगी।

915. (1) जो लोग अस्पताल में बीमार पड़े हैं उनको छोड़ कर भारतीय क्रैंडियों के लिए निम्नानुसार खाना तीन बार दिया जायेगा :

सबेरे का खाना—आधी रोटी, आधा तेल और पूरी दाल।

दोपहर का खाना—भूता या उबला हुआ चना।

शाम का खाना—वाकी रोटी और तेल और पूरी सब्जी।

(2) सबेरे और दोपहर के खाने में मेडिकल ऑफिसर की मर्जी के अनुसार एक-दूसरे के साथ अदल-बदल की जा सकती है।

996. वाडों, सेलों और अन्य कमरों में जहाँ कैदी रखे जायेंगे, रहने की जगह की नाप आम तोर पर खुली जगह व घनाकार जगह और पास में रोशनी व हवा आने-जाने की जगह के मानदंड के अनुसार होगी जैसा कि सारणी में दिखाया गया है (पृष्ठ 114 पर)।

999. हर बाड़ और अन्य कमरों के, जो क्रैंडियों के सोने की जगह के रूप में इस्तेमाल किये जायेंगे, दरवाजे पर निम्नलिखित शीरा लिखा रहेगा :

(क) जिन क्रैंडियों के लिए जगह का इस्तेमाल होगा उनकी श्रेणी,

(ख) वर्ग-फुट में फर्ज का क्षेत्रफल,

(ग) हवा आने-जाने के लिए ऊपरी जगह घन फुट में, और

(घ) वर्ग फुट या घन फुट के आधार पर—इनमें जो भी कम हो—क्रैंडियों की संख्या जिनको वहाँ रखा जा सकता है।

1000. हर बाड़ या दूसरे कमरों में जहाँ कैंडियों को रात में रखा जायेगा, इंटों के चिने हुए चबूतरे बने होंगे, जिनकी संख्या नियत मानदंड के आधार पर निर्धारित संख्या के अनुसार होगी। हर वर्ष साढ़े छह फीट लम्बी, पौने तीन फीट चौड़ी और अद्वारह फीट केंची होगी और इसका ढलान सिर की तरफ से होगा। हर वर्ष का सिरा दूसरी वर्ष के सिरे की तरफ होगा। हर दो वर्षों के बीच दो फीट से कम का अन्तर नहीं होगा।

मीसा नजरवंदों के लिए नियम

रहने की जगह—जेल में नजरवंदों को सेलों या वाडों, अपेक्षाकृत वाडों में रखा जायेगा; लेकिन अगर इन्हें पुलिस की हिरासत में रखा जायेगा तब इन्हें दूसरे आदमियों से अलग हवालात में बंद रखा जायेगा; लेकिन अगर और भी नजरवद है तो एक-दूसरे के साथ आजादी के साथ मिलने की इजाजत रहेगी।

जेलों का इंस्पेक्टर-नजरवल, जेल का सुपरिंटेंडेंट या पुलिस-सुपरिंटेंडेंट, जिसके अधिकार-भेत्र में पुलिस की हवालात है, किसी कारण से उचित समझता है तब वह किसी स्थास नजरवंद या नजरवंदों की श्रेणी को अलग रख सकता है। जहाँ नजरवंदों को गर्भियों में बाहर खुले में सोने का इंतजाम है, या ऐसा इंतजाम हो सकता है, वहाँ उन्हें गर्भियों में बाहर खुले में सोने की इजाजत दी जा सकती है।

हवालात—नजरवंदों को आमतौर में रात में हवालात में नहीं बंद किया जायेगा। लेकिन अगर सुपरिंटेंडेंट नजरवद के संदेहास्पद आचरण के कारण ऐसा करना उचित समझता है तो वह नजरवंद को रात में हवालात में बंद कर सकता है और अपने खते में ऐसा करने के कारणों को दर्ज कर सकता है। जेल के अहाते

वाने या कक्षाएँ		सेल		अस्पताल	
कंदों की धैरणी और देवन की जगह		“ १ जोन		“ २ जोन	
तीय	80	1,200	36	120	1,800
	45	540	12	96	1,248
प्रति जोन	54	648	10	100	1,200
	36	432	6	75	900
प्रति जोन	54	648	10	15	90
	36	432	6	10	36
प्रति जोन	54	648	10	1,980	40
	36	432	6	702	12
प्रति जोन	54	648	10	1,080	15
	36	432	6	648	10

का बाहरी गेट चौबीसों घंटे बंद रहेगा।

पहनने के कपड़े और विस्तर—हर नज़रबंद खुद के कपड़े पहनेगा और उस रिश्तेदार, मगर सुपरिटेंडेंट की इजाजत से, और अधिक कपड़े और विस्तर भेज सकेंगे। जो नज़रबंद अपने लिए कपड़ों और विस्तर का इंतजाम नहीं कर सकता है उसे इस गति पर कपड़े और विस्तर दिये जायेंगे कि वह निजी कपड़े और विस्तर का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा।

अनुशासन और तलाशी (1) अनुशासन के लिए नज़रबंदों पर तिविल पेशनरों से संबंधित ऐसे नियम लागू होंगे जो इस आदेश या इस संबंध में प्रशासक द्वारा दिये गये कोई अन्य विशेष आदेशों के प्रतिकूल नहीं है।

(2) जेल के डिप्टी-सुपरिटेंडेंट या असिस्टेंट-सुपरिटेंडेंट, जिसे भी सुपरिटेंडेंट नियत करे, द्वारा हर नज़रबंद और उसके सेल या वार्ड की कम-से-कम एक सप्ताह में एक बार तलाशी ली जाया करेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि यह तलाशी पूरी ली जाये और तलाशी की रिपोर्ट डिप्टी-सुपरिटेंडेंट या असिस्टेंट-सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट-बुक में दज की जाये। इंटरव्यू से पहले और उसके बाद भी या किसी और समय अगर सुपरिटेंडेंट इसे जरूरी समझें तो हर नज़रबंद की तलाशी ली जायेगी।

इंटरव्यू (1) लिखित आवेदन-पत्र के सिवाय और उस पर दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट या उस जिले के मजिस्ट्रेट की, जिसके अधिकार-क्षेत्र में नज़रबंद अमुक समय पर नज़रबंद किया गया, विशिष्ट मंजूरी के सिवाय किसी भी कैदी को बाहर के किसी भी आदमी से मिलने की इजाजत नहीं दी जायेगी। यह इजाजत निम्नलिखित शर्तों के आधार पर दी जायेगी, अर्थात् :

(अ) कैदी के परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को सप्ताह में एक बार और हर बार एक घंटे तक मिलने की इजाजत दी जायेगी।

(आ) एक बार में कोई भी दो व्यक्ति मिल सकेंगे।

(इ) यह भेट जेल के एक थफसर के अलावा एक और अफसर के सामने होगी जो दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट, या जैसा भी हो, उस जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा नामित किया गया होगा जिसके अधिकार-क्षेत्र में कैदी को नज़रबंद किया गया था और ये दोनों अधिकारी भेट के दौरान सारी बात-चीत को सुन रहे होंगे।

(ई) नज़रबंदी के सिलसिले में कानूनी सलाह के लिए वकीलों से भेट जेल के एक अफसर के अलावा एक और अफसर के सामने होगी जो दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट या, जैसा भी हो, उस जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा नामित किया गया होगा जिसके अधिकार-क्षेत्र में कैदी को नज़रबंद किया गया था और ये दोनों अधिकारी भेट के दौरान सारी बात-चीत सुन रहे होंगे।

(उ) नज़रबंदी के सिलसिले के अलावा अन्य कार्रवाइयों के बारे में (जिसमें आयकर, विक्रीकर, या अन्य करों का विवरण भरना शामिल है) कानूनी सलाह के लिए वकीलों से भेट और कानूनी कार्रवाइयों की सच्चाई का पता लगाने के बाद जेल के एक अफसर के अलावा एक और थफसर के सामने होगी जो, दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट या, जैसा भी हो, उस जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा नामित किया गया होगा जिसके अधिकार-क्षेत्र में कैदी को नज़रबंद किया गया था। हर बार भेट की अवधि दो घंटे से ज्यादा नहीं होगी।

कंदी की
गेहूँ और
जैल की जाह

बाने या बक्कशाप

सेता

अस्पताल

मंदानों में स्थित जेते

युरोपीय	80	1,200	36	120	1,800	56	132	1,980	40
भारतीय	45	540	12	96	1,248	15	54	702	12
पहाड़ों पर स्थित जेते									
युरोपीय	54	648	10	100	1,200	15	90	1,080	15
भारतीय	36	432	6	75	900	10	36	648	10

का बाहरी गेट चौदोंसो घंटे बद रहेगा ।

पहनने के कपड़े और विस्तर—हर नज़रबद खुद के कपड़े पहनेगा और उसे रिश्तेदार, मगर सुपरिटेंडेंट की इजाजत से, और अधिक कपड़े और विस्तर भेज सकेगे । जो नज़रबद अपने लिए कपड़ों और विस्तर का इंतजाम नहीं कर सकता है उसे इस शर्त पर कपड़े और विस्तर दिये जायेगे कि वह निजी कपड़े और विस्तर का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा ।

पेशन
द्वारा

नियत करे, द्वारा हर नज़रबद और उसके सेल या बाड़ की कम-नो-कम एक सप्ताह में एक बार तलाशी ली जाया करेगी । इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि यह तलाशी पूरी ली जाये और तलाशी की रिपोर्ट डिप्टी-सुपरिटेंडेंट या असिस्टेंट-सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट-बुक में दज की जाये । इटरव्यू से पहले और उसके बाद भी या किसी और समय अगर सुपरिटेंडेंट इसे जरूरी समझे तो हर नज़रबद की तलाशी ली जायेगी ।

इंटरव्यू (१) लिखित आवेदन-पत्र के सिवाय और उस पर दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट या उस जिले के मजिस्ट्रेट की, जिसके अधिकार-क्षेत्र में नज़रबद अमुक समय पर नज़रबद किया गया, विशिष्ट मंजूरी के सिवाय किसी भी कैदी को बाहर के किसी भी आदमी से मिलने की इजाजत नहीं दी जायेगी । यह इजाजत निम्नलिखित शर्तों के आधार पर दी जायेगी, अर्थात् :

(अ) कैदी के परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को सप्ताह में एक बार और हर बार एक घंटे तक मिलने की इजाजत दी जायेगी ।

(आ) एक बार में कोई भी दो ब्यक्ति मिल सकेंगे ।

(इ) यह भेट जेल के एक अफसर के अलावा एक और अफसर के सामने होगी जो दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट, या जैसा भी हो, उस जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा नामित किया गया होगा जिसके अधिकार-क्षेत्र में कैदी को नज़रबद किया गया था और ये दोनों अधिकारी भेट के दौरान सारी बात-चीत को मन रहे होंगे ।

(ई) नज़रबदी के सिलसिले में कानूनी सत्ताह के लिए वकीलों से भेट जेल के एक अफसर के अलावा एक और अफसर के सामने होगी जो दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट या, जैसा भी हो, उस जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा नामित किया गया होगा जिसके अधिकार-क्षेत्र में कैदी को नज़रबद किया गया था और ये दोनों अधिकारी भेट के दौरान सारी बातचीत सुन रहे होंगे ।

(उ) नज़रबदी के सिलसिले के अलावा अन्य कानूनी कार्रवाइयों के बारे में (जिसमें आयकर, विकीकर, या अन्य करों का विवरण भरना शामिल है) कानूनी सत्ताह के लिए वकीलों से भेट और कानूनी कार्रवाइयों की सच्चाई का पता लगाने के बाद जेल के एक अफसर के अलावा एक और अफसर के सामने होगी जो, दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट या, जैसा भी हो, उस जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा नामित किया गया होगा जिसके अधिकार-क्षेत्र में कैदी को नज़रबद किया गया था । हर बार भेट की अवधि दो घंटे से ज्यादा नहीं होगी ।

(2) उप-अनुच्छेद (अ) में जो कुछ कहा गया है उसके बावजूद दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट या उस जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा जिसके अधिकारक्षेत्र में कैदी को नज़रबंद किया गया था, सप्ताह में एक से अधिक बार परिवार के सदस्यों और संबंधियों से मिलने की इजाजत मानवता के आधार पर विशेष परिस्थितियों में जैसे कैदी के गंभीर रूप से बीमार पड़ने पर या जब जिला मजिस्ट्रेट/नज़रबंद ए

या डिप्टी-इस्पेक्टर-जनरल आँफ़ पुलिस सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी भी पुलिस-अधिकारी को या तो अकेले या किसी दूसरे पुलिस-अधिकारी के साथ और अपने अधीनस्थ पुलिस-अधिकारी को साथ लेकर या अकेले ही किसी भी ऑफिसर से मेंट करने के लिए अधिकार दे सकता है, वश्वार्ते :

(अ) इस तरह जिस अफसर या जिन अफसरों को अधिकार दिया गया होगा वह कैदी से ऐसी जगह में मिलेंगे जो इस काम के लिए जेल-सुपरिटेंडेंट द्वारा दो गयी होंगी। इस भेट के लिए जाते समय संबंधित अफ-

स्टी विधानमंडल या मंट्रोपोलिटन कौसिल के स्पीकर या अध्यक्ष को विधायक या मंट्रोपोलिटन-कैदी की चिट्ठी और स्पीकर या अध्यक्ष को विधायक या मंट्रोपोलिटन-कैदी को चिट्ठी और कैदी और कचहरी के बीच प्रब्ल्यूव्हार को सेंसर करने की ज़रूरत नहीं है और ऐसी चिट्ठियाँ सुपरिटेंडेंट द्वारा सीधे ही संबंधित व्यक्ति को चौबीस घण्टे के अंदर भेज दी जायें। ऐसी चिट्ठियाँ किसी भी कैदी को विधानमंडल या मंट्रोपोलिटन कौसिल से प्राप्त चिट्ठी और कचहरी की किसी भी कैदी को चिट्ठी उसी दिन दे दी जानी चाहिए जिस दिन वह प्राप्त हो।

(2) उप-अनुच्छेद (1) में उल्लिखित को छोड़कर हर कैदी को सरकारी खंड पर एक सप्ताह में तीन बार अपने परिवार और संबंधियों को चिट्ठी लियने और किसी भी संलग्न में चिट्ठी प्राप्त करने की इजाजत दी जायेगी। कैदी द्वारा निख्ती गयी चिट्ठियाँ (फार्म बी में), जो इस आदेश के साथ संलग्न है, लिखी जायेंगी और नियत लवाई से बायादा लंबी नहीं होंगी। आवश्यक फार्म जेल-सुपरिटेंडेंट द्वारा सप्ताहाई किया जायेगा। परिवार और संबंधियों को चिट्ठियाँ जौच के बाद आम तौर पर भेज दी जायेंगी। अगर इन चिट्ठियों में कोई आपत्ति-जनक बात लिखी होगी तो उन्हें आगे नहीं भेजा जायेगा और कैदी को बापस दे दी जायेगी। कैदी उस आपत्तिजनक भाग को निकालकर चिट्ठी फिर से लिख सकता है।

(3) उप-अनुच्छेद (2) में उल्लिखित संलग्न की सीमा के बाहर भी अत्यावश्यक होने पर मुपरिटेंडेंट अपनी मर्जी के आधार पर कैदी को चिट्ठी लियने की

इजाजत दे सकता है और जब कभी कैदी ऐसी जेल में बंद है जो उसके साधारण निवास-स्थान से दूर है तब ऐसी हालत में सुपरिटेंट अपनी मर्जी का इस्तेमाल कैदी के पक्ष में करेगा।

(4) वकीलों को चिट्ठियाँ जाने दी जायेगी अगर इनमें सिफ़्र कानूनी सलाह की बातें लिखी होंगी। ये चिट्ठियाँ अधृत-कानूनी विशेषज्ञों, जैसे आयकर के मामलों वाले वकीलों, को भी लिखी हुई हो सकती हैं। अगर इनमें कोई आपत्ति-जनक बात लिखी होगी तो इनका निवटान भी उप-अनुच्छेद (2) के अनुसार किया जायेगा।

(5) चिट्ठियों की जांच-पड़ताल करते समय जेल के अधिकारी इस बात का ध्यान रखेंगे कि :

(क) चिट्ठियों को आगे भेजने या कैदियों को डिलीवर करने में कोई अनावश्यक देरी न हो।

(ख) जो चिट्ठियाँ डिलीवर की जायें या आगे भेजी जाये उनमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई हो जो आपत्तिजनक हो।

(6) दिल्ली प्रशासन द्वारा कैदी को लिखी गयी चिट्ठियाँ और उनके जवाब की संख्या को कैदी द्वारा लिखी गयी चिट्ठियों की संख्या को इस आदेश के अधीन निर्धारित करते समय शामिल किया जायेगा।

(7) जिस प्रदेश में कैदी नजरबंद है उस प्रदेश को छोड़कर केंद्र या प्रदेश सरकार को केंद्र द्वारा लिखी गयी चिट्ठियाँ उस प्रदेश की सरकार के माध्यम से भेजी जायेगी जहाँ वह कंद है। इन चिट्ठियों में उप-अनुच्छेद (1) में उल्लिखित चिट्ठियों को शामिल नहीं किया जायेगा।

(8) कोई भी चिट्ठी, अखबार या अन्य पत्रब्यवहार कैदी को सुपरिटेंट के माध्यम या ऐसे किसी अन्य अफसर के माध्यम के बिना, जैसे प्रशासक जो इस कार्य के लिए सामान्य या विशेष आदेश द्वारा नियत किया जायेगा, न तो दी जायेगी और न उसकी कोई भी चिट्ठी उक्त माध्यम के बिना आगे भेजी जायेगी।

(9) जेल में नजरबन्द कैदियों की सभी चिट्ठियाँ और उनको भेजी गयी चिट्ठियाँ संबंधित सुपरिटेंट द्वारा जांच ली जायेगी और दिल्ली प्रशासन के विशेष आदेश के अधीन सुपरिटेंट द्वारा संबंधित जिले के पुलिस-सुपरिटेंट को सीधे भेज दी जाया करेंगी जो अपनी मर्जी के अनुसार या तो बिना कोई देर किये आगे भेज देगा या रोक लेगा। शक की स्थिति में पुलिस-सुपरिटेंट मामले को डिप्टी-इंसेक्टर-जनरल अँक पुलिस, छफिया-विभाग या अन्य अफसर के पास जो इस काम के लिए नियत होगा, भेज देगा।

(10) अगर किसी चिट्ठी में जो कैदी द्वारा लिखी गयी होगी या उसे दी जाने वाली होगी, सुपरिटेंट को जेल के अनुशासन की दृष्टि से कोई आपत्तिजनक बात लिखी मिल जायेगी तो वह उसे निकाल देगा या निकाल दिये जाने के लिए लिख देगा और जो कुछ किया गया है उसकी सूचना संबंधित अधिकारी को ऐसी चिट्ठी भेजते समय देगा।

(11) अग्रेपित की जाने वाली सभी चिट्ठियों पर जो कैदी द्वारा लिखी गयी होंगी या उसको दी जाने वाली होंगी संबंधित अधिकारी द्वारा तारीख सहित दस्तखत किये जायेंगे जिसने उनका निवटान किया हुआ होगा।

(12) हर मामले में जब चिट्ठी को रोका गया होगा, कैदी को चिट्ठी रोके जाने के बारे में सुपरिटेंट द्वारा सूचना दी जायेगी। रोकी गयी सभी चिट्ठियाँ

डिस्ट्रॉ-इंस्पेक्टर-जनरल आँफ पुलिस के पास भेजी जायेगी। खुफिया-विभाग या अन्य अफसर जो इस काम के लिए प्रशासक द्वारा नियत होगा, इन चिट्ठियों को या तो अपने पास रोक लेगा या नष्ट कर देगा।

(13) कैदियों को दिये जाने या उनके द्वारा भेजे जाने वाले तार के निवटान के बारे में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी : जब कभी दिल्ली प्रशासन को तार भेजा जायेगा या वहाँ से आयेगा तब उसे सीधे ही भेज दिया जायेगा, वशते केन्द्रीय सरकार के साथ पत्र-व्यवहार में दिल्ली प्रशासन हमेशा सम्बन्ध स्व का काम करेगा। यह सुनिश्चित करना सुपरिटेंडेंट का कर्तव्य होगा कि कैदी द्वारा वही तार भेजना या प्राप्त किया जायेगा जिसमें ऐसी कोई वात लिखी होगी जिसे जल्दी जिसमें तार में लिखा गया पिटीशन शामिल है, तार के बजाय डाक से भेज सकता है।

(14) कैदी जो भी पत्र भेजेगा (जिनमें तार शामिल है), उनके साथ एक पर्ची पर उसका नाम और पता और संबंध, अगर कोई है, जिसे चिट्ठी भेजी जा रही है और चिट्ठी या तार में लिखे हर व्यक्ति का नाम, पता और संबंध लिखेगा, ये पर्चीय पुलिस-सुपरिटेंडेंट, खुफिया-विभाग या प्रशासक द्वारा इस काम के लिए नियत अफसर को भेज दी जायेगी जो अगर वह उचित समझता है कि चिट्ठी लिखने वाले को उसके साथ पत्र-व्यवहार करने दिया जाये तो सुपरिटेंडेंट या सबधित अधिकारी को उसकी जानकारी के लिए सूचित कर देगा।

(15) कैदियों द्वारा लिखी गयी या उनको भेजी गयी चिट्ठियों में घरेलू वातें या कैदी या उसके संबंधी के कुशल-क्षेत्र और निजी वातें ही लिखी होगी। जिन चिट्ठियों में राजनीतिक या साम्प्रदायिक वातें लिखी होंगी उनको रोक लिया जायेगा।

लिखने का सामान— (1) सभी कैदियों को उनके घरेलू वातों के आधार पर सप्लाई किया जायेगा। कागज नीचे लिखी शर्तों के आधार पर सप्लाई किया जायेगा और कैदी

(क) यह एक बार में थोड़ी मात्रा में सप्लाई किया जायेगा और इस पर जेल की मुहर लगा दी जायेगी।

(ख) इयादा कागज तब तक सप्लाई नहीं किया जायेगा जब तक पहले उसका सही तरीके से इस्तेमाल हुआ है।

(2) छात्र नजरबन्दों को जेल में अपनी पढाई जारी रखने की पूरी सुविधा दी जायेगी।

(3) जो नजरबन्द हिन्दी सीखना चाहते हैं, उनको पढाई के दौरान सरकारी घरेलू पर स्लेट, पेसिल, तखती, दावात और कलम दी जायेगी।

किताबें और समाचारपत्र— (क) नीचे लिखी सुविधा सरकारी घरेलू दी जायेगी—

(i) जहाँ भी संभव होगा कैदी को पुस्तकालय की सुविधा दी जायेगी। पुस्तकालय में वही पुस्तकों दी जायेगी जिसको जिला-मजिस्ट्रेट ने अनुमोदित किया हुआ होगा।

(ii) वारी-वारी से हर दम नजरबन्दों को एक अंग्रेजी का या क्षेत्रीय भाषा का एक समाचारपत्र मिला करेगा। अगर किसी भाषा-विदेष को

जानने वाले नज़रबन्दों की संख्या दस से कम होगी तो उनको भी उत्त भाषा में समाचारपत्र सरकारी ख़बर पर दिया जाया करेगा। कैदी अनुसूची में अनुमोदित समाचारपत्रों की सूची से उन समाचारपत्रों का चयन कर सकेगा जिन्हें वह पढ़ना चाहता है :

अंग्रेजी : हिन्दुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ़ इंडिया, स्टेट्समैन, इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ़ इंडिया, रीडर्स डाइज़ेस्ट, इकोनॉमिक रिव्यू ।

हिंदी : हिन्दुस्तान, नवभारत टाइम्स, हिन्दुस्तान साप्ताहिक, नवनीत, उद्धृत : मिलाय, तेज ।


(घ) कैदी निम्नतिवित सुविधा को अपने ख़बर पर प्राप्त कर सकता है :

(i) वह किसी भी संख्या में कोई भी किताब, पत्र-पत्रिकाएँ या समाचारपत्र खुद इन्तजाम कर प्राप्त कर सकता है ।

(ii) कैदियों को या उनसे सभी पुस्तकें और समाचारपत्र जिले के पुलिस-सुपरिटेंडेंट द्वारा संबंधित सुपरिटेंडेंट के माध्यम से दी व वापस की जायेंगी। पुलिस-सुपरिटेंडेंट किसी भी समाचारपत्र या किताब को अपनी मर्जी के आधार पर रोक सकता है। जिन पुस्तकों के अनुबाद की जाँच-पड़ताल की जा चुकी है और जिसे अनुमोदित किया जा चुका है वह और किसी जाँच के बिना दे दिया जायेगा। ऐसे मामलों में जिनमें किताबों या समाचारपत्रों को रोक लिया गया है, उनके बारे में एक रिपोर्ट डिप्टी-इंस्पेक्टर-जनरल ऑफ़ पुलिस, खुफिया-विभाग या अन्य अधिकारी को जो इस काम के लिए सरकार द्वारा नियत किया गया होगा, भेजी जायेगी। प्रशासक द्वारा मंजूर समाचारपत्र बिना किसी पूर्व सेसर या जाँच के कैदी को दे दिये जायेंगे। जिन समाचारपत्रों, पत्र-पत्रिकाओं को सरकार ने कैदियों के लिए अनुमोदित किया है उनके नाम इस आदेश के साथ संलग्न हैं ।

(iii) किसी किताब, पत्र-पत्रिका के रोके जाने के बारे में अगर कोई कैदी संबंधित अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह ऐसे मामलों में सुपरिटेंडेंट के माध्यम से जिला-मजिस्ट्रेट को अपना प्रतिवेदन भेज सकता है, जिनका निर्णय अन्तिम होगा ।

परिशिष्ट II



मुख्य जाँच-कर्ता : अध्यक्ष न्यायमूर्ति जे० सी० शाह

अध्यक्ष : क्या आप शपथ लेंगे और घोषणा करेंगे कि आप सच बोलेंगे, पूरा सच बोलेंगे और सच के सिवाय कुछ नहीं बोलेंगे ?

गवाह : जी हैं, मैं शपथ लेता हूँ, संविधान के नाम में !

अध्यक्ष : आप मीसा के तहत जुलाई 1975 की 25 तारीख को गिरफ्तार किये गये थे ?

गवाह : जी हैं।

अध्यक्ष : क्या आपको कोई अॉडर दिया गया था ?

गवाह : जी, मुझे याद है कि जो दो पुलिस के आदमी आये थे, मैंने उनसे पूछा था कि व्या कोई वारंट है और उन्होंने कोई वारंट दिखाया था।

अध्यक्ष : उन्होंने मीसा के तहत, इस नियम के अनुच्छेद 3 के तहत मजिस्ट्रेट का कोई आदेश दिया था ?

गवाह : जी, कुछ छपा हुआ कागज, मेरा नाम लिखा था। मैंने 'मीसा' या 'सार्वजनिक हित मे' के अलावा कुछ नहीं पढ़ा।

अध्यक्ष : व्या आपके पास वह छपा हुआ कागज है ?

गवाह : जो नहीं, मेरे पास नहीं है।

अध्यक्ष : अच्छा, एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री घोष की फाइल से पता चलता है कि इसमें वह कारण दिये हुए थे जो केस के स्टेटमेंट में लिखे गये हैं।

गवाह : नहीं, अगर मुझे ठीक याद है, उस आदेश में कोई भी कारण नहीं दिये गये थे।

अध्यक्ष : सिफँ यह लिखा गया था कि...।

गवाह : अमुक-अमुक धारा के तहत, और आपको नजरबंद करना सार्वजनिक हित मे है, वस।

अध्यक्ष : आपको कारण क्व बताये गये थे ?

गवाह : जेल में, मुझे याद है, शायद 3-4 दिन बाद, मुझे कोई कागज दस्तखत करने को दिया गया था लेकिन फिर भी इसमें कोई कारण नहीं दिये गये थे, सिफँ अमुक-अमुक धारा के तहत, और कुछ भी नहीं, कोई व्यीरा नहीं दिया गया था।

अध्यक्ष : आप क्व तक नजरबंद रहे ?

गवाह : कोई दो महीने तक।

अध्यक्ष : आपकी पत्नी ने दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की थी ?

गवाह : जो, मुझे नहीं मालूम था। मुझे बहुत देर में मालूम हुआ था।

अध्यक्ष : अच्छा, कारणों में यह लिखा हुआ है कि श्री जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विरोधी गैर-सी० पी० आई० पार्टियों के आंदोलन को आप सतत् रूप से सहायता दे रहे थे ?

गवाह : यह पहली बार है जब मैंने इन कारणों को देखा है और मैं कहता हूँ कि यह सब झूठ का जाल है।

अध्यक्ष : आगे, यह भी लिखा है कि आप जामा मस्जिद के इमाम से 28 फरवरी 1975 को मिले थे और आपने उनसे बहुत-से मुस्लिम वाल-टियरों को 6 मार्च 1975 को आयोजित रैली के लिए भेजने को कहा था ?

गवाह : मैं इमाम से कभी नहीं मिला। मैं उनसे मार्च 1977 के चुनाव के बाद ही मिला। मैं उनसे पहले कभी नहीं मिला था।

अध्यक्ष : व्या आपने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 3 अप्रैल 1975 की एक बैठक में भाग लिया था ?

गवाह : जी नहीं। यह सब झूठ है।

अध्यक्ष : व्या आपने कांग्रेस, अकाली दल, भालोद, भारतीय जन संघ और सोशलिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की दो बैठकों में, जो 21 और 22 जून 1975 को हुई थी, भाग लिया था ?

गवाह : यह मनमुक्त सूठ है।

अध्यक्ष : क्या आप विरोधी गैर-सी० पी० आई० पार्टियों के नेताओं की संयुक्त बैठक में, जो १०० पी० निवास में 20 और 22 जून 1975 को हुई थी, उपस्थित थे और आपने भाग लिया था?

गवाह : जी, नहीं। मैं किर कहूँगा कि मेरे सब बातें झूठ हैं।

अध्यक्ष : क्या आपने प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, को जुलाई 1975 की, 16 जूलाई 1975 को कोई चिट्ठी लिखी थी, भेजी थी?

गवाह : जी, मैंने एक पत्र लिया था। शायद तारीख ठीक हो। मुझे तारीख नहीं याद है, लेकिन मैंने उनको एक पत्र लिखा था।

अध्यक्ष : जरा इनको चिट्ठी दिखा दीजिये।

(गवाह को चिट्ठी दिखायी गयी।)

गवाह : जी,

अध्यक्ष : आपने

गवाह : जी, मैंने उसे डाक से भेजा था।

अध्यक्ष : आपने इसे डाक से भेजा था।

जरा चिट्ठी पढ़ दीजिये।

(भूतपूर्व प्रधानमंत्री को भेजो गयी चिट्ठी गवाही के तौर पढ़कर सुनायी गयी।)

इस चिट्ठी के भेजने के एक सप्ताह के अंदर आपको गिरफ्तार कर लिया गया?

गवाह : जी, श्रीमन, मैं 9 दिन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया।

अध्यक्ष : आप पत्रकारिता का व्यवसाय करते हैं?

गवाह : विभाजन के बाद से, 1947 से।

अध्यक्ष : 1947 से। आप पडित जवाहरलाल नेहरू, श्री गोविंदबल्लभ पंत, और श्री सालवहादुर शास्त्री के जनसंपर्क-अधिकारी रहे थे?

गवाह : यह सही है। पडित जवाहरलाल नेहरू के मैं सिर्फ कुछ दिनों तक साथ रहा, लेकिन मूर्खतः मैं....।

अध्यक्ष : आप यू० एन० आई० के जनरल-मैनेजर भी थे?

गवाह : जी, यू० एन० आई० का जनरल-मैनेजर और एडीटर।

अध्यक्ष : प्रेस कौमिल आफ इंडिया के सदस्य?

गवाह : जी, हाँ।

अध्यक्ष : पंजाब यूनिवर्सिटी के सिनेट के सदस्य?

गवाह : पंजाबी यूनिवर्सिटी।

अध्यक्ष : पंजाबी यूनिवर्सिटी। और बंगलौर यूनिवर्सिटी, डिसार्टमेंट ऑफ जर्नलिज़म के गवाहकार?

गवाह : यह सही है।

अध्यक्ष : क्या कोई चिट्ठी, जवाब प्रधानमंत्री के नविवालय से मिला था?

गवाह : जी, प्रधानमंत्री के प्रेम-एडवाइजर थी शारदा प्रसाद से।

अध्यक्ष : जरा पढ़ दीजिये।

(फूलदीप नम्यर को शारदा प्रसाद की चिट्ठी मूचना अधिकारी द्वारा पढ़ी गयी।)

अध्यक्ष : आपको यह चिट्ठी क्या भिन्नी?

गवाह : मेरा खयाल है, गिरफ्तार किये जाने के 24 घंटे पहले।

अध्यक्ष : आपने कहा कि आपको भीसा के तहत गिरफ्तार और नज़रबंद किया गया। आप कहाँ ले जाये गये थे?

गवाह : मैं यहाँ की स्थानीय जेल, तिहाड़ ले जाया गया था।

अध्यक्ष : और आप सारी अवधि तिहाड़ सेल में रहे थे ...?

गवाह : जी, श्रीमन। मैं सारी अवधि तिहाड़ में एक ही सेल में रहा।

अध्यक्ष : क्या आप जेल के अपने अनुभव और उन हालातों के बारे में बतायेगे जिनमें आपको रखा गया था?

गवाह : जी, श्रीमन, जब मैं अंदर गया, सबसे पहले मेरी तलाशी ली गयी और यह, मेरे पास एक छोटा बैग, कुछ कागज और किताबें थीं जो पहले तो ले ली गयी क्योंकि उन्हें जेल के सुपरिटेंडेंट को दिखाया जाना था। तब मुझे एक कम्बल और एक बट्टी साबुन दिया गया। मैं कुछ विस्तर चाहता था, क्योंकि मैं कुछ भी साथ नहीं लाया था। मुझे बताया गया कि यह नहीं मिल सकता है। मुझे सिर्फ़ एक कम्बल मिला और या तो मैं पत्थर के उस चबूतरे पर सो, सकता था जो कैदियों को मिलता है या मैं फर्श पर, अगर ऐसा चाहता तो सो सकता था। वहाँ कुछ चारपाईयाँ थीं, लेकिन चूंकि नज़रबंदियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए उस दिन मेरी वारी नहीं आयी, लेकिन बाद मेरुदिनों के बाद मुझे एक चारपाई दी गयी जो मेरी लंबाई से छोटी थी। वहाँ कोई तकिया नहीं दिया गया, मैं कभी यह नहीं जान पाया कि जेल में तकिया क्यों नहीं दिया जाता है। मैं आज भी यह नहीं समझ सका, क्योंकि मुझे एक भी नहीं दिया गया। वहाँ मच्छर बहुत थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या मुझे कोई मच्छरदानी मिल सकती है। उन्होंने कहा कि नज़रबंदियों के लिए कुछ नियम-विनियम बनाये जा रहे हैं, ये अभी तय नहीं किये गये हैं, हालांकि जब मुझे गिरफ्तार किया गया था तब से एक महीना हो चुका था, और जब ये तय हो जायेंगे तब कुछ दिया जा सकेगा। और यह कुछ दिनों के बाद तय कर दिये गये और मुझे नज़रदानी दी गयी। यह सच है कि मुझे वहाँ कोई यंत्रणा नहीं दी गयी, मुझे शारीरिक यातना नहीं दी गयी। लेकिन जेल में रहने की दशा बड़ी खराब थी। आप सोच मकते हैं कि उस बाड़ में जहाँ हम थे, 93 आदमियों को रखा गया था और वहाँ सिर्फ़ दो सूखी टट्टियाँ थीं। और हर आदमी को शौच के लिए लाइन लगानी पड़ती थी। मुझे बताया गया कि पहले वहाँ कुछ पलश की टट्टियाँ भी थीं, लेकिन किसी अंदोलन में आदोलन-कारियों ने उन्हें तोड़ डाला था। लेकिन हर हालत में तथ्य यही है

पानी इकट्ठा जाये और हम पानी फिर निकाल सकें। इसलिए यह एक मुसीबत थी। और यह गर्भ का महीना था, इसलिए यह बहुत ही खराब था। जहाँ तक मच्छरों और मकिखियों का संबंध है, यास तौर से मकिखियों का, मैं सोचता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी

सारी मविख्याँ नहीं देखीं। वह लाखों-करोड़ों की संख्या में थीं। मुझे उन्हें देखकर एक फिल्म की याद हो आयी जिसे मैंने देखा था, यह चिडियों पर थी। इस फिल्म में आप हमेशा चिडिया-ही-चिडिया देखते हैं। इसी तरह वहाँ पर मविख्याँ-ही-मविख्याँ थीं, हम कुछ भी नहीं खा सकते थे। पहले तो हम इनको देखकर पछराये, हमको यह सब बुरा लगा लेकिन मुझे याद है कि दूसरी और तीसरी बार खाना खाने के बाद मैं मविख्यों को देखने का आदी हो गया था। मेरा मत-लब दाल में मवखी पढ़ी रहने से है जो हमको मिलती थी, हम उसे उसमें से निकाल देते थे और खाना शुरू कर देते थे। मैं सोचता हूँ कि इस तरह की चीजों के हम बाद में आदी हो जाते हैं। खाने में हम जितनी रोटियाँ चाहते उतनी मिलती थी, लेकिन उसके साथ खाने के लिए सिफं दाल मिलती थी, हम लोगों को सब्जी प्रायः नहीं मिलती थी। हम लोगों को थोड़ा-सा दूध मिलता था जो सब्जे व शाम की चाय में इस्तेमाल के लिए था। मुझे यह भी याद है कि आजादी का दिन 15 अगस्त हम लोगों ने उत्सव के रूप में मनाया। हम लोगों ने अपने-अपने राशन में से हलवा बनाने के लिए कुछ बचा-कर रखा था और उसी दिन मुझे याद है कि मैंने हलवा खाने को मिला था। पहले तो कई दिनों तक हमे कोई भी चिट्ठी नहीं मिली, लेकिन मैं सोचता हूँ कि बाहर कुछ दबाव पड़ा होगा, फिर कुछ चिट्ठियाँ आने लगी। मुझे एक पोस्ट-कार्ड मिला जिस पर कम-से-कम चार-पाँच जगहों पर मुहर लगी हुई थी, एक लुकिया-विभाग की, दूसरी प्रशासन की, और अन्य मोहरें जेल की थी। जब तक हमारे पास चिट्ठी पहुँचती हम सिफं यह पढ़ सकते थे कि चिट्ठी किसने भेजी है; चिट्ठी में क्या लिखा है यह नहीं पढ़ सकते थे। एक बात जो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, और अखबार बाला, पत्रकार, पढ़ने वाला होने के नाते, मुझे किताबें पढ़ने की आदत है, हम रात में पढ़ नहीं सकते थे क्योंकि रोशनी बड़ी मद्दिम होती थी। मैंने कई बार निवेदन किया लेकिन मेरे लिए रोशनी का इतजाम नहीं हो सका। एक महीने के बाद, मुझे अपने घर से एक टेबुल-सेप मिल गया। जहाँ तक पहे का संबंध है, वहाँ हम सभी के लिए छत का सिफं एक पंखा था जो 38 आदमियों के लिए था जो उस सेल में थे, पर हम लोग आदी हो गये थे....।

अध्यक्ष :

क्या वह डॉरमीटरी जैसी कोई जगह थी ?
 गवाह : जी, यह डॉरमीटरी थी। यह कुछ ऐसी थी : मेरा ख़्याल है कि यह कैदियों या बच्चों के लिए कोई स्कूल था। मुझे और इसी तरह सभी आदमियों को हमेशा यह जगह बैठनी पड़ती थी। रात में पहले जिस आदमी को जो जगह मिल जाती थी वह बाद में नहीं मिल पाती थी। मुझे याद है कि पानी खब बरसता था। इसलिए हम बाहर नहीं सो सकते थे, और जो छोटा-मोटा लॉन हम लोगों के पास था उसमें हमेशा पानी भरा रहता था। मुझे सबसे क्यादा जो बात खली वह व्यवहार था। जेल के कुछ अधिकारी यह समझते थे कि हम सचमुच पढ़यंकारी थे जो बैंध सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश में थे।

इसलिए हम पर निगरानी रखना जरूरी था और जैसा वह व्यवहार करते थे, उसके लिए हमें दण्ड मिलना चाहिए था। लेकिन कुछ, एक या दो, अफसर अच्छे थे। मुझे खास तौर से डॉक्टर की याद है जो मेरे प्रति बहुत अच्छा था। वह मेरी कितावें पढ़ता था, इसलिए वह एक दिन मेरे पास आया और बोला, 'आप यहाँ कैसे?' मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं मालूम। उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे दूध चाहिए। मैंने कहा—हाँ, अगर दिला सकते हो। उसने मुझसे कहा कि मैं उसके अस्पताल में आ सकता और सो सकता हूँ, क्योंकि उसे इस तरह का अधिकार प्राप्त था। लेकिन एक बार मैं अस्पताल गया, वह दिमागी रोगियों के पास था। वहाँ कुछ पागल थे। हम वहाँ खड़े भी नहीं हो सकते थे क्योंकि वहाँ बहुत बदबू आ रही थी और वहाँ इन सब लोगों की चीख-पुकार सुनते थे, इनको देखते थे। इसलिए हम वहाँ सो भी नहीं सकते थे। कुछ देर बाद उसने मुझे कुछ दूध दिलवाया... लेकिन हमारी कोठरी में बहुत-से आदमी थे जो इसी तरह का व्यवहार चाहते थे। इसलिए हमको उनके साथ हिस्सा बटाना पड़ता था। आपकी इजाजत हो तो मैं एक घटना सुनाऊँ। मैंने बांडर से पूछा कि क्या कोई तरकीब है कि यहाँ चिकन खाया जाये। उसने कहा—हाँ। आपको कुछ रुपये देने होंगे। जेल में हर महीने 30 रुपये खँचँ करने की इजाजत थी। यह महीने की शुरुआत थी। इसलिए हम लोगों के पास रुपये थे। हममें से चार आदमी आपस में मिल गये। हममें से हर एक ने 15 रुपये दिये। मुझे नहीं मालूम कि यह कैसे हुआ, लेकिन हमें चिकन करी और तन्दूरी रोटी मिली। इसलिए मतलब यह था कि अगर आपके पास रुपया है तो आपको शायद हर चीज़ मिल सकती है।

अध्यक्ष : यह जेल के खाने की सूची में शामिल नहीं था।

गवाह : नहीं। यह जेल के खाने की सूची में नहीं था। यह वे लोग नहीं थे जो हम पर निगरानी रखे हुए थे और हमको कुछ भी नहीं देना चाहते थे, लेकिन अगर आप इनकी हथेली गर्म कर देते तब ये आपको सब-कुछ ला सकते थे, वगैरह-वगैरह। मैं जेल में बहुत-से लोगों से मिला, अपनी ही कोठरी में थे जो सताये गये थे। लेकिन मैं सताया नहीं गया; यह मैं चुरूर कहूँगा। लेकिन वहाँ जिन हालात में लोग रहते थे वह बड़े भयानक थे। आप देखिये कि बरसात में, जैसा कि मैं कह चुका हूँ, पानी नालियों में से निकलकर बाहर बहने लगता था, चारों तरफ फैलकर भर जाता था और वहाँ मखियाँ-ही-मखियाँ थीं। मैं खाना नहीं खा सकता था, लेकिन बाद में मैं उस खाने का, जो खुराक के तौर पर मिला करता था, दाल और रोटी का आदी हो गया। लेकिन वहाँ बातावरण बहुत ही खराब था और मैंने शिकायत भी लिखकर भेजी थी। एक बार मैंने जेल के सुपरिटेंडेंट और डिप्टी-कमिश्नर सुशीलकुमार को भी लिखा था जो वहाँ आखिरी दिन, जिस दिन मैं रिहा किया जाने वाला था, आये थे। उन्होंने मुझसे जेल की खराबियों के बारे में पूछा था। मैंने उनसे कहा था कि कोई आदमी यह तो समझ सकता है कि वह नज़रवंद कर दिया गया है, लेकिन मैं

यह नहीं जानता कि आपने उनके रहने की हालत क्यों पूरा कर रखी है। एक बार यही सवाल मैंने जेल के अधिकारियों से भी किया। उन्होंने कहा कि हमें इस बात के आदेश हैं कि हम आपकी जिदगी को इतना कट्टपूर्ण बना दे, यासकर नज़रबंदों की। उन्होंने यताया कि सामान्य अपराधियों की जिदगी की हालत, रहन-सहन की हालत काफी अच्छी थी। असल में उनको कोठरी के बाहर भी चलने-फिरने की इजाजत थी। हम लोगों को यह इजाजत नहीं थी। हम लोगों को लोगों से नहीं मिलने दिया जाता था। मुझे याद है कि एक महीने बाद, एक बार भेट करने का मौका मिला था और कहा गया था कि सिफ़र दो आदमियों से मिला जा सकता है। मेरे दो बच्चे हैं और एक पत्नी है। लेकिन सबसे बड़े बच्चे को बाहर ही रहना पड़ा, क्योंकि दो आदमियों को ही इजाजत थी। मैं उसको खिड़की से बाहर खड़ा देख सकता था, लेकिन मैं उससे बात नहीं कर सकता था, वेचारा कानपुर से आया था। मैं उससे सिफ़र गुड़-बाई ही कह सका। जहाँ तक चिट्ठी लिखने का संबंध है, एक सप्ताह में एक पोस्ट-कार्ड लिखने की इजाजत दे रखी थी। मैं सोचता हूँ कि हर चीज़ जेल के अन्दर मैंगायी जा सकती थी, इसके लिए सरकारी इजाजत थी। अन्यथा उन्होंने हम लोगों को बिलकुल अकेला छोड़ रखा था। सेलने के लिए बहुत थोड़ी जगह थी, लेकिन चूँकि वहाँ हमेशा पानी भरा रहता था, अतः कुछ भी नहीं कर सकते थे। हम अपने कमरे में या उस कोठरी में इधर-से-उधर आ जा सकते थे, हो सकता है वहाँ साथ में कोई वरामदा रहा हो। वहाँ एक वरामदा, या वरामदे जैसी कोई चीज़ थी। हम लोग अपना खाना खुद ही बनाते और खुद ही लेकर खाते थे, यह वहाँ की जिन्दगी का एक हिस्सा था। यह वहाँ के रहन-सहन की हालत थी। आपकी इजाजत हो तो मैं यह बताऊँ कि मुझे नज़रबंद क्यों किया गया था, मैं इसके बारे में क्या सोचता था? इमरजेंसी लगने के बाद कुछ बया घटनाएँ हुईं? इमरजेंसी लगने के बाद चौबीस घंटे के अन्दर किसी भी अत्यवार के पास न तो विजली थी, न पॉवर। सिफ़र एक ही खबर थी कि सरकार इस बात से बड़ी खुश है कि इस पर कोई कुत्ता भी नहीं भूँका, जैसा कि कहा गया था। और इन समाचारपत्र वालों को देखिये। असल में किसी ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री को यह कहते सुना भी था, कि इन बड़े-बड़े सम्पादकों और उनके पत्रकारों को क्या हो गया है। कोई भी विरोध नहीं। भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने यह कहा था नहीं, लेकिन कम-से-कम उनके आदमियों ने यही कहा। मैं यह तो नहीं कहता कि मैं कोई हीरो हूँ, नेता हूँ लेकिन इन बातों से मुझे चिढ़ हुई और 24 घंटे के बाद मैं स्थानीय समाचारपत्र के कार्यालयों में गया और मैंने पूछा कि यह इमरजेंसी ठीक लागू हुई या गलत है। यह बात बहस-मुठभेड़ की हो सकती थी, लेकिन कम-से-कम हम सभूमिलकर यह तो कह सकते थे कि सेंसरशिप लगाना खराब बात है। आखिरकार, हम से आजादी ले ली गयी, इसलिए हमको प्रेस-बलब चलना चाहिए।

गवाह : इसलिए 48 घंटे के बाद, मैंने कहा कि हम लोग अमुक-अमुक दिन भिलेगे, मैं सोचता हूँ कि दो दिन बाद, प्रेस-प्रलव में। मैं यह देखकर हैरत में पड़ गया कि वहाँ 100 पत्रकार इकट्ठे हो गये और एक प्रस्ताव लाया गया, पास किया गया कि जितने भी पत्रकार यहाँ एकत्र हैं वे प्रेस सेंसरशिप लगाये जाने की निन्दा करते हैं और तरकार से इसे तत्काल हटाये जाने का अनुरोध करते हैं। किसी ने यह संशोधन पेश किया कि कुछ पत्रकार गिरफ्तार किये जा चुके हैं, इसलिए हमें यहाँ यह लिखना चाहिए कि हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो पत्रकार गिरफ्तार किये गये हैं उन्हें तत्काल रिहा किया जाये। तो यह प्रस्ताव था जिसे मैंने प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री, को तत्कालीन राष्ट्रपति को और तत्कालीन सूचना और प्रसारण-मंत्री को वहाँ पर उपस्थित पत्रकारों की अनुमति से अपने हस्ताक्षर कर भेजा था। मुझे चिन्ता इस बात की थी कि मैं अन्य पत्रकारों को इसमें उलझने नहीं देना चाहता था, या चाहिंकि हम सबको अपने बारे में फ़ैसला करना था, इसलिए मैंने कहा कि मैं ही प्रस्ताव भेज दूँगा, और लोगों को इस पर दस्तख़त करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन काफ़ी लोगों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि वे लोग पिटीशन जैसी चीज़ पर दस्तख़त करना चाहेंगे। मैंने इसे प्रेस-प्रलव में ही छोड़ दिया, मेरे पास यह पिटीशन अब भी है, इस पर अकेले दिल्ली के 117 पत्रकारों ने दस्तख़त किये थे। वहाँ कुछ खास नाम हैं; नेशनल हेराल्ड, पेट्रियट के पत्रकारों के भी नाम है। मैंने कहा कि यह कागज़ मेरे पास अब भी है। विद्याचरण शब्द सब कुछ सूचना और प्रसारण-मंत्री थे। मैं उन्हें जानता था, क्योंकि हम पत्रकार लोग कुछ लोगों को जान जाते हैं। लेकिन मैं उन्हें धनिष्ठता से जानता था, क्योंकि वह तब मेरे कंधों पर आसू वहाया करते थे जब उन्हें रक्षा-मंत्रालय से हटाकर योजना आयोग लाया गया था। सूचना एवं प्रसारण-मंत्री बनने के बाद मैंने उन्हें टेलीफोन किया। उन्होंने कहा — “कुलदीप, तुमको मेरी नवी जगह पर आने से ज्यादा खुशी नहीं हुई?” मैंने कहा, “नहीं, ठीक है, बधाई।” उन्होंने कहा, “तुम कभी आओ।” तो मैंने सोचा। एक दिन बाद मैं उनके यहाँ गया, उन्होंने सबसे पहले कहा, “यह प्रेम-पत्र कहाँ है?” तो मैंने कहा, “कौन-सा?” उन्होंने कहा, “तुम्हारे पास वह चिट्ठी है जिस पर बहुत-से पत्रकारों ने दस्तख़त किये हैं, हम उनके नाम जानता चाहते हैं।” मैंने कहा, “वह सेफडिपाजिट में है।” उन्होंने कोई आग्रह नहीं किया, हो सकता है कि उन्हें नाम मालूम हों, लेकिन जो भी हो, उन्होंने इस बारे में ज्यादा बात नहीं की। उन्होंने कहा कि तुम जानते हो, बहुत-से लोगों ने कहा है कि तुमको चाहिए कि तुम कुलदीप नव्यर को गिरफ्तार कर लो। मैंने पूछा, “क्या आपको कोई बजह भी बतायी गयी है?” “हाँ, एक तो यह कि तुम विदेशी पत्रकारों से बहुत मिलते हो।” उन्होंने कहा। मैं उनके साथ आज भी मिलता हूँ। मैं टाइम्स लदन के पत्रकार से दोस्ती रखता था, आज भी रखता हूँ। इसलिए मैंने कहा कि मैं बहुत-से विदेशी पत्रकारों से

मिलता हूँ इसमें कोई शक नहीं है। कुछ छूट गये हैं, लेकिन जो भी छूट गये हैं, इससे क्या। एक लुइस है जो दैश से निकाल दिया गया था, मैं उसे बारिंगटन पोस्ट से जानता था। और पीटर, वह लंदन टाइम्स का है, वह भी मेरा दोस्त है, वह मेरे घर भी आता है। उन्होंने कहा, “तुम वहुत लोगों से मिलते हो?” मैंने कहा, “इनमें से पीटर है जलहर्ट्-स है जिसने इस देश की बागला देश की लडाई में काफी मदद की थी। इसके अलावा वह मेरा दोस्त भी है, हम लोग मिलते रहते हैं।” उन्होंने कहा, “लेकिन आप इन सबसे कुछ चर्चा भी करते होगे।” मैंने कहा, “शुक्ल साहब, आप जानते हैं कि मुझे इमरजेंसी, जो भी हो रहा है, पसन्द नहीं है, लेकिन इन चीजोंको जानने के लिए उनके अपने साधन हैं।” तब उन्होंने कहा, “नहीं, आप कुछ लिखते भी रहे हैं।” उस दिन मेरा लेख छपा था, ‘‘नो, मिस्टर भट्टो, नो।’’ निश्चय ही मेरे दिमाग में वह सब-कुछ था जो इस देश में हो रहा था। लेकिन सेंसरशिप से बचने के लिए मैंने मिसेज गाधी के बजाय मिस्टर भट्टो तथा इंडिया के बजाय पाकिस्तान लिखा था, सब लोग देख सकते थे। उन्होंने कहा कि आप किसको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, सबको मालूम है। मैंने कहा, “मैं किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो कुछ लिखना था, लिख दिया और मुझे मालूम है कि लोग इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं।” उन्होंने कहा, “कुलदीप, तुम हमारी तरफ क्यों नहीं आ जाते?” मैंने कहा, “आप किसकी तरफ हैं?” और उन्होंने कहा, “ठीक है, हम बाद में बात करेंगे।” और बात वही खत्म हो गयी। तब कुछ दिनों के बाद मैं प्रेस कौसिल के चेयरमैन जस्टिस आयगर के पास गया। तो मैंने उनसे कहा, “चूंकि मैं प्रेस कौसिल का मेम्बर हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मैं गिरफ्तार हो जाऊँगा। मेरी गैरहाजिरी में मैं चाहता हूँ कि प्रेस कौसिल कम-से-कम मेरे लिए, इस गिरफ्तारी को जान ले और मैं आशा करता हूँ कि एक प्रस्ताव पास किया जायेगा।” तो वह बहुत ही स्पष्ट थे, वह बोले, “नहीं, यह नहीं होगा, न कोई यह चाहेगा कि कम-से-कम प्रेस कौसिल इस बात को उठाये।” तो मैंने कहा कि यह बात तो है कि सेंसरशिप लगी हुई है, हम लोग प्रेस की आजादी की रक्षा करने वाली सर्वोच्च संस्था है, क्यों न प्रेस कौसिल की एक बैठक तुला ली जाये? उन्होंने कहा, “मैं यह कर सकता हूँ।” वह इस मूचना को स्थानीय समाचारपत्रों में भेज देंगे और उन्होंने ऐसा किया भी। उस समय कुछ सदस्य इकट्ठे हुए। वह एक बड़ी बैठक करना चाहते थे। बड़ी बैठकमें, मैं ताज्जुब में पड़ गया, मैंने इस प्रस्ताव को पेश किया था कि प्रेस कौसिल प्रेस सेंसरशिप लगाये जाने की निन्दा करती है... सेंसरशिप और इसको तत्काल हटा लिया जाना चाहती है। किसी भी सदस्य ने मेरा समर्थन नहीं किया। कुछ सदस्य तटस्थ थे। कुछ ने इसका विरोध किया लेकिन किसी ने भी इसका समर्थन नहीं किया। तो, उस समय चेयरमैन ने कहा कि आप इस प्रस्ताव के बारे में अप्राप्य हयों कर रहे हैं? ऐसा ही कुछ अन्य सदस्यों ने भी कहा। मैंने कहा और जो दलील उन्होंने पेश की कि मैंने ही आप प्रस्ताव पाग कर दें

कोई भी समाचारपत्र इसे नहीं छापेगा, कोई इसे लेगा भी नहीं, कोई इसके बारे में जान भी नहीं सकेगा। मैंने कहा कि एक-न-एक दिन देश में सामान्य स्थिति किर से आयेगी, एक-न-एक दिन तो समाचारपत्र आजाद होंगे। एक दिन यह कालिख नजर आ जायेगी और भविष्य की पीढ़ी हम सबका निर्णय करेगी और तब कहेगी कि देखा, यह समाचारपत्रों की सर्वोच्च संस्था थी, इस संस्था को इतना भी साहस नहीं था कि कोई प्रस्ताव तक भी पास करती। मैंने कहा, “इसे रिकार्ड कर ले जाइये, चाहे छपे या नहीं, चाहे इसका प्रसारण हो या नहीं, चाहे हम रहें या नहीं, यह मेरे लिए विवेक की बात है, प्रचार की नहीं।” और मैंने उस बैठक में श्री शुक्ल के और उनके काम करने के तरीके की ओर सेसरशिप के नाम पर जो कुछ हो रहा था उसकी कड़ी आलोचना की थी।

सरकार को हर बात दी जाती थी क्योंकि उस दिन शाम को जब मैं प्रेस इनफ्रॉमेशन ब्यूरो गया तब मुझे वह सारे वाक्य मुनने को मिले जो मैंने कहे थे। जरा सोचिये कि यह भी एक बजह थी कि प्रेस-क्लब वाला प्रस्ताव, जिसे मैंने अपने दस्तख़तों से भेजा था, और उसके बाद प्रेस-कॉसिल ऑफ इंडिया में जो आग्रह किया था वह ही बजह थी, न कि प्रधानमंत्री को लिखा यह पत्र क्योंकि, जैसा आपने भी इस पर ध्यान दिया होगा, मैं सोचता हूँ कि लोकतंत्र में समाचारपत्रों को आजाद रखना चाहिए चाहे सरकार इसे चाहे या न चाहे, इसलिए नहीं कि हम लोग कभी-कभी उत्तरदायी हो जाते हैं लेकिन कभी-कभी कुछ उत्तरदायित्वपूर्ण बात भी शायद ठीक रहती है। वह समाज ही कैसा जहाँ हम लोगों को अभिव्यक्त करने की आजादी न हो !

अध्यक्ष : प्रेस-कॉसिल और प्रेस-क्लब की यह बैठके, 16 जुलाई के पहले हुई या बाद को ?

गवाह : जी, सभी पहले हुई थी। प्रेस-क्लब की मीटिंग, मेरा ख़्याल है कि या तो 29 जून को या हो सकता है कि 30 जून को या उसके आसपास। और प्रेस-कॉसिल की जुलाई के पहले सप्ताह में हुई होगी।

अध्यक्ष : जेल में रहन-सहन के विषय में आयोग के पास थीमती गायत्रीदेवी और ग्वालियर की महारानी की गवाही हैं। दोनों ने कहा है कि जेल के अहाते में काफ़ी बदबू थी और वहाँ उनके सेल के पास एक खुला नाली थी। क्या ऐसी ही स्थिति जेल के और। हस्सों में भी थी ?

गवाह : बदबू, आप भली भांति सोच सकते हैं, मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जब 93 आदमियों को दो टट्टियाँ इस्तेमाल करनी हां तब आप बदबू के बारे में सोच सकते हैं। नजरबंद होने के कई दिनों

“देवी और
क्या याद है
आपको

यह सुनकर ताज़्ज़ुव होगा कि कितनी जल्दी यह खबरें सेल में मिल जाती थी, मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता वह क्या तरीका था, लेकिन हर आदमी इससे बाकिफ़ था। नानाजी देशमुख का उदाहरण

लीजिये। जिस दिन वह गिरफ्तार हुए थे, सेल में यह एकाध घंटे में ही हम लोगों को मानूम हो गया कि वह तिहाड़ जेत लाये जा रहे हैं। यह एक खबर थी। लेकिन हमको दूसरी तरफ से, महारानी न्यालियर और गायत्रीदेवी से यह सूचना मिली कि उनकी कोठरी में पर्याप्त वल्व नहीं है, वहाँ बैंधेरा रहता है और कुछ सार्प भी दिखायी पड़े हैं। वल्वों की मार्ग को लेकर हम लोग 24 घंटे के लिए भ्रष्ट-हड्डताल पर चले गये। उन्हें वल्व दिये गये, उनके यहाँ रोशनी का इतजाम हुआ, सब चीज़ ठीक हो गयी। लेकिन यह सब चीज़ें ठीक करने का एक तरीका था। वरसात में हमारे सेल की नाली में से पानी और मैला निकलकर बाहर आ रहा था। इससे चारों ओर दुर्गम्य का वातावरण फैल गया था। मैंने जेल के अधिकारियों से इसके बारे में कहा भी। एक बार मैंने कहा, “आप कुछ न्यौं नहीं करते हैं?” इस पर उनका जवाब था कि जेल में कुछ सौ आदमियों के लिए जगह थी और अब वहाँ हजारों आदमी हैं, हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि उनका जवाब शायद ठीक था, लेकिन तथ्य तो यह था ही कि वहाँ रहन-सहन की हालत बहुत ख़राब थी।

अध्यक्ष : आपके श्वसुर, श्री भीमसेन सच्चर भी भीसा के तहत बद हुए थे ?
गवाह : जी, श्रीमन, वह हुए थे।

अध्यक्ष : और वह भी उन्हीं दिनों नजरबंद हुए थे जब आप हुए थे ?
गवाह : जी, मैं सोचता हूँ 24 घंटे वाद वह उसी सेल में आ गये और मैं बताऊँ कि चूँकि मैं जेल जाने का आदी नहीं था और अब मैं एक बार ही आया हूँ, अगली बार जब जाऊँगा तब और प्यादा अनुभव हो जायेगा। मैं कभी नहीं जानता था कि लोग कहाँ मिलते थे, जिसे वहाँ लोग ‘मुलाकात’ कहते थे। तो एक दिन मुबह को जब वह आये जहाँ मैं था तब शायद सबेरे के 6-30 बजे था। मैं अपने सेल में बैठा था, मैं उनको लोहे की छड़ों से आते हुए देख रहा था, वह साफ़ सफेद खादी पहने हुए थे, कोई उनके पीछे-पीछे चल रहा था, शायद कोई कंदी था, मैं सोच भी नहीं सकता था कि वह गिरफ्तार उठाये चल रहा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वह मुझसे सेल में मिल हो गये हैं। मैंने सोचा कि वह इन लोगों को काफी अच्छी तरह जानते थे, शायद उन्होंने इनको इजाजत दे दी कि वह मुझसे सेल में मिल लें। जब वह मेरे निकट आये तो मैंने कहा, “आपने तकलीफ क्यों की?” वह तुरंत भाँप गये और बिना मेरे भ्रम का निवारण करे वह बोले, मैंने सोचा कि खद ही चलूँ और अपने बेटे से मिल लैं। मैंने कहा, अच्छा, आपने यह बहुत अच्छा किया कि आप विस्तर ले आये, क्योंकि मेरे पास सोने के लिए कुछ नहीं था। और इस तरह यह बातचीत चलती रही। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक कम्बल भी लाया हूँ क्योंकि शायद तुमको जाड़ों में यही रहना पड़े। मैंने यह सब बातें जेल में अपने सभी साधियों को बतायी। मेरे जेल के साधियों ने मुझसे जो सवाल किया उससे मैं चौंक गया। उन्होंने कहा, “अच्छा, अब इन्होंने गांधीवादियों को भी गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। आपकी उम्र के आदमी को इन्होंने क्यों गिरफ्तार किया?

आपको भी ?” तब मैंने कहा, “मुझे मत बताइये, आप गिरपृतार हो गये हैं।” क्या तुम्हें नहीं मालूम ? मैंने कहा, “नहीं, मुझे नहीं मालूम हो सका।” और तब मुझे यह पता चला कि जब कभी हमें मुलाकात के लिए जाना होगा तब मुझे गेट के पास जाना पड़ेगा, वहाँ पुलिस का आदमी खड़ा होगा और उसकी मौजूदगी में अपने परिवार के लोगों से बात कर सकूँगा। मुझे अपने सारे रहस्य पुलिस को बताने पड़ेगे चाहे मैं यह ही क्यों न पूछूँ कि तुम्हारा लड़का तो ठीक है ?, तुम्हारी माँ ठीक है ? उस समय पुलिस का आदमी सब सुन रहा होगा। और वह आधे घंटे के बाद यह बतायेगा कि ‘तुम्हारा समय हो गया।’ मुझे यह बात बाद में मालूम हुई और तब जब मेरी पत्नी मुझे कुछ खाने का सामान देने आयी थीं, इसे पुलिस के आदमी ने पहले देखा, जब उसे भरोसा हो गया तब दोला, “अच्छा खा लो” और तब जब कुछ सामान बच गया, और मैंने कहा कि मुझे मिठाई बहुत पसन्द है तो वह कुछ और ले आयीं। मैंने कहा कि अन्दर भी मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्हे मिठाई पसन्द है। तब जेल के सुपरिटेंडेंट ने कहा, “नहीं, इसकी इजाजत नहीं है। आपको किसी ५० डी० एम० की इजाजत लेनी होगी जो यह बतायेगा कि आप बर्फी के कितने टुकड़े खा सकते हैं,” वर्गीरह-वर्गीरह।

बघ्यक्ष : आप कुछ कहना चाहते हैं ?

संघ सरकार का वकील : जी, माई लार्ड, सिर्फ़ दो-तीन सवाल। नव्यर साहब, आपने नजरबंदी के आदेश के बारे में कहा है।

गवाह : जी, श्रीमन।

संघ सरकार का वकील : शायद, यह साइक्लोस्टाइल किया हुआ था, छपा हुआ नहीं था ?

गवाह : हाँ, साइक्लोस्टाइल किया हुआ था, मुझे खेद है मेरा मतलब छपे हुए से नहीं है, यह सिर्फ़ साइक्लोस्टाइल किया हुआ था। मेरा नाम उस पर टाइप किया हुआ था।

संघ सरकार का वकील : हाँ, नाम टाइप किया हुआ था। नहीं माई लॉडें, मैं सिर्फ़, माई लॉर्ड, क्योंकि उस समय साइक्लोस्टाइलिंग, यह एक छोटी....।

गवाह : हाँ, मुझे मालूम है, मुझे खेद है, मैंने कहा, मेरा मतलब यह नहीं था। संघ सरकार का वकील : जिस समय आपको गिरपृतार किया गया था, उस समय क्या बज रहा था ?

गवाह : यही क्ररीब सबेरे ५ बजे से पहले। मेरा ख्याल है कि उन आदमियों ने मेरा घर एक रात पहले ही घेर लिया था। बाद में मुझे पता चला और असल में एक ने मुझे बताया कि पहले ही चेतावनी दे दी गयी थी “देखो, यह बड़ा खतरनाक आदमी है। यह शायद छिप जायेगा।” तो इन लोगों को पहले से बता दिया गया था, मुझे नहीं मालूम, उन्हे मेरी ईमानदारी पर दयादा भरोसा या जितना कि मुझे अपने पर था। सारी जगह पुलिस के आदमियों द्वारा घेर लो गयी थी, पहले साढ़ी बर्दी की पुलिस के आदमियों ने हमें बताया कि उन्होंने मेरे दरवाजे को ५ बजे के आसपास खटखटाना शुरू कर दिया था और वह धंटी बजा

रहे थे। गर्भी का मौसम था और मैं सो रहा था। हम लोग एयर-कड़ीशन्ड कमरे में सो रहे थे, एयरकड़ीशनर चल रहा था, हम लोग सुन नहीं सके। मेरी पत्नी ने, मेरा खायाल है कि कुछ सुना, क्योंकि उन्होंने मुझे जगाया था और यह पाँच से पहले का समय रहा होगा।

संघ सरकार का वकील : आपको गिरफ्तार होने से पहले इसका कुछ आभास हो गया था, सी० आई० डी० पीछा कर....।
गवाह : मुझे एक दिन पहले शक हुआ था लेकिन मैं कहूँगा कि मुझे विलकूल भी इसका शक नहीं था, मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई यह भी कर रहा होगा। इसलिए मुझे कोई शक नहीं था। मुझे एक दिन पहले शक हुआ।

संघ सरकार का वकील : आपने जेल के अन्दर के हालात का वयान किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मालूम था कि आपको एक अच्छे वलास का बताव मिलेगा। उन्होंने, कम-से-कम, जेल-अधिकारियों ने कहा है कि यह अच्छे वलास का बताव था।

गवाह : ठीक, मैंने जेल के भीतर का वयान किया है, मीसा ने सभी वलास को वरावर कर दिया था, लेकिन हम लोग, चाहे वह सामान्य कँदी था, दूकानदार था, और एक आदमी था जो एक बहुत या उसकी कोई हैसियत थी, उन सबके साथ एक तरह ही बताव किया गया। कम-से-कम वे लोग तो समाजवाद अपनाये हुए थे।

संघ सरकार का वकील : आपको एक फँसले के बारे में मालूम है, शिवकान्त शुक्ल का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह घर जैसा बताव था।
अध्यक्ष : मैं नहीं समझता कि उसमें जाने की कोई ज़रूरत है।
गवाह : फँसला—आप मेरी किताब के बारे में ज़िक्र कर रहे थे या सिफँ फँसले का।

अध्यक्ष : नहीं, नहीं।

संघ सरकार का वकील : नहीं।

अध्यक्ष : यह कोई फँसला श्री शुक्ल के खिलाफ़ नहीं था। मैं ऐसा नहीं समझता।

संघ सरकार का वकील : घर जैसा फँसला। माई लॉड, मेरा कहना है।
अध्यक्ष : वह उस पर या जैसी गवाही पेश की गयी थी।

संघ सरकार का वकील : कोई गवाही नहीं दी गयी थी, लेकिन....।

अध्यक्ष : यह फँसले की आलोचना करना है जो मैं नहीं चाहता।

संघ सरकार का वकील : नहीं माई लॉड, नहीं, मैं सिफ़े यह कहना चाहता था कि इसका प्रचार खबर हुआ था कि यह घर जैसा बताव था, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही थी।

अध्यक्ष : हाँ।
संघ सरकार का वकील : वह इतना ही, माई लॉड।

गवाह : मैं आपकी इजाजत से एक और बात बताना चाहता हूँ जिससे मुझे बेहद धृपका लगा। एक दिन सवेरे मैं उठ वैठा। वहाँ 14 या 15 साल का एक लड़का चिल्ला रहा था, वह विलकूल मेरे सबसे छोटे लड़के राज की तरह था। मैं उसके पास गया और पूछा : क्या तकलीफ़ है? जेल में कुछ लड़के भी थे, कैदियों की तरह नहीं, काम करने वालों की

तरह। लोगों ने कहा, इसे इमरजेंसी में पकड़ लिया गया है। मैं बोला, इमरजेंसी! क्या आप कोई नारा लगा रहे थे या क्या आप किसी तरह का कोई साहित्य वांट रहे थे? वह बोला, नहीं। तो मैंने बांडन से पूछा, क्या बात है? उसने कहा कि जब जेल में लोग द्यादा भर जाते हैं तब हम लोग पुलिस वालों से कहते हैं कि कुछ लड़के लाओ। उसने कहा, यह लड़का एक घर से निकलकर अपने मालिक के लिए 'पान' खरीद रहा था और वहाँ कोई नहीं था। पुलिस को जेल में मदद के लिए आदमी और चाहिए थे, इसलिए इसे पकड़ लिया गया। तो मैंने कहा, क्या यह पहली बार आया है? उन्होंने मुझे करीब आधा दर्जन लड़के दिखाये, जिन पर पिछले दो-तीन सालों से मुकदमा चल रहा था और कहा कि यह तो मामूली बात है। हम इनको तब तक बाहर नहीं जाने देते जब तक इनकी जगह कोई और नहीं आ जाता, क्योंकि ये 'हेल्पर' होते हैं। यह पहला अनुभव था जो बड़ा ही दयनीय था। मैंने....।

संघ सरकार का बकील : जिस दिन आप गिरफ्तार हुए थे, आपको किसी इंटरव्यू में जाना था?

गवाह : हाँ, मुझे....।

संघ सरकार का बकील : संघ लोक सेवा आयोग में?

गवाह : जो, श्रीमान। मैं विशेषज्ञों की सूची में था। हम लोगों को सूचना प्रसारण मन्त्रालय के लिए डिप्टी प्रिसिपल इफर्मेशन ऑफिसर के पद के लिए एक आदमी का चुनाव करना था। यू० पी० एस० सी० ने मुझे सलाहकार के रूप में बुलाया था। इस इंटरव्यू को पाँच दिन होता था और यह हमारा तीसरा दिन था जिस दिन मुझे गिरफ्तार किया गया था।

अध्यक्ष : बस।

संघ सरकार का बकील : बस।

अध्यक्ष : धन्यवाद।

गवाह : श्रीमान, आपको बहुत धन्यवाद।

श्रीमती भारती नव्यर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और, अन्य,
आई० एल० आर० (1977) II दिल्ली 23 मे दिये गये केस के तथ्य।

नजरबंदी : 24-7-1975 को एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दिल्ली (श्री पी० घोप) ने दिल्ली प्रशासन की अधिसूचना संख्या एफ० 2/69/75—गृह (पी०२) दिनांक 3-7-1975 के साथ पठि तमीसा की धारा एस० 3 के उप-अनुच्छेद (2) के खंड (ब) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलदीप नव्यर की नजरबंदी का आदेश दिया। उसी दिन श्री घोप ने मीसा की धारा 16 (अ) (3) की तहत जो आर्तरिक सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम 1975 (वाद मे उसके स्थान पर एक अधिनियम उसी दिन से लागू हुआ) द्वारा लागू हुआ था, जैसा कि अभीष्ट या एक घोषणा का आदेश दिया; यह घोषणा इस वारे मे थी कि यह नजरबंदी इमरजेंसी को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए ज़रूरी थी जो राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 (1) के तहत घोषित की गयी थी। उस आदेश के अनुसरण मे गिरफ्तारी उनके मकान पर 24 जुलाई 1975 को सवेरे की गयी। घोषणा को व्याप्ति मे रखने हुए नजरबंदी के कोई भी कारण नही बताये गये थे।

पिटोशनर की पत्नी (श्रीमती भारती नव्यर) ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दिल्ली के हाई कोर्ट मे पिटीशन दायर की। उक्त पिटोशन मे नजरबंदी को पृष्ठभूमि मे जो तथ्य थे उनको व्योरेवार लिखा गया और यह साफ़-साफ़ बताया गया कि वह ऐसे आदमी नही थे जिन्हे सामान्य-रूप से यह समझा जाता कि वह कोई ऐसा काम करेगे या ऐसा काम कर सकते हैं जो “सार्वजनिक व्यवस्था के बनाये रखने मे आड़े आता हो,” यह आग्रहपूर्वक कहा गया कि वह हमेशा भारत के शातिपूर्ण नागरिक रहे थे, वह कभी किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य नही रहे, उन्होने कभी किसी राजनीतिक प्रदर्शन मे भाग नही लिया और उन्होने कोई भी ऐसा काम नही किया जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता कि वह कोई ऐसा काम करने वाले थे जो सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने मे आड़े आता। श्री घोप

इस बात से सन्तुष्ट नहीं हो सकते थे कि श्री नव्यर की नज़रबंदी आवश्यक थी, असल में वह सन्तुष्ट भी नहीं थे। यह नज़रबंदी मीसा की धारा 3 के क्षेत्र से बिलकुल बाहर थी। यह द्वैपूर्ण थी। इसने उस फ़र्क को ध्यान में नहीं रखा जिसे कानून में “सार्वजनिक व्यवस्था को बनाये रखने” (गंभीर अव्यवस्था को या ऐसी अव्यवस्था को रोकना जो मोटे तौर पर समाज के समुदाय पर असर डालती) और (ऐसी अव्यवस्था में) जो कुछ मामलों में “कानून और व्यवस्था में गड़वड़ी” कर सकती थी, के बीच बनाये रखना चाहिए। विटीशन में नज़रबन्द को निर्भकि^१ और निष्पक्ष, विश्व खंपाति-प्राप्त प्रमुख लेखक और पत्रकार बताया गया। उच्छ्वेष-सरकारी-नौकरी भारत सरकार के नूचना और प्रसारण मंत्रालय में इफ़मेशन ऑफिसर के रूप में 1952 से शुरू की। उन्होंने तत्कालीन गृहमंत्री, स्वर्गीय गोविन्दबलभ पन्त के जन-सम्पर्क अधिकारी के रूप में 1957 से 1961 तक काम किया, उन्होंने थोड़े समय के लिए 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के अधीन भी जन-सम्पर्क अधिकारी के रूप में काम किया, वह तत्कालीन गृहमंत्री स्वर्गीय श्री लालबहादुर शास्त्री के साथ भी जन-सम्पर्क अधिकारी के रूप में 1961 से 1964 तक संबद्ध रहे। वह 1964 में यू० एन० आई० के जनरल-मैनेजर बने जहाँ उन्होंने रचनात्मक योगदान दिया। वह स्टेट्समेंट में करवरी 1975 तक रहे और उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस में एडीटर बनकर चले आये, जहाँ वह नज़रबंदी के समय नियुक्त थे। उनका किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई भी संबंध नहीं था, वह निष्ठावान पत्रकार थे। वह प्रेस कॉसिल ऑफ इंडिया के अक्तूबर 1970 से और टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी और पंजाबी यूनिवर्सिटी के सीनेट के सदस्य तथा बगलौर यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता-विभाग के सलाहकार थे। उन्हे प्रेस इफ़मेशन बूरो द्वारा प्रेस एक्सप्रेस कमेटी का सदस्य नामित किया गया था। उन्हे भारत सरकार द्वारा जूनियर प्रशासनिक अधिकारी की भर्ती के लिए यू० पी० एस० सी० के इटरब्यू वोर्ड में नियुक्त किया गया था। उनका सर्व-धर्म, समझावदाद में पक्का विश्वास है। वह सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पाकिस्तान में स्थिति को सामान्य लाने के लिए खेल थब्बुल्ता और प्रधानमंत्री में बातचीत होने का सुझाव दिया था। उन्होंने साम्प्रदायिक शाति बनाये रखने में विशेष हच्छी ली थी। वह दुर्गा रतन एवार्ड कमेटी के जूरी थे, इस तरह नामित होने वाले तीन व्यक्तियों में वह अकेले गैर-मुस्लिम थे। उनकी कृतियों में अन्य कृतियों के साथ (1) विट्वीन द लाइंस (2) इंडिया इन क्रिटिकल इयर्स, और (3) इंडिया आफ़टर नेहरू—पुस्तकों की भारत में और विदेशों में बहुत सराहना हुई। वह विशिष्ट घटनाओं की तटस्थिता से रिपोर्टिंग करने में ही हच्छी रखते थे, जिसमें वह न किसी राजनीतिक पार्टी का और न ही किसी नेता का विरोध करते थे। लंदन के टाइम्स, स्पेक्टर, और वार्ल्डगेटन ईवर्निंग स्टार के 1967 से भारतीय संवाददाता होने के नाते वह इनके लिए लेख भेजते रहते थे, जो उन्होंने इमरजेंसी पर भी लिखे थे। उन्होंने ये लेख तट्ट्य होकर

विना किसी पूर्वाग्रह के लिये थे। इन परिस्थितियों से किसी भी तरह से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था कि वह सार्वजनिक व्यवस्था को घुटरा पैदा करना चाहते थे।

तत्कालीन साँतिसिटर-जनरल श्री सालनारायणसिंह को सुनने के बाद एक सशर्त आदेश जारी किया गया।

दिल्ली प्रशासन ने जबाब में एक हलफनामा नजरबंद करने वाले अधिकारी के हलफनामे के साथ दाखिल किया। श्री धोप ने यह आग्रहपूर्वक कहा कि उन्होंने देप से कोई कार्य नहीं किया था, उन्होंने उस रिपोर्ट में दी गयी मूचना के आधार पर कार्रवाई की थी, जो केंद्री की 'पिटिएट कार्रवाइयो' के संबंध में उनके पास थी। ये कार्रवाइयों ऐसी थी जिनसे सार्वजनिक व्यवस्था के बनाये रखने में उल्टा असर पड़ता था और इनका उद्देश्य इमरजेंसी की प्रभावी तरीके से सरकार द्वारा लागू करने के उपायों को बेकार करता था। श्री धोप सिंह इन्होंने जानते थे कि वह तीन पुस्तकों के सेवक थे जो पिटीशन में बतायी गयी हैं। श्री धोप को यह नहीं मालूम था कि नजरबंद पक्षकार भी हैं और न ही वह उन अन्य वातों के बारे में जानते थे जो पिटीशन में लियी गयी हैं। उन्हें प्रधानमंत्री और नजरबंद के बीच हुए पक्ष-व्यवहार का भी पता नहीं था, पहली बार इसकी जानकारी उन्हें पिटीशन के साथ संलग्नों की एक प्रति (प्रधानमंत्री को केंद्री का एक पक्ष और उनका उत्तर पिटीशन के साथ संलग्न किये गये) मिलते पर नहा। त केवल नजरबंदी का आदेश विहिक 'धोपण' भी श्री धोप द्वारा तब की गयी जब उन्होंने स्वयं को संतुष्ट कर लिया कि केंद्री को सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने में आई आने वाली कार्रवाइयों को करने से रोका जाये और इमरजेंसी को प्रभावी तरीके से लाग किया जाये। ये आदेश किसी अधिकारी के आदेश देने पर, उसकी पालन करने पर नहीं किये गये थे। इस बात से खास तौर से इनकार किया गया था कि नजरबंदी का आदेश केंद्री और प्रधानमंत्री के बीच पक्ष-व्यवहार के परिणाम-स्वरूप दिया गया था। उप-राज्यपाल ने श्री धोप द्वारा की गयी धोपण पर मनविचार किया था और उन्होंने इसकी पुष्टि जैसा कि कानून में अपेक्षित है, 15 दिनों के अन्दर कर दी थी।

18.8.75 को उत्तर के रूप में एक दूसरे हलफनामे में श्रीमती भारती नव्यरने बताया था कि श्री धोप ने जो मानदण्ड अपनाया था वह उससे भिन्न था जो मीसा की धारा एस० 3 (1) (ए) के तहत दिया गया है। यह दुवारा कहा गया था कि 'सार्वजनिक व्यवस्था को बनाये रखना' और केवल 'कानून भौत व्यवस्था को बनाये रखना' इन दोनों के अन्तर का अंतर नहीं रखा गया है। यह टिप्पणी की भवी थी कि नजरबंद करने वाले अधिकारी ने इस बात का भी ध्यान नहीं रखा कि वह केंद्री के बारे में खुद भी जानता है या नहीं। नजरबंदी का आदेश यूँ ही दिया गया और आवश्यक तथ्यों और सारी पृष्ठभूमि का कोई भी ध्यान नहीं रखा गया। श्री धोप द्वारा यह भी नहीं बताया गया कि केंद्री ने जो भी लेखादि लिये उनमें सार्वजनिक व्यवस्था को

बनाये रखने में आड़े आने वाली बातें कौन-कौन-सी थीं। दूसरी तरफ श्री धोप तो उनके बारे में जानते भी नहीं थे। इन स्रोतों से नज़रबंदी के कारणों के बारे में सन्तुष्ट होने की संभावना को बिलकुल ही असत्य ठहरा दिया गया। कोट्ट के सामने ऐसी सभी सामग्री को पेश करना अनिवार्य था जिससे यह पता लग सके कि श्री धोप ने अपने को सभी आवश्यक तथ्यों के आधार पर संतुष्ट कर लिया था।

प्रतिवादी की ओर से जो कुछ कहा गया उससे यह नहीं जाना जा सका कि शुरू के मुद्दे रूप में प्रमाण को सिद्ध करना और इस प्रश्न का निर्णय करना कि कोट्ट के सामने क़ानून में अपेक्षित सामग्री को पेश करना ज़रूरी नहीं है। उसने इस आधार पर इसका विरोध किया था कि कोट्ट को यह पता लगाने से रोका जा सकता है कि वया प्रतिवादी के पास कोई ऐसी सामग्री थी जिसके आधार पर नज़रबंदी के आदेश को रद्द ठहराया जा सके, अगर नज़रबंदी सचमुच आवश्यक नहीं है तो आदेश को रद्द किया जाये। या तो प्रतिवादी को ऐसी सामग्री पेश करनी पड़ेगी जिसके आधार पर श्री धोप ने कार्रवाई की, या ऐसी सलाह दी जाये कि वह साक्षी अधिनियम की धारा 124 के अधीन प्रमाण प्रस्तुत करें। कोट्ट का विचार था कि प्रमाण पेश करने की जिम्मेदारी, या जब यह दूसरे पर ढाल दी जाये, उसका खंड-खंड में या विभिन्न स्तरों पर निर्णय नहीं लिया जा सकता—इससे मामले को निवटाने में देरी होगी जो यथासंभव बचायी जानी चाहिए। इसके अतावा जिम्मेदारी और उसके निवृहन का प्रश्न सभी तथ्यों और परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में हल किया जाना चाहिए।

कोट्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सशर्त आदेश जारी होने पर सरकार को 'पूष्ट' 'प्रमाण' पेश करने चाहिए। इसकी पूष्टि में 'ग्रीन बनाम सेकेटरी ऑफ़ स्टेट फॉर होम अफेयर्स' (1941 ई ० आर० 388, पृ० 392 (2)) में लाँडै मैगहाम की टिप्पणी और सुप्रीम कोट्ट के कई निर्णयों को पेश किया गया, जिनमें यह ठहराया गया था कि सशर्त आदेश के बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के मामले में सरकार के लिए यह अनिवार्य था कि वह कोट्ट को संतुष्ट करे कि कैदी की आज़ादी क़ानून के तहत और अनुच्छेद 22 (5) की संवेधानिक आवश्यकता के समुचित अनुसरण में छीनी गयी है। इमरजेंसी के दौरान अनुच्छेद 22 के निलम्बित हो जाने पर कानून के तहत ठीक-ठीक पालन करना ही दोष रह गया था।

जस्टिस रंगराजन ने (जस्टिस अग्रवाल सहमत थे) अनेक निर्णयों पर, खास तौर से अंग्रेजी कोट्ट के निर्णयों पर विचार-विमर्श कर 'लिवरसोज बनाम एंडरसन' (413 ई ० आर० 338) में लाँडै एटकिन की प्रसिद्ध असहमति की व्याख्या करते हुए कि किस प्रकार यह अंग्रेजी कानून बन गयी थी, अपना मत दिया: "अगर पिटीशनर प्रत्यक्षतः सिद्ध करने में सफल हो जाता है तो यह जिम्मेदारी प्रतिवादी की हो जाती है कि वह यह बताये कि नज़रबंदी भीसा के तहत की गयी थी। यह आगे एक और प्रश्न के अधीन है कि विधान और आदेशों के कारण क्या इस पर युरू में ही कोई पुनर्विचार नहीं हो सकता।"

शायद जस्टिस रंगराजन के तकं का, जिन्होंने वेच के अपने सहयोगी जस्टिस अयवाल की ओर से भी विचार प्रकट किये थे, सबसे महत्वपूर्ण भाग यह था कि प्रतिवादी पर जिम्मेदारी डालते हुए किस प्रकार प्रत्यक्षतः यह बात अपने आप सिद्ध हो जाती है कि कँडी असर नहीं पड़ता और किस तरह इस संवंध में न्यायिक पुनर्विचार करने के कारणों को पेश न किये जाने से रुकावट आने के बावजूद, जैसाकि इस मामले में ही, नजरबन्दी की वंधता गंभीर रूप से सदैह-स्पष्ट हो जाती है, इन संदेहों का निराकरण केवल प्रतिवादी (प्रतिवादियों) द्वारा ही हो सकता है। ऐसा करने में सफल न होने पर नजरबन्दी के आदेश के परिणाम का, जो केवल प्रशासक का आदेश ही नहीं है और जिसे रद्द किया जा सकता है, प्रश्न आ जाता है। हालांकि यह नहीं कहा गया था कि कारण कँडी द्वारा पेश किये जाने चाहिए। जस्टिस रंगराजन ने सुप्रीम कोर्ट के अनेक निर्णयों का हवाला दिया: आनन्दन नम्बियार व० यूनियन ऑफ इंडिया (1966, ए० आई० आर० एस० सी० 657); मवक्कन सिह व० स्टेट ऑफ पंजाब (1964, ए० आई० आर० एस० सी० 381); स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश व० भारतसिंह हैदरावाद व० मोहम्मद इब्राहीम एंड क० (1970, ए० आई० आर० एस० सी० 1275)। बन्दी प्रत्यक्षीकरण की रिट के अव भी प्रभावी बने रहने से, न्यायिक पुनर्विचार की शक्ति जो कोटं में निहित है न तो खत्म की जा सकती है, न उसमें कटीती ही की जा सकती है और न छीनी ही जा सकती है। भले ही मीसा के किसी भी अनुबंध पर ही क्यों न आधित रहा जाये, जिससे नजरबन्द करने वाले अधिकारी ने यह घोषणा की कि नजरबन्द करने के कारणों को न बताया जाये। इस घोषणा के केवल दो न्यायिक परिणाम थे: (1) कँडी का मामला सविधित निकाय के सामने पुनर्विचार के लिए नहीं जायेगा; (2) कँडी को कारण बताने की जरूरत नहीं है। यह स्पष्ट किया गया कि नजरबन्दी के कारणों के न बताये जाने का अर्थ यह नहीं था कि नजरबन्दी के कारण हो भी नहीं; अगर वे नहीं हैं या उनके होने में सदैह है तो जब तक इन कारणों का निर्णय नहीं हो जाता तब तक कोटं के पास कोई चारा नहीं रह जाता कि वह अपना कर्तव्य पूरा न करे अवधिकार प्रत्यक्षतः अभी नहीं लिया गया है। उक्त निर्णयों के सदर्भ में यह स्पष्ट किया गया कि किस प्रकार यह नहीं लिया गया है।

जस्टिस रंगराजन ने संविधान के अनुच्छेद 359(1)(ए) के तहत राष्ट्रपति की घोषणा के बारे में, जिसके संवंध में कहा गया कि इस पर पुनर्विचार नहीं हो सकता, यह स्पष्ट किया कि संशोधित होने के बाद भी अनुच्छेद 359 (1) (ए) में ऐसा कुछ नहीं था जो ऐसी नजरबन्दी की इजाजत देता हो जो कानून के अनुसार नहीं की गयी हो। इस विषय पर उन्होंने खास तौर से यह विचार व्यवत किये, "संविधान में

359 (1) (ए) अनुच्छेद का समावेश करने वाले संशोधन का केवल यह प्रभाव है कि अनुच्छेद 19 के तहत अधिकार, जो अनुच्छेद 358 के तहत भी दिये गये हैं, भाग III में उल्लिखित अन्य अधिकार इमरजेंसी के दोरान वैधानिक या प्रशासकीय कार्रवाई को अवैध नहीं कर सकते, लेकिन इससे इमरजेंसी के दोरान वैध कानून द्वारा प्रशासकीय कार्रवाई के औचित्य को सिद्ध करने की आवश्यकता का निराकरण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में प्रतिवादी को 38वें संशोधन से कोई सहायता नहीं मिलती।” (जोर देकर कहा गया)

जस्टिस रंगराजन ने विधान-मंडल को, जब उसने मीसा की धारा 18 को अधिनियमित किया था, उक्त स्थिति की जानकारी रखना आवश्यक बताया जो यह है कि मीसा के तहत दिये गये आदेशों के कारण सहज कानूनी अधिकार और सामान्य कानूनी अधिकार भी, संविधान के भाग III के तहत अधिकारों के साथ समाप्त हो जायेंगे। मक्कर्नसिह वाले निर्णय ने, जो खास तौर से रद्द नहीं हुआ है (यह तभी हो सकता था जब पाँच जजों की उस बैंच से ज्यादा जजों की बड़ी बैंच कोई दूसरा निर्णय देती जिसने मक्कर्नसिह के सबध में निर्णय दिया था), इस बात को नकार दिया है कि अनुच्छेद 359 (1) (जैसा कि उस समय था) के कारण प्रशासकीय अधिकार कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों से अधिक व्यापक हो गया है। सभ्राट ब० शिवनाथ बैनर्जी (ए० आई० आर० 1943, एफ० सी० 156) का हवाला देते हुए, जिसने इस दलील को (संविधान के सामने भी) थोथी बताया है कि नजरबन्दी के आदेशों की जांच करना कोट्ट के अधिकार-क्षेत्र में नहीं है बल्कि सिर्फ नजरबन्दी के आदेश में कारणों को स्वीकार किया है, जस्टिस रंगराजन ने स्वीकार किया कि कारणों के न बताये जाने से कैदी पर, निश्चय ही, बड़ा ही कठिन दायित्व था गया है। लेकिन इस मामले में उन्होंने यह निर्णय किया कि कारणों के बताये जाने के बावजूद नेक-नीयती और वंधता (मीसा की सीमा में दिये गये अनुचित आदेश से संबंधित) के बारे में गंभीर संदेह है। आनन्दन नम्बियार के मामले में मुख्य न्यायाधीश गजेन्द्रगढ़कर ने पाँच जजों की बैंच की ओर से बोलते हुए इस आशय को थोथा बताया था कि संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन नजरबन्दी के आदेश को यह चुनौती नहीं दी जा सकती कि यह आदेश दुर्भाविष्युर्ण था।

जस्टिस रंगराजन ने सारी स्थिति को सार रूप में इस प्रकार कहा : “इन सब मामलों का सार यह है कि जो गैर-कानूनी कार्रवाई है वह सिर्फ इसलिए कानूनी नहीं हो जाती कि किसी भी मामले में नजरबन्दी का आदेश सिर्फ एक प्रशासकीय कार्रवाई है अर्थात् उसके लिए वैधानिक समर्थन नहीं है। इसे कानूनी होने की कसीटी पर खरा उत्तरना चाहिए, -ऐसे मामले में जहाँ चुनौती दी जा सकती है। उसे कानून की किसी वैध व्यवस्था के अधीन और उसके ठीक-ठीक अनुसरण में जारी किया जाना चाहिए। इस तरह के आदेश का जारी किया जाना शक्ति का सशर्त प्रयोग है, अगर यह दिया दिया जाये

कि जिन शर्तों में ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है वह पूरी नहीं हुई है तब यह कोई ऐसा मामला नहीं होगा जिसमें कोई आदेश किसी वंध कानून के तहत जारी किया गया था और वह रद्द पोपित कर दिया जायेगा।”

अनुक्रमणिका

- अकाली सत्याग्रह 69 तथा पा० टि०
 अखिल-भारतीय समाचारपत्र सम्पादक
 सम्मेलन 14
 अग्रवाल (सॉलिसिटर) 83
 अपराधियों का जेल से भागना 70
 अब्दुल्ला, शेख 85, 86, 93
 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 48
- आमुका (आंतरिक सुरक्षा कानून—
 मीसा) 13, 18-19
 आदर्श जेल मैनुअल 42
 आयंगर (न्यायमूर्ति) 18 पा० टि०
 आर्मनाइजर 14
- इन्दर गुजराल कमेटी, उर्दू भाषा पर
 48
 इमरजेसी, की घोषणा 19-20; पर
 विदेशी समाचारपत्रों की प्रतिक्रिया 17
 इमरजेसी विरोध दिवस 72
 इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला 35, 53
- उपाध्याय, दीनदयाल 46
 उर्दू भाषा 48-49
- एक्सप्रेस ग्रुप, से सरकार का टकराव
 88-92
- करणानिधि 68, 94; इमरजेसी के बारे
 में 86-87
- केन्द्रीय सुधार-सेवा व्यूरो 42
 कौल, त्रिलोकीनाथ (टी० एन०) 38;
 नव्यर के अपराधों के बारे में 22
 पा० टि०
 कृष्णकान्त 35
 कृष्णचन्द 23 पा० टि०, 79 पा० टि०
- खाने की व्यवस्था, जेल में 29-30, 39
 खुराना, एम० एल० 23
- गांधीवादियों की गिरफ्तारी 31
 गांधी, श्रीमती इन्दिरा 19, 20, 21,
 31, 35, 54, 62, 63, 64, 69, 93,
 98, 100, 102, 106; और आर०
 एस० एस० 29; के विचार 'प्रतिवद'
 सरकारी कर्मचारियों पर 21; द्वारा
 नव्यर को छोड़ने के आदेश 82
 गांधी, संजय 21, 91, 93, 102; के
 इंटरव्यू पर विदेशों के विचार 75
 'गीता' 74-75
 गुजराल, इन्दर और कुलदीप नव्यर 16
 गुप्त, हंसराज 63
 गोखले (एच० आर०) 82
 गोयनका, रामनाथ 11, 88-91
 ग्रोवर (जस्टिस) 20
- घोष, पी० 83 पा० टि०
- चंद्रशेखर 35, 106

चकवर्ती, निखिल की नव्यर को लायब्रेरियन के रूप में 52
 चेतावनी 11 जैन, देविंदर 35, 37, 39
 चरणसिंह 55, 61, 94, 95, 106 जैलसिंह, ज्ञानी 96 पा० टि०
 चढ़ाण, बाई० बी० 19 भा०, बी० एन० 65
 चावला, नवीन 23 पा० टि०

चुनाव, 1977 के 97-100 डालमिया, रामकृष्ण, को जेल में
 जगजीवनराम, 19, 87, 100, 106; सुविधाए० 38

को गिरफ्तारी का डर 35-36 जेलमिलनाडु, मेरा राष्ट्रपति-शासन 86
 जजों का अधिलंघन 20 तस्करों, को जेल में सुविधाए० और
 जनता पार्टी 100, 105, 106 आराम 38

जन संघ और आर०एस०एस०, के बारे वानाशाही, पर लेखक के विचार 19;
 में लेखक के विचार 46; को पर वहस 44
 मुसलमानों के बारे में कम जानकारी तारककुडे, बी० एम० 83
 47; के 'जमात' के साथ अच्छे संबंध तेजा, धर्म, को जेल में सुविधाए० और
 49; द्वारा जेल में प्रार्थना 57; अनु-आराम 37

शासित संगठन के रूप मे 72-73 'दास-प्रथा', जेल में 39-41
 जमात (जमाते-इस्लामी), के जन संघ दिल्ली हाई कोर्ट, का कुलदीप नव्यर
 और आर०एस०एस० के साथ अच्छे की नजर रखनी पर फैसला 82-83
 संबंध 49; की आधुनिकोकरण की देशमुख, नानाजी 22, 23, 29, 69; की
 प्रक्रिया 49 गिरफ्तारी की कहानी 69-70
 जेल, की व्यवस्था 26-27; मे आवास देसाई, मोरारजी 22, 55, 99

की समस्या 30; मे टट्टियों की हालत धर, पी० एन० 98
 36; मे नहाने की सुविधाओं का घबन, आर०ए० 21, 79 पा० टि०

अभाव 36; मे खर्च की सीमा 37; नक्सलवाद/नक्सलवादी 56-57
 मे बड़े व्यापारियों के लिए आराम नम्बूदिरीपाद, ई० एम० एस० 18, 68,
 और सुविधाए० 37-38; मे सुरा- 87, 99

सुन्दरी की सप्लाई की व्यवस्था 38; मे भ्रष्टाचार 38; मे रहन-सहन की नव्यर, कुलदीप, की गिरफ्तारी 12;

हालत 71, 79; मे समाचारपत्र और गिरफ्तारी पर परिवार के सदस्यों
 रेडियो की सुविधा का अभाव 43; की प्रतिक्रिया 12, 23; का श्रीमती
 मे दिन मे दो बार प्रार्थनाए० 57; मे गांधी को पत्र 13-15; की शुक्ल से
 गजलों और भजनों का कार्यक्रम 57- भड़प 16-17, 84-85; के इन्द्र
 58; मे मुलाकात का तरीका और गुजरात के साथ संबंध 16; के
 औपचारिकताए० 60, 61; मे चिठ्ठी विलाक अपराधों की सरकारी सूची
 पाने-मेजने की व्यवस्था 66-67; मे 21-23; के बारे मे पुलिस की रिपोर्ट
 'रामायण' और 'गीता' का पाठ 74; 25 पा० टि०; की नजर रखनी के
 'मनुअल' की धाराए० 109-19 चिलाक वंदी प्रत्यक्षीहरण याचिका
 जेल-अधिकारी, का बताव 26, 42 53; की परिवार के सदस्यों से

जेल अस्पताल 73-74
 जेल नायबेरी, मे पुस्तकों का मंग्रह 52
 जैन, डॉ० एन० एस० 27, 53; जेल मे

- मुलाकात 60-61, 77-78; मिठाइयों के शौकीन 61; बचपन की यादों का सपना 71, 76, 77; का रिहाई आदेश 80; की रिहाई पर परिवार में खुशी 82; का स्वास्थ्य जेल में गिरा 84; के घर पर निगरानी 85; की शेख अब्दुल्ला से मुलाकात 85-86; की करुणानिधि से मुलाकात 86-87
 नव्यर, राजिन्दर 102
 नागरिक अधिकारों पर रोक 84
 नागालैंड/नागा समस्या 62-63
 नारायण, जयप्रकाश (जे० पी०) 21, 22, 63, 92, 93, 94, 100
 निवारक नज़रबंदी, का विरोध 18
 नीति-संहिता, पत्रकारों के लिए 101
 नेहरू, जवाहरलाल 14, 32, 34, 52, 105
 नेहरू, दी० के० 62
 नैयर, के० डी० 23 पा० टि०, 25, 79 पा० टि०
 न्यायपालिका, प्रतिवर्द्ध 20; की आजादी 83-84

 पटनायक, दीजू 95
 पदवियाँ, गणतंत्र-दिवस पर 65-66
 पन्त, गोविन्दवल्लभ 11, 62, 63; निवारक नज़रबंदी कानून को आगे बढ़ाने पर विचार 18
 पवनार सम्मेलन 88
 पुरी, राजिन्दर 12; की कुलदीप नव्यर को चेतावनी 13
 प्यारेलाल, ने सच्चर की चिट्ठी पर हस्ताक्षर करने से इन्कार किया 31
 प्रताप, विजय 64
 प्रतिवर्द्धता 20-21
 प्रसाद, एच० वाई० शारदा 15
 प्रेस की आजादी 17, 103; पर नेहरू के विचार 15
 प्रेस-कॉसिल 14, 18; का प्रस्ताव 16, 18
 प्रेस-बलव, की भीटिंग, पत्रकारों का विरोधात्मक रवैया 85
 प्रेस सेसरशिप, के खिलाफ विरोध 16
- फरन्नंडीज, जॉर्ज 29, 55, 99; को गिरफ्तार करने पर सरकार की नज़र 70
 फँज (शायर) 58, 59, 64

 बंसीलाल 54, 93
 बयालीसर्वा संविधान संशोधन विधेयक 87-88
 बरनाला, सुरजीतसिंह 69
 बरार (पुलिस-अफसर) 24, 25, 87
 बहुआ, देवकांत, 11
 बहुगुणा, हेमवतीनन्दन 87, 100
 बाउरी, बलराज 12
 बाजवा, के० एस० 23 पा० टि०, 79 पा० टि०
 बिड़ला, के० के० 89, 90
 बुखारी, संघ्यद अब्दुल्ला 21
 बुद्धिजीवी, के बारे में कुलदीप नव्यर की प्रतिक्रिया 20-21

 भद्राचार्य, अजित 90
 भाटिया (अपराधी) 72
 'भारत छोड़ो' आदोलन दिवस पर नव्यर का लेख 88
 भारतीय मुस्लिम/इस्लाम 47, 48, 49
 भावे, विनोबा 88
 भिडर, पी० एस० 23 पा० टि०, 79 पा० टि०
 भूमिगत आदोलन 69, साहित्य 87

 मध्दी-गण, का रहन-सहन 104-105; के बारे में महात्मा गांधी की सलाह 55
 महिला राजनीतिक केंद्रियों की दयनीय परिस्थितियाँ 56, 57
 मिश्र, रमाकांत 13
 मुखर्जी, श्यामाप्रसाद 46
 मुजीबुर्रहमान, शेख, की हत्या 64
 मुरली (नौकर) 13
 मुलगावकर, एस० 13, 89, 90, 91
 मुस्लिम उत्तराधिकार कानून 48
 मुस्लिम विवाह कानून, को नया बनाने का प्रयास 48

मूंधदा, हरिदाग, को जेल में सुविधाएँ 38
 मैहता, अणोक 22, 95
 मैहता, ओम 67, 77, 78, 79 पा० टि०
 मैहताव, हरेकृष्ण 94
 मौलिक अधिकार 19
 पूरुष, मोहम्मद 16, 95

रागराजन (जस्टिस), का नव्यर की
 नजरबंदी पर फैसला 83
 राजनारायण 66
 राजिन्दर (सच्चर) 77
 राजेन्द्रप्रसाद 66
 राधाकृष्ण, की गिरफ्तारी 70
 राय, विधानचंद 18
 राय, सिद्धायंशंकर 93
 रे, ए० एन० 20
 रेडी, वहानंद 19, 35, 77, 92

लोकतंत्र, को संस्थाओं का कमज़ोर
 होना 20
 लोक संघर्ष समिति 22

वालेस, इरविन 97
 विदेशी सामाचारपत्रों की टिप्पणी,
 इमरजेंसी पर 17; कुलदीप नव्यर
 की रिहाई पर 82; दिल्ली हाईकोर्ट
 के फैसले पर 83
 विरोधी दल, द्वारा संसद के विरोप
 अधिवेशन का वहिकार 87
 विशिष्ट वर्ग 21

विष्णुदत्त 34
 वैद्य, किशनलाल 34
 व्यक्ति, पर नेहरू के विचार 45
 व्यापारियों, को जेल में सुविधाएँ 38

वृक्षारोपण का महत्व 80

शमशाद अली, राव 30, 58

शम्भू, एस० डॉ 34
 शम्भू, चंद्रेश 27
 शम्भू, जे० के० 34
 शाह कमीशन, और कुलदीप नव्यर की
 गिरफ्तारी का मामला 23 पा० टि०,
 79 पा० टि०, 83 पा० टि०; 120-
 33

शास्त्री, सातवहान्दुर 59
 शुक्ल, विद्याचरण 84, 90, 100, 101;
 से नव्यर की नड़ाग 16-17, 85
 शेलट (जस्टिस) 20
 थीतता, के नक्सलवादियों की निराशा
 पर विचार 56

मंयुक्त राज्य अमरीका की द्विशत-
 वायिकी समारोह के बवसर पर
 नव्यर का लेप 17
 सच्चर, भीमसेन 12, 35; को
 गिरफ्तारी 31; का श्रीमती गांधों को
 पत्र 32-34

साहनी, जे० आर 34
 तिन्हा, के० के० 34
 मुखीलकुमार 23 पा० टि०

संवकराम 34
 सेसरशिप, के नियमों से वचाव के
 तरीके 43
 सोंधी, एम० एन० 23
 सोनी, अम्बिका 64 पा० टि०
 सोरावजी, सोली 83
 स्कॉट, माइकेल 63
 स्वतंत्रता दिवस समारोह, जेल में 63-
 64

स्वर्णसिंह 19, 87
 स्वर्णसिंह समिति, संवैद्यानिक सुधारों
 पर 87

हक्कर, पी० एन० 21
 हुसैन, डॉ० जाकिर 48
 हेगड़े (जस्टिस) 20
 हेजलहस्ट, पीटर 16

